रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2011/वैशाख 8, 1933
No. 85] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2011/VAISAKHA 8, 1933

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

फा. सं. 25-1/2011-एलआई.—भारत के राष्ट्रपति "डाक जीवन बीमा एवं बंदोबस्ती बीमा से संबंधित डाकघर बीमा निधि नियमावली, 30-9-1985 तक संशोधित" के स्थान पर "डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011" के प्रकाशन का निर्देश देती हैं। "डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011" संलग्न है।

नई "डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011" उसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

शेखर के. सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक (डाक जीवन बीमा)
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार के समकक्ष

डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011

निम्नलिखित नियम भारत सरकार के प्राधिकार से जारी किए जाते हैं:-

1. लघु शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ - इन नियमों को डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 कहा जाएगा।

2. इनका विस्तार समूचे भारत में होगा।

3. ये भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह इन नियमों में अथवा अदा किए जाने वाले प्रीमियम में समय-समय पर ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या आशोधन करें जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं, बशर्ते कि ऐसे किसी परिवर्धन, परिवर्तन या आशोधन से पालिसी के लिए की गई संविदा की शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़े जो संविदा किए जाने के समय लागू इन नियमों अथवा अन्य नियमों के अंतर्गत महानिदेशक डाक के साथ किसी व्यक्ति ने किए हों जब तक कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे परिवर्धन या आशोधन के लिए अपनी लिखित सहमति न दे दे।

3. इन नियमों के अंतर्गत डाकघर जीवन बीमा निधि एवं ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि का प्रशासन महानिदेशक डाक में निहित किया गया है, जिन्हें समय-समय पर ऐसे सहायक विनियम एवं आदेश जिन्हें आवश्यक समझा जाए, जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि ऐसा कोई विनियम या आदेश, इन नियमों के किसी प्रावधान अथवा राष्ट्रपति द्वारा इसमें इसके बाद बनाए गए किसी नियम के साथ असंगत न हों।

4. डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011 डाक विभाग के डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर लागू होगी।

परिभाषाएं:

5. "स्वीकृति पत्र" पोस्टमास्टर जनरल/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावक को प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में दी जाने वाली सूचना है।

2. "स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी" से आशय ऐसे अधिकारी से है जो डाक जीवन बीमा पालिसी/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत होता है।

3. "आयु प्रमाण" से आशय उस प्रमाण से है जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की तारीख को उसमें अगले जन्म दिन पर उसकी आयु को सुनिश्चित करता है।

4. "प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा" से आशय विनिर्दिष्ट अवधि तक किसी व्यक्ति के जीवित रहने पर इस व्यक्ति या उसके समनुदेशिती को नियत किश्तों में एक निश्चित धन राशि अदा करने या परिपक्वता की विनिर्दिष्ट तारीख से पहले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशितियों को निश्चित एक मुश्त धन राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा की गई बीमा संविदा है।

5. "स्वत: प्रदत्त पालिसी (आटो पेड अप) " से आशय ऐसी पालिसी से है जिसमें 36 या इससे अधिक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, और इसने स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष अथवा अधिक की अवधि पूरी कर ली हो तथा पालिसी धारक बिना सूचित किए अगले प्रीमियम की अदायगी रोक देता है। तथापि, पालिसी मूल पालिसी की तिथि को ही परिपक्व हो जाएगी और ऐसा मूल बीमित राशि के लिए होगा, जब भावी देय प्रीमियम एकल भुगतान द्वारा एक साथ कर दिया जाए अथवा घटी हुई बीमित राशि के लिए होगा जब मूल पालिसी के संबंध में प्रीमियम विनिर्दिष्ट अवधि से पहले बंद कर दिया गया हो।

6. "बाल पालिसी"। से आशय बच्चे अथवा उसके माता-पिता को बच्चे के जीवन की एक निश्चित अवधि पर अथवा उसकी मृत्यु यदि मृत्य विनिर्दिष्ट तिथि से पहले होती है, पर उसके विधिक प्रतिनिधि अथवा समनुदेशिती को एक निश्चित धन राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा की गई संविदा है।

7. "सरांशीकरण" से आशय परिपक्वता की तारीख को छोड़कर बीमा की संविदा में किए गए किसी परिवर्तन से है और इसमें प्रीमियम की अवधि, प्रीमियम की राशि या बीमाकृत राशि में किया जाने वाला परिवर्तन भी शामिल है।

8. "संपरिवर्तन" का आशय बीमा संविदा की परिपक्वता की तारीख को प्रभावित करने वाले किसी परिवर्तन से है और इसमें केवल आजीवन बीमा श्रेणी को बन्दोबस्ती बीमा श्रेणी में किया जाने वाला परिवर्तन ही शामिल नहीं होता, अपितु बन्दोबस्ती बीमा पालिसी के परिपक्वता होने की अवधि का पूर्व दिनांक अथवा उस पर आगे की तारीख डालना तथा परिणामस्वरूप प्रीमियम में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी भी शामिल है।

9. "परिवर्तनीय आजीवन बीमा" से आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती को एक निश्चित धन राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा है जिसमें पालिसी धारक के पास जोखिम आरम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष (6 वर्ष की समाप्ति पर अनुग्रह अवधि के साथ) समाप्त होने पर पालिसी को बन्दोबस्ती बीमा करने का विकल्प होगा जो एक विनिर्दिष्ट आयु में परिपक्व होगा।

10. "स्वीकृति की तारीख" से आशय उस तारीख से है जिसको प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा प्रस्तावक को जारी किए गए "स्वीकृत पत्र" में इसका उल्लेख हो।

11. "जोखिम आरम्भ की तारीख" से आशय उस तारीख से है जिसको प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। स्वीकृति की तारीख से पूर्व डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

12. "प्रत्यक्ष एजेन्ट" [2-3] से आशय बीमा एजेन्ट से है जिनकी नियुक्ति पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा की जाती है जो डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करने एवं मांगने के लिए जिसमें डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण तथा पुनःप्रवर्तित करने से संबंधित व्यवसाय भी शामिल है, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने के लिए सहमति देता है।

13. "निदेशक डाक जीवन बीमा" से आशय निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता से है।

14. "प्रीमियम की नियत तारीख" से आशय महीने के पहले दिवस से है, जिसको प्रीमियम देय होगा।

15. "बन्दोबस्ती बीमा" से आशय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या उसके समनुदेशिती को उसके जीवन काल की किसी विनिर्दिष्ट अवधि पर या यदि उसकी मृत्यु विनिर्दिष्ट तारीख से पहले हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशितियों को एक निश्चित धन राशि अदा करने के लिए की गई संविदा है।

16. "डिवीजन प्रमुख" से आशय डाक डिवीजन/रेल डाक सेवा डिवीजन के प्रमुख/मुख्य पोस्टमास्टर से है।

17. "आसन्न वरिष्ठ अधिकारी" से आशय उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी से है जहां प्रस्तावक सेवारत है। यदि प्रस्तावक स्वयं कार्यालय का प्रधान है तो आसन्न वरिष्ठ अधिकारी का आशय उस अधिकारी से होगा जिनके प्रस्तावक सीधे अधीन है।

18. "बीमित" या "बीमित व्यक्ति" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे कि डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा जारी किया जाता है।

19. "संयुक्त जीवन बीमा/युगल सुरक्षा" [4] से आशय किसी व्यक्ति या उसके जीवित पति/पत्नी या उसके समनुदेशितियों को किसी कतिपय विनिर्दिष्ट समयावधि के बाद अथवा उसकी मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशितियों को, यदि मृत्यु विनिर्दिष्ट समयावधि से पहले हो, देय धन राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा है।

20. "पालिसी का व्यपगमन" – ऐसी पालिसी जो 3 वर्षों से अधिक सक्रिय रहे और यदि उसका प्रीमियम/प्रीमिया लगातार 12 महीनों से जमा न किया गया हो तो वह व्यपगत होगी।

21. "जीवन बीमा" संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा सरकार एक निश्चित प्रीमियम, चाहे वह पूर्ण राशि के रूप में अथवा आवधिक तौर पर भुगतान किया जाता है, उस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए वचन देती है, जिसके लाभ के लिए बीमा किया गया है, वह विनिर्दिष्ट राशि किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर अथवा जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है, उसकी मृत्यु होने पर विनिर्दिष्ट राशि में हो सकती है।

22. "विपणन कर्मी" [5] कर्मचारी या ऐसा व्यक्ति है जिसे पोस्टमास्टर जनरल या डिवीजन प्रमुख द्वारा डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय की प्राप्ति के लिए नामित किया जाता है। विपणन कर्मी में आईपीओ, एएसपीओ, एएसआरएम, पूर्व – डीओ (पीएलआई), पीआरआई (पी), पोस्टमास्टर चयनित डाक सहायक, पोस्टमैन, सेवानिवृत्त जीडीएस बीपीएम, डीओ (पीएलआई), फील्ड अधिकारी (पीएलआई), एसपीएम (ग्रामीण एसओ), जीडीएस कर्मी तथा प्रत्यक्ष कर्मी एजेंट जैसे आगंनवाडी कर्मचारी, महिला मंडल कर्मचारी, पूर्व सेवा कर्मी, सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापक, एसएचजी, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा अन्य कर्मचारी/व्यक्ति शामिल होते हैं जो कि डाक डिवीजन के प्रमुख द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

23. "प्रदत्त पालिसी" का आशय उस पालिसी से है जिसमें आगे कोई भुगतान या प्रीमियम अदा करना अपेक्षित न हो लेकिन जो मूल पालिसी के समान तिथि को परिपक्व हो, और यदि भविष्य में देय प्रीमियम का एक साथ भुगतान कर दिया गया हो तो मूलरूप से बीमाकृत राशि के लिए अथवा यदि मूल पालिसी के संबंध में देय प्रीमियमों को नियत अवधि से पहले देना बंद कर दिया जाता है, तो कम की गई राशि के लिए।

24. "भुगतान एवं लेखाधिकारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी" से आशय उस अधिकारी से है, चाहे उसका सरकारी पदनाम कुछ भी हो, जिसके कार्यालय में प्रस्तावक अथवा बीमित व्यक्ति के वेतन एवं भत्तों का लेखा रखा जाता है।

25. "अनुग्रह की अवधि"[6] - कलेंडर माह जिसके लिए प्रीमियम देय है, के अंतिम दिन तक बढ़ जाएगी अथवा यदि माह के अंतिम दिन को रविवार या डाक अवकाश पड़ता है तो अंतिम दिन के पूर्व के दिन तक अनुग्रह की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।

26. "पालिसी" से आशय एक ऐसे लिखित दस्तावेज से है जिसमें बीमा के संबंध में संविदा की शर्तें शामिल है।

27. "प्रवृत्त पालिसी" का आशय उस पालिसी से है जिनके लिए सभी देय प्रीमियमों का नियमित भुगतान होता है और ऐसी पालिसी डाकघर बीमा निधि नियमावली के किसी नियम के अधीन कभी भी "शून्य" अथवा "व्यपगत" नहीं हुई है।

28. डाकघर जीवन बीमा निधि से आशय डाक जीवन बीमा से निर्मित निधि में बकाया राशि से है।

29. डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आजीवन बीमा, बन्दोबस्ती बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बीमा, संयुक्त जीवन बीमा एवं बाल पालिसी एवं ऐसी कई स्कीमें आती हैं जिन्हें डाक विभाग द्वारा समय-समय पर प्रारंभ किया जाता है।

30. "पोस्टमास्टर जनरल" से आशय संबंधित डाक सर्किल या क्षेत्र के प्रमुख से है जिसमें डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामलों में पोस्टमास्टर जनरल के अधिकारों का प्रयोग करने वाले सभी अधिकारी शामिल है।

31. "डाकघर" का आशय महानिदेशक (डाक) के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले भारत के प्रधान या उप डाकघर या शाखा डाकघर से है। अभियान बल के साथ फील्ड सेवा पर सेवारत बीमादारों के लिए, इसमें बेस डाकघर भी शामिल है।

32. "प्रीमियम" का आशय किसी पालिसी के लिए की जाने वाली आवधिक अदायगी से है।

33. "प्रस्तावक/प्रस्ताव" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की स्कीम/स्कीमों के लिए आवेदन करता है।

34. "ग्रामीण डाकघर जीवन निधि (आरपीओएलआईएफ) " से आशय ग्रामीण डाक जीवन बीमा से उपन्न हुए निधि में बकाया राशि से है।

35. "ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) " में आजीवन बीमा, बन्दोबस्ती बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा, बाल पालिसी तथा ग्रामीण जीवन बीमा में 10 वर्षीय पालिसी तथा ऐसी अन्य स्कीमें जो समय-समय पर डाक विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएंगी, शामिल होती हैं।

36. "पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य" से आशय उस राशि से है जो कि बीमाकृत व्यक्ति को उस समय देय होती है जब वह अपनी पालिसी के आकस्मिक लाभ को छोड़ देता है और फिर तत्काल नकद भुगतान के लिए उसे अभ्यर्पित कर देता है; बशर्ते कि कम से कम 36 प्रीमियम जमा किए गए हों और पालिसी ने 36 महीने की अवधि पूरी कर ली हो।

37. "शून्य" का आशय ऐसी पालिसी से है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम हो जिसके प्रीमियम जो देय हो गया हो, का भुगतान न तो महीने के प्रथम दिवस को जिसके लिए प्रीमियम नियत था, और न ही अनुग्रह अवधि के अंदर किया गया हो।

38. "आजीवन बीमा" से आशय व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि अथवा समनुदेशिती को राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा से है, बशर्ते कि पालिसी मृत्यु की तारीख को प्रवर्तित हो।

सामान्य नियम :-

डाक जीवन बीमा के लिए पात्रता शर्तें:-

6. निम्नलिखित व्यक्ति डाकघर जीवन बीमा नीधि के लाभों को लेने के लिए पात्र है बशर्ते कि उनकी आयु प्रस्ताव की तारीख पर उनके अगले जन्मदिन पर 19 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक न हो, प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा तथा बाल पालिसी के मामलों के सिवाय जिनके लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित हैं।

1. केन्द्र/राज्य सरकारों के सभी स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी, सरकार (केन्द्र/राज्य) द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, ग्रामीण डाक सेवकों, सरकारी सहायता प्रदत्त संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अधीनस्थ बैंकों, सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों, प्रतिरक्षा कर्मचारी (थल, नौ, वायु सेना), असम राइफल्स, आईटीबीपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ एवं सीआरपीएफ इत्यादि सहित अर्धसैनिक बलों के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र तथा राज्य) के नियमित[7], क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों स्थानीय निकायों के स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी[8,10] जिन्हें मूल नियमावली 9 (14) में परिभाषित के अनुसार स्थानीय निधियों से वेतन दिया जाता है।
2. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद तथा भारतीय फार्मेसी परिषद के सभी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी।[9]

3. दूरसंचार तथा डाक विभाग के औद्योगिक एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी जिनका वेतन मूल नियमावली के तहत विनियमित है।
4. केन्द्र/राज्य सरकारों की विनिर्दिष्ट नियमावली द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों के सभी स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी[9]।
5. रक्षा सेवाओं के सदस्य जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन, विस्तारित सर्विस कमीशन एवं अन्य प्रकार के अस्थायी कमीशन प्राप्त भी शामिल हैं, निधि में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

टिप्पणी 1 : अगर रक्षा सेवा के किसी सदस्य का रिजर्व में स्थानांतरण हो जाता है तो उसकी पॉलिसी नकद पॉलिसी में परिवर्तित हो जाती है, जिसके प्रीमियम का भुगतान उसके चुने हुए डाकघर में प्रीमियम से संबंधित महीने के अंतिम दिन या इससे पहले नकद में किया जा सकता है। अगर अंतिम दिन रविवार अथवा डाक अवकाश होता है तो राशि का भुगतान इससे पहले वाले कार्यदिवस को किया जाना चाहिए।

डाक जीवन बीमा में बीमित राशि की सीमाएं

7. नियम 6 के अंतर्गत डाकघर जीवन बीमा निधि के लाभ का पात्र कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई भी बीमा जैसे- आजीवन बीमा, बन्दोबस्ती बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा और युगल सुरक्षा बीमा या इन सब में एक साथ प्रत्येक श्रेणी में 20,000/-रु. तक के लिए करवा सकता है लेकिन बीमा की किसी एक श्रेणी/सभी श्रेणियों को एक साथ मिलाकर यह राशि कुल दस लाख रु. (10,00,000/-रु.)[12,13,14] से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20,000/-रु. की न्यूनतम सीमा के बाद बीमा का मूल्य 10,000/-रु[11] के गुणकों में लिया जा सकता है जैसे 20,000/-रु., 30,000/-रु., 40,000/-रु., 50,000/-रु. और इस प्रकार।

जीवन बीमा एवं बन्दोबस्ती बीमा तथा अन्य प्रकार के बीमा

8. आजीवन बीमा या बन्दोबस्ती बीमा या परिवर्तनीय आजीवन बीमा पालिसयी को चुनी हुई अवधि के अंत तक अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु तक, जो भी पहले हो, इन नियमों की क्रमश: तालिका – I[15,19], II[15,16,18,19] एवं III[15,17] में दिए अनुसार मासिक प्रीमियम भुगतान करके प्रभावी किया जा सकता है। प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा एवं संयुक्त जीवन बीमा को इन नियमों की क्रमश: तालिका IV[15] और तालिका V[4] में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार चुनी गई अवधि के अंत तक या बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने तक, जो भी पहले हो, मासिक प्रीमियम भुगतान करके प्रभावी किया जा सकता है। बाल पालिसी के मासिक भुगतान को इन नियमों की तालिका VI[1] के अनुसार विनियंत्रित किया जाएगा।

टिप्पणी :- प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा और संयुक्त जीवन बीमा को छोड़कर प्रत्येक मामले में देय मासिक प्रीमियम की अधिकतम संख्या, प्रविष्टि के समय दी गई आयु जिसके अनुसार प्रीमियम प्रभारित किया गया है और उस आयु, जब भुगतान बंद किया जाना है, के बीच के अंतर का बारह गुणा होगी। प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा और संयुक्त जीवन बीमा के मामले में देय मासिक प्रीमियम की अधिकतम संख्या चुनी गई अवधि का बारह गुणा होगी।

9. प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा (01-02-1984 से लागू)

इस स्कीम के अंतर्गत बीमा दो प्लानों में उपलब्ध है, पहली 15 वर्ष एवं दूसरी 20 वर्षों की अवधि की। दोनों प्लानों में प्रवेश के समय न्यूनतम आयु अगले जन्मदिन पर 19 वर्ष होगी जबकि 15 वर्ष एवं 20 वर्ष वाली योजनाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमश: 45 वर्ष तथा 40 वर्ष होगी। दोनों योजनाओं के अनर्गत बीमित राशि का भुगतान निम्नलिखित तालिका IV में दिए अनुसार चार किश्तों में किया जाएगा। पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय मृत्यु होने पर पूरी बीमित राशि तथा उस पर मिलने वाले बोनस का भुगतान किया जाएगा जो पहले से भुगतान किए आवधिक उत्तरजीवी लाभ में बगैर किसी समायोजन के होगा। इस योजना के अंतर्गत जारी पालिसी के लिए कोई अभ्यर्पण मूल्य अथवा कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। इस पालिसी मे/में कोई फेरबदल की अनुमति नहीं है। परिपक्वता आयु से पहले प्रीमियम बंद होने की स्थिति में जो राशि जमा की गई होगी उसे कम करके भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कम से कम तीन साल के प्रीमियम का भुगतान किया हुआ हो. जमा गई बीमित राशि का भुगतान केवल परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा, अर्थात् अनुबंधित प्लान अवधि के अंत में या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर तथा उत्तरजीवी लाभ पर आगे कोई आवधिक भुगतान नहीं किया जाएगा।

9 (क) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (24-03-1995 से लागू)

"ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना-1995"[20,21] जिसे "ग्रामीण योजना" भी कहा जाता है, की परिकल्पना सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को बीमा कवर प्रदान करने एवं विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों एवं महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई। "ग्रामीण योजना" के लिए समय-समय पर संशोधित डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011, इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एवं अधिसूचित विशेष प्रावधानों के अलावा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी। यह स्कीम स्थाई रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी व्यक्ति, पुरुष या महिलाओं को कवर करेगा जो सामान्य रूप से भारत के निवासी हो ताकि विदेशियों एवं प्रवासी भारतीयों को इससे बाहर रखा जा सके। इन पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति अपने अगले जन्म दिवस को 19 एवं 55[22] वर्ष के बीच होने चाहिए, दस वर्षों के ग्रामीण डाक जीवन बीमा एवं प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना को छोड़कर जिनके लिए ऊपरी आयु सीमा अलग से निर्धारित है। जो पालिसीधारक बाद में अपना निवास भारत से बाहर स्थानांतरित करता/करती है उसे बकाया प्रीमियमों को भारत में ही विनिर्दिष्ट डाकघर में भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे व्यक्तियों की पालिसियों के संबंध में दावों का निपटान डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011 के अनुसार भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। डाक जीवन बीमा की मौजूदा योजनाएं जैसे आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा एवं प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा "ग्रामीण योजना" के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिए न्यूनतम सीमा 10,000/-रु.(दस हजार रुपये) है और चिकित्सा योजना के अंतर्गत, सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल बीमित राशि मिलाकर 3,00,000/-रु. (तीन लाख रु. केवल)[25] से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि गैर-चिकित्सा योजना पालिसियों[23] के संबंध में अधिकतम सीमा, सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल बीमित राशि मिलाकर 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु. केवल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर-चिकित्सा पालिसियों के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011 लागू होगी। "ग्रामीण योजना" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए लागू प्रीमियम की दरें, जहां "ग्रामीण योजना" के लिए अलग प्रीमियम दरें विशेष रूप से निर्धारित की गई हो, उनको छोड़ कर, विभाग द्वारा समय-समय पर डाक जीवन बीमा स्कीमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रीमियम तालिकाओं के समान ही होंगी। आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा एवं प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा के लिए प्रीमियम तालिकाएं इस नियम के अंत में तालिकाएं VII, VIII, IX एवं X के रूप में दी गई हैं। "ग्रामीण योजना" के अंतर्गत प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा के लिए निबंधन एवं शर्तें डाक जीवन बीमा में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के समान हैं।

(ख) गैर-मानक आयु प्रमाण के साथ बीमित राशि की अधिकतम सीमा एक लाख रु. होगी। 5% अतिरिक्त प्रीमियम जोड़ा जाएगा एवं 25000/-रु. से अधिक की बीमित राशि वाली पालिसियां सामान्य चिकित्सा-जांच के अधीन होगी। अगर कोई व्यक्ति गैर-मानकीय आयु प्रमाण के साथ 25000/-रु. (बीमित राशि) अथवा इससे अधिक की पालिसियां लेता है तो उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।[24]

10. दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना (24-03-1995 से लागू)

(क) इस योजना के अंतर्गत एक पालिसी केवल दस वर्षों के लिए ही उपलब्ध होगी[26]। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम बीमित राशि 10000/-रु. (दस हजार रु. मात्र) तथा सभी योजनाओं के तहत कुल बीमित राशि की अधिकतम सीमा 3,00,000 रु. (तीन लाख रु. मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि गैर-चिकित्सा योजनाओं के संबंध में सभी योजनाओं के तहत कुल बीमित राशि की अधिकतम सीमा 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु. केवल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु उसके अगले जन्मदिन पर 19 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, वह इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के तहत बीमाकर्ता को बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में दो किश्तों में आवधिक उत्तरजीवी लाभ का भुगतान किया जाता है तथा अगर बीमाकर्ता निर्धारित अवधि तक जीवित रहता है तो इन नियमों के अंत में नीचे दी गई तालिका XI में दिए अनुसार परिपक्वता अवधि पूरी होने पर शेष राशि का भुगतान इस राशि पर अर्जित बोनस के साथ किया जाएगा। पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, संपूर्ण बीमित राशि उस पर अर्जित बोनस के साथ देय होगी, इसमें पहले से भुगतान किए गए उत्तरजीवी लाभों का समायोजन नहीं किया जाएगा अथवा जिन उत्तरजीवी लाभों का भुगतान किया जाना देय है यानी देय उत्तरजीवी लाभ जिनका भुगतान नहीं किया गया है, का भी भुगतान दावा की गई राशि के साथ किया जाएगा। इस योजना के तहत कोई अभ्यर्पण अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस योजना में/में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है। परिपक्वता आयु से पहले प्रीमियम समाप्त होने की स्थिति में जो राशि जमा की गई होगी उसे कम करके भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कम से कम तीन साल के प्रीमियम का भुगतान

किया हुआ हो। जमा की गई बीमित राशि का भुगतान केवल परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा, अर्थात् अनुबंधित प्लान अवधि के अंत में या मृत्यु से पहले जिस आयु तक बीमा किया गया हो तथा उत्तरजीवी लाभ पर आगे कोई आवधिक भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ख) इस "योजना" के तहत, अगर कोई बीमाकर्ता अपने स्थाई निवास के इलाके में बाढ़, सूखा अथवा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप अपने देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं कर पाता/पाती, बशर्ते कि प्रस्ताव फार्म में उसने उक्त निवास को घोषित किया हो, तो उससे ऐसी प्राकृतिक आपदा के घटित होने के बाद उपार्जित तथा तत्पश्चात् अधिकतम 12 महीनों की अवधि तक भुगतान किए जाने वाले बकाया प्रीमियमों पर कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अगर बीमाकर्ता ऐसा चाहता है तो, पोस्टमास्टर जनरल ऐसे बकायों का भुगतान तदनंतर मासिक किश्तों में करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, छह से अधिक किश्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा के घटित होने के 12 महीने के भीतर बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और प्राकृतिक आपदा के घटित होने के महीने से प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया गया हो तो, ऐसी पालिसियां विभाग द्वारा स्वीकार कर लेनी चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में जहां प्रीमियमों का बकाया प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के पहले से है अथवा प्राकृतिक आपदा के घटित होने के 12 महीनों के बाद भी है तो ये मामले उक्त अपवाद के अधिकारक्षेत्र में नहीं आते और इन पर सामान्य नियमों के तहत अन्य मामलों के समान कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां पोस्टमास्टर जनरल ने प्रीमियमों के बकायों का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति प्रदान की हो और बकाए की पहली किश्त जमा करने के पश्चात् किसी भी समय बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो पालिसी को बरकरार माना जाएगा और इसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि किस्तों में भुगतान करने के लिए अनुमति प्रदान किए गए बकायों के अलावा शेष सभी नियमित प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा नियमित रूप से जमा कर दिए हों। उपर्युक्त सभी मामलों में प्रीमियमों के बकाए की वसूली बीमाकर्ता के विधिक वारिस/नामिती को देय दावे की राशि से की जाएगी। उपर्युक्त सभी मामलों में, बीमाकर्ता/दावाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उस इलाके में प्राकृतिक आपदा घटित होने एवं इस कारण बीमाकर्ता के जान अथवा माल का नुकसान होने की पुष्टि की गई हो, जहां बीमाकर्ता रहता है/रह रहा है।

11. संयुक्त जीवन बीमा (01-08-1997 से लागू)[4]

यह पालिसी अपने/अपनी पति/पत्नी सहित उस व्यक्ति को जारी की जाएगी जो साक्षर हो और पति/पत्नी दोनों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए उसकी स्वतंत्र आय हो। इस पालिसी की अवधि कम से कम 5 वर्ष एवं अधिक से अधिक 20 वर्षों के लिए सीमित होगी। जिस व्यक्ति की एक से अधिक पति/पत्नी जीवित हैं तो ऐसा कवर केवल उसके ज्येष्ठतम पति/पत्नी के संदर्भ में उपलब्ध होगा। पति/पत्नियों की प्रविष्टि के समय आयु 21 वर्षों से कम नहीं और 45 वर्षों (अगले जन्मदिन पर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, अपेक्षाकृत बड़े पति/पत्नी की परिपक्वता पर आयु अगले जन्म दिन पर 60 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत आने वाले पति/पत्नियों दोनों को, बीमित राशि के निरपेक्ष, इन नियमों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा जांच करवानी होगी। प्रीमियम अगले जन्मदिन की आयु के समतुल्य पर आधारित होगी, जिसका आकलन पति-पत्नी की आयु में अंतर पर निर्भर करते हुए उसे निम्न आयु के साथ जोड़ दिया जाएगा। अगले जन्मदिन की समतुल्य आयु के आकलन की अनुसूची तालिका V में दी गई है। प्रीमियम की अदायगी, पति या पत्नी में से एक की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाएगी। बीमित राशि तथा उस पर मिलने वाले बोनस का भुगतान दोनों पति/पत्नी के जीवित होने पर बंदोबस्ती अवधि (परिपक्वता की तिथि) की समाप्ति पर किया जाएगा। अन्यथा, बीमित राशि तथा उस पर मिलने वाले बोनस का भुगतान, परिपक्वता की तिथि से पहले पति/पत्नी में से एक की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी को किया जाएगा। दोनों बीमित व्यक्तियों की मृत्यु होने के मामले में, बीमित राशि तथा उस पर मिलने वाले बोनस का भुगतान उनके नामितियों/विधिक वारिसों को किया जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत पालिसी व्यपगत होने पर किसी भी प्रकार का दावा, चाहे वह कैसा भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. बाल पालिसी (20-01-2006 से लागू) [1]

इस स्कीम का उद्देश्य डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रत्येक पालिसीधारक के अधिकतम दो बच्चों को बीमा कवर प्रदान करना है, बशर्ते माता/पिता को एक पालिसी पर एक बच्चे के लिए ऐसी केवल एक पालिसी दिए जाने की अनुमति है। यह एक स्वतंत्र पालिसी है। यदि बच्चों के पिता/माता ने (पालिसी धारक नाम से जाना जाएगा) पहले से ही एक पालिसी/पालिसियां ली हुई है/हैं या आजीवन अथवा बंदोबस्ती बीमा (मुख्य पालिसी के नाम से जाना जाएगा) पालिसी/पालिसियां लेने का प्रस्ताव है जिसकी बीमित राशि बाल पालिसी की बीमित राशि से कम न हो, तो ऐसे पालिसीधारक को उनके बच्चे/बच्चों के संबंध में एक बाल पालिसी जारी की जाएगी। बच्चे की आयु 5 वर्ष एवं 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्य पालिसी धारक की अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

13. चिकित्सा स्कीम

(क) प्रत्येक मामले में, जहां 1 लाख रु. से अधिक की बीमित राशि के साथ डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा का तथा 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु. केवल) से अधिक बीमित राशि के साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा एवं दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तावक की विनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करानी होगी और ऐसे बीमा के लिए उसे उक्त अधिकारी से फिटनेस प्राप्त करनी होगी।

(ख) निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच संबंधित बीमित राशि के आधार पर नियम 24 के अनुसार की जाएगी और नियम 26 के अनुसार चिकित्सा जांच के शुल्क का वहन विभाग द्वारा किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामले में जहां प्रस्ताव को स्वीकार करने में हुई देर के लिए प्रस्तावक जिम्मेदार हो, वहां अगर दूसरी चिकित्सा राय लेनी अपेक्षित होती है तो इसके शुल्क का वहन प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा अन्यथा शुल्क का वहन विभाग करेगा।

14. **गैर-चिकित्सा स्कीम (डाक जीवन बीमा)** [27]- कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगले जन्मदिन को 35 वर्ष से अधिक न हुई हो और जो डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के अधीन डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए पात्र हो, सिवाय विकलांग व्यक्ति, अतिरिक्त विभागीय एजेंट, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के पूर्व-कर्मचारी और कोई भी जिसने गैर-चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी के लिए आवेदन किया हो तथा भारत में कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो, के मामलों को छोड़कर डाक जीवन बीमा में एक गैर-चिकित्सा पालिसी के लिए आवेदन कर सकता है और अन्य किसी गैर-चिकित्सा पालिसी/पालिसियों के साथ ऐसी बीमित राशि 10,000/-रु. (दस हजार रु.) के गुणकों में होगी तथा 1,00,000/-रु. (एक लाख रु.) से अधिक नहीं होगी जिन्हें प्रस्तावक उक्त गैर-चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत रख सकता है, या रखने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, किसी भी गैर-चिकित्सा या चिकित्सा पालिसी/पालिसियों जिन्हें प्रस्तावक रख सकता है या रखने का प्रस्ताव करता है, के साथ कुल बीमित राशि 10,00,000/- रु. (दस लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक का चिकित्सा इतिवृत्त कोई प्रतिकूल टिप्पणी न दर्शाए और यदि वह प्रस्ताव के समय चिकित्सा रूप से फिट हो तथा प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष पहले उसे कोई गंभीर बीमारी न हुई हो और उसे अस्पताल में भर्ती न कराया गया हो।

15. **गैर-चिकित्सा स्कीम (ग्रामीण डाक जीवन बीमा)**[23] - कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगले जन्मदिन को 35 वर्ष से अधिक न हुई हो और जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए पात्र हो, सिवाय विकलांग व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जिसने गैर-चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी के लिए आवेदन किया हो तथा भारत में कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो, को छोड़कर ग्रामीण डाक जीवन बीमा में एक गैर-चिकित्सा पालिसी के लिए आवेदन कर सकता है और अन्य किसी गैर-चिकित्सा पालिसी/पालिसियों के साथ ऐसी बीमित राशि 5,000/-रु. (पांच हजार रु.) के गुणकों में होगी तथा 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु.) से अधिक नहीं होगी जिन्हें प्रस्तावक उक्त गैर-चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत रख सकता है या रखने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, किसी भी गैर-चिकित्सा या चिकित्सा पालिसी/पालिसियों जिन्हें प्रस्तावक रख सकता है या रखने का प्रस्ताव करता है, के साथ कुल बीमित राशि 3,00,000/-रु. (तीन लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक का चिकित्सा इतिवृत्त कोई प्रतिकूल टिप्पणी न दर्शाए और यदि वह प्रस्ताव के समय चिकित्सा रूप से फिट हो तथा प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष पहले उसे कोई गंभीर बीमारी न हुई हो और उसे अस्पताल में भर्ती न कराया गया हो।

16. डाक जीवन बीमा अथवा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत जारी गैर-चिकित्सा पालिसी के परिपक्वता से पूर्व दावा होने की स्थिति में और उक्त पालिसी के अनुसार बीमित कुल राशि के होने के बावजूद, ऐसे दावों के एवज में भुगतान को निम्नलिखित राशि तक सीमित किया जाएगा:-

(i) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से एक वर्ष की पूर्णता से पहले हो जाए तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि का पैंतीस प्रतिशत।

(ii) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से दो वर्ष पूरे होने से पहले लेकिन एक साल पूरा होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि का साठ प्रतिशत।

(iii) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से तीन वर्ष पूरे होने से पहले लेकिन दो साल पूरा होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि का नब्बे प्रतिशत।

(iv) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित पूर्ण बीमित राशि।

17. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए डाक जीवन बीमा स्कीम**[28]

(क) शारीरिक रूप से विकलांक व्यक्तियों को "शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कीम" के अंतर्गत बीमित किया जाएगा तथा उनकी विकलांगता की प्रकृति और विकलांगता की सीमा एवं बीमित व्यक्ति के जीवन पर उसकी वजह से पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करने के लिए सरकारी अस्पताल के विशेष चिकित्सा प्राधिकारियों (ऑर्थो सर्जन एवं अन्य विशेषज्ञों) द्वारा विशेष चिकित्सा जांच करानी होगी। चिकित्सा रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल किए जाएंगे:

(i) उनकी विकलांगता की प्रतिशतता पर रिपोर्ट (उदाहरणतया विकृति/एक अंगविहीन, दोनों अंगविहीन आदि)

(ii) विकलांगता का कारण अर्थात् जन्मजात या जन्म के बाद हुई विकलांगता।

(iii) प्रस्तावक की दीर्घायु पर उसकी विकलांगता का प्रभाव तथा क्या जीवन जोखिम बढ़ रहा है या घट रहा है।

"बशर्ते अगर चिकित्सा प्राधिकारी यह घोषित कर देता है कि विकलांगता की वजह से उसका जीवन जोखिम बढ़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं किया जाएगा तथा प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जाएगा।"

(ख) निम्नलिखित में से किसी भी तरह की विकलांगता वाले व्यक्ति को "शारीरिक विकलांग व्यक्तियों" के लिए विशेष स्कीम में बीमा प्रदान किया जाएगा:

(i) नेत्रहीन

(ii) बधिर

(iii) मूक

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग

(v) बौनापन

(vi) कुबड़ापन

(vii) अपंग

(viii) पोलियो की वजह से लकवा अथवा कमजोरी या विकलांगता

(ix) गैर-तंत्र विज्ञान विषयक की वजह से होने वाली अन्य कोई विकृति

(ग) इस स्कीम में ली गई पालिसियों के संबंध में प्रीमियम का निर्धारण स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(घ) परिपक्वता की तिथि से पहले बीमाकर्ता की मृत्यु होने पर यदि पालिसी दावे में परिवर्तित हो जाती है तो नामिती या विधिक उत्तरजीवी, जैसा भी मामला हो, को प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(i) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से एक वर्ष की पूर्णता से पहले हो जाए तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि के केवल पैंतीस प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

(ii) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से दो वर्ष पूरे होने से पहले लेकिन एक साल पूरा होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि के केवल साठ प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

(iii) यदि बीमित व्यक्ति मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति तिथि से तीन वर्ष पूरे होने से पहले लेकिन दो साल पूरा होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित बीमित राशि के केवल नब्बे प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

(iv) यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने के बाद हो तो उपार्जित बोनस सहित पूरी बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सभी पालिसियों को मिलाकर अधिकतम बीमित राशि ग्रामीण डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में क्रमश: 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) और तीन लाख रुपये (तीन लाख रुपये) है।

बीमा प्रभावी होने का तरीका

टिप्पणी :- रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों के परिशिष्ट में दी गई है।

18. **डाक जीवन बीमा पालिसियों के लिए :** जब कोई व्यक्ति डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा सहित बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा तथा बाल पालिसी खरीदने की इच्छा रखता है तो, उसे प्रस्ताव के विनिर्दिष्ट प्रपत्र, जिसे निकटतम डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है, में प्रश्न का उत्तर देना और निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने तथा प्रपत्र में सही एवं वस्तुपरक सूचना दिए जाने के टोकन के रूप में प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा, अगर निरक्षर हो तो अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा। अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो बदले में इस आशय के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि संबंधित प्रश्नों के तहत दी गई सूचना प्रमाणित की गई है और यह सही पाई गई है तथा प्रस्तावक ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं अथवा अंगूठे का निशान लगाया है।

19. प्रस्तावक का आसन्न वरिष्ठ अधिकारी प्रस्ताव के प्रपत्र में उत्तरों को उसकी सेवा-पुस्तिका, सेवावृत्त, नियुक्ति प्रमाण पत्र के सेवावृत्त से मिलान करेगा तथा स्वयं इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रस्तावक के सेवा संबंधी ब्यौरे उचित रूप से दर्ज किए गए हैं और उनका सत्यापन किया गया है। वह निम्नलिखित की एक सत्यापित प्रति तैयार करेगा (1) सेवा-पुस्तिका का पहला पृष्ठ अथवा (2) सेवा-वृत्त के विवरणात्मक शीर्षक, अथवा (3) नियुक्ति प्रमाणपत्र की एक सत्यापित प्रति तैयार करेगा और यदि प्रस्तावक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। जो प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर कर सके उसके हस्ताक्षर ही लिए जाएं। इसके बाद, आसन्न वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रपत्र को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने वाले डाक जीवन बीमा के मार्केटिंग स्टाफ के सुपुर्द करेगा।

टिप्पणी:। यदि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, सेवावृत्त या नियुक्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रस्ताव के साथ नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों पर, विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र भरकर साथ में भेजा जाए। प्रस्तावक के आसन्न वरिष्ठ अधिकारी स्वंय को प्रस्तावक के कार्यालय के रिकार्ड से मिलान करके संतुष्ट करेगा कि प्रस्तावक के ब्यौरे उचित रूप से दर्ज और सत्यापित है। वह ऊपर उल्लिखित प्रमाण पत्र पर अपनी उपस्थिति में प्रस्तावक के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान जैसी भी स्थिति हो, हासिल करेगा। प्रस्तावक के स्कूल प्रमाण पत्र, नगर निगम के जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा यदि प्रस्तावक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करे तो दो सम्मानित व्यक्तियों (जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रस्तावक की आयु के बारे में बता सकें) द्वारा जारी किए गए उसकी आयु के बारे में प्रमाण पत्र को प्रस्ताव के साथ लगाया जाना चाहिए।

20. **ग्रामीण डाक जीवन पालिसियों के लिए :** यदि कोई व्यक्ति आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा सहित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत बाल पालिसी खरीदने की इच्छा रखे तो उसे प्रस्ताव के निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होगा जिसे निकटतम डाकघर से हासिल किया जा सकता है और उस पर अपने हस्ताक्षर अथवा यदि निरक्षर हो तो बांए हाथ के अंगूठे का निशान प्रपत्र पर लगाना होगा जो इस बात हेतु संकेतस्वरूप होगा कि उन्होंने सभी शर्तों एवं निबंधनों को मान लिया है और प्रस्ताव प्रपत्र पर सही एवं तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध करा दी है। प्रस्ताव प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान विपणन कर्मचारी के समक्ष लिया जाएगा जो बदले में इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने प्रपत्र पढ़ा है और प्रस्तावक को प्रपत्र समझा दिया है और प्रस्तावक ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया है।

21. डाक जीवन बीमा अथवा ग्रामीण डाक जीवन बीमा की किसी भी योजना में ली गई पालिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम प्रस्ताव की तिथि के बाद के अगले जन्मदिन पर प्रस्तावक की आयु के हिसाब से आकलित किया जाएगा। प्रस्तावित बीमादार को सलाह दी जाती है कि वे अगले जन्मदिन से पर्याप्त समय से पहले ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ताकि अगले जन्मदिन से पहले प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकें तथा अगले जन्मदिन से पहले प्रीमियम अदा किया जा सके अन्यथा प्रस्तावक को उस जन्मदिन के बाद प्राप्त होने वाली अगली आयु के हिसाब से अधिक दर पर प्रीमियम देना होगा।

22. पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के विपणन स्टाफ को प्रस्तावक से इस स्पष्ट समझ पर पहला प्रीमियम अग्रिम रूप से जमा करने के लिए संग्रहित कर सकता है कि इस नियम के अधीन पोस्ट मास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की तारीख से ही उनके जीवन का जोखिम कवर होगा, बशर्ते कि अग्रिम जमा की राशि पहले प्रीमियम की उस राशि से कम न हो जो प्रस्ताव की उपयुक्त संवीक्षा के बाद निकाली गई हो। प्रस्तावक द्वारा पहले प्रीमियम की मासिक किश्त कितने ही महीनों की हो सकती है, परंतु उनको मिलने वाली छूट डाक जीवन बीमा के मामले में छह (6) तथा बारह (12) माह या

उससे अधिक अग्रिम जमा करने और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में तीन (3) माह, छह (6) माह तथा बारह (12) माह या उससे अधिक अग्रिम जमार करने पर ही देय होगी । यदि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्रस्तावक को प्रीमियम की राशि में से चिकित्सा जांच शुल्क की कटौती करके शेष राशि वापस कर दी जाएगी ।

23. विपणन स्टाफ प्रस्तावक तथा प्रस्ताव व उसके साथ ऊपर उल्लिखित नियमों में संदर्भित प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के साथ संबंधित चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाएगा और चिकित्सा अधिकारी से प्रस्तावक की जांच करने का अनुरोध करेगा और उनसे प्रस्तावक प्रपत्र पर इस उद्देश्य के लिए निश्चित स्थान पर प्रस्तावक के स्वास्थ्य से संबंधित अपने विचार दर्ज करने के लिए कहेगा । ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में चिकित्सा अधिकारी अपनी रिपोर्ट, इस उद्देश्य के लिए बनाए अलग प्रपत्र चिकित्सा जांच रिपोर्ट में देंगे । चिकित्सा अधिकारी इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र में निश्चित स्थान पर अपनी मौजूदगी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर/बांए हाथ के अंगूठे का निशान भी लेगा । अपनी सिफारिशों को रिकार्ड करने के पश्चात चिकित्सा अधिकारी प्रस्तावक प्रपत्र पर इस उद्देश्य के लिए निश्चित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसे उस विपणन स्टाफ को वापस सौंपेगा जिसने उसके पास प्रस्ताव प्रपत्र जमा किया था ।

24. चिकित्सा जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारी की हैसियत निम्नानुसार है : -

क्र.सं.	बीमित राशि की सीमा	चिकित्सा अधिकारी की हैसियत[29] से[34]
1.	5 लाख रू. अथवा उस तक के बीमा के लिए	(i) प्रस्तावकों के कार्यस्थल के निकटतम स्थान के केन्द्रीय और राज्य सरकार, नगर पालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी जिनकी हैसियत सिविल सर्जन से कम हो और यूनियन बोर्ड अस्पताल या डिस्पेंसरियों के चिकित्सा अधिकारी और राज्य एवं केन्द्र दोनों के लोक उपक्रम की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी । (ii) सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड ।।)
2.	5 लाख रू. से अधिक के बीमा के लिए	(i) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में कार्यरत ऐसे चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) जिन्हें सरकारी सेवा में न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो । (ii) प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम स्थान के केन्द्रीय और राज्य सरकार में, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के हस्पताल या डिस्पेंसरियों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी और राज्य एवं केन्द्र दोनों के लोक उपक्रम की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी जिन्हें कम से कम 10(दस) वर्ष का अनुभव हो । (iii) प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम स्थान के ऐसे सरकारी सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी जिनकी हैसियत सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कम न हो । सी एम ओ ग्रेड-।/विशेषज्ञ श्रेणी-।। को भी सिविल सर्जन के रैंक के समतुल्य माना जाएगा । (iv) सेवा निवृत्त सिविल सर्जन, सी एम ओ ग्रेड-। और विशेषज्ञ श्रेणी ।।

टिप्पणी – 1 : प्रस्तावक की चिकित्सा जांच इन नियमों में निर्धारित चिकित्सा अधिकारी की हैसियत वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए । यदि निर्धारित पद या अर्हताओ की कोई महिला चिकित्सा अधिकारी उस स्टेशन या जिले में नहीं मिल पाती है तो उस महिला प्रस्तावक से लिखित में अनुमति लेने के बाद उसकी स्वास्थ परीक्षा तदनुरूपी पद और निर्धारित अर्हताओं वाले पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा सकती है ।

टिप्पणी – 2 : इन सभी मामलों में इन नियमों में परिभाषित चिकित्सा अधिकारी को राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत होना चाहिए ।

टिप्पणी – 3 : संबंधित पोस्टमास्टर जनरल इन नियमों में यथानिर्दिष्ट सीमाओं तक डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रस्तावकों की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी ग्रेड -II, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सी एम ओ ग्रेड-I, विशेषज्ञ ग्रेड-II और चिकित्सा में स्नातकोत्तर डाक्टर को नियुक्त करेंगे, जिन्होंने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक पदत्याग दिया हो और परामर्शी कार्य-चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हो।

25. पोस्टमास्टर जनरल, डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करने के लिए पंजीकृत एलोपैथिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर भी नियुक्त कर सकते हैं(बशर्ते बीमा राशि 5 लाख रू हो), जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे : -

(i) आरएमपी (एलोपैथिक) केवल तभी प्राधिकृत किए जाएंगे जब क्षेत्र विशेष में सरकारी डाक्टर उपलब्ध नहीं हों या अगर उपलब्ध हों भी, तो वे मेडिकल जाँच करने से मना कर दें ;

(ii) इस प्रकार प्राधिकृत आरएमपी के पास कम से कम एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और उन्हें राज्य के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए ;

(iii) आरएमपी के पास एमबीबीएस डिग्री लेने के बाद कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए ;

(iv) आरएमपी को उत्तम प्रोफेशनल आचरण एवं चरित्र वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए ;

(v) पीएलआई/आरपीएलआई के अंतर्गत प्रस्तावकों की जाँच करने के लिए सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए विहित शुल्क आरएमपी को भी देय होगा ;

(vi) प्राधिकृत किए जाने पर ऐसे आरएमपी, पीएलआई/आरपीएलआई शब्दावली में प्राधिकृत आरएमपी कहे जाएंगे ;

(vii) रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा अनुशंसित खराब जीवनों तथा स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के भीतर परिणामी समयपूर्ण मृत्यु दावों के मामलों की जाँच करने के लिए आरएमपी का एक उपयुक्त रिकार्ड (पूरा नाम, स्थायी पता, क्लीनिक का नाम, प्राधिकार की तिथि, बीमित राशि के साथ वह पालिसी नं. जिसके संदर्भ में समयपूर्ण मृत्यु दावा प्राप्त हुआ था और मृत्यु का कारण आदि) पोस्टमास्टर जनरल द्वारा दो वर्षों के बाद प्राधिकार की समीक्षा करने के लिए रखा जाए। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्ट पर उसके निर्णय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

26. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक चिकित्सा जांच के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर निश्चित निर्धारित दरों[33,35] पर शुल्क दिया जाएगा।

27. विभाग द्वारा प्राधिकृत पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, निर्धारित पैरामीटरों जैसे कि पात्रता, बीमित राशि की सीमा, चिकित्सा जांच रिपोर्ट, प्रस्ताव प्रपत्र के सभी कालम भरे हैं या नहीं, जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज, सेवा दस्तावेजों (डाक जीवन बीमा के मामले में), आसन्न उच्च या विपणन स्टाफ का विवरण, प्रस्तावक द्वारा दी गई घोषणाएं और यह देखना कि चिकित्सा अधिकारी के समक्ष किए गए हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आसन्न उच्च अधिकारी/विपणन स्टाफ के सामने लिए गए हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान से मेल खाते हैं या नहीं (ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में) आदि पर संतुष्ट होने के बाद ही प्रस्ताव को मंजूर या नामंजूर करने का निर्णय लेंगे। यदि वे प्रस्ताव को मंजूर करने का निर्णय लेते हैं तो वे प्रस्तावक को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना देंगे और नकदी पालिसी के मामले में, उन्हें निर्दिष्ट डाकघरों में देय तिथि तक आगे और प्रीमियम जमा करने के निर्देश देंगे। उपर्युक्त संसूचना (स्वीकृति पत्र) की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ/वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीओ) को वेतन पालिसी के मामले में प्रस्तावक के वेतन से मासिक प्रीमियम की कटौती करने के निदेश देंगे। पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन अध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता करने वाले प्राधिकारी बीमित राशि तक के प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे जिसपर समय-समय पर विभाग निर्णय लेगा।

28. जब प्रस्तावक की चिकित्सा जांच किए जाने के उपरांत कोई प्रस्ताव साठ दिन के अंदर स्वीकृत नहीं होता है तो एक दूसरा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा, और यदि इस विलंब के लिए प्रस्तावक जिम्मेवार है, तो चिकित्सा जांच शुल्क प्रस्तावक द्वारा अदा किया जाएगा अन्यथा वह बीमा निधि में से अदा किया जाएगा।

29. प्रस्तावक की मेडिकल जांच के बाद प्रस्तावक की किसी गंभीर बीमारी अथवा प्रस्तावक के परिवार में से किसी सदस्य की गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु होने की जानकारी प्रस्ताव स्वीकृत होने से पहले पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के समक्ष आती है तो एक नई मेडिकल जांच के आदेश दिए जाएं जिसे निधि की लागत से वसूला जाए।

टिप्पणी : प्रस्तावक का यह दायित्व है कि वह ऐसे तथ्यों की सूचना स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को देगा।

30. प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी स्वीकृति पत्र, पालिसी दस्तावेज तथा प्रीमियम रसीद बुक (केवल नकदी पालिसियों के लिए) साथ-साथ जारी करेंगे। पालिसी दस्तावेज पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तावक के पास पावती देय रजिस्टर्ड डाक से संप्रेषित किया जाएगा।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 25,000/- रू. तक की बीमित राशि के पालिसी दस्तावेजों के लिए, पालिसी दस्तावेज पर प्रतिकृति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

31. ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को जो नियमित आधार पर नकद रूप में प्रीमियम अदा करने का तरीका अपनाता है, उसे विभाग द्वारा प्रीमियम रसीद पुस्तिका दी जाएगी जिसमें प्रत्येक प्रीमियम की अदायगी के संबंध में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। मासिक प्रीमियम प्राप्त करने वाला पोस्टमास्टर इस पुस्तिका में उस राशि के लिए रसीद देगा। पुस्तिका के भरे जाने और प्रविष्टियों के लिए कोई स्थान नहीं उपलब्ध होने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/प्रधान डाकघर, जिसमें जीपीओ शामिल हैं, के पोस्टमास्टर को इसे अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो उसकी प्रविष्टियाँ सत्यापित करने के पश्चात् नई पुस्तिका जारी करने की व्यवस्था करेगा जिसमें उसके हस्ताक्षर के साथ यह नोट किया जाएगा कि किस महीने तक प्रीमियम अदा किया जा चुका है।

32. प्रीमियम रसीद पुस्तिका खो जाने की दशा में बीमाकृत व्यक्ति को अपने निकटतम डाकघर (प्रधान, उप या शाखा) के माध्यम से पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को दूसरी पुस्तिका के लिए आवेदन देना चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाए कि मूल पुस्तिका किन परिस्थितयों में खो गई है जिसके साथ फार्म एसीजी 67 के रूप में निर्धारित शुल्क या कम्प्यूटरीकृत रसीद भी देनी होगी। पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख तब दूसरी पुस्तिका जारी करेगा तथा उस डाकघर में भेज देगा जिसका नाम आवेदन पत्र में दिया गया होगा जहाँ यह पुस्तिका बीमाकृत व्यक्ति को दी जाएगी तथापि, यदि पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख इस बात से संतुष्ट हों कि मूल पुस्तिका के खो जाने में बीमाकृत व्यक्ति का कोई दोष नहीं है तो वह शुल्क की वसूली किए बिना दूसरी पुस्तिका जारी कर सकता है।

33. किसी भी व्यक्ति ने जिसने कोई जीवन बीमा/बीमा पालिसी खरीदी हो, वह नियम 7 (ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में नियम 9) में उल्लिखित सीमा के अध्यधीन आगे और अतिरिक्त बीमा राशि के लिए बीमा ले सकता है। इसके लिए बीमित व्यक्ति को निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच भी करवानी होगी जो बीमित व्यक्ति की सभी पालिसियों और आवेदित नए प्रस्ताव की औसत बीमा राशि पर निर्भर होगी।

अपवाद: यदि कोई प्रस्तावक बीमा के प्रस्ताव के संबंध में की गई स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख से 60 दिन के अंदर अपने मूल प्रस्ताव की राशि बढ़ाना चाहे अथवा उसी आयु को या उससे पहले परिपक्व होने वाली नई पालिसी खरीदना चाहे तो उसके लिए उसे निर्धारित फार्म में नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना होगा अथवा यदि उसकी मूल स्वास्थ्य परीक्षा नियम – 24 के अंतर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई हो तो संशोधित राशि के लिए प्रस्तावक को दोबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यदि अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के संबंध में किये जाने वाले प्रस्ताव की स्वीकृति स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख से दो महीने के अन्दर नहीं दी जाती तो दूसरा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में हुई देरी के लिए प्रस्तावक जिम्मेदार हो तो उसका शुल्क प्रस्तावक को अदा करना होगा और अन्यथा इस शुल्क की अदायगी डाकघर जीवन बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि में से की जानी चाहिए। इस प्रकार, पालिसी का मूल्य बढ़ने अथवा नई पालिसी खरीदने पर देय अतिरिक्त प्रीमियम की सूचना बीमित व्यक्ति को दे दी जाएगी और पालिसी मूल्य में वृद्धि अथवा नई पालिसी की खरीद के अनुरोध को डाकघर में राशि जमा करने के पश्चात ही स्वीकार किया जाएगा तथा रसीद पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।.

34. कोई भी जीवन बीमा संविदा पालिसी पर अंकित तिथि (स्वीकृति की तिथि से) अथवा लिखित दस्तावेजों पर जिसमें प्रस्ताव को दर्ज किया गया है, की तिथि से आरंभ होगी और बीमित व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा में रखने हेतु पालिसी दे दी जाएगी।

35. डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए प्रस्ताव देते समय रक्षा सेवाओं, असम राइफल्स और अर्द्धसैनिक बल कार्मिक जो चिकित्सा श्रेणी 'एवाईई' (जेसीओ/एनसीओ/ओआर अथवा समकक्ष) या एसएचएपीई -2 (अधिकारियों के लिए) में आते हैं, को इस प्रयोजन के लिए पालिसी की चिकित्सा जांच से छूट मिलेगी[36,37] । इन कार्मिकों द्वारा पालिसी लेने के लिए अलग प्रस्ताव फार्म का उपयोग किया जाएगा । विहित बोनस सहित बीमित राशि के लिए पूर्ण दावे का दावेदार तभी हकदार होगा जबकि पालिसी अपनी स्वीकृति के बाद दावा बने तथापि, आत्महत्या संबंधी मामले मौजूदा डाकघर जीवन बीमा नियम 2011 के द्वारा विनियंत्रित होंगे ।

36. <u>समनुदेशन और नाम निर्देशन</u>

1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर यदि नामिती अवयस्क हो तो पालिसी की सुरक्षित राशि को प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति के समनुदेशन, नामनिर्देशन या नियुक्ति के रजिस्ट्रीकरण के समय डाकघर बीमा निधि/ ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि उसकी विधिमान्यता की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती ।

2. यद्यपि निधि में समनुदेशन या नाम निर्देशन के लिये या उसके नोटिस के लिये कोई विशेष फार्म निर्धारित नहीं किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने हेतु सादे कागज का भी उपयोग किया जा सकता है ।

3. पालिसी धारक द्वारा पालिसियां या तो

(i) मूल्यवान प्रतिफल के लिया, या

(ii) उपहार के रूप में समनुदेशित की जा सकती हैं ।

4. समनुदेशन पालिसी के दूसरी तरफ पृष्ठांकन करके अथवा पृथक दस्तावेजों पर अलग से किया जा सकता है । समनुदेशन पर तारीख लिखी होनी चाहिए और गवाह की मौजूदगी में समनुदेशक द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए । निधि में से दिये गये किसी ऋण को चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में किये गये समनुदेशन के मामले को छोड़कर कोई भी समनुदेशन जो कि अन्यथा पूरा है, निधि पर तब तक अप्रवर्तनीय रहेगा जब तक कि पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को लिखित समनुदेशन का नोटिस नहीं दिया गया हो ।

समनुदेशन के नोटिस के साथ विधिवत पृष्ठांकित पालिसी या जहाँ समनुदेशन एक अलग विलेख द्वारा किया गया हो वहाँ वह विलेख या समनुदेशन या उसकी ऐसी प्रति जो समनुदेशक या समनुदेशिती दोनों के द्वारा एक सत्यापन प्रमाण पत्र या उनके प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए । पालिसी के दावों की प्राथमिकता उस तारीख के अनुसार होगी जब पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा उनके कार्यालयों में समनुदेशनों के नोटिस प्राप्त किये गये ।

5. पालिसी का समनुदेशन एक बार किये जाने के बाद, पालिसी पर समनुदेशक द्वारा आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस पर कार्रवाई करने के लिये एकमात्र सक्षम व्यक्ति समनुदेशिती होगा । पालिसीधारक को पालिसी पर फिर से कार्रवाई करने के लिये सक्षम बनाने के लिये पालिसीधारक को चाहिए कि वह समनुदेशिती द्वारा अपने पक्ष में लिखित में पुन: समनुदेशन निष्पादित करवाएँ जो कि एक या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो और पोस्टमास्टर जनरल/डिवीज़न प्रमुख के अभिलेख में दर्ज किया गया हो ।

6. <u>नामांकन</u>

(क) पालिसीधरक को यह सलाह दी जाती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को नामित करे जिसको कि, उसकी मृत्यु होने पर बीमित राशि देय हो जिससे कि पालिसी के अंतर्गत देय राशि के कानूनी हक को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई और खर्च से उसके कानूनी उत्तराधिकारी बच सकें[39] ।

(i) बशर्ते, किसी भी विधिक उत्तराधिकारी या पालिसीधारक के नामिती/न्यासियों पर पालिसीधारक की हत्या का इल्जाम लगा हो तो पालिसी राशि उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह न्यायालय से आदरपूर्वक बरी न किया जाए[38] ।

(ख) जीवन बीमा पालिसी का धारक, पालिसी लेते समय भुगतान के लिये पालिसी की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय उस व्यक्ति या व्यक्तियों या धार्मिक न्यास का नामांकन करेगा जिनको कि पालिसी द्वारा सुरक्षित राशि, उसकी मृत्यु होने पर दी जानी है[39] ।

(ग) जहाँ प्रस्तावक प्रस्ताव पत्र में ही आशयित नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम देता हैं, वहाँ निधि में ऐसे नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम का पालिसी में उल्लेख किया जाएगा । यदि कोई नामांकन पालिसी में समाविष्ट नहीं किया गया तो वह केवल पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया जा सकता है । प्रभावी होने के लिए ऐसा पृष्ठांकन पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के लिए उन्हें प्रेषित किया जाना चाहिए । भुगतान के लिए पालिसी की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय, यथास्थिति कोई नामांकन बीमित व्यक्ति द्वारा यथास्थिति किसी पृष्ठांकन या पुन: पृष्ठांकन या वसीयत द्वारा रद्द किया जा सकता है, या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन पालिसी के

ब्यौरे में उल्लिखित किसी नामिती अथवा पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा नामित व्यक्ति तथा निधि के रिकार्ड में दर्ज नामिती के नाम निधि को तब तक पालिसी के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी प्रमाणिक भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, जब तक कि इस प्रकार के किसी निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन की लिखित में सूचना पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा ऐसे भुगतान से पूर्व प्राप्त नहीं कर ली जाती।

(घ) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के उपबन्धों के अनुसार किया गया पालिसी का अन्तरण या समनुदेशन स्वत: ही नामांकन को रद्द (धारा 39(4)) कर देगा बशर्ते कि पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर पालिसी की प्रतिभूति पर बीमित व्यक्ति द्वारा दिये गये ऋण को ध्यान में रखते हुए बीमित व्यक्ति जो कि समनुदेशन के समय पालिसी के जोखिम को लेता है, को किये गये पालिसी के समनुदेशन से या बीमाकर्ता द्वारा किये गये पुन: समनुदेशन अथवा ऋण के चुकाए जाने से नामांकन रद्द नहीं होगा लेकिन यह नामित व्यक्ति के अधिकारों को पालिसी में बीमाकर्ता के हितों की सीमा तक प्रभावित करेगा।

(ङ) जब बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान ही भुगतान के लिए पालिसी की अवधि समाप्त हो जाए या जहाँ पर एक या एक से अधिक नामित व्यक्ति हों और भुगतान के लिए पालिसी की अवधि समाप्त होने से पहले ही सभी नामित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए तो पालिसी द्वारा सुरक्षित राशि यथास्थिति पालिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक के कानूनी प्रतिनिधियों को देय होगी।

(च) जब कोई नामित व्यक्ति या, यदि एक से अधिक नामित व्यक्ति हैं, तो वे नामित व्यक्ति, उस व्यक्ति जिसके कि जीवन का बीमा किया गया है, की मृत्यु के बाद जीवित रहता है या रहते हैं तो पालिसी द्वारा सुरक्षित राशि ऐसे उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को देय होगी।

(छ) अवयस्क नामिती – जीवन बीमा पालिसी का धारक, ऐसे मामले में जहाँ नामित व्यक्ति अवयस्क है, उसके अवयस्क होने हुए भी अपनी मृत्यु होने पर, पालिसी द्वारा सुरक्षित राशि को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के पास ऐसी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज भेजकर ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा। नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की सहमति नियुक्ति करते समय ही ले ली जानी चाहिए।

(ज) उपर्युक्त नामांकन उस स्थिति में अनुमेय नहीं है जब कोई पालिसी किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा उसके अपने जीवन के लिए की गई हो और यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वह उसकी पत्नी या उसकी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी एक के लाभ के लिए है, ऐसे मामले में, इस प्रकार अभिव्यक्त किये गये हित के अनुसार पालिसी बीमित व्यक्ति की पत्नी के लाभ या उसकी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी एक के लाभ को सुनिश्चित करती है और उसे उनके लाभ के लिए न्यास समझा जाए (देखें विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6)

परन्तु उक्त धारा 6 ऐसी पालिसी पर लागू नहीं समझी जाएगी या लागू नहीं की जाएगी जहाँ बीमित व्यक्ति की पत्नी या बीमित व्यक्ति की पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी एक के पक्ष में किसी भी समय किये गये किसी नामांकन पर चाहे वह पालिसी के मुखभाग पर हो या नहीं बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अधीन होना स्पष्ट हो।

टिप्पणी 1 : सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 21 (viii) (क) के अनुसार किया गया पालिसियों का समनुदेशन, जो कि सार है, मूल्यवान प्रतिफल के लिए एक समनुदेशन है, और उसे भी इस नियम के अंतर्गत पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के कार्यालय में रजिस्टर किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2 :- किसी पालिसी का समग्र रूप से समनुदेशन या तो किसी एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है।

टिप्पणी 3 :- पूर्ण समनुदेशन के मामले में, बीमित व्यक्ति के सभी अधिकार समनुदेशन द्वारा समनुदेशिती में निहित होते हैं और इस प्रकार समनुदेशिती, बीमित व्यक्ति की सहमति लिये बिना नियम 55 के अंतर्गत पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य के दावे का हकदार होगा।

टिप्पणी 4 :- संपदा शुल्क अधिनियम, 1953(1953 का 34) के अंतर्गत देय संपदा शुल्क नियमावली 1953 के नियम 31 में निर्धारित फार्म में, भारत के राष्ट्रपति को एक पालिसी समनुदेशित की जाएगी। जब ऐसी पालिसी परिपक्व होती है अथवा अभ्यर्पित की जाती है तो पालिसी के मूल्य अथवा अभ्यर्पित मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि समनुदेशन फार्म में निर्धारित तरीके से भुगतान की जाएगी। यदि बीमित व्यक्ति की संपदा पर देय संपदा शुल्क, संपदा शुल्क नियमावली 1953 के नियम 31 के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति को समनुदेशित बीमा पालिसी के अंतर्गत प्राप्त पालिसी की राशि से कम है, तो पोस्टमास्टर जनरल, डिवीजन प्रमुख सरकार को उतनी राशि देने की व्यवस्था करेगा जितनी कि बीमित व्यक्ति की संपदा पर संपदा शुल्क देयता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मांगी गई और शेष राशि मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, या अन्य विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनको कि पालिसी के अंतर्गत वह राशि देय है, अदा करेगा।

जब कोई बीमा पालिसी शुल्क की अदायगी के लिए भारत के राष्ट्रपति को समनुदेशित की जाती है तो, बीमित व्यक्ति पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा किए गए समनुदेशन के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन महीने के अन्दर आयकर आयुक्त(जो कि संपदा शुल्क का नियंत्रक भी होता है), जिसकी अधिकारिता में बीमित व्यक्ति आता है, के पास पालिसी जमा करेगा। संपदा शुल्क की अदायगी के लिए भारत के राष्ट्रपति को समनुदेशित की गई पालिसी के मामले में, बीमित व्यक्ति पालिसी के संबंध में संपदा शुल्क नियंत्रक को पहले के समनुदेशन या पुन: समनुदेशन के सभी विलेख यदि है, सौंप देगा।

टिप्पणी 5 :- जीवन बीमा पालिसी के नामिती का अधिकार केवल इतना है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पालिसी पर मिलने वाली राशि प्राप्त करके बीमाकर्ता को दे दे। नामिती पालिसी पर मिलने वाले धन का स्वामी नहीं होता तथा उसे बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपना होता है। अत:, नामिती इन नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन केवल एक प्राप्तकर्ता होता है।

37. कोई भी व्यक्ति जो कि डाकघर बीमा के लाभों में एक बार सम्मिलित कर लिया गया हो किसी भी कारण से, नियम 39 में निर्दिष्ट कारणों को छोड़कर, नौकरी छोड़ने पर इन नियमों के अंतर्गत अपने द्वारा खरीदे गए किसी भी जीवन बीमा या बीमा पालिसी के हक या लाभ से वंचित नहीं होगा बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत देय सारी राशियों का भुगतान नियमित रूप से किया गया हो।

38. जिन व्यक्तियों को डाकघर बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर बीमा निधि के लाभों में शामिल किया गया है उनको देय राशि की उचित समय पर अदायगी के लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है।

39. डाकघर बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर बीमा निधि के लाभ में शामिल व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दिए जाने अथवा तथ्यपरक सूचना छिपाने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के विवेक पर उस व्यक्ति के साथ की गई संविदा का शून्यकरण कर दिया जाएगा और उसके द्वारा दिये गये सभी भुगतानों को जब्त कर लिया जाएगा[40]।

40. सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाकघर बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर बीमा निधि से संबंधित कार्य के लेन-देन के दौरान प्राप्त की गई व्यक्तिगत स्वरूप की जानकारी बाहर किसी को देने की मनाही है। इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

41. इन नियमों के अनुसार अनुदत्त डाकघर बीमा/ग्रामीण डाकघर बीमा और बन्दोबस्ती बीमा की पालिसियों को स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है(भारत सरकार, वित्त और वाणिज्य विभाग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1879 की धारा 8 के अंतर्गत क्रमश: पहली नवंबर, 1895 और 22 मार्च 1898 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 5199 एसआर और 1390 एस आर)।

42. डाकघर जीवन बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि से संबंधित लेखे निदेशक, डाक जीवन बीमा, कोलकाता के कार्यालय में रखे जाएंगे।

प्रीमियम वसूल करने की विधि

टिप्पणी :- (रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों के परिशिष्ट में दी गई है।)

43. प्रीमियम माह की पहली तारीख को देय होगा।

44. माह की किसी भी तारीख को अदा किया गया पहला प्रीमियम उस कैलेंडर मास के लिए अदा किया गया प्रीमियम होगा। पहले प्रीमियम का भुगतान प्रस्तावक द्वारा नकद अथवा चेक के माध्यम से किया जाएगा। वेतन से वसूल की जाने वाली पालिसियों के मामले में किसी माह विशेष का प्रीमियम बीमित व्यक्ति के उसी माह के वेतन मे अधिक से अधिक उस माह की अंतिम तिथि तक कर लिया जाएगा। मार्च का माह इसका अपवाद है क्योंकि इसके लिए वेतन अप्रैल के पहले कार्यदिवस को आहरित किया जाता है। यह जिम्मेदारी बीमाकृत व्यक्ति की होगी कि हर महीने की पहली तारीख को देय प्रीमियम की राशि की कटौती उस महीने के वेतन से कर ली जाए। यदि किसी माह में देय प्रीमियम की कटौती आहरित वेतन में से किसी भी कारण से नहीं की जाती है तो बीमाकृत को चाहिए कि वह उस माह के प्रीमियम का भुगतान नकद में करे और इस तथ्य की सूचना वेतन एवं लेखा अधिकारी/संवितरण अधिकारी को दे। ऐसी पालिसियों के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वेतन से वसूली से नकद वसूली में परिवर्तित होने के कारण यदि अधिक प्रीमियम की वसूली कर ली गई है तो इसकी प्रतिपूर्ति परिपक्वता/ दावे के निपटान के समय कर दी जाएगी। और यदि प्रीमियम का भुगतान नकद में किया जाना है तो बीमित व्यक्ति को यह चाहिए कि अपने द्वारा चुने गए डाकघर में, तो जिस माह के लिए प्रीमियम देय है उस माह के पहले दिन या बढ़ाई गई अवधि के दौरान, जो जिस माह के लिए प्रीमियम देय है उस माह के अंतिम दिन तक हो सकती है[41], अथवा यदि माह का अंतिम दिन रविवार अथवा डाक अवकाश दिवस है तो उस माह के अंतिम दिन से एक दिन पहले कर दे और इस भुगतान की रसीद पोस्टमास्टर से अपनी रसीद पुस्तिका में प्राप्त कर ले। सरकारी सेवा छोड़ने वाले बीमित व्यक्ति का

प्रीमियम भुगतान नियम 49 के अनुसार शासित होगा। बीमित व्यक्ति अपनी पालिसी के संबंध में एक साथ कितने भी महीनों के प्रीमियम का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि भुगतान अग्रिम रूप में किया जाए।

अपवाद: तमिलनाडु में विद्यमान विशेष व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार के कुछ ऐसे वाणिज्यिक उपक्रमों में लगी हुई स्थापनाओं के वेतन बिलों से जिनके लेखे वाणिज्यिक पद्धति पर रखे जाते हैं, प्रीमियम की कटौतियां संवितरण के समय की जाती है तथा वसूल की गई कुल राशि खजाने में प्रेषित कर दी जाती है। ये कटौतियां इस प्रकार से की गई समझी जाएंगी जैसे खजाने मे भुनाए जाने वाले बिलों के संबंध में कम आहरण करके की गई हों।

45. जब कोई बीमाकृत व्यक्ति भारत में छुट्टी पर रहता है अथवा निलंबन के अधीन है तो वह अपने प्रीमियम का भुगतान अपने द्वारा चुने गए किसी भी भारतीय डाकघर में नकद के रूप में करने अथवा यदि वह चाहे तो प्रीमियम की कटौती अवकाश वेतन अथवा निलंबन भत्ते में से करने की व्यवस्था करेगा। प्रीमियम का भुगतान डाकघर में नकद में किए जाने की स्थिति में इस बात की सूचना संबंधित डाकघर को देगा। हालांकि, यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति भारत में विदेश सेवा में है अथवा अवकाश पर भारत से बाहर जाता है तो उसके मामले पर उस माह के प्रीमियम के बकाए के मामले में विचार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि वह उस माह के लिए अपना वेतन और भत्ते ऐसे कारणों से आहरित न कर पाया हो जो उसके नियंत्रण से बाहर हों। यदि वेतन तथा भत्ते बाद में प्रीमियम में कटौती किए बगैर आहरित किए जाते हैं तो वह प्रीमियम का भुगतान एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से करेगा।

46. जब बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई पालिसी किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित की जाती है तो बीमाकृत व्यक्ति समनुदेशिती से यह तय कर सकता है कि उसके द्वारा समय-समय पर सभी प्रीमियम अदा किए जाएंगे और समनुदेशिती पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख की सहमति से मासिक प्रीमियम को नकद में उस पोस्टमास्टर को अदा करेगा जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुना गया है। यदि जिस महीने प्रीमियम दिया जाना है उस महीने के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले (मार्च के मामले में, पहली अप्रैल) अदा नहीं किया जाता है तो यथास्थिति नियम 56 या नियम 57 के उपबंध लागू होंगे।

47. प्रत्येक विभाग का वेतन एवं लेखा कार्यालय/आहरण एवं संवितरण अधिकारी निदेशक डाक जीवन बीमा, कोलकाता को मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके विभाग के व्यक्तियों के वेतन से कटौती करके वसूल किए गए प्रीमियम का भुगतान दर्शाएगा और डाक विभाग के संबंधित शाखा के लेखा परीक्षा अधिकारी के पास रखे जाने वाले अपने प्रीमियम (या केन्द्रीय समायोजक) लेखे में उस कुल राशि के लिए क्रेडिट दर्शाएगा।

48. जब किसी बीमाकृत व्यक्ति का स्थानांतरण एक स्थापना से दूसरी स्थापना में कर दिया जाता है तो वसूल किए जाने वाले प्रीमियम को उसके अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में दर्ज कर दिया जाना चाहिए ताकि नए कार्यालय में उसके वेतन मे आवश्यक कटौती की जा सके। बीमाकृत व्यक्ति के संवितरण अधिकारी को चाहिए कि स्थानांतरण की सूचना बीमाकृत व्यक्ति के लेखा-परीक्षा अधिकारी को दे और बीमाकृत व्यक्ति को स्वयं सूचना निश्चित रूप से पोस्टमास्टर जनरल/ डिवीजन प्रमुख को देनी चाहिए।

49. ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित पालिसियां जिन्होंने सरकारी सेवा छोड़ दी है- यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे अथवा पदच्युत कर दिया जाए, तो उसकी पालिसी उस समय प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि वह प्रीमियम, अपने द्वारा चुने गए डाकघर में प्रत्येक महीने के अंतिम कार्यदिवस को अथवा छूट की अवधि के दौरान नियमित रूप से अदा करता रहेगा। जैसे ही बीमाकृत व्यक्ति का सरकार से संबंध समाप्त हो, उसे चाहिए कि वह पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को उस कार्यालय का नाम, जहां सरकारी सेवा के दौरान पहली बार प्रीमियम की कटौती की गई थी तथा उस डाकघर का नाम जिसमें वह भविष्य में प्रीमियम की अदायगी नकद में करना चाहता है, बताते हुए प्रीमियम रसीद बही प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। आवेदन पत्र की एक प्रति उस स्थान के पोस्टमास्टर को भी पृष्ठांकित करनी चाहिए जिसमें भविष्य में नकद में प्रीमियम का भुगतान करना हो। यदि प्रीमियम रसीद पुस्तिका उस समय तक प्राप्त न हो, जब सरकारी सेवा छोड़ने के पश्चात् अगला प्रीमियम देय हो तो उसे नियत तारीख को उसकी नकद में अदायगी चुने गए डाकघर में, इस नियम के अंत में संलग्न फॉर्म में अपने पिछले संवितरण अधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए करनी चाहिए। ऐसे मामले में संबंधित पोस्टमास्टर फार्म एसीजी-67 में राशि की प्राप्ति के संबंध में एक रसीद देगा। जब तक उसे रसीद बही प्राप्त नहीं होती तब तक वह प्रीमियम का भुगतान पिछले महीने के प्रीमियम की रसीद प्रस्तुत करके नकद रूप में करेगा। उसके पश्चात् देय प्रीमियम का भुगतान प्रीमियम रसीद बही प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा उस राशि की रसीदें केवल प्रीमियम रसीद पुस्तिका में ही दी जाएगी।

फार्म

----------मंत्रालय

----------सरकार/----------विभाग

---------- का कार्यालय

सं.----------(स्थान का नाम) तारीख----------

डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम की कटौती किए जाने के संबंध में संवितरण अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------(कार्यालय का पता सहित) की तारीख----------की डाक जीवन बीमा पालिसी संख्या---------- के संबंध में -------- माह/महीनों(वर्ष सहित महीनों का नाम) के प्रीमियम/प्रीमियमों की राशि के रूप में ----------रुपए(शब्दों में भी) की राशि की अंतिम कटौती----------महीने/महीनों(वर्ष सहित महीने का नाम) के वेतन से की गई थी, जिसका भुगतान---------- तारीख को किया गया था। (कार्यालय सील)

हस्ताक्षर

(संवितरण अधिकारी का पूरा नाम

बड़े अक्षरों में तथा पदनाम)

प्रीमियम तथा पालिसियों की राशि देय होने पर उसका भुगतान भारत में ही किया जाएगा

50. यदि डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी खरीदने वाला कोई व्यक्ति भारत छोड़ दे तो उसे चाहिए कि वह अपनी पालिसी पर अंदा किये जाने वाले प्रीमियम के किसी भी भारतीय डाकघर में, जिसे वह चुने, भुगतान की व्यवस्था पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख/डीडीओ के साथ करे। यदि बीमाकृत व्यक्ति की भारत के बाहर मृत्यु हो जाए, तो उसकी पालिसी के मूल्य का भुगतान नामिती(नामितियों)/कानूनी उत्तराधिकारी(उत्तराधिकारियों) को कर दिया जाएगा। भुगतान पोसटमास्टर जनरल/डिवीजनल अध्यक्ष द्वारा आदाता के खाते में रेखांकित चेक "अपरक्राम्य" के माध्यम से किया जाएगा[42]।

प्रीमियम कम करना, बन्द करना अथवा उसका रूपांतरण या अन्य परिवर्तन

51. (1) किसी प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा पालिसी तथा 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी से भिन्न पालिसी रखने वाला कोई पालिसी धारक किसी भी समय अपनी पालिसी का वर्ग बदले बिना अपने मासिक प्रीमियम या बीमाकृत राशि को कम करने के लिए आवेदन दे सकता है अथवा कम से कम तीन वर्ष की अवधि के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद वह अपनी पालिसी के प्रीमियम का आगे भुगतान किए बिना उसे बीमे की राशि से कम राशि के लिए प्रदत्त पालिसी के रूप में करवा सकता है। किसी भी पालिसी का प्रदत्त मूल्य बीमाकृत पालिसी बीमाकृत कुल राशि के उस अनुपात में होगा जो अनुपात मूल रूप से जिस अधिकतम अवधि के लिए प्रीमियम देय था। मूल्य प्रदत्त पालिसियों पर प्रीमियम का भुगतान बंद करने की तिथि से कोई बोनस प्रदान नहीं किया जाएगा[43]। हालांकि, पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, अर्थात् यदि पालिसी कम से कम पाँच वर्ष की अवधि तक सक्रिय रहती है, प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

अपवाद:- प्रदत्त पालिसी की राशि के संबंध में दी गई उपर्युक्त टिप्पणी निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होती:-

(i) जहां प्रीमियम बकाया हो, तथा

(ii) जहां पर कोई कर्ज अथवा उस पर देय ब्याज बकाया हो।

(2) एकमुश्त राशि की अदायगी द्वारा आगे के प्रीमियमों का रूपान्तरण किसी भी समय किया जा सकता है।

(3) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पालिसी तथा 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा से भिन्न जिन पालिसियों के मामले में प्रीमियम में ऊपर उल्लिखित कमी, प्रीमियम देना, बंद करना या उनके रूपांतरण से भिन्न पालिसी की शर्तों में परिवर्तन किया जाना हो उनमें परिवर्तन की अनुमति समाकलित वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के बाद दी जायेगी और जिस मामले में प्रीमियम की अवधि बढ़ाना अथवा परिपक्वता की तारीख आस्थगित करना अभिप्रेत हो उसमें यह अनुमति बीमाकृत व्यक्ति के खर्च पर अच्छे स्वास्थ्य का डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। प्रत्येक पालिसी की अवधि के दौरान ऐसे परिवर्तन को निशुल्क करने की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी, दूसरे और उसके बाद किए जाने वाले अन्य परिवर्तन प्रत्येक मामले में निदेशालय द्वारा निर्धारित अधिकतम 20/-रुपए अथवा अन्य कोई शुल्क लेकर लिये जाएंगे।

(4) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पालिसी तथा 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी के अन्य वर्गों में परिवर्तन या प्रत्याशित परिवर्तन या प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा पालिसी तथा 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी की चुनी गई अवधि या बीमा की गई राशि में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) पालिसी में ऐसा कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है जिससे कि परिपक्वता की तारीख अथवा प्रीमियम बन्द किए जाने की तारीख बदलकर ऐसी किसी तारीख को पड़े जो परिवर्तन की तारीख के एक वर्ष पूर्व अथवा उससे एक वर्ष के अंदर हो।

पालिसियों का भुगतान

52(1) (क) पालिसी की परिपक्वता मूल्य का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक निर्धारित फार्म भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यह फार्म डिवीजनल कार्यालय/प्रधान अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर में उपलब्ध होगा और इस फार्म को पोस्टमास्टर जनरल/ डिवीजन प्रमुख को सीधे अथवा डिवीजनल कार्यालय/प्रमुख अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर के माध्यम से विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित अग्रेषित करवाना होगा।

(ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावा प्रस्तुत करने के लिए दावेदार को एक निर्धारित फार्म भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यह फार्म डिवीजनल कार्यालय/प्रधान अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर में उपलब्ध होगा और इस फार्म को पोस्टमास्टर जनरल/ डिवीजन प्रमुख को सीधे अथवा डिवीजनल कार्यालय/ प्रमुख अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित अग्रेषित करवाना होगा।

(ग) उत्तरजीविता लाभ अर्थात् एईए तथा 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसी के अंतर्गत आवधिक भुगतान प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति को एक निर्धारित फार्म भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यह फार्म डिवीजनल कार्यालय/प्रधान अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर में उपलब्ध होगा और इस फार्म को पोस्टमास्टर जनरल/ डिवीजन प्रमुख को सीधे अथवा डिवीजनल कार्यालय/ अध्यक्ष अथवा उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर के माध्यम से विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित अग्रेषित करवाना होगा।

(घ) दावे प्रस्तुत करने के लिए यदि पैरा (क), (ख) और (ग) में निर्धारित फार्म उपलब्ध नहीं हैं तो सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) आवेदन तथा दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख दावेदार के हक की जांच करेगा तथा यदि दावा स्वीकार्य पाया जाए तो यथास्थिति पालिसी के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति या आवधिक उत्तरजीविता लाभ की राशि में से उस राशि को घटाकर भुगतान करने का आदेश जारी करेगा जो प्रीमियम की बकाया धनराशि और उसके ब्याज के मद में देय हो। यदि किसी महीने का प्रीमियम महीने के अंतिम कार्य दिवस(मार्च के मामले में 1 अप्रैल) तक अदा न किया गया हो तो नियम 56 या 57 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे। परिपक्वता मूल्य, मृत्यु दावा तथा उत्तरजीविता लाभ के भुगतान के आदेश संबंधित पोस्टमास्टर को जारी किए जाएंगे और इसकी सूचना दावेदार को भी प्रदान की जाएगी। दावेदार को अनुमोदित राशि का भुगतान, आदेश की आदाता की प्रति (यदि आदाता की प्रति गुम हो गई हो तो पोस्टमास्टर की प्रति पर। परंतु इस स्थिति में इसका पृष्ठांकन करना होगा और आदाता तथा गवाह के हस्ताक्षर होंगे।)डाकघर में वापस करने और जहां आवश्यक हो आदेश के पिछले हिस्से पर स्टाम्प लगी हुई रसीद पर हस्ताक्षर करने के उपरांत किया जाएगा। दावों के निपटारे में होने वाले विलंब के लिए विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अतः, दावेदारों को सलाह दी जाती है कि वे पालिसियों के परिपक्व होने की तारीख के पर्याप्त पहले अपने दावे प्रस्तुत कर दें और उसके साथ प्रीमियम के भुगतान की तारीख से छह महीने के प्रीमियम के भुगतान का प्रमाण संवितरण अधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में अर्थात् वेतन और भत्ते संवितरित करने वाले

अधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में प्रस्तुत करें। यदि भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है तो डिस्पैच का विवरण तथा चेक का ब्यौरा मंजूरी की पोस्टमास्टर वाली प्रति पर नोट किया जाएगा।

अपवाद:- हालांकि, अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि दावों के भुगतान में प्रशासनिक कारणों की वजह से विलंब हुआ है तो नीचे यथानिर्दिष्ट अवधि से परे विलंब के लिए दावे की अनिस्तारित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का अनुग्रह भुगतान किया जाएगा[44]:-

(i) परिपक्वता दावा के मामले में सम्पूर्ण दावा कागजात के प्राप्त होने की वास्तविक तिथि से 30 दिनों से अधिक या परिपक्वता तिथि से 30 दिनों, जो भी बाद में घटित हो, के लिए।

(ii) मृत्यु दावा के मामले में जिन पालिसियों के अंतर्गत दावे की वास्तिवकता की जांच करने की जरूरत नहीं हो उनमें सम्पूर्ण दावा कागजात के मिलने की वास्तविक तिथि से 60 से अधिक दिनों के लिए।

टिप्पणी 1: यदि दावेदार पालिसी का विधिक समनुदेशिती है तो उसे पोस्टमास्टर जनरल को ऐसा समनुदेशन विलेख अग्रेषित करना होगा जो उसके पास हो। पोस्टमास्टर जनरल ऐसे मामलों में आगे आवश्यक समझी जाने वाली पूछताछ करने के बाद, अनुज्ञेय राशि का भुगतान समनुदेशिती को किये जाने का आदेश देगा। तब पालिसी से संबंधित भुगतान के लिए इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

53. **पूर्व मृत्यु के मामलों में दावों का निपटारा**

पूर्व मृत्यु के मामले में अर्थात् पालिसी की स्वीकृति के 3 वर्ष पूरे होने से पूर्व मृत्यु के मामलों की गहन जांच यह जानने के लिए की जाएगी कि क्या बीमाधारक ने बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ऐसी वस्तुपरक सूचना जान- बूझकर छुपाई थी जो अन्यथा प्रस्तावक को डाक जीवन बीमा का पात्र नहीं बनाती है तथा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या बीमाधारक पालिसी लेने से पहले किसी बीमारी से ग्रस्त था, क्या मार्केटिंग स्टाफ द्वारा जानबूझकर अवमानक बीमा करवाया गया था या कोष राशि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया तथा क्या मृत्यु के कारण का बीमारी से कोई संबंध था जो कि जांच के दौरान प्रकाश में आया। पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरांत पोस्टमास्टर जनरल मृत्यु दावा मामले को मंजूरी प्रदान कर सकता है।

54. 1,00,000/- (एक लाख रुपए) तक के दावों को, जहां कोई नामांकन नहीं है, महानिदेशक डाक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त में छूट प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि मामले की जायज कारणों से पोस्टमास्टर जनरल द्वारा सिफारिश की गई हो। छूट प्रदान किए जाने के बाद मामले को पोस्टमास्टर जनरल द्वारा सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत निपटाया जा सकता है।

पालिसियों का अभ्यर्पण

55. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी को छोड़कर किसी भी आजीवन बीमा पालिसी को तत्काल नकदी के भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि पालिसी तीन वर्ष से कम अवधि की न हो। ऐसे किसी मामले में बीमाकृत व्यक्ति या पालिसी का समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पण का लिखित नोटिस देगा तथा पालिसी या उसकी दूसरी प्रति अथवा इंडेम्निटी बांड (यदि पालिसी खो गई हो) और यदि प्रीमियम नकद रूप में अदा किए गए हों तो प्रीमियम रसीद बही भी उसके साथ देगा। ऐसे मामलों में जिनमें प्रीमियम की अदायगी वेतन बिलों से कटौती करके की जानी हो, यदि प्रीमिया का भुगतान नकद में हुआ है तथा ऋण पुनर्भुगतान रसीद पुस्तिका, यदि ऋण मूल/ब्याज बकाया है। बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से प्रीमियम के लिए आगे कर जाने वाली कटौतियां पोस्टमास्टर जनरल से अनुदेश प्राप्त होने पर बंद कर दी जाएगी। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई पालिसी उस महीने के अंत तक प्रवृत्त बनी रहेगी जिसमें पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पित करने के संबंध में आवदेन प्राप्त हुआ हो तथा तदनुसार उस अवधि के लिए भी प्रीमियम देय होगा जिसके लिए पालिसी इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही हो। ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके वार्षिक प्रीमियम पहले से की नकद में अदा किए गए हों,अभ्यर्पण की तारीख पर विचार किए बिना वर्ष के अंत में अभ्यर्पण मूल्य की गणना की जाए लेकिन जिस समय पालिसीधारक अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी चाहे उस समय उसकी अदायगी की जाए। प्रीमियम बंद किए जाने की तिथि से पालिसी पर किसी बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा[43]। पाँच वर्ष पूरे होने के बाद अर्थात् यदि पालिसी न्यूनतम पाँच वर्ष तक सक्रिय रहती है तो प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

55.1 इस नियम में उल्लिखित नोटिस तथा दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरांत पोस्टमास्टर जनरल दावेदार के हक की जांच करेगा तथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार अभ्यर्पण मूल्य का गणना करेगा। पालिसी के देय अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में दावेदर को भी सूचित किया जाएगा ताकि वह अभ्यर्पित की जाने वाली पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य को प्राप्त करने के संबंध में अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रेषित कर सके। दावेदार को सूचित करते हुए संबंधित पोस्टामास्टर को अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के आदेश तभी जारी किए जाएंगे जब दावेदार से अभ्यर्पण

मूल्य को स्वीकार किए जाने की सहमति संबंधी सूचना प्राप्त हो जाए। मंजूर की गई राशि का भुगतान दावेदार को उसके द्वारा डाकघर में आदेश की आदाता वाली प्रति लौटाने पर तथा आदेश के पिछले हिस्से पर, जहां आवश्यक हो, विधिवत स्टाम्पित रसीद पर उसके लिए हस्ताक्षर करने पर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में नियम 52(2) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

55.2 पोस्टमास्टर जनरल आवेदक को अभ्यर्पण मूल्य वास्तव में अदा किए जाने से पहले अभ्यर्पण के किसी आवेदन को अपने विवेकानुसार वापस लेने की अनुमति दे सकता है, यदि आवेदन वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उससे निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

छत्तीस महीनों के भीतर पॉलिसी व्यपगमन और मृत्यु दावों का निस्तारण[45 से 48]

56(i) ऐसी पालिसी जिसके लिए कोई प्रीमियम प्राप्य हो जिसे उस महीने, जिसके लिए प्रीमियम प्राप्य हो, के या तो पहले दिन या नियम 44 के अनुसार अनुमत रियायत अवधि के भीतर अदा न किया गया हो, तो पालिसी शून्य हो जाएगी।

56.2 (क) अगर, किसी पालिसी के मामले में पालिसी स्वीकृत होने की तिथि से छत्तीस महीनों के पूरा होने के पहले मृत्यु हो जाती है और जहां कोई प्रीमियम प्राप्य हो, जिसे उस महीने, जिसके लिए प्रीमियम प्राप्य हो, के या तो पहले दिन या नियम 44 के अनुसार अनुमत रियायत अवधि के भीतर अदा न किया गया हो तो पालिसी शून्य हो जाएगी और तत्संबंधी किसी हितलाभ के सभी प्रकार के दावे खत्म हो जाएंगे और उसके परिणामस्वरूप अदा सभी धनराशि यहां इसके पश्चात् उल्लिखित मामलों के सिवाए जब्त कर ली जाएगी;

(i) बशर्ते कि इस नियम के प्रयोजनार्थ ऐसे बीमाकृत व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाना है जिसके प्रीमियम की बकाया राशि कितने ही महीने के लिए इस कारण से लंबित पड़ी हो कि वह अपना वेतन, पेंशन या निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता आहरित न कर पाया हो, या अगर बीमित व्यक्ति भारत में छुट्टी पर हो, उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों की वजह से छुट्टी का कोई भत्ता हालांकि प्राप्य हो, अगले महीने के लिए प्राप्य हो जाता है।

(ii) आगे बशर्ते कि उपर्युक्त (i) के उपबंध ऐसे बीमादारों पर लागू नहीं होंगे जो अपना प्रीमियम नकद अदा करते हैं।

(ख) ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसके होते हुए भी अगर बीमित जीवन की पालिसी स्वीकृत होने की तिथि से छत्तीस महीनों की भीतर (मृत्यु) हो जाती है तो ऐसी पालिसियों के संदर्भ में माफी की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी जिनमें प्रीमियम निम्नलिखित तरीके से नियम 44 के अंतर्गत अनुमत रियायत की अवधि से परे अदत्त रह जाता है;

(i) अगर बीमित जीवन की पालिसी स्वीकृत होने की तिथि से छः महीनों के भीतर मृत्यु हो जाती है तो रियायत के दिनों से परे माफी की किसी अवधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) अगर बीमित जीवन की बारह महीनों के भीतर, किन्तु छः महीने पूरा होने के पहले नहीं, मृत्यु हो जाती है तो रियायत की अवधि के अतिरिक्त 30 दिनों की माफी अवधि की अनुमति दी जाएगी।

(iii) अगर बीमित जीवन की पालिसी स्वीकृत होने की तिथि से चौबीस महीनों के भीतर, किन्तु बारह महीनों के पूरा होने के पहले नहीं, मृत्यु हो जाती है तो रियायत की अवधि के अतिरिक्त साठ दिनों की माफी अवधि की अनुमति दी जाएगी।

(iv) अगर बीमित जीवन की पालिसी स्वीकृत होने की तिथि से छत्तीस महीनों के भीतर, किन्तु चौबीस महीनों के पूरा होने के पहले नहीं, मृत्यु हो जाती है तो रियायत की अवधि के अतिरिक्त नब्बे दिनों की माफी अवधि की अनुमति दी जाएगी।

(v) उपर्युक्त नियम 56(2) ख (i) (ii) (iii) और (iv) के अनुसार अनुमत माफी अवधि के दौरान और प्राप्त प्रीमियम और उससे संबंधित ब्याज का भुगतान करने के पूर्व बीमित जीवन की मृत्यु होने की दशा में भी पालिसी वैध मानी जाएगी और बीमादार के नामिती या कानूनी वारिस जैसा भी मामला हो, को दावा राशि और उससे संबंधित ब्याज, जो डाक महानिदेशक द्वारा यथाविहित दर पर हो, से अप्रदत्त प्रीमियम की कटौती करके, अदायगी की जाएगी।

टिप्पणी 1 : पोस्टमास्टर जनरल के पास इस बात की विवेकाधीन शक्तियां हैं कि वे विशेष मामलों में पालिसी के मूल्य या उसके अंश के अनुग्रह भुगतान या बीमादार द्वारा प्रदत्त प्रीमियम या उसके अंश के अनुग्रह रिफंड, जो ब्याज के सहित या रहित हो सकती है, की अनुमति दे दें बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि नियमों का इस प्रयोजन से जानबूझ कर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कि जिससे इसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और परिस्थितियां पालिसी धन का भुगतान करने का समुचित आधार प्रस्तुत कर रही हों।

56 (3) शून्य पालिसी के पालिसीधारक के पालिसी के संदर्भ में देय पहले अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी पालिसी का पुनः प्रवर्तन चाहने की दशा में वह पालिसी के संदर्भ में प्रीमियम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट डाकघर में डाक महानिदेशक द्वारा यथाविहित दरों पर उस तिथि तक प्रीमियम की सभी बकाया धनराशि उससे संबंधित ब्याज के साथ जमा कर सकते हैं। पालिसी का पुनः

प्रवर्तन बीमादार या विभाग द्वारा आगे की जाने वाली किसी कार्रवाई के बगैर स्वमेव होगा। हालांकि, यह बकाया राशि के भुगतान के समय जीवन की सतत् बीमा-योजना की शर्त के अध्यधीन होगा जिसके लिए उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र और प्राधिकृत/पंजीकृत चिकित्सक प्रैक्टिशनर का इस आशय का चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(i) बशर्ते कि अगर ऊपर उल्लिखित छ: महीनों की अवधि के दौरान प्रीमियम अदायगियों के अभिप्रेत कोई भी भुगतान किया जाता है और अगर भुगतान पालिसी को शून्य होने देने से रोकने के लिए अपेक्षित ब्याज सहित सभी बकाया धनराशि को कवर न कर पाए तो वैसा भुगतान उचंत में रखा जाएगा और बीमित जीवन का जोखिम कवर करने के प्रीमियम के रूप में किया गया भुगतान नहीं माना जाएगा। जब प्रीमियम उचंत में रखा जाए और पालिसी पुन: प्रवर्तित न की जाए तो वैसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की मृत्यु होने पर विभाग पर किसी प्रकार का दावा नहीं रहेगा। आवेदन करने पर उचंत में रखा गया प्रीमियम डाक महानिदेशक द्वारा यथाविहित ब्याज के साथ पालिसीधारक या उसके नामित, या उसके कानूनी वारिस को जैसा भी मामला हो, आवेदन करने पर वापस कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 1: नियम 56 (3) और नियम 57(3) के अंतर्गत पालिसी के पुन:प्रवर्तन की कालावधि के दौरान तीन अवसरों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

छत्तीस माह के बाद पालिसी का व्यपगमन और दावों का निस्तारण[45 से 48]

(1) जो पालिसी उसके स्वीकृत होने की तिथि से कम से कम छत्तीस महीनों तक प्रवृत्त रही हो और जहां वैसी अवधि के बाद कोई प्रीमियम देय रहा हो उसके मामले में अगर जिस महीने के लिए प्रीमियम प्राप्य हो उसके या तो प्रथम दिन या नियम 44 के अनुसार अनुमत रियायत अवधि के भीतर प्रीमियम अदा नहीं किया जाता है तो पालिसी को उसके संदर्भ में पहले अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से बारह महीनों के समाप्त होने पर व्यपगत माना जाएगा।

(i) बशर्ते कि इस नियम के प्रयोजनार्थ ऐसे बीमाकृत व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाता है जिसके प्रीमियम की बकाया-राशि कितने ही महीने के लिए इस कारण से लंबित पड़ी हो कि वह अपना वेतन, पेंशन या निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता आहरित न कर पाया हो, या अगर बीमित व्यक्ति भारत में छुट्टी पर हो, उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों की वजह से छुट्टी का कोई भत्ता हालांकि प्राप्य हो, अगले महीने के लिए प्राप्य हो जाता है।

(ii) आगे बशर्ते कि उपर्युक्त (i) के उपबंध ऐसे बीमादारों पर लागू नहीं होंगे जो अपना प्रीमियम नकद अदा करते हैं।

57 (2) क. अगर कोई पालिसी पहले अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से बारह महीनों की उक्त अवधि के भीतर या तो बीमित जीवन की मृत्यु होने की वजह से या पालिसी अवधि के पूरा होने पर दावा बन जाती है तो पालिसी के भुगतान के लिए दावा स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते कि वैसी पालिसी के संदर्भ में पहले अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से लेकर डाक महानिदेशक द्वारा विहित दरों पर इसके दावा बनने की तिथि तक प्रीमियम और उससे संबंधित ब्याज की सभी बकाया-राशि की कटौती कर ली जाए और बशर्ते कि संचित ऋण और उससे संबंधित ब्याज यदि कोई हो, की आगे कटौती कर ली जाए।

(ख) अगर बारह महीनों की ऊपर वर्णित अवधि के भीतर पालिसी या तो बीमित जीवन की मृत्यु होने की वजह से या पालिसी अवधि के पूरा होने पर दावा नहीं बनती है और उस अवधि के भीतर अभ्यर्पण मूल्य के लिए या प्रदत्त पालिसी के लिए कोई आवेदन नहीं प्राप्त होता है तो पालिसी केवल इसके प्रदत्त मूल्य की सीमा तक स्वमेव सक्रिय रखी जाएगी बशर्ते कि वैसा प्रदत्त मूल्य 10,000/- रु. से कम न हो।

57(3) जो पालिसी उपर्युक्त उप नियम (1) के निबंधनों के अनुसार असक्रिय हो गई है उसके पालिसी धारक के वैसी पालिसी के संदर्भ में देय पहले अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि से बाहर महीनों की अवधि के भीतर अपनी पालिसी का पुन: प्रवर्तन चाहने की दशा में वह वैसी पालिसी के संदर्भ में प्रीमियम का भुगतान करने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट डाकघर में निर्धारित दरों पर उस तिथि तक प्रीमियम की सभी बकाया धनराशि उससे संबंधित ब्याज के साथ जमा कर सकते हैं। पालिसी का पुन:प्रवर्तन बीमादार या विभाग द्वारा आगे की जाने वाली किसी कार्रवाई के बगैर स्वमेव होगा। हालांकि, यह बकाया-राशि के भुगतान के समय जीवन की सतत् बीमा-योग्यता की शर्त के अध्यधीन होगा जिसके लिए उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र और प्राधिकृत/पंजीकृत चिकित्सक का इस आशय का चिकित्सा प्रैक्टिशनर प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

57 (4) बशर्ते कि अगर उप नियम (3) में उल्लिखित बारह महीनों की पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रीमियम अदायगियों के अभिप्रेत कोई भी भुगतान किया जाता है और अगर भुगतान पालिसी को बन्द होने देने से रोकने के लिए अपेक्षित ब्याज सहित सभी बकाया धनराशि को कवर न कर पाए तो वैसा भुगतान उचंत में रखा जाएगा और बीमित जीवन का जोखिम कवर करने के प्रीमियम के रूप में किया गया भुगतान नहीं माना जाएगा। जब प्रीमियम उचंत में रखा जाए और पालिसी पुन:प्रवर्तित न की जाए तो वैसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की मृत्यु होने पर विभाग पर किसी प्रकार का दावा नहीं रहेगा। आवेदन करने पर उचंत में रखा गया प्रीमियम डाक महानिदेशक द्वारा वापसी के समय यथाविहित ब्याज के साथ पालिसीधारक या उसके नामित, या उसके कानूनी वारिस को वापस कर दिया जाएगा।

(ii) उन पालिसियों के संबंध में जिनमें प्रीमियम वार्षिक तौर पर नकद में अग्रिम दिया जाता है, मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले दावे के मामले को छोड़कर शेष में प्रीमियम की वापिसी की अनुमति नहीं हैं। मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले दावों के मामलों में समाप्त न हुए महीनों के प्रीमियम की वापिसी होगी।

टिप्पणी 1:- नियम 56 (3) और नियम 57(3) के अंतर्गत पालिसी के पुन:प्रवर्तन की पालिसी की कालावधि के दौरान तीन अवसरों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

पालिसियों का पुन:प्रवर्तन 45 से 48

58(1) पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर अपने विवेकाधिकार से ऐसी पालिसी को पुन: प्रवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं जो नियम 56(1) के निबंधनों के अनुसार शून्य हो गई हो अथवा नियम 57(1) के निबंधनों के अनुसार सक्रिय नहीं रह गई है और नियम 56(3) या 57(3) के उपबंधों के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं की गई है बशर्ते कि उक्त तिथि प्राप्त न कर ली हो और बीमित व्यक्ति पुन:प्रवर्तन के समय बीमायोग्य हो। ऐसा पुन:प्रवर्तन प्रीमियम की सभी बकाया राशि और डाक महानिदेशक द्वारा विहित दरों पर उससे संबंधित ब्याज, पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि जो पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा निर्धारित हो, से परिकलित होगा और प्राप्य के भुगतान की शर्त के अधीन होगा और आगे नियोक्ता (नियोक्ताओं) का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन होगा कि पालिसीधारक ने गत एक वर्ष के दौरान या वैसी पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से चिकित्सा आधारों पर कोई छुट्टी नहीं ली है और एक प्राधिकृत मेडिकल अटेंडैंट से विहित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र कि बीमादार की सेहत और आदतों के संबंध में बीमित व्यक्ति बीमा योग्य है और दर्शाने के लिए इस बात के साक्ष्य हैं कि उसके निजी या पारिवारिक इतिवृत्त या उसके पेशे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

58(2) कोई पालिसी तब तक पुन: प्रवर्तित नहीं मानी जाएगी जब तक कि उस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन न दिया जाए और जब तक पालिसी लिखित में औपचारिक रूप से पुन:प्रवर्तित न कर दी जाए।

58(3) कोई पालिसी जो नियम 56(1) के अधीन समाप्त हो गई हो अथवा जो नियम 57(1) के अधीन सक्रिय न रह गई हो तो इसके पश्चात किए गए प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतानों के बतौर यदि कोई भुगतान हो परन्तु वह पालिसी के उपरोक्त उपनियम (1) एवं (2) के आधार पर पुन:प्रवर्तन करने से पहले किया गया हो, तो उन्हें उचंत में रखा जाएगा तथा उसे जीवन बीमा के जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान के बतौर नहीं माना जाएगा। ऐसी अवधि में जब प्रीमियम/प्रीमियमों को उचन्त में रखा गया है तथा पालिसी का पुन:प्रवर्तन नहीं किया गया है तब विभाग पर बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। उचंत प्रीमियमों को पालिसी धारक, उसके कानूनी वारिस अथवा नामांकित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो , को महानिदेशक डाक द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

58(4) पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख किसी पालिसी के पुन:प्रवर्तन हेतु जो कि नियम 56(1) के अंतर्गत समाप्त हो गई हो अथवा नियम 57(1) के अधीन सक्रिय न रह गई हो, अपने विवेकाधिकार से प्रीमियमों के बकायों को ब्याज के साथ आसान किश्तों पर, जो 12 से अधिक नहीं हों, एक विशेष आदेश द्वारा पात्र मामलों के लिए इसकी अनुमति एक विशेष आदेश द्वारा, जो लिखित में हो, दे सकते हैं। ऐसे मामलों में जीवन बीमा का कवर उस दिन से प्रदान किया जाएगा जब पहली किश्त जमा कर दी जाएगी बशर्ते कि उसके पश्चात किस्तें नियमित रूप से दी गई हो तथा सामान्य मासिक प्रीमियम राशि बकाया के साथ जब भी नियत हो, नियमित रूप से की गई हो, बीमा धारक की मृत्यु के मामले में जो कि पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के निदेश के अनुसार नियत तिथि पर मासिक प्रीमियम राशि नियमित रूप से जमा करने के अतिरिक्त बकाया की किश्त जमा करते रहे हैं तो मृत्यु के समय पर प्रीमियम राशि के कुछ बकाए के भुगतान नहीं होने पर भी उक्त पालिसी का दावा मान्य होगा बशर्ते कि दावा राशि में से ऐसे बकाए और उस पर ब्याज तथा यदि कोई कर्ज लिया गया है तो वह उस दावा राशि में से राशि पर ब्याज के साथ काट लिया जाएगा।

58(5) ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों के पुन:प्रवर्तन के लिए ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे केवल, सिवाय इस बात के कि नियोक्ता का प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा।

टिप्पणी:- नियम 58 के अंतर्गत पालिसी की पूरी अवधि के दौरान पालिसी का पुन:प्रवर्तन दो से अधिक बार अनुमेय नहीं किया जाएगा तथापि जिसमें पुन:स्थापन हेतु नियम 56(3) तथा 57(3) दी में गई रियायत सम्मिलित नहीं होगी।

पालिसियों पर ऋण

59(1)(क) प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा पालिसी, दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा पालिसियों से भिन्न पालिसियों की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है। ऐसा ऋण आजीवन पालिसी की जमानत पर दिया जा सकता है यदि यह कम से कम चार वर्ष तक प्रवृत्त रही हो तथा अन्यथा भार रहित हो तथा उसने 1000[49] रु. का न्यूनतम अभ्यर्पण मूल्य अर्जित कर लिया हो। उस अभ्यर्पण मूल्य की प्रतिशतता जिस पर आजीवन पालिसी की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(ख) बन्दोबस्ती बीमा पालिमी जिसमें संयुक्त जीवन बीमा भी शामिल है, की जमानत पर भी ऐसी स्थिति में ऋण दिया जा सकता है, यदि वह कम से कम तीन वर्ष तक प्रवृत्त रही हो तथा अन्यथा भार रहित हो तथा उसने 1000 रु[49]. का अभ्यर्पण मूल्य अर्जित कर लिया हो। अभ्यर्पण मूल्य की प्रतिशतता जिस पर बन्दोबस्ती बीमा पालिसी की जमानत पर कर्ज दिया जा सकता है, विभाग, द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

59 (2) ऋण के लिए आवेदन उस स्थान के किसी भी डाकघर में उपलब्ध फार्म में, पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को दिया जाएगा, जिसमें आवेदक रहता है। बीमादार द्वारा कर्ज के लिए विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित आवेदन पालिसी सहित पोस्टमास्टर को दे दिया जाएगा तथा इस संबंध में रसीद ले ली जाएगी। संबंधित पोस्टमास्टर सभी कागज पोस्टमास्टर जनरल डिवीजन प्रमुख को तत्काल अग्रेषित करेगा। विकल्पत: बीमादार कर्ज के लिए आवेदन पालिसी प्रीमियम रसीद बुक (नकद पालिसी के मामले में) और ऋण पुनर्भुगतान रसीद बुक (दूसरे अथवा परवर्ती ऋणी के मामले में) तथा प्रीमिया की कटौती का पिछले छ: माह का संवितरण अधिकारी का प्रमाणपत्र (वेतन वसूली पालिसी के मामले में) पालिसी के साथ पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को भेज सकता है। दस्तावेजों के साथ पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी पालिसी से संबंधित रिकार्ड देखकर यह सत्यापित करेगा कि ऋण के लिए पालिसीधारक पात्र है और पालिसी ऋणभार मुक्त है। वह ऋण की उस राशि की भी गणना करेगा जो आवेदन किए जाने की तारीख को अनुज्ञेय हो, और देय हो तो उपर्युक्त शर्तों पर ऋण की मंजूरी देगा। ऋण बंधपत्र, जिसमें संगत प्रविष्टियां भरी हुई हों, सहित मंजूरी की एक प्रति संबंधित पोस्टमास्टर को अग्रेषित की जाएगी जिसमें ऋण बंधपत्र निष्पादित करने के पश्चात् आवेदक को कर्ज की राशि को भुगतान किए जाने के अनुदेश होंगे। पोस्टमास्टर वह प्रति वापस करेगा तथा उसे पालिसी व कर्ज के लिए दिए गए आवेदन पत्र के साथ पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर्ज की राशि तथा ब्याज की पूर्णत: वापसी/अदायगी की जा चुकी है, पालिसी बीमाकृत व्यक्ति को या उसकी विधिक रूप से हकदार पार्टी को दे दी जाएगी। मंजूर की गई ऋण की राशि 100/-रु[49]. के पूर्ण गुणांक में होनी चाहिए। बीमित व्यक्ति को पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख (संबंधित डाकघर के माध्यम से) द्वारा एक पुनर्भुगतान रसीद बुक दी जाएगी जिसमें ऋण के पुनर्भुगतान में प्रदत्त राशि की किश्त और तारीख के साथ पोस्टमास्टर के आद्यक्षर होंगे। ऋण पुनर्भुगतान रसीद बुक खो जाने पर नियम 32 में दी गई कार्यवाही का अनुपालन किया जाएगा।

जिन पालिसियों पर भी ऋण लिया जाए वह हमेशा राष्ट्रपति को समनुदेशित की जानी चाहिए।

यदि बीमाकृत व्यक्ति ने अपनी पालिसी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशित कर दी हो, तो उस पालिसी पर ऋण बीमाकृत व्यक्ति को केवल तभी दिया जाएगा, जबकि वह पालिसी अपने पक्ष में पुन: समनुदेशित कर ले तथा फिर इसे राष्ट्रपति को समनुदेशित करें। जिस पालिसी पर पहले ऋण दिया जा चुका है उसकी जमानत पर इस नियम के उप नियम (1)(ii) में निर्धारित राशि से अनधिक दूसरा या अगला ऋण दिया जा सकता है। तथापि दूसरा या परवर्ती ऋणी तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की अदायगी के पश्चात् एक वर्ष न बीत चुका हो।*

*पोस्टमास्टर जनरल अपवादात्मक परिस्थितियों में द्वितीय या परवर्ती ऋण दे सकेता है।

59(3) ऋण किसी भी समय वापस किया जा सकता है। इनका भुगतान कम से कम 100 रु[49]. की किश्तों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 10% की दर पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा तथा ऋण बंधपत्र और ऋण पुनर्भुगतान रसीद बुक में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उससे पहले उसका भुगतान किया जाएगा। छमाही ब्याज उस राशि पर प्रभारित किया जाएगा जो छमाही के पहले दिन बकाया होगी तथा उस छमाही के दौरान लौटाई गई किसी भी राशि को केवल अगली छमाही के ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। चुकाई गई अंतिम वापसी अदायगी के मामले में, ब्याज उस महीने की अंतिम तारीख के बाद नहीं प्रभारित किया जाएगा, जिस महीने अंतिम भुगतान किया गया है बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छ: महीने के लिए ब्याज पहले ही प्रभारित किया जा चुका है। ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्णतया बीमादार

की है। छमाही ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में बीमादार को नोटिस केवल उसी समय दिया जाएगा जबकि मूलधन के किसी अंश के भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन हुआ हो। लेकिन ब्याज के भुगतान न करने के संबंध में उक्त नोटिस प्राप्त न होने का तर्क किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि नियत तारीख को ब्याज को नहीं चुकाया जाता है तो वह ऋण की बकाया राशि और उस पर प्रभारित सामान्य ब्याज में जोड़ दिया जाएगा। छमाही ब्याज के भुगतान में तीन बार चूक होने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह उस पालिसी को अभ्यर्पित कर ले तथा उसके अभ्यर्पण मूल्य का उपयोग उक्त ऋण और ब्याज के भुगतान में कर ले। ऐसे अभ्यर्पण मूल्य की, यदि कोई शेष राशि 10,000/-रु. की पालिसी के प्रदत्त मूल्य के लिए पर्याप्त हो तो, उसका उपयोग ऐसे प्रदत्त पालिसी जारी करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, वह राशि उस पक्षकार को नकद अदा की जाएगी, जो उसका हकदार हो।

दावे के निस्तारण के समय में ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पालिसी के मूल्य से वसूली जाएगी। ऋण पर ब्याज उस माह की अंतिम तारीख तक उपार्जित होगा जिसमें कोई पालिसी परिपक्वता अथा अभ्यर्पण के कारण दावा बनती है, बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छः माह ब्याज प्रभारित हुआ हो।

59(4) जिस तारीख को ऋण की अंतिम रूप मे वापसी/अदायगी की जाए, उसी तारीख को संबंधित पोस्टमास्टर वापसी/अदायगी की राशि, वापसी/अदायगी भुगतान की तारीख, बीमादार का नाम तथा उसकी पालिसी तथा ऋण खाते की संख्याओं के बारे में विवरण देते हुए पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को अपने ऋण की अंतिम अदायगी की सूचना अलग से भेजे। उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने पर, उस महीने के अन्त तक प्रभार्य ब्याज की गणना पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा की जाएगी जिस महीने अंतिम भुगतान (बशर्ते कि कम से कम छमाही के लिए ऋण पर ब्याज पहले मे ही लिया जा चुका हो) किया गया था तथा उसकी राशि रजिस्ट्री डाक से बीमादार को सूचित की जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा सूचना जारी किए जाने की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी भी प्रधान या उप डाकघर में बीमादार को ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।

59(5) यदि बीमाकृत व्यक्ति कर्ज चुकाने से पहले पालिसी अभ्यर्पित करना चाहे, तो उसे पालिसी अभ्यर्पित करने, ऋण तथा देय ब्याज की शेष राशि का अभ्यर्पण मूल्य में समायोजन करने तथा शेष राशि, यदि कोई हो, का उसे भुगतान करने के लिए उस पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को आवेदन करना चाहिए, जिसके पास उसकी पालिसी जमानत के रूप में रखी है। यह आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख आगे प्रीमियमों की वसूली रोकने तथा पालिसी अभ्यर्पित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

60. जहां भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली किसी पालिसी के संबंध में पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख की यह राय हो कि सुरक्षित राशि के बारे में परस्पर विरोधी दावों अथवा उसके हक के संबंध में पर्याप्त सबूत न होने के कारण अथवा किसी अन्य उचित कारण से उसके लिए अन्यथा यह संभव न हो कि वह उस राशि के भुगतान के संबंध में संतोषजनक उन्मोचन प्राप्त कर सके, वह बीमा अधिनियम 1938 की धारा 47 में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 47 के उपबंधों के अनुसार, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह आता हो, उस न्यायालय को, उस राशि का भुगतान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है। यदि न्यायालय आवेदन को स्वीकार कर लेता है तो भुगतान न्यायालय में किया जाएगा। पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख भी न्यायालय को आवेदन करने के पश्चात दावे के संबंध में प्राप्त किए गए प्रत्येक नोटिस को प्रेषित करेगा ताकि न्यायालय, राशि से संबंधित दावों का निपटान कर सके। ऐसा भुगतान करने पर पालिसी के संबंध में निधि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है।

61. आत्महत्या संबंधी मामले[50]

ऐसे मामले में जहां बीमित व्यक्ति ने पालिसी की स्वीकृति की तिथि के पश्चात किसी भी समय आत्महत्या कर ली हो (उस समय पर स्वस्थचित्त हो या नहीं) तथा अपना पहला प्रीमियम पूरा अदा कर दिया हो परन्तु ऐसा इस स्वीकृति तिथि के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात नहीं हो, अथवा पहले प्रीमियम का भुगतान, इनमें जो भी बाद में हुआ हो तो पालिसी को निरस्त माना जाएगा तथा उक्त पालिसी के लिए विभाग द्वारा कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा सिवाय उस लाभ सीमा तक जो किसी भी व्यक्ति (बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त) ने उक्त पालिसी के आधार पर प्राप्त किया हो जिसके लिए बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसकी तरफ से एक माह पूर्व नोटिस के द्वारा महानिदेशक (डाक) अथवा संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को दिया गया हो तथा इसके आगे यह कि इस बात का पर्याप्त सबूत हो, कि पालिसी में संबंधित व्यक्ति का महानिदेशक (डाक) अथवा पोस्टमास्टर जनरल की संतुष्टि के अनुसार अधिकार हैं।

"नामांकित अथवा कानूनी वारिस(वारिसों) द्वारा बीमाकर्ता की हत्या के मामले में मृत्यु दावों का निपटान"

62. यदि पालिसी धारक की कानूनी प्रतिनिधि/नामांकित द्वारा हत्या कर दी गई हो तो हत्या करने वाले को पालिसी कि राशि तब भी नहीं दी जाएगी चाहे, किसी सक्षम न्यायालय ने उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया हो। ऐसे व्यक्ति (यों) जो धारक की मृत्यु पर डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011 के अंतर्गत पालिसी की धनराशि प्राप्त करने के पात्र हैं, को यदि उन्हें पालिसी धारक की हत्या करने अथवा ऐसे किसी कृत्य को

बढ़ावा देने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का दावा जिसमें परिवार के अन्य पात्र व्यक्ति सम्मिलित हैं, तब तक निलंबित रहेगा जब तक उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का निष्कर्ष नहीं आ जाता। यदि आपराधिक कार्यवाही पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति पालिसीधारक की हत्या के लिए दोषसिद्ध होता है अथवा संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है, तो भी पालिसी की राशि प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति प्रतिबंधित रहेंगे और पालिसी की राशि पालिसीधारक के अन्य पात्र कानूनी वारिस(वारिसों) को दी जाएगी[38]।

परिशिष्ट

रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. अपने जीवन का बीमा कराने अथवा कोई बन्दोबस्ती बीमा पालिसी खरीदने का इच्छुक, रक्षा सेवा का कोई भी सदस्य किसी प्रधान डाकघर (1सीबीपीओ)/ 2 सीबीपीओ) अथवा उप डाकघर (1 सीबीपीओ अथवा 2 सीबीपीओ के अंतर्गत एफपीओ) से अथवा अपने यूनिट (मूल यूनिट अथवा मूल यूनिट को सेवा देने वाली डाक यूनिट), पोत स्थापना अथवा कार्यालय से निर्धारित प्रस्ताव फार्म प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक संभव हो, तो उसे प्रस्ताव फार्म के प्रश्नों की उत्तर अपनी ही लिखावट में देना चाहिए क्योंकि वह प्रस्ताव में दिए प्रश्नों के उत्तरं के लिए जिम्मेदार होगा। उसे अपना प्रस्ताव अपने "आसन्न उच्च अधिकारी" को प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात्

(क) भारतीय थल सेना से संबंधित और यूनिट के साथ सेवारत प्रस्तावकों के मामले में, कमान अफसर अथवा उनके स्थान पर उत्तर देने वाला अधिकारी;

(ख) भारतीय नौ सेना से संबंधित प्रस्तावकों के मामले में, पोत अथवा स्थापना का कमान अफसर;

(ग) भारतीय वायु सेना से संबंधित प्रस्तावकों के मामले में यूनिट अथवा स्टेशन कमांडर;

(घ) भारतीय थल, नौ और वायु सेना से संबंधित यूनिट से बाहर सेवारत प्रस्तावकों के मामले में, कमीशन प्राप्त अथवा राजपत्रित श्रेणी का आसन्न उच्च अधिकारी;

2. आसन्न उच्च अधिकारी प्रस्तावक के सामने प्रस्ताव को पढ़ेगा और उसकी व्याख्या करेगा और अपनी उपस्थिति में उससे हस्ताक्षर (यदि प्रस्तावक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगवाएगा) करवाएगा और प्रस्ताव फार्म में निर्धारित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

3. यदि संभव हो, तो "आसन्न उच्च अधिकारी" को निम्नलिखित अभिलेखों में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव के, वर्णनात्मक ब्यौरों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपने ही कार्यालय में तैयार करनी चाहिए अथवा इन अभिलेखों को रखने वाले अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए।

4. आसन्न उच्च अधिकारी को इस प्रमाणित प्रतिलिपि पर अपनी उपस्थिति में, प्रस्तावक के हस्ताक्षर(यदि वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो उसके बांये हाथ के अंगूठे का निशान) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके बाद इसे प्रस्ताव में संलग्न कर देना चाहिए।

5. वर्णनात्मक ब्यौरों की प्रमाणित प्रतिलिपि में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:-

(क) पूरा नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) जन्म स्थान

(घ) जन्म तिथि

(ङ) नामांकन की तिथि

(च) पहचान चिह्न (कम से कम दो)

(छ) रैंक/योग्यता क्रम, सेना का मूल सेना त्रिभाग/कोर; वर्तमान यूनिट/पोत, नियुक्ति, कार्मिक/कर्मचारी संख्या।

(ज) यदि कमीशन प्राप्त अधिकारी हो, तो कमीशन का प्रकार, अर्थात् स्थायी, अल्प-कालिक सेवा, विस्तारित सेवा कमीशन आदि।

(झ) प्रस्तावक का वेतन-लेखा रखने वाले अधिकारी का ब्यौरा।

(ञ) उस अधिकारी का ब्यौरा जो बीमाकृत व्यक्ति तथा रक्षा सेवा प्राक्कलन से वसूल किए जाने वाले प्रीमियम के लिए डेबिट स्वीकार करेगा।

6. <u>रक्षा सेवाओं के सदस्यों के मामले में आसन्न उच्च अधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन भी करेगा :-</u>

(क) इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विस्तृत विवरण की प्रमाणित प्रति सहित प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक छानबीन करेगा कि प्रस्ताव की शर्तें स्वीकार हैं या नहीं और यदि यह पता चले कि प्रस्तावक के जीवन का बीमा किया जाना या जो डाकघर बीमा निधि द्वारा या प्राइवेट बीमा कम्पनी द्वारा, किसी पूर्व अवसर पर स्वास्थ्य के आधार पर इन्कार कर दिया गया था अथवा प्रस्तावक किसी विशेष प्रकार की छूटी के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अयोग्य पाया गया हो, तो यदि संभव हो, तो चिकित्सक की राय प्राप्त की जानी चाहिए और उसे प्रस्तावक फार्म के साथ उस चिकित्सा अधिकारी के पास अग्रेषित करना चाहिए, जिसके पास प्रस्तावक को स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजा जाए, अन्यथा चिकित्सा अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से उस आशय की उन प्रविष्टियों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए, जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव फार्म में संबंधित प्रश्नों के सामने की गई हों।

(ख) प्रस्ताव फार्म में दर्ज प्रस्तावक की आयु से संबंधित प्रविष्टि का मिलान वर्णनात्मक ब्यौरों की प्रमाणित प्रतिलिपि में की गई तदनुरूपी प्रविष्ट से करना चाहिए और यदि कोई विसंगति हो, तो उसे दूर करने के लिए उसे तुरन्त उपाय करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वह उस शाखा के अन्य कर्मचारियों से, जिससे कि प्रस्तावक संबंधित हो, अथवा किसी ऐसे अन्य शाखा या विभाग के कर्मचारियों से, जिसके अधीन प्रस्तावक सेवा कर चुका हो अथवा प्रस्ताव में उल्लिखित व्यक्तियों से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्रस्तावक की आयु के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा।

7. <u>रक्षा कार्मिकों को चिकित्सा जाँच से छूट</u>

उन रक्षा कार्मिकों को जो डाक जीवन बीमा पालिसी लेने के लिए प्रस्ताव करते समय अधिकारियों के लिए एसएचएपीई-I की चिकित्सा श्रेणी और जेसीओ/एनसीओ/ओआर के लिए एवाईई में है, को चिकित्सा जांच से छूट मिलेगी। विहित बोनस सहित बीमित राशि के लिए पूर्ण दावेदार तभी हकदार होगा जबकि पालिसी अपनी स्वीकृति के बाद दावा बने तथापि, आत्महत्या संबंधी मामले डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 द्वारा नियंत्रित होंगे।

8. <u>असम राइफल्स और अर्द्धसैनिक बल कार्मिकों को चिकित्सा जांच से छूट</u>

डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए प्रस्ताव देते समय असम राइफल्स और अर्द्धसैनिक बल कार्मिक जो चिकित्सा श्रेणी एसएचएपीई-I (अधिकारियों हेतु) और एवाईई (जेसीओ/एनसीओ/ओआर) में है, को पालिसी के लिए चिकित्सा जांच से छूट मिलेगी। विहित बोनस बीमित राशि के लिए पूर्ण दावे का दावेदार तभी हकदार होगा जबकि पालिसी अपनी स्वीकृति के बाद दावा बने तथापि, आत्महत्या संबंधी मामले डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 द्वारा नियंत्रित होंगे।

9. रक्षा सिविल प्रस्तावकों की "डाकघर जीवन बीमा नियमावली 2011" में निर्धारित अनुसार संबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी। चिकित्सा जांच के शेष सभी नियम एवं शर्तें "डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011" के नियमों में दिए अनुसार लागू होंगे।

10. <u>मार्केटिंग स्टाफ</u> : प्रत्येक एपीएम कार्मिक डाक जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करने तथा इस प्रयोजन के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मार्केटिंग स्टाफ के रूप में काम करने के लिए पात्र होगा। वह रक्षा, असम राइफल्स/अर्धसैनिक कार्मिकों से या तो सीधे डाक जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करेगा अथवा यूनिटों से व्यवसाय प्राप्त करेगा। वह प्रस्ताव फार्म प्राप्त करेगा और उन्हें कमान आफिसर डाक यूनिट जिसे अबसे 'फील्ड गाइड' कहा जाएगा, के पास इन्हें जमा करने से पहले इनकी निर्धारित जांच करेगा।

11. <u>डाक जीवन बीमा प्रस्तावों की छान-बीन और डाक यूनिटों (फील्ड गाइड) द्वारा इनवॉयस जमा करना</u>

फील्ड गाइड प्रस्ताव फार्मों की छान-बीन करेंगे और पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर इनकी जांच कर लेने के संकेतस्वरूप प्रत्येक फार्म पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा इन्हें पालिसी दस्तावेज स्वीकार करने और जारी करने अथवा अन्यथा के लिए अपर महानिदेशक, रक्षा डाक सेवा (पीएसआई प्रकोष्ठ) को अग्रेषित करेंगे।

12. कार्यालय अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा में कार्रवाई

प्रस्ताव फार्म की भली-भांति जांच करना; जहां कहीं हस्ताक्षर चाहिए हों अथवा सहायक दस्तावेज अपेक्षित हों न होने पर फार्म वापिस भेजना; यदि प्रस्ताव स्वीकृति के लिए ठीक पाया जाए, तो स्वीकृति पत्र पालिसी दस्तावेज जारी करके आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना।

13. पीएलआई प्रीमियम और वेतन वसूली पालिसी के संबंध में संबंधित पीएओ से प्रीमिया की वसूली के लिए करार

संबंधित प्रस्तावक के व्यक्तिगत चालू बही खाते/मासिक वेतन खाते से जहां कहीं आवश्यक है, प्रीमियम/प्रीमिया की वसूली के लिए पीएओ द्वारा समेकित प्रतिलिपि शीट तैयार की जाती है और संबंधित पीएओ को इसे भेजा जाता है।

14. प्रथम प्रीमियम भुगतान का महत्व

जिस मामले में प्रस्तावक ने अपने वेतन एवं लेखा रखने वाले अधिकारी को अपने वेतन और भत्तों से कटौती करके प्रथम प्रीमियम की वसूली के लिए प्राधिकृत किया हो, वहां यह कटौती किसी महीने के आरंभ में की जाने के लिए नहीं छोड़ी जानी चाहिए। प्रस्तावक से अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा (डाक जीवन बीमा प्रकोष्ठ) के माध्यम से प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाने के बाद राशि को प्रस्तावक को दिये गए वेतन अग्रिम के रूप में समझना चाहिए और साथ ही साथ इसे सरकार के खाते में, प्रथम प्रीमियम की वसूली के रूप में जमा की गई राशि के रूप में दिखाना चाहिए। प्रस्तावक के साथ की गई बीमा संविदा किसी डाकघर में अथवा पोत या यूनिट के अग्रदाय लेखे में प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख और चालू खाता लेखा (आईआरएलए) में डेबिट की तारीख से प्रभावी होगा, भले ही तदनुरूपी राशि, सरकारी खाते में उस दिन जमा न की गई हो। प्रथम प्रीमियम का भुगतान होते ही पोस्टमास्टर (जिसमें बेस और फील्ड पोस्टमास्टर शामिल हैं) अग्रदाय लेखा के धारक अथवा उस अधिकारी को जिसने प्रथम प्रीमियम की वसूली वेतन से की हो, अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा को निर्धारित फार्म में, एक रिपोर्ट तत्काल भेजनी चाहिए। या तो डाकघर से या अग्रदाय-धारी से अथवा वेतन लेखा रखने वाले अधिकारी से, जैसा भी मामला हो, अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा (डाक जीवन बीमा प्रकोष्ठ) प्रस्तावक को पालिसी सीधे अथवा संबंधित प्रशिक्षण स्थापना के माध्यम से जारी करेगा और उसकी सुपुर्दगी की व्यवस्था करेगा। सभी मामलों में वेतन लेखा रखने वाले अधिकारियों को अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा द्वारा यह अनुदेश दिया जाएगा कि वे एक स्थायी व्यवस्था के रूप में दूसरे और अनुवर्ती प्रीमियमों की वसूली करें।

टिप्पणी 1 :- यदि पोस्टमास्टर अथवा अग्रदाय लेखाधारी को इस बात का पता हो कि प्रथम प्रीमियम देने वाला व्यक्ति, उस समय डाकघर बीमा निधि के फायदों में शामिल किये जाने का पात्र नहीं है, तो प्रथम प्रीमियम का भुगतान उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समान परिस्थितियों में, वेतन लेखा रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को वेतन आदि से प्रथम प्रीमियम की वसूली नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले में अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा को तथ्य की सूचना दी जानी चाहिए।

15. संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी प्रथम प्रीमियम के लिए पीएलआई वसूली अनुसूची और तिमाही आधार पर तदंतर प्रीमियम के लिए फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर को समाप्त तिमाहियों के लिए वर्ष के दिसम्बर, मार्च, जून और सितम्बर के प्रथम सप्ताह में अनुसूची भेजेंगे जिसकी एक प्रति अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा को भेजी जाएगी। अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा इस पर नजर रखेगा कि प्रत्येक पीएओ से अनुसूची समय पर प्राप्त हो जाए। डीपीएलआई, कोलकाता से प्राप्त अनुसूचियों की प्रमाणित प्रतियों का मिलान संबंधित पीएओ से प्राप्त अनुसूचियों की प्रतियों के साथ किया जाएगा और कोई अंतर पाए जाने पर उसका समाधान किया जाएगा।

16. डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 समान रूप से सेना डाक सेवा में डाक जीवन बीमा पालिसियों पर भी लागू होगी जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

शब्दावली

क्रम सं	राजपत्र अधिसूचना के ब्यौरे	विषय
1.	एस.ओ. सं. 722 में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-3/2005-एलआई दिनांक 06-01-2006 के तहत जारी अधिसूचना सं. 8 दिनांक 19-25 फरवरी, 2006 (भाग II खंड 3 उप खंड-ii)	बाल पालिसी की विशेषताएं
2.	एस.ओ. सं. 2046 में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-2/2003-एलआई दिनांक 01-07-2003 के तहत जारी अधिसूचना सं. 30 दिनांक 20-26 जुलाई, 2003 (भाग II खंड 3 उप खंड-ii)	एजेंसी प्रणाली की शुरुआत एवं कमीशन दरें
3.	एस.ओ. सं. 2634(ई) में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-2/2009-एलआई दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 के तहत जारी अधिसूचना सं. 1679 दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 {{भाग II खंड 3 उप खंड-{ii)}	सूचिबद्ध करने की प्रक्रिया एवं कमीशन दरों में संशोधन।
4.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 32-1/ 93-एलआई दिनांक 31-07-1997 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	संयुक्त जीवन बीमा की शुरुआत।
5.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-01/ 2010 दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 03 जून, 2010 {भाग-I खंड I)	मार्केटिंग स्टाफ एवं नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा।
6.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 12-2/ 93-एलआई दिनांक 24 सितंबर, 1993 (परिभाषा) के तहत जारी अधिसूचना सं. 2 दिनांक 08 जनवरी, 1994 (भाग-I खंड I)	अनुग्रह अवधि की परिभाषा
7.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 11-3/84-एलआई दिनांक 15 नवंबर, 1985 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा कवर के लिए पात्रता शर्तें। कवर किए गए नए ग्राहक।
8.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 11-1/83-एलआई दिनांक 1 अप्रैल, 1987 (पात्रता) के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा कवर के लिए पात्रता शर्तें। कवर किए गए नए ग्राहक।
9.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-57/88-एलआई दिनांक 21 अप्रैल, 1992 (पात्रता) के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा कवर के लिए पात्रता शर्तें। कवर किए गए नए ग्राहक।
10.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 11-1/83-एलआई दिनांक 20 मार्च, 1987 के तहत जारी अधिसूचना सं. 15 दिनांक 11 अप्रैल, 1987 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा कवर के लिए पात्रता शर्तें। कवर किए गए नए ग्राहक।
11.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-6/87-एलआई दिनांक 07 सितंबर, 1987 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	बीमित राशि की सीमाएं। न्यूनतम एवं अधिकतम संशोधित।

12.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-70/91-एलआई दिनांक 07 जनवरी, 1994 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	बीमित राशि की सीमाएं। न्यूनतम एवं अधिकतम संशोधित।
13.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-3/ 2003-एलआई दिनांक 05 अगस्त, 2003 के तहत जारी अधिसूचना सं. 36 दिनांक 31 अगस्त से 6 सितंबर, 2003 {(भाग II खंड 3 उप खंड-(ii)}	बीमित राशि की सीमाएं। न्यूनतम एवं अधिकतम संशोधित।
14.	एस.ओ. 1632 में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-3/2003-एलआई दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के तहत जारी अधिसूचना सं. 23 दिनांक 3-9 जून, 2007 (भाग II खंड 3 उप खंड-ii)	बीमित राशि की सीमाएं। न्यूनतम एवं अधिकतम संशोधित।
15.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-3/86-एलआई दिनांक 08 अक्तूबर, 1987 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	प्रीमियम तालिका में संशोधन।
16.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-6/87-एलआई दिनांक 11 मई, 1988 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	प्रीमियम तालिका में संशोधन।
17.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-6/87-एलआई दिनांक 02 दिसंबर, 1988 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	प्रीमियम तालिका में संशोधन।
18.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-6/87-एलआई दिनांक 30 जून, 1989 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	प्रीमियम तालिका में संशोधन।
19.	एस.ओ. सं. 2507 में डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-5/2003-एलआई दिनांक 18 अगस्त, 2003 के तहत जारी अधिसूचना सं. 36 दिनांक 31 अगस्त से 6 सितंबर {(भाग II खंड 3 उप खंड-(ii)}	प्रीमियम तालिका में संशोधन।
20.	पत्र सं. 5-1/94-एलआई दिनांक 15 मार्च, 1995 के तहत जारी अधिसूचना सं. 15 दिनांक 15 अप्रैल, 1995 (भाग-I खंड I)	ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत।
21.	एस.ओ. सं. 1595 में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 5-1/94-एलआई दिनांक 05 मई, 2003 (आरपीएलआई) के तहत जारी अधिसूचना सं. 23 दिनांक 07 जून, 2003 {(भाग II खंड 3 उप खंड-(ii)}	ग्रामीण डाक जीवन बीमा नियमित किया गया।
22.	एस.ओ. सं. 522 में शामिल डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 5-1/94-एलआई दिनांक 9 जनवरी, 2004 (आरपीएलआई) के तहत जारी अधिसूचना सं. 10 दिनांक 29 फरवरी से 06 मार्च, 2004 {(भाग II खंड 3 उप खंड-(ii)}	ग्रामीण डाक जीवन बीमा में अधिकतम आयु बढ़ाकर 55 कर दी गई।
23.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-1/2010 (आरपीएलआई) दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 03 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	गैर-चिकित्सा पालिसी से संबंधित ग्रामीण डाक जीवन बीमा की विशेषताओं में संशोधन।
24.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-1/2010 (आरपीएलआई) दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 03 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	गैर-मानक आयु प्रमाण से संबंधित ग्रामीण डाक जीवन बीमा की विशेषताओं में संशोधन।
25.	एस.ओ. 762 में डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-3/2003-एलआई दिनांक 23 फरवरी, 2007 के तहत जारी अधिसूचना सं. 11	ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई।

	दिनांक 11-17 मार्च, 2007 {(भाग II खंड 3 उप खंड-(ii)}	
26.	पत्र सं. 5-1/94-एलआई दिनांक मार्च, 1995 के तहत जारी अधिसूचना सं. 15 दिनांक 15 अप्रैल, 1995 (भाग-I खंड I)	10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत।
27.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-2/84-एलआई दिनांक 17 नवंबर, 1993 के तहत जारी अधिसूचना सं. 2 दिनांक 08 जनवरी, 1994 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा में गैर-चिकित्सा पालिसियों की शुरुआत।
28.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 26-82/89-एलआई दिनांक 20 अगस्त, 1997 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	विकलांग व्यक्ति पालिसी विशेषताएं।
29.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/85-एलआई दिनांक 19 नवंबर, 1985 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावकों के चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद।
30.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/85-एलआई दिनांक मई, 1985 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद
31.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/ 85-एलआई दिनांक 17 दिसंबर, 1992 के तहत जारी अधिसूचना सं.51 दिनांक नवंबर,2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद
32.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/ 85-एलआई दिनांक 17 दिसंबर, 1997 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद
33.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/ 85-एलआई दिनांक 11 मई, 1999 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद एवं शुल्क की दर।
34.	एस.ओ. सं. 13 {भाग II खंड 3(ii)} में डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/ 85-एलआई दिनांक 30 नवंबर, 2007 के तहत जारी अधिसूचना सं. 1 दिनांक 30 दिसंबर, 2007 से 5 जनवरी, 2008	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद
35.	एस.ओ. सं. 2980 {भाग II खंड 3(ii)} में डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 22-2/ 85-एलआई दिनांक 10 जुलाई, 2006 के तहत जारी अधिसूचना सं. 31 दिनांक 30 जुलाई से 5 अगस्त, 2006	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रस्तावक की चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा शुल्क।
36.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 29-22/ 84-एलआई दिनांक 3 अप्रैल, 2000 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	डाक जीवन बीमा पालिसी खरीदते समय रक्षा कर्मियों को चिकित्सा जांच से छूट।
37.	एस.ओ. सं. 998 {भाग II खंड 3(ii)} में डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 29-22/ 99-एलआई दिनांक 3 मार्च, 2004 के तहत जारी अधिसूचना सं. 17 दिनांक 18-24 अप्रैल, 2004	डाक जीवन बीमा पालिसी खरीदते समय अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों को चिकित्सा जांच से छूट
38.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 5-11/ 95-एलआई दिनांक 5 मई, 2003 (आरपीएलआई) के तहत जारी एस.ओ. सं. 1596 में शामिल अधिसूचना सं. 23 {भाग II खंड 3(ii)} दिनांक 7 जून, 2003	नामांकन नियमों में संशोधन तथा हत्या के मामलों में दावों के निपटान के लिए नया नियम जोड़ना।

39.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-1/ 2010 दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 23 दिनांक 3 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	न्यास के नामांकन एवं हत्या के मामलों के निपटान के संबंध में नामांकन नियम में संशोधन
40.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 19-90/ 87 - एलआई दिनांक सितंबर, 1987 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	पालिसी लेते समय प्रस्तावक द्वारा गलत सूचना देने अथवा तथ्यपरक सूचना दबाने के संबंध में संशोधन।
41.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 12-2/ 93- एलआई दिनांक 24 सितंबर, 1993 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	सारांशीकरण प्रीमियम जमा करने तथा पालिसी के लैप्स होने से संबंधित नियम संशोधन।
42.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-7/ 85- एलआई दिनांक 16 जनवरी, 1987 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	पालिसी के भुगतान, पालिसी के अभ्यर्पण एवं पालिसीधारक की विदेश में मृत्यु होने पर दावों से संबंधित नियम में संशोधन।
43.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-1/ 2010 दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 3 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	परिवर्तन एवं अभ्यर्पण से संबंधित नियम में संशोधन।
44.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 19-275/87- एलआई दिनांक 03 अगस्त, 1990 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	परिपक्वता एवं मृत्यु के मामलों में देरी से किए जाने वाले भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान।
45.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-1/92- एलआई दिनांक 1 दिसंबर, 1993 के तहत जारी अधिसूचना सं. 2 दिनांक 8 जनवरी, 1994 (भाग-I खंड I)	पालिसी का समाप्त होना तथा पुन:प्रवर्तन।
46.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-1/92- एलआई दिनांक 31 दिसंबर, 1996 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	पालिसी का समाप्त होना तथा पुन:प्रवर्तन।
47.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 23-1/92- एलआई दिनांक 13 जनवरी, 1997 के तहत जारी अधिसूचना सं. 6 दिनांक 8 फरवरी, 1997 (भाग-I खंड I)	पालिसी का समाप्त होना तथा पुन:प्रवर्तन।
48.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-01/ 2010 दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 03 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	पालिसी का समाप्त होना तथा पुन:प्रवर्तन।
49.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 25-01/ 2010 दिनांक 21 मई, 2010 के तहत जारी अधिसूचना सं. 148 दिनांक 03 जून, 2010 (भाग-I खंड I)	ऋण के मामलों को निपटाते समय बोनस के भुगतान से संबंधित नियम।
50.	डाक जीवन बीमा निदेशालय के पत्र सं. 9-62/93- एलआई दिनांक 5 अगस्त, 1994 के तहत जारी अधिसूचना सं. 51 दिनांक 18-24 दिसंबर, 2010 (भाग-I खंड I)	आत्महत्या के मामलों का निपटान।

तालिका - 1 डाक जीवन बीमा

डाकघर बीमा निधि - 4 अगस्त, 2003 से लागू प्रीमियम

(5000/- रुपये के बीमा के लिए मासिक प्रीमियम)

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु			प्रवेश के समय आयु
	55 वर्ष	58 वर्ष	60 वर्ष	
19	8	7	7	19
20	8	8	7	20
21	8	8	8	21
22	8	8	8	22
23	9	8	8	23
24	9	9	8	24
25	9	9	9	25
26	9	9	9	26
27	10	9	9	27
28	10	10	9	28
29	11	10	10	29
30	11	11	10	30
31	12	11	11	31
32	12	12	11	32
33	13	12	12	33
34	14	13	12	34
35	14	13	13	35
36	15	14	13	36
37	16	15	14	37
38	17	16	15	38
39	18	16	16	39
40	19	17	16	40
41	21	18	17	41
42	23	20	18	42
43	25	21	19	43
44	27	23	21	44
45	30	24	22	45
46	33	27	24	46
47	38	29	26	47
48	42	32	28	48
49	49	35	30	49
50	59	40	33	50
51		49	41	51
52		57	46	52
53		67	52	53
54			59	54
55			70	55

तालिका - II डाक जीवन बीमा

डाकघर बीमा निधि - 4 अगस्त, 2003 से लागू प्रीमियम

बंदोबस्ती बीमा

(5000/- रुपये के बीमा के लिए मासिक प्रीमियम)

प्रवेश के समय आयु	परिपक्वता की आयु							प्रवेश के समय आयु
	35	40	45	50	55	58	60	
19	26	19	15	12	10	9	9	19
20	27	20	16	13	10	10	9	20
21	29	21	16	13	11	10	9	21
22	32	22	17	14	11	10	10	22
23	35	24	18	14	12	10	10	23
24	38	26	19	15	12	11	10	24
25	42	27	20	16	13	11	11	25
26	47	29	21	16	13	12	11	26
27	53	32	22	17	14	12	12	27
28	61	35	24	18	14	13	12	28
29	72	38	26	19	15	13	13	29
30	86	42	28	20	16	14	13	30
31		47	30	21	17	15	14	31
32		53	32	23	17	15	14	32
33		61	35	24	18	16	15	33
34		72	38	26	19	17	15	34
35		86	42	28	20	18	16	35
36			47	30	22	19	17	36
37			53	32	23	20	18	37
38			61	35	25	21	19	38
39			72	39	26	22	20	39
40			87	43	28	23	21	40
41				48	30	25	22	41
42				54	33	27	24	42
43				62	36	29	25	43
44				72	39	31	27	44
45				87	43	33	29	45
46					48	36	31	46
47					55	40	34	47
48					63	44	37	48
49					73	49	40	49
50					88	55	44	50
51						65	52	51
52						75	59	52
53						89	66	53
54							76	54
55							90	55

तालिका -III डाक जीवन बीमा

प्रीमियम सारणी

परिवर्तनीय आजीवन बीमा

5000/- रुपये के बीमा के लिए मासिक प्रीमियम तालिका, निर्दिष्ट आयु में परिपक्व होने वाली पालिसी को इसके प्रारम्भ के 5 वर्ष की समाप्ति पर बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ मृत्यु होने पर भुगतान

प्रवेश के समय आयु	प्रथम 5 वर्ष के लिए मासिक प्रीमियम देय और इसके पश्चात यदि विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन 60 वर्ष की आयु पर समाप्त (रुपये में)	प्रथम 5 वर्ष के लिए मासिक प्रीमियम देय और इसके पश्चात यदि 50, 55 अथवा 58 वर्ष में परिपक्वता पर बंदोबस्ती में परिवर्तित करने का विकल्प का प्रयोग नहीं किया है (प्रीमियम रुपये में)		
		50 वर्ष	55 वर्ष	58 वर्ष
19	7	14	11	10
20	7	15	11	11
21	8	15	12	11
22	8	16	12	11
23	8	16	13	11
24	8	18	13	12
25	9	19	15	12
26	9	19	15	13
27	9	21	16	13
28	9	22	16	15
29	10	23	17	15
30	10	25	19	16
31	11	26	20	17
32	11	30	20	17
33	12	31	21	18
34	12	35	22	19
35	13	39	24	20
36	13	43	27	22
37	14	47	28	23
38	15	54	31	24
39	16	64	33	25
40	16	77	36	27
41	17	96	40	30
42	18	126	46	33
43	19	188	52	36
44	21	364	58	39
45	22	-	69	42
46	24	-	85	47
47	26	-	113	55
48	28	-	166	64
49	30	-	319	78
50	33	-	-	99

तालिका – IV प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

डाक जीवन बीमा

5000/- रुपये के बीमा के लिए देय मासिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	15 वर्ष की अवधि की पालिसी रुपये	प्रवेश के समय आयु	20 वर्ष की अवधि की पालिसी रुपये
19 से 36 वर्ष	33/- रुपये	19 से 33 वर्ष	25/- रुपये
37 से 42 वर्ष	34/- रुपये	34 से 39 वर्ष	26/- रुपये
43 से 45 वर्ष	35/- रुपये	40 वर्ष	27/- रुपये

तालिका - V - डाक जीवन बीमा

युगल सुरक्षा के लिए प्रति 10,000 रुपये की बीमित राशि पर मासिक प्रीमियम

संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा के निबंधन															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	60	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	60	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	65	60	55	52	48	45	42
191	159	136	118	105	93	84	77	70	65	60	55	52	48	45	42
191	159	136	118	105	94	84	77	70	65	60	56	52	48	45	43
191	159	136	118	105	94	85	77	70	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	118	105	94	85	77	71	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	118	105	94	85	77	71	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	119	105	94	85	77	71	65	61	56	53	49	46	44
191	159	136	119	105	94	85	78	71	66	61	57	53	50	47	44
191	159	136	119	105	94	85	78	71	66	61	57	53	50	47	44
191	159	136	119	105	94	86	78	71	66	61	57	54	50	47	45

191	159	136	119	106	95	86	78	72	66	62	58	54	51	48	45
191	160	137	119	106	95	86	79	72	67	62	58	54	51	48	46
191	160	137	120	106	95	86	79	73	67	63	58	55	52	49	47
192	160	137	120	106	96	87	79	73	68	63	59	56	52	50	47
192	160	137	120	107	96	87	80	74	68	64	60	56	53	51	
193	161	138	121	107	97	88	80	74	69	64	60	57	54		
193	161	138	121	108	97	88	81	75	70	65	61	58			
193	161	139	122	108	98	89	82	76	70	66	62				
194	162	139	122	109	98	90	83	76	71	67					

बीमा के लिए न्यूनतम प्रस्तावित राशि Rs.20,000/- रुपये है।

बीमा के लिए प्रस्तावित राशि 10,000/- रुपये के गुणक में होगी।

20,000/- रुपये से अधिक की बीमित राशि के लिए मासिक प्रीमियम की गणना तालिका में दिए अनुसार 10,000/- रुपये के लिए मासिक प्रमियम के आधार पर प्रोराटा आधार पर होगी। 40,000/- रुपये की बीमित राशि पर 1/- रुपये और 40,000/- रुपये से अधिक प्रति 10,000/- रुपये पर 1/- रुपये की छूट दी जाएगी।

तालिका - VI

डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

1000/- रुपये की बीमित राशि की लाभ पालिसी के साथ बच्चों के लिए अतिरिक्त लाभ

प्रवेश के समय आयु ..... परिपक्वता पर आयु .....

	18	19	20	21	22	23	24	25
5	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36	6.13	5.92
6	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36	6.13
7	9.33	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36
8	10.11	9.33	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63
9	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.67	7.28	6.93
10	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.68	7.28
11	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.68
12	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13
13	18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68
14		18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33
15			18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11
16				18.88	15.94	13.85	12.28	11.07
17					18.88	15.94	13.85	12.28
18						18.88	15.94	13.85
19							18.88	15.94
20								18.88

तालिका - VII - ग्रामीण जीवन बीमा योजना

आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर मासिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु			प्रवेश के समय आयु
	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	1.50	1.45	1.40	19
20	1.55	1.5	1.45	20
21	1.6	1.55	1.5	21
22	1.65	1.6	1.55	22
23	1.7	1.65	1.6	23
24	1.75	1.7	1.65	24
25	1.8	1.75	1.7	25
26	1.85	1.8	1.75	26
27	1.95	1.85	1.8	27
28	2.05	1.9	1.85	28
29	2.15	2	1.95	29
30	2.25	2.1	2.05	30
31	2.35	2.2	2.1	31
32	2.45	2.3	2.2	32
33	2.55	2.4	2.3	33
34	2.7	2.5	2.4	34
35	2.85	2.65	2.5	35
36	3	2.8	2.65	36
37	3.2	2.95	2.8	37
38	3.4	3.1	2.95	38
39	3.6	3.25	3.1	39
40	3.85	3.45	3.25	40
41	4.15	3.65	3.45	41
42	4.5	3.9	3.65	42
43	4.9	4.2	3.85	43
44	5.35	4.5	4.1	44
45	5.9	4.85	4.4	45
46	6.55	5.3	4.75	46
47	7.35	5.8	5.15	47
48	8.4	6.35	5.55	48
49	9.8	7.05	6.05	49
50	11.75	7.9	6.65	50
51		9.8	8.27	51
52		11.3	9.21	52
53		13.34	10.37	53
54			11.89	54
55			13.98	55

तालिका - VII - ग्रामीण जीवन बीमा योजना

आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर तिमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु			प्रवेश के समय आयु
	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	4.35	4.2	4.05	19
20	4.5	4.35	4.2	20
21	4.65	4.5	4.35	21
22	4.8	4.65	4.5	22
23	4.95	4.8	4.65	23
24	5.1	4.95	4.8	24
25	5.25	5.1	4.95	25
26	5.4	5.25	5.1	26
27	5.7	5.4	5.25	27
28	6	5.55	5.4	28
29	6.3	5.85	5.7	29
30	6.6	6.15	6	30
31	6.9	6.45	6.15	31
32	7.2	6.75	6.45	32
33	7.5	7.05	6.75	33
34	7.95	7.35	7.05	34
35	8.4	7.8	7.35	35
36	8.85	8.25	7.8	36
37	9.45	8.7	8.25	37
38	10.05	9.15	8.7	38
39	10.65	9.6	9.15	39
40	11.4	10.2	9.6	40
41	12.3	10.8	10.2	41
42	13.35	11.55	10.8	42
43	14.55	12.45	11.4	43
44	15.9	13.35	12.15	44
45	17.55	14.4	13.05	45
46	19.5	15.69	14.06	46
47	21.76	17.17	15.24	47
48	24.86	18.8	16.43	48
49	29	20.87	17.91	49
50	34.78	23.38	19.68	50
51		29.01	24.48	51
52		33.45	27.26	52
53		39.49	30.7	53
54			35.19	54
55			41.38	55

तालिका - VII - ग्रामीण जीवन बीमा योजना

आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर छमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु			प्रवेश के समय आयु
	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	8.45	8.15	7.85	19
20	8.75	8.45	8.15	20
21	9.05	8.75	8.45	21
22	9.35	9.05	8.75	22
23	9.65	9.35	9.05	23
24	9.95	9.65	9.35	24
25	10.25	9.95	9.65	25
26	10.55	10.25	9.95	26
27	11.15	10.55	10.25	27
28	11.75	10.85	10.55	28
29	12.35	11.45	11.15	29
30	12.95	12.05	11.75	30
31	13.55	12.65	12.05	31
32	14.15	13.25	12.65	32
33	14.75	13.85	13.25	33
34	15.65	14.45	13.85	34
35	16.55	15.35	14.45	35
36	17.45	16.25	15.35	36
37	18.65	17.15	16.25	37
38	19.85	18.05	17.15	38
39	21.05	18.95	18.05	39
40	22.55	20.15	18.95	40
41	24.35	21.35	20.15	41
42	26.45	22.85	21.35	42
43	28.85	24.65	22.55	43
44	31.55	26.45	24.05	44
45	34.85	28.55	25.85	45
46	38.75	31.06	27.84	46
47	43.07	33.99	30.18	47
48	49.22	37.21	32.52	48
49	57.43	41.31	35.45	49
50	68.86	46.29	38.97	50
51		57.43	48.46	51
52		66.22	53.97	52
53		78.17	60.77	53
54			69.68	54
55			81.92	55

तालिका - VII ग्रामीण जीवन बीमा योजना

आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर वार्षिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु			प्रवेश के समय आयु
	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	15.95	15.35	14.75	19
20	16.55	15.95	15.35	20
21	17.15	16.55	15.95	21
22	17.75	17.15	16.55	22
23	18.35	17.75	17.15	23
24	18.95	18.35	17.75	24
25	19.55	18.95	18.35	25
26	20.15	19.55	18.95	26
27	21.35	20.15	19.55	27
28	22.55	20.75	20.15	28
29	23.75	21.95	21.35	29
30	24.95	23.15	22.55	30
31	26.15	24.35	23.15	31
32	27.35	25.55	24.35	32
33	28.55	26.75	25.55	33
34	30.35	27.95	26.75	34
35	32.15	29.75	27.95	35
36	33.95	32.26	29.75	36
37	36.35	33.35	31.55	37
38	38.75	35.15	33.35	38
39	41.15	36.95	35.15	39
40	44.15	39.35	36.95	40
41	47.75	41.75	39.35	41
42	51.95	44.75	41.75	42
43	56.75	48.35	44.15	43
44	62.15	51.95	47.15	44
45	68.75	56.15	50.75	45
46	75.46	61.06	54.72	46
47	84.67	66.82	59.33	47
48	96.77	73.15	63.94	48
49	112.9	81.22	69.7	49
50	135.36	91.01	76.61	50
51		112.9	95.27	51
52		130.18	106.1	52
53		153.68	119.46	53
54			136.97	54
55			161.05	55

तालिका – VIII - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

परिवर्तनीय आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर मासिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रथम पाँच वर्षों में और तदन्तर देय मासिक प्रीमियम यदि विकल्प नहीं दिया गया लेकिन 60 वर्ष की आयु पर समाप्त	प्रथम पाँच वर्षों के पश्चात देय मासिक प्रीमियम यदि पालिसी को परिपक्वता आयु पर बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करने का विकल्प दिया है।				प्रवेश के समय आयु
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	1.40	2.8	2.3	2.05	1.95	19
20	1.45	2.95	2.4	2.15	2	20
21	1.5	3.1	2.5	2.25	2.1	21
22	1.55	3.25	2.6	2.35	2.2	22
23	1.6	3.4	2.7	2.45	2.3	23
24	1.65	3.6	2.85	2.55	2.4	24
25	1.7	3.8	3	2.65	2.5	25
26	1.75	4	3.15	2.75	2.6	26
27	1.8	4.25	3.3	2.9	2.7	27
28	1.85	4.5	3.45	3.05	2.8	28
29	1.95	4.8	3.65	3.2	2.9	29
30	2.05	5.15	3.85	3.35	3.05	30
31	2.1	5.5	4.05	3.5	3.2	31
32	2.2.	5.95	4.3	3.7	3.35	32
33	2.3	6.45	4.6	3.9	3.55	33
34	2.4	7	4.9	4.15	3.75	34
35	2.5	7.7	5.2	4.4	3.95	35
36	2.65	8.5	5.6	4.65	4.2	36
37	2.8	9.5	6.05	4.95	4.45	37
38	2.95	10.75	6.55	5.3	4.7	38
39	3.1	12.35	7.15	5.7	5	39
40	3.25	14.45	7.8	6.15	5.35	40
41	3.45		8.85	6.65	5.75	41
42	3.65		9.65	7.25	6.2	42
43	3.85		10.9	7.95	6.75	43
44	4.1		12.5	8.75	7.3	44
45	4.4		14.6	9.75	8	45

तालिका – VIII - ग्रामीण डाक जीवन बीमा
परिवर्तनीय आजीवन बीमा योजना
प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर तिमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रथम पाँच वर्षों में और तदन्तर देय मासिक प्रीमियम यदि विकल्प नहीं दिया गया लेकिन 60 वर्ष की आयु पर समाप्त	प्रथम पाँच वर्षों के पश्चात देय मासिक प्रीमियम यदि पालिसी को परिपक्वता आयु पर बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करने का विकल्प दिया है।				प्रवेश के समय आयु
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	4.05	8.25	6.75	6	5.7	19
20	4.2	8.7	7.05	6.3	5.85	20
21	4.35	9.15	7.35	6.6	6.15	21
22	4.5	9.6	7.65	6.9	6.45	22
23	4.65	10.05	7.95	7.2	6.75	23
24	4.8	10.65	8.4	7.5	7.05	24
25	4.95	11.25	8.85	7.8	7.35	25
26	5.1	11.85	9.3	8.1	7.65	26
27	5.25	12.6	9.75	8.55	7.95	27
28	5.4	13.35	10.2	9	8.25	28
29	5.7	14.25	10.8	9.45	8.55	29
30	6	15.3	11.4	9.9	9	30
31	6.15	16.35	12	10.35	9.45	31
32	6.45	17.7	12.75	10.95	9.9	32
33	6.75	19.2	13.65	11.55	10.5	33
34	7.05	20.85	14.55	12.3	11.1	34
35	7.35	22.95	15.45	13.05	11.7	35
36	7.8	25.35	16.65	13.8	12.45	36
37	8.25	28.35	18	14.7	13.2	37
38	8.7	32.1	19.5	15.75	13.95	38
39	9.15	36.9	21.3	16.95	14.85	39
40	9.6	43.2	23.25	18.3	14.9	40
41	10.2		25.8	19.8	17.1	41
42	10.8		28.8	21.6	18.45	42
43	11.4		32.55	23.7	20.1	43
44	12.15		37.35	26.1	21.75	44
45	13.05		43.65	29.1	23.85	45

तालिका – VIII - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

परिवर्तनीय आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर छमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रथम पाँच वर्षों में और तदन्तर देय मासिक प्रीमियम यदि विकल्प नहीं दिया गया लेकिन 60 वर्ष की आयु पर समाप्त	प्रथम पाँच वर्षों के पश्चात देय मासिक प्रीमियम यदि पालिसी को परिपक्वता आयु पर बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करने का विकल्प दिया है।				प्रवेश के समय आयु
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	7.85	16.25	13.25	11.75	11.15	19
20	8.15	17.15	13.85	12.35	11.45	20
21	8.45	18.05	14.45	12.95	12.05	21
22	8.75	18.95	15.05	13.55	12.65	22
23	9.05	19.85	15.65	14.15	13.25	23
24	9.35	21.05	16.55	14.75	13.85	24
25	9.65	22.25	17.45	15.35	14.45	25
26	9.95	23.45	18.35	15.95	15.05	26
27	10.25	24.95	19.25	16.85	15.65	27
28	10.55	26.45	20.15	17.75	16.25	28
29	11.15	28.25	21.35	18.65	16.85	29
30	11.75	30.25	22.55	19.55	17.75	30
31	12.05	32.45	23.75	20.45	18.65	31
32	12.65	35.15	25.25	21.65	19.55	32
33	13.25	38.15	27.05	22.85	20.75	33
34	13.85	41.45	28.85	24.35	21.95	34
35	14.45	45.65	30.65	25.85	23.15	35
36	15.35	50.45	33.05	27.35	24.65	36
37	16.25	56.45	35.75	29.15	26.15	37
38	17.15	63.95	38.75	31.25	27.65	38
39	18.05	73.55	42.35	33.95	29.45	39
40	18.95	86.15	46.25	36.35	31.55	40
41	20.15		51.35	39.35	33.95	41
42	21.35		57.35	42.95	36.65	42
43	22.55		64.85	47.15	39.95	43
44	24.05		74.45	51.95	43.25	44
45	25.85		87.05	57.95	47.45	45

तालिका – VIII - ग्रामीण डाक जीवन बीमा
परिवर्तनीय आजीवन बीमा योजना
प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर वार्षिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रथम पाँच वर्षों में और तदन्तर देय मासिक प्रीमियम यदि विकल्प नहीं दिया गया लेकिन 60 वर्ष की आयु पर समाप्त	प्रथम पाँच वर्षों के पश्चात देय मासिक प्रीमियम यदि पालिसी को परिपक्वता आयु पर बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करने का विकल्प दिया है।				प्रवेश के समय आयु
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	14.75	31.55	25.55	22.55	21.35	19
20	15.35	33.35	26.75	23.75	21.95	20
21	15.95	35.15	27.95	24.95	23.15	21
22	16.55	36.95	29.15	26.15	24.35	22
23	17.15	38.75	30.35	27.35	25.55	23
24	17.75	41.15	32.15	28.55	26.75	24
25	18.35	43.55	33.95	29.75	27.95	25
26	18.95	45.95	35.75	30.95	29.15	26
27	19.55	48.95	37.55	32.75	30.35	27
28	20.15	51.95	39.35	34.55	31.55	28
29	21.35	55.55	41.75	36.55	32.75	29
30	22.55	59.75	44.15	38.15	34.55	30
31	23.15	63.95	46.55	39.95	36.35	31
32	24.35	69.35	49.55	42.35	38.15	32
33	25.55	75.35	53.15	44.75	40.55	33
34	26.75	81.95	56.75	47.75	42.95	34
35	27.95	90.35	60.35	50.75	45.35	35
36	29.75	99.95	65.15	53.75	48.35	36
37	31.55	111.95	70.55	57.35	51.35	37
38	33.35	126.95	76.55	61.55	54.35	38
39	35.15	146.00	83.75	66.35	57.95	39
40	36.95	171.35	91.55	71.75	62.15	40
41	39.35		101.75	77.75	66.95	41
42	41.75		113.75	84.95	72.35	42
43	44.15		128.75	93.35	78.95	43
44	47.15		147.95	102.95	85.55	44
45	50.75		173.15	114.95	93.55	45

तालिका – IX - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

बंदोबस्ती आजीवन बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर मासिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु							प्रवेश के समय आयु
	35 रु. पैसे	40 रु. पैसे	45 रु. पैसे	50 रु. पैसे	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	5.10	3.75	2.95	2.4	2	1.85	1.75	19
20	5.45	3.95	3.1	2.5	2.05	1.9	1.8	20
21	5.85	4.2	3.25	2.6	2.1	1.95	1.85	21
22	6.35	4.45	3.4	2.7	2.2	2	1.9	22
23	6.95	4.75	3.55	2.8	2.3	2.05	1.95	23
24	7.6	5.1	3.75	2.95	2.4	2.15	2	24
25	8.4	5.45	3.95	3.1	2.5	2.25	2.1	25
26	9.4	5.85	4.2	3.25	2.6	2.35	2.2	26
27	10.65	6.35	4.45	3.4	2.7	2.45	2.3	27
28	12.2	6.95	4.75	3.6	2.85	2.55	2.4	28
29	14.3	7.6	5.1	3.8	3	2.65	2.5	29
30	17.25	8.4	5.5	4	3.15	2.75	2.6	30
31		9.4	5.9	4.25	3.3	2.9	2.7	31
32		10.65	6.4	4.5	3.45	3.05	2.8	32
33		12.2	6.95	4.8	3.65	3.2	2.9	33
34		14.3	7.65	5.15	3.85	3.35	3.05	34
35		17.25	8.45	5.5	4.05	3.5	3.2	35
36			9.45	5.95	4.3	3.7	3.35	36
37			10.65	6.45	4.6	3.9	3.55	37
38			12.25	7	4.9	4.15	3.75	38
39			14.35	7.7	5.2	4.4	3.95	39
40			17.3	8.5	5.6	4.65	4.2	40
41				9.5	6.05	4.95	4.45	41
42				10.75	6.55	5.3	4.7	42
43				12.35	7.15	5.7	5	43
44				14.45	7.8	6.15	5.35	44
45				17.4	8.65	6.65	5.75	45
46					9.65	7.25	6.2	46
47					10.9	7.95	6.75	47
48					12.5	8.75	7.3	48
49					14.6	9.75	8	49
50					17.55	11	8.85	50
51						13.06	10.49	51
52						15.07	11.71	52
53						17.84	13.24	53
54							15.25	54
55							18.01	55

तालिका – IX - ग्रामीण डाक जीवन बीमा
बंदोबस्ती बीमा योजना
प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर तिमाही प्रीमियम

प्रीमियम समाप्ति की आयु

प्रवेश के समय आयु	35 रु. पैसे	40 रु. पैसे	45 रु. पैसे	50 रु. पैसे	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	प्रवेश के समय आयु
19	15.15	11.1	8.7	7.05	5.85	5.4	5.1	19
20	16.2	11.7	9.15	7.35	6.00	5.55	5.25	20
21	17.4	12.45	9.6	7.65	6.15	5.7	5.4	21
22	18.9	13.2	10.05	7.95	6.45	5.85	5.55	22
23	20.7	14.1	10.5	8.25	6.75	6.00	5.7	23
24	22.65	15.15	11.1	8.7	7.05	6.3	5.85	24
25	25.05	16.2	11.7	9.15	7.35	6.6	6.15	25
26	28.05	17.4	12.45	9.6	7.65	6.9	6.45	26
27	31.8	18.9	13.2	10.05	7.95	7.2	6.75	27
28	36.45	20.7	14.1	10.65	8.4	7.5	7.05	28
29	42.75	22.65	15.15	11.25	8.85	7.8	7.35	29
30	51.6	25.05	16.2	11.85	9.3	8.1	7.65	30
31		28.05	17.55	12.6	9.75	8.55	7.95	31
32		31.8	19.05	13.35	10.2	9.00	8.25	32
33		36.45	20.7	14.25	10.8	9.45	8.55	33
34		42.75	22.8	15.3	11.4	9.9	9.00	34
35		51.6	25.2	16.35	12.00	10.35	9.45	35
36			28.2	17.7	12.75	10.95	9.9	36
37			31.8	19.2	13.65	11.55	10.5	37
38			36.6	20.85	14.55	12.3	11.1	38
39			42.9	22.95	15.45	13.05	11.7	39
40			51.75	25.35	16.65	13.8	12.45	40
41				28.35	18.00	14.7	13.2	41
42				32.1	19.5	15.75	13.95	42
43				36.9	21.3	16.95	14.85	43
44				43.2	23.25	18.3	15.9	44
45				52.05	25.8	19.8	17.1	45
46					28.56	21.46	18.35	46
47					32.26	23.53	19.98	47
48					37.00	25.9	21.61	48
49					43.22	28.86	23.68	49
50					51.95	32.56	26.2	50
51						38.66	31.05	51
52						44.61	34.66	52
53						52.81	39.19	53
54							45.14	54
55							53.31	55

तालिका – IX - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

बंदोबस्ती बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर छमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु						
	35 रु. पैसे	40 रु. पैसे	45 रु. पैसे	50 रु. पैसे	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे
19	30.05	21.95	17.15	13.85	11.45	10.55	9.95
20	32.15	23.15	18.05	14.45	11.75	10.85	10.25
21	34.55	24.65	18.95	15.05	12.05	11.15	10.55
22	37.55	26.15	19.85	15.65	12.65	11.45	10.85
23	41.15	27.95	20.75	16.25	13.25	11.75	11.15
24	45.05	30.05	21.95	17.15	13.85	12.35	11.45
25	49.85	32.15	23.15	18.05	14.45	12.95	12.05
26	55.85	34.55	24.65	18.95	15.05	13.55	12.65
27	63.35	37.55	26.15	19.85	15.65	14.15	13.25
28	72.65	41.15	27.95	21.05	16.55	14.75	13.85
29	85.25	45.05	30.05	22.25	17.45	15.35	14.45
30	102.95	49.85	32.23	23.45	18.35	15.95	15.05
31		55.85	34.85	24.95	19.25	16.85	15.65
32		63.35	37.85	26.45	20.15	17.75	16.25
33		72.65	41.15	28.25	21.35	18.65	16.85
34		85.25	45.35	30.35	22.55	19.55	17.75
35		102.95	50.15	32.45	23.75	20.45	18.65
36			56.15	35.15	25.25	21.65	19.55
37			63.35	38.15	27.05	22.85	20.75
38			72.95	41.45	28.85	24.35	21.95
39			85.55	45.65	30.65	25.85	23.15
40			103.25	50.45	33.05	27.35	24.65
41				56.45	35.75	29.15	26.15
42				63.95	38.75	31.25	27.65
43				73.55	42.35	33.65	29.45
44				86.15	46.25	36.35	31.55
45				103.85	51.35	39.35	33.95
46					56.55	42.49	36.33
47					63.87	46.59	39.56
48					73.25	51.28	42.78
49					85.56	57.14	46.88
50					102.84	64.46	51.86
51						76.53	61.47
52						88.31	68.62
53						104.54	77.59
54							89.37
55							105.54

तालिका – IX - ग्रामीण डाक जीवन बीमा
बंदोबस्ती बीमा योजना
प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर वार्षिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु							प्रवेश के समय आयु
	35 रु. पैसे	40 रु. पैसे	45 रु. पैसे	50 रु. पैसे	55 रु. पैसे	58 रु. पैसे	60 रु. पैसे	
19	59.15	42.95	33.35	26.75	21.95	20.15	18.95	19
20	63.35	45.35	35.15	27.95	22.55	20.75	19.55	20
21	68.15	48.35	36.95	29.15	23.15	21.35	20.15	21
22	74.15	51.35	38.75	30.35	24.35	21.95	20.75	22
23	81.35	54.95	40.55	31.55	25.55	22.55	21.35	23
24	89.15	59.15	42.95	33.35	26.75	23.75	21.95	24
25	98.75	63.35	45.35	35.15	27.95	24.95	23.15	25
26	110.75	68.15	48.35	36.95	29.15	26.15	24.35	26
27	125.75	74.15	51.35	38.75	30.35	27.35	25.55	27
28	144.35	81.35	54.95	41.15	32.15	28.55	26.75	28
29	169.55	89.15	59.15	43.55	33.95	29.75	27.95	29
30	204.95	98.75	63.35	45.95	35.75	30.95	29.15	30
31		110.75	68.75	48.95	37.55	32.75	30.35	31
32		125.75	74.75	51.95	39.35	34.55	31.55	32
33		144.35	81.35	55.55	41.75	36.35	32.75	33
34		169.55	89.75	59.75	44.15	38.15	34.55	34
35		204.95	99.35	63.95	46.55	39.95	36.55	35
36			111.35	69.35	49.55	42.35	38.15	36
37			125.75	75.35	53.15	44.75	40.55	37
38			144.95	81.95	56.75	47.75	42.95	38
39			170.15	90.35	60.35	50.75	45.35	39
40			205.55	99.95	65.15	53.75	48.35	40
41				111.95	70.55	57.35	51.35	41
42				126.95	76.55	61.55	54.35	42
43				146.15	83.75	66.35	57.95	43
44				171.35	91.55	71.75	62.15	44
45				206.75	101.75	77.75	66.95	45
46					111.17	83.52	71.42	46
47					125.57	91.58	77.76	47
48					144	100.8	84.1	48
49					168.19	112.32	92.16	49
50					202.18	126.72	101.95	50
51						150.45	120.84	51
52						173.61	134.9	52
53						205.52	152.52	53
54							175.68	54
55							207.48	55

तालिका – X - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर मासिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु		प्रवेश के समय आयु
	15 वर्ष रु. पैसे	20 वर्ष रु. पैसे	
19	6.55	4.95	19
20	6.55	4.95	20
21	6.55	4.95	21
22	6.55	4.95	22
23	6.55	4.95	23
24	6.55	4.95	24
25	6.55	4.95	25
26	6.55	5.00	26
27	6.55	5.00	27
28	6.55	5.00	28
29	6.55	5.00	29
30	6.60	5.00	30
31	6.60	5.05	31
32	6.60	5.05	32
33	6.60	5.05	33
34	6.60	5.10	34
35	6.65	5.10	35
36	6.65	5.15	36
37	6.70	5.15	37
38	6.70	5.20	38
39	6.75	5.25	39
40	6.75	5.30	40

तालिका – X - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर तिमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु		प्रवेश के समय आयु
	15 वर्ष रु. पैसे	20 वर्ष रु. पैसे	
19	19.50	14.70	19
20	19.50	14.70	20
21	19.50	14.70	21
22	19.50	14.70	22
23	19.50	14.70	23
24	19.50	14.70	24
25	19.50	14.70	25
26	19.50	14.85	26
27	19.50	14.85	27
28	19.50	14.85	28
29	19.50	14.85	29
30	19.65	14.85	30
31	19.65	15.00	31
32	19.65	15.00	32
33	19.65	15.00	33
34	19.65	15.15	34
35	19.80	15.15	35
36	19.80	15.30	36
37	19.95	15.30	37
38	19.95	15.45	38
39	20.10	15.60	39
40	20.10	15.75	40

तालिका – X -- ग्रामीण डाक जीवन बीमा

प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर छमाही प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु		प्रवेश के समय आयु
	15 वर्ष रु. पैसे	20 वर्ष रु. पैसे	
19	38.75	29.15	19
20	38.75	29.15	20
21	38.75	29.15	21
22	38.75	29.15	22
23	38.75	29.15	23
24	38.75	29.15	24
25	38.75	29.15	25
26	38.75	29.45	26
27	38.75	29.45	27
28	38.75	29.45	28
29	38.75	29.45	29
30	39.05	29.45	30
31	39.05	29.75	31
32	39.05	29.75	32
33	39.05	29.75	33
34	39.05	30.05	34
35	39.35	30.05	35
36	39.35	30.05	36
37	39.65	30.35	37
38	39.65	30.65	38
39	39.95	30.95	39
40	39.95	31.25	40

तालिका – X - ग्रामीण डाक जीवन बीमा

प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

प्रति 1000/- रुपये बीमित राशि पर वार्षिक प्रीमियम

प्रवेश के समय आयु	प्रीमियम समाप्ति की आयु		प्रवेश के समय आयु
	15 वर्ष रु. पैसे	20 वर्ष रु. पैसे	
19	76.55	57.35	19
20	76.55	57.35	20
21	76.55	57.35	21
22	76.55	57.35	22
23	76.55	57.35	23
24	76.55	57.35	24
25	76.55	57.35	25
26	76.55	57.95	26
27	76.55	57.95	27
28	76.55	57.95	28
29	76.55	57.95	29
30	77.15	57.95	30
31	77.15	58.55	31
32	77.15	58.55	32
33	77.15	58.55	33
34	77.15	59.15	34
35	77.75	59.15	35
36	77.75	59.75	36
37	78.35	59.75	37
38	78.35	60.35	38
39	78.95	60.95	39
40	78.95	61.55	40

तालिका – XI ग्राम योजना (ग्राम प्रिया) 10 वर्ष

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

प्रवेश के समय आयु	वार्षिक	छमाही	तिमाही	Annual	प्रवेश के समय आयु
20	114.45	57.70	29.00	9.70	20
21	114.55	57.75	29.00	9.70	21
22	114.60	57.80	29.05	9.70	22
23	114.65	57.80	29.05	9.70	23
24	114.70	57.85	29.05	9.70	24
25	114.80	57.90	29.10	9.70	25
26	114.85	57.90	29.10	9.70	26
27	114.95	57.95	29.10	9.75	27
28	115.05	58.00	29.15	9.75	28
29	115.20	58.10	29.20	9.75	29
30	115.30	58.15	29.20	9.75	30
31	115.45	58.20	29.25	9.75	31
32	115.60	58.30	29.30	9.80	32
33	115.75	58.35	29.30	9.80	33
34	115.90	58.45	29.35	9.80	34
35	116.00	58.50	29.40	9.80	35
36	116.15	58.55	29.40	9.85	36
37	116.30	58.65	29.45	9.85	37
38	116.40	58.70	29.50	9.85	38
39	116.50	58.75	29.50	9.85	39
40	116.55	58.75	29.50	9.85	40
41	117.10	59.05	29.65	9.95	41
42	117.75	59.35	29.80	9.95	42
43	118.40	59.70	30.00	10.00	43
44	119.10	60.05	30.15	10.05	44
45	119.80	60.40	30.35	10.15	45

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त तालिका के प्रयोजनार्थ प्रवेश के समय आयु से आशय उसके प्रथम प्रीमियम के भुगतान की तिथि के बाद पड़ने वाले अगले जन्म दिन पर प्राप्त आयु से है।

2. 20,000/- रुपये और उससे ऊपर की पालिसी हेतु बीमित राशि के प्रति बीस हजार रुपये पर 1/- रुपये प्रति माह की छूट देय है (except yugal suraksha)।

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2011

F. No. 25-1/2011-LI.—The President of India is pleased to direct the publication of "Post Office Life Insurance Rules-2011" superceding the existing "Post Office Insurance Fund Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, corrected up to 30-9-1985". The "Post Office Life Insurance Rules-2011" is annexed.

The new "Post Office Life Insurance Rules-2011" shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India.

SHEKHAR K. SINHA, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secy. of Govt. of India

POST OFFICE LIFE INSURANCE RULES - 2011

The following rules are issued under the authority of the Government of India: -

1. **Short title, extent and commencement**--- These rules may be called **Post Office Life Insurance Rules-2011**

(2) These extend to the whole of India.

(3) These shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette of India.

2. The President reserves the right of making from time to time such addition, alteration or modification in the rules or in the premia to be paid as may be considered necessary, provided that no such addition, alteration or modification shall affect the terms of any contract for a policy which any person may have made with the Director General of Posts under these or any other rules in force at the time of making the contract, unless such person has given his consent in writing to such addition, alteration or modification.

3. The administration of the Post Office Life Insurance Fund and Rural Post Office Life Insurance Fund under these rules is vested in the Director General of Posts who is authorized to issue from time to time such subsidiary

regulations and orders as may be deemed necessary provided that no such regulation or order shall be inconsistent with any provision nf these rules or any rules that may hereinafter be made by the President.

4. The Post Office Life Insurance Rules, 2011 shall apply to the Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance of the Department of Posts.

DEFINITIONS

5. In these rules: -

(1) "Acceptance letter" is an intimation sent by Postmaster General/ Accepting Authority to the proposer regarding acceptance of proposal.

(2) "Accepting Authority" means an officer who is authorised to accept the proposal for Postal Life Insurance policy / Rural Postal Life Insurance policy.

(3) "Age proof" means the proof given by the proposer to determine his/her age on the next birth day on the date of proposal.

(4) "Anticipated Endowment Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money, in stipulated installments, to an individual or his assignee, on survival to the end of specified periods, or to pay the given sum of money in one lump sum to his legal representatives or assigns on his death, if death occurs before the specified date of maturity.

(5) "Auto paid up" means a policy for which 36 or more premiums have been paid and also has completed three years or more duration from its date of acceptance and the policy holder without intimation discontinues payment of further premia. However, the policy shall be maturing on the same date as the original policy, either for the original sum assured, when the future premiums payable are compounded by a single payment, or for a reduced sum assured, when the premium in respect of the original policy are discontinued before the stipulated terms.

(6) "Children Policy"[1] means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money to a child or his/her parent at a certain specified period of child's life or to his/her legal representatives or assigns at his/her death, if death occurs before the specified date.

(7) "Commutation" means any alteration in a contract of insurance excepting one in the date of maturity, and includes alteration in the amount of premium in the premium-term, or in the sum assured.

(8) "Conversion" means any alteration affecting the date of maturity of a contract of insurance and includes not only alteration frnm Whole Life Insurance class to the Endowment class but also the antedating or post dating nf the maturity of an Endowment policy and consequent increase/decrease of premium.

(9) "Convertible Whole Life Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money, on the death of an individual, to his legal representatives or assigns, with optinn to the policy holder to convert the policy, at the end of five years (with a grace period at the end of six years) from the date of commencement of risk, intn an Endowment Assurance maturing at a specified age.

(10) "Date of Acceptance" means the date on which the proposal is accepted and mentioned in the "Acceptance letter" issued to the proposer.

(11) "Date of commencement of risk" means the date nn which the proposal is accepted. No claim shall lie with Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance before date of acceptance.

(12) "Direct Agent"[2,3] means an Insurance Agent engaged by the Postmaster General / Head of the Division who receives or agrees to receive payments by way of commissinn or other remuneration in consideration of his/her soliciting or procuring PLI/RPLI business including business relating to continuance, renewal or revival of policies of PLI/RPLI.

(13) "Director PLI" means the Director, Postal Life Insurance, Kolkata.

(14) "Due date of premium" means the first day of the month for which the premium is payable.

(15) "Endowment Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money to an individual or his assigns at a certain specified period of his life or to his legal representatives or assigns at his death, if death occurs before the specified date.

(16) "Head of Division" means Head of Postal Division/ RMS Division/ Chief Post Master.

(17) "Immediate Superior" means the head of the office in which the proposer is serving. If the proposer is himself the head of the office "Immediate Superior" means the officer to whom the proposer is directly subordinate.

(18) "Insured" or "insured person" means the person to whom a policy of Postal life insurance/Rural Postal Life Insurance has been issued.

(19) "Joint Life Insurance/Yugal Suraksha"[4] means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money to an individual or his/her surviving spouse or his/her assigns after a certain specified period of term or his/her legal representatives or assigns at his/her death, if death occurs before specified term of period.

(20) "Lapsing of policy" – a policy which is in existence more than three years.
shall be treated as lapsed if premium/ premia remain unpaid for more than twelve months.

(21) " Life Insurance "contract is a contract by which the Government, in consideration of a certain premium, either in a gross sum or periodical payments, undertakes to pay the person for whose benefit the insurance is made, a stipulated sum upon the expiry of a fixed period, or a stipulated sum upon death of the person whose life is insured.

(22) "Marketing staff"[5] is an official or person who is authorized by the Postmaster General or Head of Division to procure Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance business. The marketing staff includes IPOs, ASPDs, ASRMs, Ex- D.O (PLI), PRI (P), Postmasters, Selected Postal Assistant, Postman, Retired GDS BPM, D.O (PLI), Field Officer (PLI), SPM (Rural S.D), GDS staff, and also includes Direct Agents such as Anganwadi worker, Mahila Mandal worker, Ex-Serviceman, Retired school teacher, SHGs. Gram Pradhan & Member Gram Panchayat and any other official/person as considered suitable by the Head of Postal Division.

(23) "Paid up Policy" means a policy which requires no further payment of premium in respect of it, but maturing at the same date as the original policy, either for the original sum assured, when the future premiums payable are compounded by a single payment, or for a reduced sum assured, when the premium in respect of the original policy are discontinued before the stipulated term.

(24) "Pay and Accounts Officer and Drawing and Disbursing Officer" means the Officer whatever is his official designation, in whose office the account of pay and allowances of the proposer or the insured person is maintained.

(25) "Period of Grace"[6] shall extend up to the last day of the calendar month for which the premium is due or the day before the last day if the last day of the month falls on Sunday or Postal holiday.

(26) "Policy" means the written document containing the terms of contract in respect of insurance.

(27) "Policy in Force" means a policy for which all the due premia have been paid regularly and such policy has neither become 'void' nor 'lapsed' under any rule of Post Office Insurance Fund Rules.

(28) "Post Office Life Insurance Fund (POLIF)" means the amount outstanding in the fund arising out of Postal Life Insurance.

(29) "Postal Life Insurance (PLI)" includes Whole life Insurance, Endowment Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Insurance and Children Policy and such other schemes as may be introduced by the Department of Posts from time to time.

(30) "Postmaster General" means the Head of Postal Circle or Region concerned and includes all officers exercising the powers of a Postmaster General in Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance matters.

(31) "Post Office" means a Head or Sub-Post Office or Branch Post Office in India under the control of the Director General (Posts). For insurants on Field Service with an expeditionary Force, it includes Base Post Offices as well.

(32) "Premium" means the periodical payment for any policy.

(33) "Proposer"/ "Proponent" means the person who applies for scheme/schemes of PLI/RPLI.

(34) "Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF)" means the amount outstanding in the fund arising out of Rural Postal Life Insurance.

(35) " Rural Postal Life Insurance (RPLI)" includes Whole life Insurance, Endowment Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Insurance, Children Policy, and 10 Year policy in Rural Postal Life Insurance and such other schemes as may be introduced by the Department of Posts from time to time.

(36) "Surrender Value" of a policy means the amount that is payable to an insured, when he foregoes the contingent benefit of his policy and surrenders it for an immediate cash payment, provided at least 36 premiums have been paid and policy has completed minimum 36 months duration.

(37) "Void" means a policy which is less than three years duration and any premium(s) that have become due, not paid either on the first day of the month for which the premium is due or within the period of grace.

(38) "Whole Life Insurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money, on the death of an individual, to his legal representatives or assigns provided the policy is in force on the date of death.

GENERAL RULES:

Eligibility conditions for Postal Life Insurance

6. The following persons are eligible to the benefits of the Post Office Life Insurance fund provided their age is not less than 19 years and not more than 55 years on the next birth day on the date of proposal, except in case of Anticipated Endowment Assurance, Joint Life and Children policy for which the minimum and maximum age limits are prescribed separately:-

(1) All permanent and temporary employees of Central/State Governments, Universities established by Governments (Centre/State), Gramin Dak Sewaks, Government Aided educational institutions, Nationalized Banks, State Bank of India, Subsidiary Banks of State Bank of India, Financial Institutions notified by Government, Defence personnel (Army, Navy, Air Force), Personnel of para military force including Assam Rifles, ITBPF, CISF, BSF and CRPF etc., Regular employees of Public Sector Undertakings[7] (Centre and State), Regional Rural Banks[8,18], Permanent & temporary servants of local bodies paid from "Local Funds" as defined in Fundamental Rule 9 (14).

(2) All permanent and temporary employees of the Council of Scientific and Industrial Research, The Medical Council of India, The Dental Council of India, The Nursing council of India, and The Pharmacy Council of India[9].

(3) Industrial and Work-charged employees in the Department of Posts and Department of Telecommunications whose pay is regulated under the "Fundamental Rules".

(4) All permanent and temporary employees of autonomous body established by stipulated rules of Centre/State governments[9].

(5). Members of the Defence Services including those holding short service commission, extended service commission and other kinds of non-permanent commissions are also eligible to join the fund.

NOTE 1: - If a member of the Defence Service is transferred to Reserve then his policy shall be converted into cash policy for payment of premium in cash at the post office of his choice on or before last day of the month to which the premium relates. If the last day happens to be a Sunday or a Postal holiday, the amount should be paid on the previous business day.

Limits of Sum Assured in Postal Life Insurance

7. Any person who is eligible to the benefit of the Post Office Life Insurance Fund under Rule 6, may effect an insurance- Whole Life Assurance, Endowment Assurance, Convertible Whole Assurance, Anticipated Endowment Assurance and Yugal Suraksha Policy or all of them on his life for a sum not less than Rs. 20,000 in each class but not more than an aggregate of Rs. Ten lac (Rs 10,00,000/-)[12,13,14] in respect of one class/all classes of insurance policy(s) taken together. The value of policy shall be taken in multiples of Rs 10,000/-,[11] after minimum limit of Rs 20,000/- i.e. Rs. 20,000/-, Rs 30,000/-, Rs 40,000/-, Rs 50,000/- and so on.

LIFE INSURANCE AND ENDOWMENT ASSURANCE AND OTHER TYPES OF ASSURANCE

8. Whole Life Assurance or Endowment Assurance or Convertible Whole Life Assurance Policy can be made effective by making a monthly payment of premium till the end of selected term or death of the insured person, whichever is earlier, as specified in Table I[15,19], II[15,16,18,19] and III[15,17] respectively of these rules. Anticipated Endowment Assurance and Joint Life Assurance can be made effective by making a monthly payment of premium till the end of selected term or death of the insured person, whichever is earlier, as specified in Table IV[15] and Table V[1] respectively of these rules. The monthly payment in respect of Children Policy shall be regulated by Table VI[1] of these Rules.

NOTE: -In every case except that of Anticipated Endowment Assurance and Joint Life Assurance, the maximum number of monthly premiums payable is twelve times the difference between the age at entry according to which the premium is charged and the age at which payments are to cease. In case of Anticipated Endowment Assurance and Joint Life Assurance, the maximum number of monthly premiums payable is twelve times the selected term.

9. **Anticipated Endowment Assurance** (Introduced w.e.f. 01-02-1984)

A policy under this scheme will be available in two plans, one of 15 years and the other of 20 years term. The minimum age at entry for both the plans shall be 19 years on the next birth day whereas the upper age limit shall be 45 years and 40 years for 15 years and 20 years term respectively. The sum assured under both the plans shall be paid in four installments as given below Table IV. In case of death of insured at any time during the term of the policy, the full sum assured will be paid along with the accrued bonus without making any adjustment of the periodical survival benefit payments already made. Neither any surrender value nor any loan shall be granted for the policy issued under this scheme. No conversion from/to this policy is permissible. In the event of cessation of premium before maturity age, the reduced paid up assurance will be granted, provided premiums have been paid for not less than three years, only at the date of maturity, that is at the end of stipulated plan term or on death of life assured, and no further periodical payments on account of survival benefit will be paid.

9.(a) **Rural Postal Life Insurance** (Introduced w.e.f. 24-03-1995)

"Rural Postal Life Insurance scheme-1995" called 'Rural scheme'[20,21] is envisaged to provide insurance cover to the rural public in general and benefit weaker sections and women workers of rural areas in particular. Post Office Life Insurance Rules-2011 as amended from time to time shall be applicable to the "Rural Scheme" mutatis-mutandis except where special provisions have been made and notified under this scheme. The scheme shall cover all persons, male or female, who permanently reside in rural areas and ordinarily residents in India to the exclusion of Foreigners and Non-Resident Indians. Persons fulfilling such eligibility conditions should be between 19 years and 55[22] years of age on next birth day, except for Ten Year Rural PLI and Anticipated Endowment Assurance plan for which upper age limit is prescribed separately. A policy holder who subsequently shifts his/her residence outside India shall make arrangements to make payments of due premia within India in the specified Post Office in Indian currency. The claims in respect of policies of such persons shall be settled in Indian currency in accordance with Post Office Life Insurance Rules 2011. The existing plans of PLI viz. Whole Life Insurance, Convertible Whole Life Insurance, Endowment Assurance and Anticipated Endowment Assurance are available under "Rural Scheme". The minimum limit for insurance under this scheme shall be Rs 10,000/- (Rs ten thousand only) and maximum limit under medical scheme, taking total sum assured together under all plans shall not exceed Rs 3,00,000/-[25] (Rs three lakh only), while the maximum limit in respect of non-medical scheme, taking total sum assured together under all plans shall not exceed Rs 25,000/- (Rs twenty five thousands only). In case of non-medical policies[23], the terms and conditions as that of Post Office Life Insurance Rules 2011amended from time to time shall be applicable. The rates of premium applicable to different plans under "Rural Scheme" shall be the same as per the premium tables notified under different plans of the Postal Life Insurance schemes by the Department from time to time except where different rates of premia are specifically prescribed for any "Rural Scheme". The premium tables for Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment Assurance and Anticipated Endowment Assurance are given as Tables VII, VIII, IX and X at end of these rules. The terms and conditions for Anticipated Endowment Assurance under "Rural Scheme" are the same as prescribed in Postal Life Insurance.

(b) The maximum limit of sum assured with non-standard proof of age shall be Rs one lac. The 5% extra premium will be loaded and policies with sum assured of more than Rs 25,000/- should be subject to usual medical examination. Also, any one taking policies worth or more than Rs 25,000/- (sum assured) with non- standard proof of age shall not be beyond 45 years of age[24].

10. **Ten Year Rural Postal Life Insurance Plan** (Introduced w.e.f. 24-03-1995)

(a) A policy under this plan shall be available for ten years only[26]. The minimum sum assured under this plan shall be Rs 10,000/- (Rs ten thousand only) and the maximum limit taking total sum assured together under all plans shall not exceed Rs 3, 00,000/- (Rs three lakh only), while the maximum limit in respect of non-medical scheme, taking total sum assured together under all plans shall not exceed Rs 25,000/- (Rs twenty five thousands only). A person who is not less than 19 years and not more than 45 years of age on his/her next birth day shall be eligible for this plan. Under this plan two installments of periodical survival benefits shall be payable to the insurant as a percentage of sum assured in case the insured survives the specific period as indicated below the premium table XI at the end of these rules and the remaining amount shall be payable at the time of maturity along with the bonuses accrued thereof. In case of death of the insured person at any time during the term of the policy, full sum assured shall be payable along with the accrued bonus without adjustment of the survival benefit(s) already paid or which were due to be paid i.e. due survival benefit(s) which remain unpaid shall be paid along with the amount of claim. No surrender or loan facility shall be available under this plan. No conversion to/ from this plan is permissible. In the event of cessation of premium before maturity age, the reduced paid up assurance will be granted, provided premiums have been paid for not less than three years, only at the date of maturity, that is at the end of stipulated plan term or on death of life assured, and no further periodical payment on account of survival benefit will be paid.

(b) Under this 'Plan', in such cases where the insurant is unable to pay the due premia against his/her policy as direct consequences of a natural calamity, such as floods, droughts or earth quakes, in the area in which the insurant permanently resides, provided he/she had declared the said residence in his/her proposal form, no interest/fine shall be

charged from him/her in respect of arrears of premia as accrued and subsequently paid by him up to a maximum period of 12 months from the date of occurrence of such natural calamity. The Postmaster General may also permit payments of such arrears of premia subsequently in monthly installments, not exceeding six installments if the insured so desires. In such cases where the death of the insurant occurs within twelve months of the date of occurrence of the natural calamity, and where the premia had remained unpaid from the month of occurrence of such natural calamity, the policy shall be entertained by the Department. However, in such cases where the premia are in arrears before the said date of occurrence of the natural calamity or beyond twelve months of the occurrence of the natural calamity, shall not come under the purview of this exemption and shall be treated at par with other cases under normal rules. Further, in such cases where Postmaster General has permitted payment of arrears of premia in installments and where death of the insured takes place any time after the first installment of arrears is paid the policy shall be deemed to be in force and shall be entertained by the Department, provided all other regular premia except such arrears which were permitted to be paid in installments have been paid by insured regularly. In all aforesaid cases the arrears of premia shall be recovered from the claim amount payable to the legal heir/nominee of the insurant. In all the aforesaid cases, a certificate shall have to be produced by the insurant/claimant from District Collector confirming the fact of the natural calamity in the area in which the insurant resides/residing causing damage to life or property belonging to the insurant.

11. **JOINT LIFE Assurance**[4] (Introduced w.e.f. 01-08-1997)

The policy under this plan shall be issued to a person with his/her spouse who is literate and has independent income for providing insurance cover to both the spouses. The policy shall be limited to a term not less than five years and not exceeding 20 years. The person who has more than one spouse living, such cover will be available only in respect of the eldest spouse. The age at entry of the spouses should not be less than 21 years and more than 45 years and at maturity, the older spouse should not be more than 60 years on his/her next birth day. Both the spouses under this plan shall have to undergo the prescribed medical examination as per these rules irrespective of the sum assured. The premium shall be based on equivalent age on next birth day, which will be calculated by addition to the lower age depending upon difference in the ages of spouses. The schedule to calculate equivalent age next birth day is given along with Table V[4]. The payment of premium shall cease on the death of any one of the spouses. The sum assured with accrued bonus shall be payable at the end of endowment term (date of maturity) if both survive. Otherwise, the sum assured with accrued bonus will be payable on the death of one spouse before maturity, to the survivor. In case of death of both the insured lives simultaneously, the sum assured with accrued bonus shall be payable to the nominee/legal heir. No claim, whatsoever, shall be entertained, if the policy lapses under these rules.

12. **Children Policy**[1] **(**Introduced w.e.f. 20-01-2006)

The scheme is envisaged to provide insurance cover to maximum two children of a policy holder of Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance, provided that only one such policy will be allowed for a child against one policy of the father/mother. This is a separate policy. If the father/mother (called insured) of the child has already taken policy(s) or is proposing to take policy(s) on their life either as Whole life or Endowment Assurance (called Main Policy) for a sum assured not less than the sum assured of Children Policy, then Children Policy in respect of their own child/children shall be issued to such insured. The age of child should be between 5 years and 20 years. The maximum age of main policy holder should be below 45 years.

13. Medical Scheme

(a) In every case where the Postal Life Insurance proposal for a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment Assurance, Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance with sum exceeding Rs.1 lakh; and Rural Postal Life Insurance proposal for a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment Assurance, Anticipated Endowment, Joint Life Assurance and Ten year Rural PLI with sum assured exceeding Rs 25,000/- (Rs twenty five thousand only) is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority and must be declared fit for such insurance by the said authority.

(b) The medical examination shall be carried out as per Rule 24, by the prescribed medical authority depending upon the amount of insurance involved, and the fees on account of medical examination shall be borne by the Department in accordance with Rule 26. However, if second medical opinion is required to be obtained the fee thereof shall be paid by the proposer in case he is responsible for the delay in acceptance of proposal otherwise the fee shall be borne by the Department.

14. Non-Medical Scheme (PLI)[27] - Any person, whose age on next birthday does not exceed 35 years, and who is eligible for a Postal Life Insurance under Post Office Life Insurance Rules, 2011 with the exclusion of handicapped persons and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in PLI in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), for such sum assured which shall not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the total sum assured shall not exceed Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten

Lakhs) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and the proponent is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal.

15. Non-Medical Scheme (RPLI)[23] - Any person, whose age on next birthday does not exceed 35 years, and who is eligible for a Rural Postal Life Insurance, with the exclusion of handicapped persons and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in RPLI in multiples of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand), for such sum assured which shall not exceed Rs. 25,000/- (Rupees twenty thousand only) together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the tntal sum assured shall not exceed Rs. 3,00,000/- (Rupees three Lakhs) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal.

16. In the event of a Non-Medical Policy issued under these Rules in PLI or RPLI, becoming a claim before maturity and notwithstanding the total sum assured as per the said policy, the payment against such claim shall be restricted to the following amounts: -

(i) Thirty five percent of sum assured along with the accrued bonus in case the death of the insured person occurs before the completion of one year from the date of acceptance of the propnsal.

(ii) Sixty percent of the sum assured along with the accrued bonus in case the death of the insured person occurs before the completion of two years, but not before the completion of one year, from the date of acceptance of the proposal.

(iii) Ninety percent of the sum assured along with the accrued bonus in case the death of the insured person occurs before the completion of three years, but not before the completion of two years, from the date of acceptance of the proposal.

(iv) Full sum assured along with the accrued bonus in case the death of the insured person occurs after completion of three years from the date of acceptance of the proposal.

17. **Scheme of PLI for Physieally handicapped persons**[28]

(a) Physically Handicapped persons shall be insured under the "Scheme for Physically Handicapped" and shall have to undergo a special medical examination by the Medical Authorities of Government Hospital (Ortho Surgeon and other specialist) in order to determine the exact nature and extent of their handicap and its bearing on the life being insured. The medical repnrts shall include in particular:

(i) A report quantifying the extent of handicap (for example, deformity/loss of one limb, both limbs etc)

(i) Cause of handicap, i.e. congenital or post congenital.

(iii) The effects of the handicap on longevity of the proposer and whether the life risk is increasing or decreasing.

"Provided that where such Medical Authority has declared that the life risk is increasing on account of the handicap, such life shall not be insured and the proposal shall be rejected.

(b) Persons suffering from any of the following handicaps shall be eligible to be considered for Insurance under special scheme for "Physically Handicapped":

(i) Blindness
(ii) Deafness
(iii) Dumbness
(ii) Orthopedic handicap
(iii) Midgets
(iv) Hunchbacks
(v) Loss of limbs
(vi) Paralysis or weakness or deformity due to Polio
(vii) Any other deformity due to non-neurolngical origin

© Premium in respect of policies taken under the scheme will be determined by the accepting authority.

(d) In the event of the policy becoming a claim on account of death of the insured before the date of maturity, the amount payable to the nominee or the legal heir, as the case may be, shall be determined as follows: -

(i) In case the death of the insured takes place before the completion of one year from the date of acceptance of the policy, only thirty five percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.

(ii) In case the death of the insured takes place before the completion of two years but not before the completinn of one year from the date of acceptance of the policy, only sixty percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.

(iii) In case the death of the insured takes place before completion of three years but not before the completion of two years from the date of acceptance of the policy, only ninety percent of the sum assured and accrued bonus shall be payable.

(iv) In case the death of the insured takes place after the completion of three years, full sum assured along with accrued bonus thereon shall be payable.

(e) The maximum sum assured for physically handicap policy(s) by taking all policies together in PLI and RPLI is Rs ten lacs (Rs 10,00,000/-) and Rs three lacs (Rs 3,00,000/-) respectively.

MANNER OF EFFECTING AN INSURANCE

(NOTE: - The procedure to be followed in connection with proposals submitted by Defence service personnel is given in the appendix to these rules.)

18. For PLI policies: when a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance and Children policy under PLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb in the presence of his/her immediate superior, who will in turn sign the certificate to the effect that the information furnished under relevant questions has been verified and found to be correct and the proposer affixed his/her signatures or thumb impression in his presence.

19. The immediate superior of the proposer will compare the answers in the form of proposal with the proposer's service book, service roll, appointment certificate and satisfy himself that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will prepare a certified copy of (1) the first page of the service book, or (2) the descriptive headings of the service roll, or (3) the appointment certificate and if the proposer is unable to sign his name obtain on it the impression of the left thumb of the proposer in his presence. In the case of a proposer who is able to sign his name, the signature only should be obtained. The immediate superior will then handover the proposal form accompanied with the certified documents referred to above to the Marketing Staff of the Postal Life Insurance who processed the proposal.

NOTE 1: - In the case of a temporary official who has no service book, service roll or appointment certificate, the proposal should be accompanied by the certificate granted by a competent officer of the Department on the terms and conditions of appointment. The immediate superior of the proposer should satisfy himself by a comparison with the records of his office that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will obtain, on the certificate referred to above the signature or the impression of the left-thumb as the case may be of the proposer in his presence. An attested copy of the proposer's school certificate, a municipal certificate of birth or when a proposer is unable to produce any such document a certificate regarding his age granted by two respectable persons (who should be able to speak from their personal knowledge as to the proposer's age) should also be attached to the proposal.

20. For RPLI policies: When a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, 10 Year RPLI and Children policy under RPLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb in the presence of marketing staff, who will in turn sign the certificate to the effect that the information furnished under relevant questions has been verified and found to be correct and the proposer affixed his/her signatures or thumb impression in his presence.

21. The premium due on a Policy taken under any plan in Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is calculated on the proposer's age on the next birthday on the date of proposal. The intending insurants are advised to submit their proposals sufficiently in advance of their next birth day so as to admit their proposals being accepted and the first premium paid before the next birthday, otherwise the proposer would be liable to pay the premium at the higher rate if he pays it after he attains the next higher age.

22. The Postmaster General/Head of Division/ Accepting Authority shall authorize the Marketing staff in his jurisdiction to collect advance deposit of the first premium from the proponent with clear undertaking that the risk of his (her) life will commence from the date of acceptance of the proposal by the Postmaster General/Head of Division/ Accepting Authority under these rules, provided the advance deposit is not less than the amount of first premium as worked out after the proper scrutiny of proposal. The proponent may deposit first premium for any number of months and admissible rebate shall be given for six (6) months and twelve (12) months or more advance deposit in Postal Life Insurance and for three (3) months, six (6) months and twelve (12) months or more advance deposit in Rural Postal Life Insurance. The amount of premium(s) shall be refunded to the proponent after deducting the medical examination fee, if the proposal is not accepted by the accepting authority.

23 The marketing staff will then take the proposer and proposal with the certified documents referred to in the preceding rules to the medical officer concerned and request the medical officer to examine the proposer, to record his/her opinion regarding the proposer's health in the place provided for the purpose in the proposal form. For RPLI, the medical officer shall record his/her findings in the separate form titled "Medical Examination Report" prescribed for the purpose. The Medical Officer shall also obtain the signature/left hand thumb impression of the proposer in his/her presence at the place provided for the purpose. The Medical Officer will sign the proposal form after recording his/her recommendations at the place provided for the purpose and return the proposal form to the marketing staff who had submitted the proposal form to him.

24. The status of Medical Officers for medical examination is given as under:-

SN	Limit of Sum Assured	Status of Medical Officer[29 to 34]
(a)	For Insurance up to and including Rs. 5 lac.	(i) Medical officer below the status of Civil Surgeon employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings, both State and Central, nearest to the place of duty of the proponents. (ii) Retired Medical Officers (Gr. II).
(b)	For insurance in excess of Rs. 5 lac	(i) Medical Officer (Allopathic) working in the Primary Health Centers having a minimum experience of 5 (five) years in Government service. (ii) Medical Officer (Allopathic) employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertaking both State and Centre with at least 10 (ten) years experience, nearest to the place of the duty of the proponent. (iii) Civil Surgeon, Medical Officers in the employment of Government enjoying the status not lower than that of a Civil Surgeon or Chief Medical officer, nearest to the place of duty of the proponent. CMO Grade-I/Specialist Class-II shall also be considered as equivalent to the rank of Civil Surgeon. (iv) Retired Civil Surgeon, CMO Gr. -I and Specialist Class-II.

NOTE 1: - Medical examination of the proposer must be carried out by the Medical Officer of the status prescribed in these rules. If a woman medical officer of the prescribed rank or qualification is not available at the station or in the District, the female proposer may be examined after obtaining her written consent by a male medical officer of the corresponding rank and possessing the prescribed qualifications.

NOTE 2: - In all cases the Medical Officer defined in these Rules should be registered with Medical Council of India in the State

NOTE 3: - The Postmaster General concerned will appoint retired medical officer Gr-II, retired Civil Surgeon, CMO Grade-I, Specialist Class-II and Postgraduate Doctor in Medicine, who voluntarily resigned from the Government Service and working as a practicing Consultant Physician, for examining PLI/RPLI proponents up to the limits as given in these rules.

25. The Postmaster General may also appoint the Registered Medical Practitioners (Allopathic) to conduct medical examination of PLI and RPLI proponent up to the sum assured of Rs five lacs (Rs 5 lacs) subject to the following conditions:-

(i) The RMPs (allopathic) will be authorized only when Government Doctors are not available in particular areas or if available, decline to undertake medical examination;

(ii) The RMPs so authorized should have at least MBBS degree and registered with Medical Council of India in the State;

(iii) The RMPs should have experience of at least five years after possessing MBBS degree;

(iv) The RMPs should be a person of repute having good professional conduct and character;

(v) The fees prescribed for Government Medical Officers for examining the proponents under PLI/RPLI will be payable to an RMP;

(vi) On authorization, such RMPs will be called as 'Authorised RMP' in PLI/RPLI term.

(vii) In order to examine the cases of recommending bad lives by Registered Medical Practitioners and consequential premature Death claims within three years from the date of acceptance, a proper record of RMPs (Full name, permanent address, name of clinic, date of authorization, Policy No in respect of which premature death claim

was received with sum assured and cause of death etc.) should be kept by the Postmaster General for review of authorization after two years. Any adverse report should be taken notice of for his decision.

26. The Medical officer concerned will receive a fee[33,35] for each medical examination at the prescribed rates fixed by the Department from time to time.

27. The Postmaster General/Head of Division/Accepting Authority as authorized by the department will decide whether the proposal is to be accepted or not after satisfying himself on the basis of parameters fixed viz. eligibility, limit of sum assured, Medical Examination report, completion of columns of proposal forms, documents in respect of date of birth, service documents (in respect of PLI), particulars of immediate superior or marketing staff, declaration of proponent and also that the proposer's signature/thumb impression made before the Medical Officer agrees with that made before the immediate superior/marketing staff (in respect of RPLI). If he decides that the proposal should be accepted, he will intimate to the proposer the acceptance of his proposal and furnish him with the instructions as to the amount of subsequent premia to be deposited by him in cash at the specified Post Office by the due dates in case of cash policy. A copy of the above intimation (acceptance letter) shall also be sent to the Drawing and Disbursing Officer (DDO)/Pay Account Officer (PAO) of the proposer for deduction of monthly premium from the pay of the proposer, in case of pay policy. Postmaster General /Head of Division/Accepting Authority shall accept the proposals up to the Sum Assured as may be decided by the Department from time to time.

28. When a proposal is not accepted after the proposer has been medically examined, within sixty days, a second medical certificate shall be obtained and the fee thereof shall be paid by the proposer if he is responsible for the delay, otherwise it shall be paid out of the Insurance Fund.

29. If a fact regarding serious illness of the proposer or death occurring due to any serious disease in the family of the proposer after medical examination of the proposer, comes to the light of the Postmaster General/Head of Division/ Accepting Authority before acceptance of proposal, a fresh medical examination may be ordered at the cost of the Fund.

Note: The proposer is responsible to intimate such facts to the accepting authority in time.

30. After acceptance of the proposal, the Postmaster General/ Head of Division/ Accepting Authority shall simultaneously issue acceptance letter, policy document, and premium receipt book (for cash policy only). Policy document shall be signed by the Postmaster General/ Head of Division / Accepting Authority on behalf of the President of India. All these documents shall be dispatched to the proposer by registered post with acknowledgement due.

For policy documents up to the sum assured of Rs 25,000/- in Rural PLI, facsimile signatures shall be affixed on policy document.

31. An insured person who adopts the mode of paying premium in cash as a regular measure will be supplied by the Department with a premium receipt book in which entries relating to payment of each premium shall be made. The Postmaster receiving the monthly premiums will grant a receipt for the amount in this book. When the Book is filled up and has no further space for entries, it should be forwarded to the Postmaster General/ Head of Division /Postmaster of Head Post Office including G.P.O who after verifying the entries will arrange to issue a new Book in which it will be noted, under his signature, the month up to which premia have been paid.

32. In the event of a premium receipt book being lost, the insured person should apply, through the nearest Post Office (Head or Sub or Branch), to the Postmaster General/ Head of Division for a duplicate premium receipt book stating in his application the circumstances under which the original book was lost along with the prescibed fee in form ACG-67 or computerized receipt. The Postmaster General/ Head of Division will then issue a duplicate book and send it to the Post Office concerned for delivery to the insured person. The postmaster shall charge the amount towards PLI/RPLI receipt. The Postmaster General/ Head of Division may, however, if he is satisfied that the original book was lost through no fault of the insured person, issue duplicate book without any fee for the purpose.

33. Any person, who has purchased any insurance/assurance policy, may insure/may effect further assurance for additional sum assured subject to the limitation specified in Rule 7(Rule 9 in case of RPLI). In such cases he should submit a proposal in prescribed form. The insured person will also have to undergo medical examination by the prescribed Medical Officer depending upon the aggregate sum assured of all the policies held by him including the fresh proposal applied for.

Exception: - A proposer who desires within 60 days from the date of his medical examination made in connection with a proposal for insurance to increase the amount of his original proposal or to purchase a fresh policy to mature at the same age or an earlier age will not be required to submit a fresh proposal in the prescribed form or to undergo a second medical examination if the original medical examination was conducted by a Medical Officer competent under Rule 24 to examine the proposer for the revised amount, otherwise second medical examination shall be carried out. If however, the proposal for additional benefits is not accepted within two months from the date of medical examination a further medical certificate should be obtained and the fee thereof should be paid by the proposer if he is responsible for the delay; otherwise the fee should be paid out of the Post Office Life Insurance Fund/ RPOLIF. The additional premium thus due to the increase in the value of the policy or to the purchase of a fresh policy shall be communicated to the insured and the request for increase in policy value or to the purchase of fresh policy shall be accepted only after

deposit of the amount in the Post Office and the receipt for the same shall be sent to the Postmaster General/Head of Division/ Accepting Authority.

34. A life insurance contract will be held to commence from the date borne on the policy (date of acceptance) or written document in which the contract is recorded; and the policy will be given to the person insured for custody.

35. The Defence, Assam Rifles and Para Military Forces personnel who are in Medical Category "AYE" (for JCOs/NCOs/OR or equivalent) or "SHAPE" –I (for officers), while submitting proposal for taking a Postal Life Insurance Policy will be exempted from Medical Examination[36,37] for the purpose. Separate proposal form will be used for taking a policy by these personnel. Full claims for sum assured along with the vested bonus will be admissible to the claimant(s) if a policy becomes claim after its acceptance. Suicide cases will however be governed by the existing Post Office Life Insurance Rules 2011.

36. **Assignment and Nomination:-**

(1) In registering any assignment, nomination or appointment of any person to receive the money secured by policy in the event of the insurants' death during the minority of the nominee, the Post Office Life Insurance Fund/RPOLIF assumes no responsibility as to the validity thereof.

(2) The Fund does not prescribe any particular forms for assignment or for nomination, or for the notice thereof, and an application on plain paper can also be used for the purpose.

(3) **Policies may be assigned by the policy holder**, either:-

(i) for valuable consideration; or

(ii) by way of gift.

4. The assignment may be made either by an endorsement on the reverse of the policy itself or by a separate deed. The assignment must be dated and signed by the assignor in the presence of a witness. Except in the case of an assignment in favour of the President of India as a security for the repayment of any loan granted out of the Fund, an assignment, otherwise complete, will be inoperative against the Fund, unless a notice in writing of the assignment has been delivered to the Postmaster General/ Head of Division.

The notice of assignment must be accompanied by the policy duly endorsed or, where the assignment has been effected by a separate deed, by the deed or assignment or a copy thereof duly certified to be correct by both the assigner and the assigns or their duly authorized agents. The priority of claim under a policy will be governed by the dates on which the notices of the assignments have been received by the Postmaster General/ Head of Division at his office.

5. After the assignment of a policy is once effected, the policy cannot be dealt with any further by the assignor and the only person competent to deal with it will be the assigns. In order to enable the policy-holder to deal with the policy again he should have a re-assignment in writing in his own favour executed by the assigns, attested by one or more witnesses, and registered in the records of the Postmaster General/ Head of Division.

(6) **Nomination**

(a) A policy holder is advised to nominate a person or a trust to whom the sum assured shall become payable in the event of his death, so as to save his legal heirs the trouble and expense of obtaining legal title to the sums payable under the policy[39].

(i) Provided that if any of the legal heir(s) or the nominee(s)/trustee of a policy holder has been charged with the murder of the policy holder, the policy money shall not be paid to him/her unless he/she is honorably acquitted of by the competent court of law[38].

(b) The holder of a policy of life assurance on his own life may when effecting or at any time before the policy matures for payment nominate the person or persons or religious trust to whom the money secured by the policy is desired to be paid in the event of his death[39].

© Where the proposer gives the name of the intended nominee or nominees in the proposal form itself, the Fund will incorporate the name of such nominee or nominees in the text of the policy. A nomination, if not incorporated can be made only by an endorsement on the policy. In order to be effective, such endorsement must be communicated to the Postmaster General/ Head of Division for records. A nomination may, at any time before the policy matures for payment, be cancelled or changed by the assured by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but the Fund will not be liable for any payment under the policy made bonafide by it to a nominee mentioned in the text of the policy or to be one nominated by an endorsement on the policy and registered in the records of the Fund unless notice in writing of any such cancellation or change has been received by the Postmaster General/ Head of Division prior to such payment.

(d) A transfer or assignment of a policy made in accordance with the provision of section 38 of the Insurance Act, 1938 shall automatically cancel a nomination (Section 39 (4)), provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its re-assignment by the insurer or repayment of the loan shall not have the effect of cancelling a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy.

(e) Where the policy matures for payment during the life time of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives of the holder of a succession certificate as the case may be.

(f) Where the nominee or, if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(g) Minor Nominee: - The holder of a policy of life insurance may, in any case where the nominee is a minor, appoint any person to receive the money secured by the policy in the event of his death during the minority of the nominee and communicate such appointment to the Postmaster General/Head of Division by forwarding the documents relating to such appointment. The consent of the appointee should be obtained at the same time as the appointment is made.

(h) Nominations as above are not permissible in the case of policy effected by any married man on his own life and expressed on the face of it to be for the benefit of his wife, or of his wife and children or any of them; in such a case the policy ensures and is deemed to be a trust for the benefit of the insurant's wife or for the benefit of his wife and children or any of them according to the interest so expressed (vide Section 6 of the Married Women's Property Act, 1874).

Provided that the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to a policy where the nomination made at any time in favour of the insurant's wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being under section 39 of the Insurance Act, 1938.

NOTE 1: - Assignment of policies made in compliance with Rule 21 (viii) (a) of the General Provident Fund Rules, which in essence, is an assignment for valuable consideration, should also be registered in the office of the Postmaster General/ Head of Division under this rule.

NOTE 2: - Assignment of policy as a whole may be made either in favour of one person or jointly in favour of two or more persons.

NOTE 3: - In the case of an absolute assignment, all rights of the assured are vested in the assigns by an assignment and the assigns may therefore be entitled to claim the surrender value of the policy under Rule 55 without the consent of assured.

NOTE 4: - A policy may be assigned to the President of India for the purpose of paying estate duty payable under the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) in the form prescribed in Rule 31 of the Estate Duty Rules, 1953. When such a policy matures or is surrendered, the value of the policy or the amount of surrendered value thereof, as the case may be, shall be paid in the manner prescribed in the form of assignment. If the estate duty payable on the estate of assured is less than the policy money receivable under an insurance policy assigned to the President of India under rule 31 of the Estate Duty Rules, 1953, the Postmaster General/ Head of Division, will arrange to pay to the Government so much thereof as may be demanded by the Government for satisfaction of the estate duty liability on the estate of the assured and pay the balance to the legal heirs, executors, administrators or other legal representatives or assigns of the deceased or other persons to whom the same may be payable under the policy.

When an insurance policy is assigned to the President of India for the purpose of paying estate duty, the assured shall within three months of the date of registration of the assignment by the Postmaster General/ Head of Division deposit the policy with the Commissioner of Income Tax (who is also the Controller of Estate Duty) within whose jurisdiction the assured resides. In the case of a policy assigned to the President of India for the purpose of paying estate duty, the assured shall surrender to the Controller of Estate Duty all former deeds of assignments or re-assignments, if any, in respect of the policy.

Note 5: A nominee under a policy of the life insurance has a bare right to collect the money payable under the policy on the death of the insured and give a good discharge to the insurer. The nominee does not become the owner of the money payable under the policy and he/she is liable to make it over to the legal representative of the insured. Thus the nominee acts as a receiver only, subject to the provision of these Rules.

37. A person who has once been admitted to the benefits of the Post office Life Insurance Fund shall not forfeit his right or interest in any life insurance policy purchased by him under these rules by reason of his quitting the service in which he is employed, from any cause whatsoever except that referred to in Rule 39, provided that all payments due under the rules are regularly made.

38. All persons who are admitted to the benefits of the Post Office Life Insurance Fund / Rural Post Office Life Insurance Fund have government security for the payment, at the proper time, of the money due to them.

39. Wrong information[40] furnished by a person or suppression of factual information by a person admitted to the benefits of the Post Office Life Insurance Fund/ Rural Post Office Life Insurance Fund will, at the discretion of the Postmaster General, render voidable the contract concluded with that person and lead to forfeiture of all payments made by him.

40. Government officials are prohibited from making public any information of a private character obtained in the course of business regarding the Post Office Life Insurance Fund/ Rural Post Office Life Insurance Fund or any transactions relating thereto. The official violating the rule shall be liable to suitable disciplinary action against him.

41. Policies of PLI/RPLI granted in accordance with these rules are exempted from stamp duty (Government of India, Finance and Commerce Department, Notification No. 5199 SR an 1390 SR dated the 1st November-1895 and the 22nd March 1898 respectively issued under section 8 of the Indian Stamp Act, 1879).

42.. The accounts of Post Office Life Insurance Fund/ Rural Post Office Life Insurance Fund will be kept in the office of the Director, Postal Life Insurance, Kolkata.

MANNER OF REALISING PREMIUM

NOTE: - (The procedure to be followed in connection with proposal submitted by Defence Services Personnel is given in the appendix to these rules.)

43. Premium is due on the first day of the month.

44.. The first premium paid on any date shall represent the premium for that calendar month. The first premium must always be paid in cash or cheque by the proposer. In respect of 'pay recovery policies', the premium for a particular month shall be deducted from insurant's salary of the same month but not later than the last day of the said month except in the case of the month of March, where the salary is payable on 1st working day of April. The insured person is responsible that the amount of the premium, which is due on the first day of each month, shall be deducted from his pay for the said month. If the premium due for any month is not deducted due to any reason from the pay drawn, the insured person should pay the premium in cash for that month and inform the fact to Pay and Accounts Officer/Drawing and Disbursing Officer. In case of such policies, where it is found that an extra premium has been received as result of switching over from 'Pay recovery' to 'Cash recovery' and vice versa, such premium shall be refunded at the time of maturity/settlement of claim. And if the premium is to be paid in cash the insured person must pay the premium at the post office selected by him either on the first day of the month for which the premium is due, or during the period of grace, which shall extend up to the last day of the calendar month[41] for which the premium is due, or the day before the last day if the last day of the month falls on Sunday or postal holiday, and obtain the Postmaster's receipt for it in his premium receipt book. Payment of premia by insured person who has quit the service of Government is governed by Rule 49. The insured person may pay premium for his/her policy for any number of months at one time in cash in a post office, provided the premia are paid strictly in advance.

Exception: Under special arrangements existing in Tamilnadu, the deductions on account of premium from the pay bills of establishments employed in certain commercial undertakings of Government whose accounts are maintained on a commercial system, are made at the time of disbursement and cash for the total amount recovered is remitted to the treasury. Such deductions will be treated in the same manner as if they had been made by short drawals in the bill encashed at the treasury.

45. In case of pay recovery policy, when an insured person proceeds on leave in India or is under suspension, he/she must arrange payment of premia in cash at any post office so selected or he/she may, if so desires, pay the premia by deduction from his/her leave salary or suspension allowances drawn. When the insured person is on Foreign Service in India or proceeds on leave out of India, he may arrange payment of premia in cash at any Indian post office he/she may select so. Whenever the payment of premia is made in cash at post office the fact should be intimated to Postmaster concerned. However, when an insured person is on leave out of India, he/she will not be considered as in arrears of premia for any month so long as long he/she has not been able to draw any pay and allowances, though due for the month, due to circumstances beyond his/her control. If the pay and allowances are drawn subsequently without deduction of premia, the premia should be paid within a week positively.

46. When a policy has been assigned by the insured person to any other person, the insured person may arrange with the assigns that all the premium shall be paid from time to time by the latter, and the assigns will, with the concurrence of the Postmaster General/Head of Division, pay in cash the monthly premium to the Postmaster selected by him for the purpose. If the premium is not paid on or before the last working day of the month (in case of March-1st working day of April) in which it is due, the provision of Rule 56 or the Rule 57, as the case may be, will apply.

47. The Pay and Accounts Office/Drawing and Disbursing Officer of each Department will furnish to the Director PLI, Kolkata with monthly statements in the prescribed form showing all payments of premium realized by deduction from the pay of person belonging to his Department and will give credit for the total amount of such realizations in his exchange (or Central Adjusting Account) with the concerned branch audit officer of the Department of Posts with whom he is in account.

48. When an insured person is transferred from one establishment to another, the premium recoverable from him should be recorded in his last pay certificate with a view to the necessary deduction being made from his pay at the new office. The disbursing officer of the insured person should inform the Drawing and Disbursing Officer of the office where the insured person is transferred, and the insured person himself must give such notice to the Postmaster General/Head of the Division.

49. **Policies held by persons who have left the Government Service.** - If an insured person resigns or retires or is dismissed from the service of Government, his policy holds good so long as the premium due are regularly paid by him on the first day of the month or within the period of grace at the Post office selected by him. As soon as the connection of the insured person ceases with the Government, he should apply to the Postmaster General/Head of Division for a Premium Receipt Book informing him of the name of the Post Office at which the 1st premium, while in Government service, was deducted and the Post office at which he desires to pay future premium in cash. A copy of this application should also be endorsed to the Postmaster of the place at which future payments of premiums are desired to be made in cash. If the Premium Receipt Book is not received by the time the next premium after his quitting government service falls due, he should pay the amount by the due date in cash at the selected Post office producing a certificate from his last Disbursing Officer in the form appended at the end of this rule. In such a case, the concerned Postmaster would grant a receipt for the amount in from ACG-67. Subsequent premium will be paid in cash on production of the receipt for the previous month's premium, till the Premium Receipt Book is received by him. Thereafter, the due premium shall be paid on production of the Premium Receipt Book and receipt for the amount will then be given only in the Premium Receipt Book.

FORM

Ministry of ----------

Government of ---------- /Department of ----------

Office of ----------

No. ---------- (Name of Station) Dated the ----------

Certificate of the Disbursing Officer regarding premium deduction on account of PLI

Certified that a sum of Rs. ---------- (in words also) being the amount of premium/premia on PLI policy/policies No. ---------- dated ---------- of Shri ---------- (with office address) for the month (s) (Name's of month's with year) was last deducted from the salary for the month(s) of (name of month(s) with year), paid on ---

---------- (office seal)

Signature
(With full name in Block capitals &
Designation of Disbursing officer)

PREMIA AS WELL AS POLICIES WHEN DUE PAYABLE ONLY IN INDIA

50. If the purchaser of a PLI / RPLI policy leaves India, he must arrange with the Postmaster General/Head of Division/DDO for the payment at any Indian Post Office which he may select of the premia payable on his policy. If the insured person dies out of India, the value of his policy will be paid to the nominee(s)/legal heir(s). The payment shall be made by the Postmaster General / Head of Division by means of an account payee crossed cheque, "Not negotiable" [42].

REDUCTION, DISCONTINUANCE OR COMMUTATION AND OTHER ALTERATIONS

51. (1) A policy holder holding a policy other than an Anticipated Endowment Assurance and 10 Year Rural PLI policy may at any time apply for reduction of his monthly premium and sum assured without altering the class of his policy, or after payment of premia for not less than three years he may apply to have his policy made paid –up for a reduced sum assured free from further payment of premium. The paid up value of any policy will be the amount bearing to the total sum assured the same proportion as the total period for which premia have been paid bears to the maximum period for which premia were originally payable. Paid Up policies will not attract bonus with effect from the date of discontinuance of premia[43]. Proportionate bonus shall however be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

Exception: the above Rule regarding the amount of the paid up policy does not apply to the following cases: -

(i) Where there are arrears of premiums, and

(ii) Where there is any outstanding loan or interest due.

(2) Commutation of future premiums by payment of a lump sum may be permitted at any time.

(3) In the case of policies other than Anticipated Endowment Assurance policies and 10 Year Rural PLI, conversions involving alteration of policy terms other than reduction, discontinuance or commutation of premia referred to above will be allowed only after payment of premia for an integral number of years and in any case where it is intended to extend the premium term or to defer the maturity date, on the production of a medical certificate of good health at the expense of the assured. Such conversions will be permitted only once on the duration of each policy without a fee. Second and subsequent conversions shall be subject to a small fee not exceeding Rs. 20/- or as may be fixed by the Department, in each case.

(4) No alteration from Anticipated Endowment Assurance and 10 Year Rural PLI policy to other classes of policies or vice-versa, or alterations in the selected term or in the sum assured of the Anticipated Endowment Assurance policy and 10 Year Rural PLI policy will be allowed.

(5) No such conversion of a policy as would put the date of maturity or of cessation of premium to a date preceding or within one year from the date of conversion is admissible.

PAYMENT OF POLICIES

52. (1) (a) An insured person claiming maturity value of the policy shall be required to fill up and sign an application in the prescribed form available at any Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office, and forward it to the Postmaster General/Head of Division direct or through Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office with the documents prescribed by the Department.

(b) In case of claim arising due to death of the insured, the claimant shall fill and sign the application in the prescribed form available at any Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office, and forward it to the Postmaster General direct or through Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office with the death certificate and other documents as prescribed by the Department from time to time.

© For claiming the amount of survival benefit i.e. periodical payments in AEA and 10 Year RPLI policy, the insured person is required to fill up and sign an application in the prescribed form available at any Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office and forward it to the Postmaster General/ Head of Division direct or through Divisional Office/Head or Sub Post Office or Branch Post Office with the documents as prescribed by the Department from time to time.

(d) If the prescribed form for the claims in paras (a), (b) and (c) above is not available the claim may be preferred by an application on plain paper.

(2) On receipt of the application and the documents, Postmaster General/ Head of Division shall examine the title of the claimant and if the claim is found admissible, shall issue an order for payment of the sum assured or the periodical survival benefit, as the case may be, under the policy less the amount, if any, due on account of the premium in arrears and interest thereon. If the premium for any month remained unpaid on the last working day of the month (in case of March it is 1st April), the provisions of Rule 56 or 57, as the case may be, will apply. The orders for payment of the amount of maturity value, death claim or survival benefit shall be issued to the concerned Postmaster, under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be paid to the claimant on his surrendering the payee's copy (on the Postmaster's copy if the payees copy is lost and an endorsement shall be made to this effect duly signed by the payee with witness) of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. The Department accepts no responsibility whatsoever for delays which may occur in the settlement of the claims. Claimants are, therefore, strongly advised to submit their claims sufficiently in advance of the date of maturity of the policies together with proof of payment of premium for the last six months prior to the date of last installment of premium in the shape of Disbursing Officer's Certificate , viz. a certificate of recovery by the officer disbursing his pay & allowances. If the payment is made through cheque then the dispatch particulars along with the details of cheque shall be noted on the Postmaster's copy of sanction.

Exception :- If, however, it is established that the delay in the payment of claims was attributable to administrative delays, ex-gratia payment of interest at the rate of 8% per annum on the unsettled amount of claim shall be paid for the delay beyond this period stated as under:[44]

(i) For more than 30 days from the actual date of receipt of complete claim papers or 30 days from date of maturity whichever is later, in the case of maturity claim.

(ii) For more than 60 days, from the actual date of receipt of complete claim papers in the case of death claim under policies where no investigation is required.

NOTE 1: If the claimant is the legal assigns of the policy, he will further be required to forward to the Postmaster General any deed of assignment that he may hold. The Postmaster General shall in such a case after making such further inquiries as he may deem fit, order payment of the amount admissible to the assigns. The procedure prescribed in this rule for the payment of the policy shall then be followed.

53. Settlement of early death claims

Cases of early death i.e. before completion of 3 years from the date of Acceptance of a policy will be investigated thoroughly to enquire if the insurant while submitting the proposal had suppressed material information which otherwise would not have allowed the proponent to be eligible for PLI/RPLI and it should be examined whether insurant was suffering from any disease prior to taking of a policy, whether there was any deliberate attempt on the part of marketing staff to insure sub standard life or to cause loss to fund and whether the cause of death had any relation to the disease. The Postmaster General after satisfying himself may sanction death claim.

54. Death Claim for an amount up tn Rs 1,00,000/- (Rs one lakh only), where no nomination exists, the production of succession certificate may be waived by the Director General of Posts, provided the case is recommended by the Postmaster General concerned on valid grounds. After waiver, the case shall be settled by Postmaster General observing usual formalities.

SURRENDER OF POLICIES

55. A policy other than an Anticipated Endowment Assurance, 10 Year Rural PLI and Children policy may be surrendered for an immediate payment in cash, provided the policy is of not less than three years duration. In such a case, the insured person or the assigns of the policy, as the case may be, shall give notice of surrender, in writing, to the Postmaster General concerned and forward the policy or a duplicate copy thereof or Indemnity bond (if policy is lost) at any Post office along with the premium receipt book, if premia had been paid in cash and loan repayment receipt book, if loan principal/interest is outstanding. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions from the Postmaster General. A policy surrendered under this rule shall continue to be in force till the end of the month in which the applicatinn for surrender is rceeived by the Postmaster General and accordingly the premium shall also be payable for the period for which the policy continues to be in force. For policies in respect of which premium is paid annually in advance, surrender value is to be calculated at the end uf the year irrespective of the date of surrender but payment of surrender value may be made when the policy holder asks for it. No bonus will be paid in respect of a policy with effect from the date of discontinuance nf premia[43]. Proportionate bonus shall be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

55.1. On receipt of the notice and the documents referred to in this rule, the Postmaster General shall examine the title of the claimant and calculate the surrender value of the policy in accordance with the prescribed formula. The admissible surrender value of the policy should also be communicated to the claimant for sending his consent/dissent in writing regarding taking payment or not taking payment of the admissible surrender value of the policy intended to be surrendered. The orders for payment of the admissible amount of surrender value shall only be issued on receipt of the consent of claimant for taking payment of admissible amount of surrender value, to the concerned Postmaster, under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be paid to the claimant on his surrendering the payee's copy of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. In case of payment through cheque Rule as prescribed in 52(2) may be followed.

55.2 The Postmaster General may, in his discretion, allow withdrawal of an application for surrender at any time before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a withdrawal, and if the withdrawal would not adversely affect the interest of the Fund.

Lapsing of policy within thirty six months and settlement of death claims[45 to 48]

56. (1) The policy for which any premium/premia have become due, not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 44, the policy shall become void.

56. (2) (a)If, in the case of a policy where death takes place before the completion of thirty six months from the date of acceptance of the policy and where any premium/premia have become due, not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 44, the policy shall become void and all claims to any benefit in virtue thereof shall cease and all money that have been paid in consequence thereof shall be forfeited except in cases mentioned hereafter;

(i) Provided that for the purpose of this rule, an insured person is not to be considered as in arrears of premium for any months so long as he has not been able to draw his pay, pension, or subsistence allowance during suspension, or if the insured person is on leave in India, any leave allowance though due for the month next before it is due because of circumstances beyond his control.

(ii) Provided further that the provisions of (i) above shall not be applicable to the insurants who pay their premium/premia in cash.

(b)Notwithstanding what is stated above, if death of the life assured occurs within thirty six months from the date of acceptance of the policy, a further period of remission shall be allowed in respect of such polices where premia remain unpaid beyond the period of grace permitted under Rule 44 in the following manner:

(i) If the death of the life assured occurs within six months of the date of acceptance of the policy, no remission period beyond the period of grace shall be allowed.

(ii) If the death of the life assured occurs within twelve months but not before completion of six months from the date of acceptance of the policy, a remission period of 30 days shall be allowed in addition to the period of grace.

(iii) If the death of the life assured occurs within twenty four months but not before the completion of twelve months from the date of acceptance of the policy, a remission period of sixty days shall be allowed in addition to the period of grace.

(iv) If the death of the life assured occurs within thirty six months but not before the completion of twenty four months from the date of acceptance of the policy, a remission period of ninety days shall be allowed in addition to the period of grace.

(v) In the event of death of the life assured taking place during the period of remission allowed as per Rule 56(2)(b) (i) (ii) (iii) and (iv) above and before payment of arrears of premium/premia that had become due along with interest thereon, the policy shall still be considered valid and the sum assured paid to the nominee or legal heir of the insurant as the case may be after the deduction of unpaid premium/premia from the claim amount along with interest thereon at such rate as may be prescribed by Director General of Posts.

NOTE 1: - The Postmaster General, however, has discretionary powers in special cases to allow ex-gratia payment of the value of a policy or a part thereof, or ex-gratia refund of premia paid by the insurant or part thereof, with interest or without interest, provided he is satisfied that there has been no deliberate infringement of rules with the object of using the insurance fund in a manner adversely affecting its interest, and circumstances warrant payment of policy money.

56. (3) In the event of a policy-holder of a void policy desiring re-instatement of his/her policy within a period not later than six months from the date of first unpaid premium had become due in respect of such policy, he may deposit all the arrears of premium/premia till the date of payment along with interest thereon at the rates as prescribed by the Director General of Posts in the Post Office specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy. The re-instatement of the policy shall be automatic without any further act on the part of the insurant or the Department, subject to continued insurability of the life at the time of payment of arrears, and for that the insured person shall submit declaration of good health and medical certificate to this effect from Authorized /Registered Medical Practitioner:

(i) Provided that if any payment purporting to be premium payments are made during the period of six months mentioned above and if they do not cover all the arrears together with interest thereon required to prevent the policy from becoming void, such payment shall be held in suspense and shall not be considered as payment by way of premium to cover the risk of the life assured. No claim whatsoever shall lie on the Department in the event of death of the life assured during such period when premium/premia are held in suspense and the policy is not re-instated. Such premia as are held in suspense shall be refunded to the policy holder or his/her nominee, or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for along with interest as prescribed by the Director General of Posts.

NOTE 1: - Re-instatement of a policy under Rule 56 (3) and Rule 57 (3) can be allowed on only three occasions during the term of a policy.

Lapsing of policy beyond thirty six months and settlement of claims [45 to 48]

57. (1) If in the case of a policy which has remained in force for not less than thirty six months from the date of acceptance of the policy, and where any premium/premia have become due after such period, not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 44, the policy shall cease to be active and treated as lapsed at the end of twelve months from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy:

(i) Provided that for the purpose of this rule an insured person is not to be considered as in arrears of premium for any month so long as he has not been able to draw his pay, pension or subsistence allowance during suspension, or, if the insured person is on leave in India, any leave allowance though due, for the month next before it is due because of circumstances beyond his control.

(ii) Provided further that the provision (i) above shall not be applicable to the insurants who pay their premium in cash.

57. (2) (a) Should the policy become a claim either due to death of the life assured or completion of term of the policy within the said period of twelve months from the date first unpaid premium had become due, the claim for the payment of the policy shall be accepted subject to deduction of all arrears of premium/premia together with interest

thereon from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due to the date of its becoming a claim, at interest rate prescribed by the Director General of Posts and subject to further deduction of accumulated loan and interest thereon, if any.

(b) If within the above said period of twelve months the policy does not become a claim either due to the death of the life assured or on completion of term of the policy and if no application for surrender value or for making the policy paid up policy is received within that period, the policy will be automatically kept alive only to the extent of its paid up value provided such paid up value is not less than Rs. 10,000/-.

57. (3) In the event of a policy holder of a policy that has became inactive in terms of sub rule (1) above desiring re-instatement of his/her policy within a period not later than 12 months from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due, he may deposit all the arrears of premium/premia up to date of payment along with interest thereon at the prescribed rates in the Post Office specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy. The re-instatement of the policy shall be automatic without any further act on the part of the insurant or the department subject, however, to continued insurability of the life at the time of payment of arrears, and for that the insured person shall submit declaration of good health and medical certificate to this effect from Authorized /Registered Medical Practitioner.

57. (4) Provided that if any payment purporting to be premium payments are made during the aforesaid period of 12 months mentioned in sub rule(3) above and if they do not cover all the arrears together with interest thereon required to prevent the policy from ceasing to he active at the end of 12 months such payment shall be held in suspense and shall not be considered as payment by way of premium to cover the risk of the life assured. No claim, whatsoever shall lie on the department in the event of death of the life assured taking place during such period when premia are held in suspense and the policy is not re-instated. Such premia as are held in suspense shall be refundable to the policy holder, his/her nominee or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for, with interest as prescribed by the Director General of Posts at the time of such refund.

(ii) For the policies in respect of which premium is paid annually in cash in advance no refund of premium shall be allowed except in the case of a claim arising out of death when the premium for the unexpired months shall be refunded.

NOTE 1: - Re-instatement of a policy under Rule 56 (3) and Rule 57 (3) can be allowed for only three occasions during the term of a policy.

REVIVAL OF POLICIES [45 to 48]

58. (1) The Postmaster General/ Head of Division, may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the Postmaster General/ Head of Division, of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and further subject to production of a certificate from the employer(s) that the policy holder had not taken any leave on medical grounds during the last one year, or during the period from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy, and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

58. (2). A policy shall not be considered to have been revived unless an application for that purpose has been made and until the policy has been formally revived in writing.

58. (3). Any payments purporting to be premium/premia payments made after a policy has become void in terms of Rule 56(1) or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) but before the policy is formally revived in terms of sub rule (1) and (2) above shall be held in suspense and shall not be considered as payments by way of premium/premia to cover the risk of life

assured. No claim whatsoever shall lie on the department in the event of death of the life assured during such period when premium/premia are held in suspense and the policy is not revived. Such premia as are held in suspense shall be refunded to the policy holder, his/her nominee or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for, with interest as prescribed by the Director General of Posts.

58. (4). The Postmaster General/ Head of Division, may at his discretion in order to revive a policy which has become void under Rule 56 (1) or cease to be active under Rule 57(1) allow the arrears of premia along with interest payable thereon to he paid in convenient installment not exceeding 12 installments in deserving cases under a specific order to be issued in writing. In such cases, the risk of the life assured shall be covered from the day the first installment is

deposited provided that subsequent installments have been paid regularly thereafter, as also the normal monthly premia besides the arrears as become due have been deposited regularly as and when due without fail. In the event of death of the insurant, whn has heen depositing the installment of arrears as directed by the Postmaster General/ Head of Division besides the normal monthly premia regularly as and when due notwithstanding the fact that some arrears of premia remain unpaid at the time of death, the claim against the said policy shall be accepted subject to the deduction of such arrears of premia and interest thereon besides loan amount and interest thereon, if any, from the claim amount.

58 (5). For revival of RPLI policies, these rules shall apply mutatis mutandis except that the employer's certificate shall not be required.

NOTE: -The revival of a policy under Rule 58 shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of the policy which will, however, not include the relaxation given under Rules 56(3) and 57(3) for re-instatement.

LOAN ON POLICIES

59. (1) (a) Loan may be granted on the security of policies other than Anticipated Endowment Assurance , Ten year Rural PLI and Children policies issued under these rules. Such loans may be granted on the security of a Whole Life policy, if it has been in force for at least four years, and is otherwise unencumbered and has acquired a minimum surrender value of Rs. 1000/[49]-. The percentages of the surrender value up to which loans may be granted on the security of a Whole Life policy shall be as per rates prescribed hy the Department from time to time.

(b) Loan may also be granted on the security of an Endowment Assurance policy including Joint Life Assurance, if it has been in fnrce for at least three years, and is otherwise unencumbered and has acquired a minimum surrender value of Rs. 1000/-[49]. The percentages of the surrender value up to which loans may be granted shall be as per rates prescribed by the Department from time to time.

59. (2). Application for loan in the prescribed form available at any Post Office shall be made to the Postmaster General/ Head of Division. The loan application form duly filled in and signed by the insurant, along with the policy shall be handed over, against a receipt, to the Postmaster. The Postmaster concerned shall immediately forward all the papers to the Postmaster General/ Head of Division. In the alternative, the loan application may be sent by the insurant direct to the Postmaster General/ Head of Division along with the policy, premium receipt book (in case of cash policy) and loan repayment receipt book (in case of second or subsequent loan) and disbursing officer's certificate for last six months for deduction of premia (in case of pay recovery policy). The Postmaster General/ Head of Division shall, on receipt of the application and documents, shall verify connected records relating to that policy for eligibility of loan and whether the policy is free from encumbrances. He shall also calculate the amount of loan as admissible on the date of application and sanction the loan, if admissible, on the conditions stated above. A copy of the sanction along with a loan bond with the relevant entries filled in shall be forwarded to the Postmaster concerned with instructions to pay the amount to the applicant after his executing the loan bond, which shall be returned by the Postmaster and kept with the policy and the application for loan in safe custody with the Postmaster General/ Head of Division. The policy shall be released to the insured person or the party legally entitled thereto after ensuring that the amount of loan and interest have been completely repaid. The amount of loan sanctioned should be in complete multiples of Rs. 100/[49]-. Insured person will be supplied by the Postmaster General/ Head of Division (through the Post Office concerned) with a loan repayment receipt book, in which the Postmaster will enter under his initials with date each installment of amount paid in repayment of the loan. In the event of loss of the loan repayment receipt book, the procedure laid down in Rule 32 shall be followed.

The policy against which loan is taken should always be assigned to the President.

If an insured person has assigned his policy in favour of another person, loan on such a policy will be granted to the insured person only on his getting the policy re-assigned in his favour and then assigning it to the President. A second or subsequent loan not exceeding the amount prescribed in sub-rule (1) of this rule may be granted on the security of a policy on which one loan has already been granted. The second or subsequent loan shall not, however, be granted until one year after the repayment of the previous loan*.

*The Post Master General may grant second or subsequent loan in exceptional circumstances.

59. (3). The loan may be repaid at any time. It may also be paid in installments of amount not less than Rs. 100/[49]-. Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly and should be paid on or before the dates specified in the loan bond and loan repayment receipt book. Interest for the half year will be charged on the amount outstanding on the first day of the half year, and any repayment made during that half year will be taken into account for calculation of interest only for the next half year. In the case of final repayment, interest will not be charged beyond the last date of the month in which the final repayment is made provided that interest had already been charged on the loan for at least six months. The responsibility for payment of interest rests solely on the insurant. A notice regarding the amount to be paid as half yearly interest will be issued to the insurant only when there is a change in the amount payable as interest as a result of payment of a part of the principal. But the plea of non-receipt of such a notice cannot

in any circumstances be accepted for non-payment of interest. If the interest is not paid on the due date, it will be added to the outstanding amount of loan and usual interest charged thereon. In the event of any three defaults in the payment of half yearly interest, the Postmaster General/ Head of Division, will be entitled to surrender the policy and to apply the surrender value thereof in payment of the said loan and interest. The balance, if any, of such surrender value if adequate for a paid up value of Rs. 10,000/- shall be utilized for the issue of such a paid up policy; otherwise the amount will be paid in cash to policy holder entitled thereto.

The outstanding balance of the loan with interest will be recovered from the value of the policy at the time of settlement of the claim. Interest on a loan will accrue up to the last date of the month in which the policy becomes a claim either by maturity or by surrender, provided that interest for at least six months had been charged on the loan.

59. (4). On the very date the amount of loan is finally repaid, the Postmaster concerned, shall send intimation to the Postmaster General/ Head of Division giving particulars as to the amount repaid, the date of repayment, the name of the insurant and the policy number and loan account. The insurant is advised in his own interest to send a separate intimation of final repayment of his loan to the Postmaster General/ Head of Division. On receipt of the above intimation, interest chargeable up to the end of the month of final repayment (provided that interest on the loan has already been charged for at least one half year) shall be calculated by the Postmaster General/ Head of Division and communicated to the insurant under registered post. The insurant shall be required to pay the amount of interest at any Head or Sub Post office within 21 days from the date of issue of intimation by the Postmaster General/ Head of Division.

59. (5). If the insured person wants to surrender the policy before repayment of the loan, he should apply to the Postmaster General/ Head of Division, with whom his policy is kept as security, to surrender the policy, adjust the surrender value thereof to the balance of loan and interest due and to pay him the balance, if any. On receipt of this application, the Postmaster General/ Head of Division will take necessary steps to stop recovery of further premium and to surrender the policy.

60. Where in respect of any policy maturing for payment, the Postmaster General/ Head of Division is of opinion that by reason of conflicting claims to or insufficiency of proof of title to the amount secured thereby or for any other adequate reason it is impossible otherwise for him to obtain a satisfactory discharge for the payment of such amount, he may take steps, after the expiry of the period prescribed in Section 47 of the Insurance Act,1938, to apply to the Court having jurisdiction for permission to pay the amount into it in accordance with the provisions of Section 47 of the said Act. If the court allows the application, payment shall be made into the court. The Postmaster General/ Head of Division shall also transmit every notice of claim received after the making of the application to the court in order to enable the court to dispose of claims relating to the amount. Upon such payment the fund is discharged of liability in respect of the policy.

61. **Suicide Cases:**

[50]In the event of an insured person committing suicide any time after the date of acceptance of the policy (whether sane or insane at that time) and after having paid his first premium in full but not after expiry of two years from such date of acceptance or payment of first premium which ever is later, the policy shall become void and no claim whatsoever shall be entertained by the department by the virtue of the said policy except to the extent of the bonafide beneficial interest which any person (other than the life assured) shall have acquired in the said policy for valuable consideration for which one calendar months notice, before the death of insured person, should have been given to the Director General of Posts or Postmaster General concerned on his behalf; and provided further that sufficient proof shall have to be produced in regard to having acquired such interest in the policy to the satisfaction of the Director General of Posts or Postmaster General.

62 **Settlement of death claim cases of murder of the insured committed by the nominee(s) or any legal representative(s)**

If the policy holder is murdered by any of the legal representative/nominee(s), the policy money shall not be paid to the murderer even if he/she is acquitted by the competent court of law by giving him/her the benefit of doubt. If person(s), who in the event of death of policy holder, is/are eligible to receive the policy money under Post Office Life Insurance Rules 2011, is/are charged with the offence of murdering the policy holder or for abetting the commission of such an offence, the claim of such person(s), including other eligible member or members of the family to receive the policy money, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him/them. If on the conclusion of the criminal proceedings, the person(s) concerned is/are convicted for the murder or abetting the murder of the policy holder or acquitted thereof by giving benefit of doubt, such person(s) shall be debarred from receiving the policy money which shall be payable to other eligible legal heir(s) of the policy holder.[38]

Appendix

Procedure to be followed in connection with proposals submitted by Defence Service Personnel

1. Any member of the Defence Services wishing to insure his life, or to purchase an endowment assurance policy, may obtain the prescribed proposal form from a head post office(1 CBPO / 2 CBPO) or sub-post office (FPOs under 1 CBPO OR 2 CBPO)or from his unit (Parent Unit or Postal Unit serving Parent unit), ship establishment or office. As far as possible he should answer the questions in the proposal form in his own handwriting as he is responsible for the answers to questions available in the Proposal form.. He should submit his proposal to his "immediate superior", i.e.,

(a) in the case of proposers belonging to the Indian Army and serving with units the Officer Commanding or Officer answering in his place.

(b) in the case of proposers belonging to the Indian Navy the Commanding officer of the ship or establishment;

(c) In the case of proposers belonging to the Indian Air Force, the unit or station commander.

(d) in the case of proposers belonging to the Indian Army, Navy, Air force not serving with units the immediate superior officer of Commissioned or Gazetted rank;

2. The "immediate superior" will read and explain the proposal to the proposer and obtain his signature (left hand thumb impression, if the proposer is unable to sign) in his presence and sign the prescribed certificate on the proposal form.

3. The "immediate superior" should prepare in his own office, if possible or obtain from the officer maintaining the records a certified copy of descriptive particulars of the proposer contained in their official records.

4. The "immediate superior" should obtain the proposer's signature (left hand thumb impression, if the proposer is unable to sign) on this certified copy in his own presence and then attach it to the proposal.

5. The certified copy of descriptive particulars should contain the following information:

(a) Full name
(b) Father's name
(c) Place of birth
(d) Date of birth
(e) Date of enrolment
(f) Identification mark (at least two)
(g) Rank/rating; parent arm/corps; present unit/ship appointment personnel/official number.
(h) If commissioned, type of commission i.e., permanent, short service, extended service etc.
(i) Particulars of the officer maintaining the proposer's pay accounts.
(j) Particulars of the officer who will accept debit for the premium recoverable from the insured as well as from the Defence Services Estimates.

6. In the case of members of Defence Services the "immediate superior" will also discharge the following duties.

(a) Will carefully scrutinize the proposal and the certified copy of descriptive particulars with special reference to the admissibility of the terms of the proposal, and if it is found that the life of the proposer was on any previous occasion rejected on medical grounds, either by the post office life insurance fund or by private insurance company or the proposer had ever been found medically unfit for any particular type of duties, the medical opinion should if possible be obtained and forwarded with the proposal form to the medical officer to whom the proposer is sent for medical examination; otherwise the attention of the medical officer should be specially drawn to the entries to that effect made against the relevant questions by the proposer in the proposal form.

(b) Should compare the entry regarding the proposer's age as entered in the proposal form with the corresponding entry in the certified copy of descriptive particulars and if there is any discrepancy he should take immediate steps to have it reconciled. If necessary he will obtain from other officials of the branch to which the proposer belongs or from the officials of any other branch or department under whom the proposer may have served or from the persons named in the proposal or, from any other source, information regarding the proposer's age.

7. EXEMPTION OF DEFENCE PERSONNEL FROM MEDICAL EXAMINATION

Defence personnel who are in medical category 'SHAPE-1 for Officers and 'AYE' for JCOs/NCOs/OR, will be exempted from Medical Examinations while submitting the proposal for taking Postal Life Insurance Policy. Full claims for sum assured along with the vested bonus will be admissible to the claimant(s) if a policy becomes claim after its acceptance. Suicidal cases will however be guverned by the existing Post Office Life Insurance Rules - 2011.

8. EXEMPTION OF ASSAM RIFLES AND PARA MILITARY FORCES PERSONEL FROM MEDICAL EXAMINATION

Assam Rifles and Para Military personnel who are in medical category 'SHAPE-1 for Officers and 'AYE' for JCDs/NCOs/OR or equivalent, will be exempted from Medical Examinations while submitting the proposal for taking Postal Life Insurance Policy. Full claims for sum assured along with the vested bonus will be admissible to the claimant(s) if a policy becomes claim after its acceptance. Suicidal cases will however be governed by the existing Post Office Life Insurance Rules - 2011.

9. The defence civilian proponents shall be subject to usual medical examination by the respective Medical Officers as prescribed in "Post Office Life Insurance Rules 2011". All other terms and conditions of medical examination shall also apply as mentioned in the concerned rules of "Post Office Life Insurance Rules 2011".

10. Marketing staff: Every APS personnel are eligible to work as marketing staff for procurement of PLI Business and act as 'Agent' for the purpose. He will procure PLI business either directly from personnel of defence, Assam Rifles/ Para Military or from units in bulk. He will collect the proposal forms and carryout the prescribed checks before submitting to the Officer Commanding Postal Units who will hithertofore called as 'Field Guide'.

11. Scrutiny of PLI Proposals & submission of invoices by Postal Units (Field Guides)

Field guides shall scrutinize the proposal forms and affix his signature in each form in token of having checked them keeping in view their eligibility conditions and forward them to Addl D G of APS (PLI Cell) for acceptance and issue of policy documents or otherwise.

12. Action at O/O Addl. D G of APS

Thoroughly check the proposal form and return the forms wherever wanting of signature and non availability of supporting documents if any. Necessary follow up action, if proposal is fit for acceptance, may be taken by issue of acceptance letter, policy documents, etc.

13 Arrangement for recovery of PLI premium/premia from the PAO concerned in respect of Pay recovery policy

A consolidated transcription sheet is prepared PAO wise and sent to PAO concerned where ever necessary for recovery of premium/premia from the Individual Running Ledger Account/Monthly Pay account of the proponents concerned.

14. Importance of first premium payment

Where the proposer has authorized the officer responsible for the maintenance of his pay and accounts to recover the first premium by deduction from his pay & allowances, this should not be left over to be made in the beginning of a month. On receipt of the letter of authority from the proposer through the Addl. D G of APS(PLI Cell), the officer responsible for maintaining the pay and accounts should, where necessary, treat the amount of the first premium as an advance of pay given to the proposer and simultaneously show it as credited to Government by way of recovery of the first premium. The contract of insurance with the proposer will take effect from the date of acceptance of proposal as well as the payment of the first premium into a post office or into the imprest account of the ship or unit or in the case of recovery from pay from the date of debit to the Individual Running Ledger Account (IRLA) even though a corresponding credit is not afforded in the Government account on that day. The Postmaster (including base and field postmaster), the holder of the imprest account or the officer recovering the first premium from pay should send an immediate report in the prescribed form to the Addl. D G of APS as soon as first premium is paid. On receipt of the

intimation of the payment of the first premium either from the Post office or from the imprest holder or from the officer maintaining the pay accounts, as the case may be, the Addl. D G of APS will arrange for the issue and delivery of the policy to the proponent direct or through training establishment concerned.. In all cases the officers maintaining the pay and accounts will be instructed by the Addl. D G of APS to recover the second and subsequent premium as a standing arrangement.

NOTE 1: Payment of the first premium should not be accepted by a Postmaster or holder of imprest account if he knows that the person tendering it is at the time is no longer eligible for admission to the benefits of the Post Office Insurance Fund. In similar circumstances the officer responsible for maintaining the pay and accounts should not effect recovery of the first premium from pay etc. In such a case intimation of the fact should be given to the Addl. D G of APS.

15. The PAOs concerned are required to send PLI recovery schedules for first premium and advance schedules for subsequent premia on quarterly basis for the quarter ending Feb, May, Aug and November of the year by 1st week of Dec, March, June and Sep of the year to DPLI, Kolkata with one copy to Addl. D G of APS. Addl DG of APS shall keep watch over timely receipt of the schedules from each PAO. The certified copies of schedules received from the DPLI , Kolkata shall be tallied with the copies of schedules received from the PAO concerned and the discrepancies, if any, shall be got reconciled.

16. The "Post Office Life Insurance Rules 2011" shall apply equally to PLI policies in APS except where specially mentioned.

GLOSSARY

Sl No	Particulars of Gazette Notification	Subject
1.	Notification No 8 dated 19-25 February, 2006 (Part II Section-3 Sub Section – ii) included in S.O No 722, issued vide PLI Dte. letter No 26-3/2005-LI dated 06-01-2006.	Features of Children policy
2.	Notification No 30 dated 20-26 July, 2003 {(Part –II Section -3 Sub Section –ii)} included in S.O No 2046, issued vide PLI Dte. Letter No 26-2/2003 dated 01-07-2003.	Introduction of Agency system and commission rates.
3.	Notification No 1679 dated 20 October, 2009 {(Part-II Section -3 Sub Section (ii) } included in SO 2634(E), issued vide PLI Dte. Letter No 26-2/2009-LI dated 20 October, 2009.	Amendment to empanelment process and commission rates.
4.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I)issued vide PLI Dte. Letter No 32-1/93-LI dated 31-07-1997	Introduction of Joint Life Assurance.
5.	Notification No 148 dated 03 June, 2010 (Part I Section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010.	Definition of marketing staff and appointing authority.
6.	Notification No 2 dated 08 January, 1994 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 12-2/93-LI dated 24 September 24, 1993. (Definition)	Definition of Period of grace.
7.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 11-3/84-LI dated 15 November, 1985.	Eligibility conditions for PLI cover. New clientele covered.
8.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued under PLI Dte. Letter No 11-1/83-LI dated 1st April, 1987. (Eligibility)	Eligibility conditions for PLI cover. New clientele covered.
9.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued under PLI Dte. Letter No 26-57/88-LI dated 21 April, 1992. (Eligibility)	Eligibility conditions for PLI cover. New clientele covered.
10.	Notification No 15 dated 11 April, 1987 (Part I Section I) issued under PLI Dte. Letter No 11-1/83-LI dated 20 March, 1987.	Eligibility conditions for PLI cover. New clientele covered.
11.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued under PLI Dte. Letter No 23-6/87-LI dated 07 September, 1987.	Limits of Sum Assured. Minimum and Maximum revised.
12.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I), issued under PLI Dte. Letter No 26-70/91-LI dated 07 January, 1994.	Limits of Sum Assured. Minimum and Maximum revised.
13.	Notification No 36 dated 31 August to 6 September, 2003 {(Part II Section - 3 (ii))}, issued vide PLI Dte. Letter No 25-3/2003-LI dated 05 Aug , 2003.	Limits of Sum Assured. Minimum and Maximum revised.
14.	Notification No 23 dated 3-9 June, 2007 {(Part II Section (ii))}included in S.O 1632, issued vide PLI Dte. Letter No 25-3/2003-LI dated 30 April, 2007.	Limits of Sum Assured. Minimum and Maximum revised.
15.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-3/86-LI dated 08 October, 1987.	Amendment to premium table.
16	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-6/87-LI dated 11 May, 1988.	Amendment to premium table.
17	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-6/87-LI dated 02 December, 1988.	Amendment to premium table.
18	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-6/87-LI dated 30 June, 1989.	Amendment to premium table.
19.	Notification No 36 dated 31 August to 6 September in S.O 2507, {(Part II Section 3 Sub section (ii))}, issued vide PLI Dte. Letter No 25-5/2003-LI dated 18 Aug , 2003.	Amendment to premium table.
20.	Notification No 15 dated 15 April, 1995 (Part I Section I), issued vide letter No 5-1/94-LI dated 15 March, 1995.	Introduction of RPLI.
21.	Notification No 23 dated 7 June, 2003 {(Part II Section 3 (ii))} included S.O 1595, issued under PLI Dte. Letter No 5-1/94-LI dated 05 May, 2003. (RPLI)	RPLI made regular

22.	Notification No 10 dated 29 Feb to 06 March , 2004 {(Part II, Section 3, Sub Section (ii)) including in S.O No 522, issued vide PLI Dte. Letter No 5-1/94-LI dated 9 January, 2004. (RPLI)	Maximum age increased to 55 years in RPLI
23.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010. (RPLI)	Amendment in RPLI features regarding non-medical policy.
24.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010. (RPLI)	Amendment in RPLI features relating to non-standard proof of age.
25.	Notification No 11 dated 11-17 March, 2007 in S.O 762 {(Part II Section 3 Sub Section (ii)), issued vide PLI Dte. Letter No 25-3/2003-LI dated 23 February, 2007.	Limit of RPLI increased to Rs 3lacs.
26.	Notification No 15 dated 15 April, 1995 (Part I Section I), issued vide letter No 5-1/94-LI dated March, 1995.	Introduction of 10 year RPLI.
27.	Notification No 2 dated 8 January, 1994 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-2/84-LI dated 17 November, 1993.	Introduction of Non Medical policies in PLI.
28.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 26-82/89-LI dated 20 August, 1997.	Handicap Person policy Features.
29.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated 19 November, 1985.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.
30.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated -- May, 1985.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.
31.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated November, 1992.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.
32.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated 17 December,1997.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.
33.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated 11 May, 1999.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.and Rate of Fees.
34	Notification No 1 dated 30 December 2007 to 5 January 2008 in S.O No 13 {(Part II Section 3 (ii)}, issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated 30 November, 2007.	Status of M.O for medical examination of PLI/RPLI proponent.
35.	Notification No 31 dated 30 July to 05 August, 2006 in S.O 2980 (Part-II Section 3(ii), issued vide PLI Dte. Letter No 22-2/85-LI dated 10 July, 2006.	Med. Fees rates for examining PLI/RPLI proponent.
36.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 29-22/84-LI dated 3 April, 2000	Exemption of defence pers from Medical examination while purchasing PLI policy.
37.	Notification No 17 dated 18-24 April, 2004 in S.O 998{ (Part II Section 3(ii)}issued vide PLI Dte. Letter No 29-22/99-LI dated3 March, 2004.	Exemption of Para military pers from Med. Examination while purchasing PLI policy.
38.	Notification No 23 dated 7 June, 2003 {(Part II Section 3 (ii))} included S.O 1596, issued under PLI Dte. Letter No 5-11/95-LI dated 05 May, 2003. (RPLI)	Amending in Nomination rule and addition of new rule for settlement of claim in murder cases.
39.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010.	Nomination rule amendment regarding nomination to trust and settlement of murder cases.
40.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 19-90/87-LI dated Sep 1987.	Amendment regarding furnishing wrong information or supporession of factual information by proponent while taking policy.
41.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued	Amendment to rule relating

	vide PLI Dte. Letter No 12-2/93-LI dated 24 September, 1993.	to deposit of subsequent premium and lapsing of policy.
42.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-7/85-LI dated 16 January, 1987.	Amendment to rule relating to payment of policy, surrender of policy and claims relating to policy holder dies in foreign country.
43.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010.	Amendment to rule relating to commutation and surrender.
44.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 19-275/87-LI dated 03 August , 1990.	Payment of interest for delayed payment in maturity and death cases.
45.	Notification No 2 dated 8 January, 1994 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-1/92-LI dated 1st December, 1993.	Lapsing of policy and revival.
46.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-1/92 dated 31 Dec 1996.	Lapsing of policy and revival
47.	Notification No 6 dated 08 February, 1997 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 23-1/92-LI dated 13 January, 1997.	Lapsing of policy and revival
48.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010.	Lapsing of policy and revival..
49.	Notification No 148 dated June 3, 2010 (Part I section I), issued vide PLI Dte. Letter No 25-01/2010 dated 21 May, 2010.	Rule relating to payment of bonus while settling loan cases.
50.	Notification No 51 dated 18-24 December, 2010 (Part I Section I) issued vide PLI Dte. Letter No 9-62/93-LI dated 05 August, 1994.	Settlement of Suicide cases.

TABLE-1
POSTAL LIFE INSURANCE

POST OFFICE INSURANCE FUND-PREMIUMS IN FORCE FROM THE 4th AUGUST-2003
WHOLE LIFE ASSURANCES
(MONTHLY PREMIUMS FOR AN ASSURANCE OF Rs.5000/-)

Age at Entry	Premium ceasing at the age of			Age at Entry
	55yrs	58 yrs	60 yrs	
19	8	7	7	19
20	8	8	7	20
21	8	8	8	21
22	8	8	8	22
23	9	8	8	23
24	9	9	8	24
25	9	9	9	25
26	9	9	9	26
27	10	9	9	27
28	10	10	9	28
29	11	10	10	29
30	11	11	10	30
31	12	11	11	31
32	12	12	11	32
33	13	12	12	33
34	14	13	12	34
35	14	13	13	35
36	15	14	13	36
37	16	15	14	37
38	17	16	15	38
39	18	16	16	39
40	19	17	16	40
41	21	18	17	41
42	23	20	18	42
43	25	21	19	43
44	27	23	21	44
45	30	24	22	45
46	33	27	24	46
47	38	29	26	47
48	42	32	28	48
49	49	35	30	49
50	59	40	33	50
51		49	41	51
52		57	46	52
53		67	52	53
54			59	54
55			70	55

TABLE-II

POSTAL LIFE INSURANCE

POST OFFICE INSURANCE FUND- PREMIUMS IN FORCE FROM THE 4th AUGUST -2003

ENDOWMENT ASSURANCES

(MONTHLY PREMIUMS FOR AN ASSURANCE OFRs.5000/-)

Age at Entry	Maturity Age							Age at Entry
	35	40	45	50	55	58	60	
19	26	19	15	12	10	9	9	19
20	27	20	16	13	10	10	9	20
21	29	21	16	13	11	10	9	21
22	32	22	17	14	11	10	10	22
23	35	24	18	14	12	10	10	23
24	38	26	19	15	12	11	10	24
25	42	27	20	16	13	11	11	25
26	47	29	21	16	13	12	11	26
27	53	32	22	17	14	12	12	27
28	61	35	24	18	14	13	12	28
29	72	38	26	19	15	13	13	29
30	86	42	28	20	16	14	13	30
31		47	30	21	17	15	14	31
32		53	32	23	17	15	14	32
33		61	35	24	18	16	15	33
34		72	38	26	19	17	15	34
35		86	42	28	20	18	16	35
36			47	30	22	19	17	36
37			53	32	23	20	16	37
38			61	35	25	21	19	38
39			72	39	26	22	20	39
40			87	43	28	23	21	40
41				48	30	25	22	41
42				54	33	27	24	42
43				62	36	29	25	43
44				72	39	31	27	44
45				87	43	33	29	45
46					48	36	31	46
47					55	40	34	47
48					63	44	37	48
49					73	49	40	49
50					88	55	44	50
51						65	52	51
52						75	59	52
53						89	66	53
54							76	54
55							90	55

TABLE-III

POSTAL LIFE INSURANCE

PREMIUM TABLE

Convertible While Life Assurance

Monthly Premium table for an assurance of Rs 5000/- Payment at death with option to Convert the policy at the end of 5 years from the commencement, in to an Endowment Assurance maturing at the specified age

Age at entry	Monthly Premium Payable for the first5Years and thereafter if option is not exercised but ceasing at the age of 60 (In Rs)	Monthly Premium Payable after the first 5 Years if option is not exercised to convert the policy in to Endowment Assurance maturing at the age 50, 55 or 58 Years (Premium in Rs)		
		50 Yr	55 Yrs	58 Yrs
19	7	14	11	10
20	7	15	11	11
21	8	15	12	11
22	8	16	12	11
23	8	16	13	11
24	8	18	13	12
25	9	19	15	12
26	9	19	15	13
27	9	21	16	13
28	9	22	16	15
29	10	23	17	15
30	10	25	19	16
31	11	26	20	17
32	11	30	20	17
33	12	31	21	18
34	12	35	22	19
35	13	39	24	20
36	13	43	27	22
37	14	47	28	23
38	15	54	31	24
39	16	64	33	25
40	16	77	36	27
41	17	96	40	30
42	18	126	46	33
43	19	188	52	36
44	21	364	58	39
45	22	-	69	42
46	24	-	85	47
47	26	-	113	55
48	28	-	166	64
49	30	-	319	78
50	33	-	-	99

Table IV

ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE

POSTAL LIFE INSURANCE

Monthly premium payable for an assurance of rs.5000/-

Age at Entry	15 Years Term Policy Rs.	Age at Entry	20 Years Term Policy Rs.
19 to 36 yrs.	Rs.33/-	19 to 33 yrs.	Rs.25/-
37 to 42 yrs.	Rs.34/-	37 to 39 yrs.	Rs.26/-
43 to 45 yrs.	Rs.35/-	40 yrs.	Rs.27/-

TABLE-V-

POSTAL LIFE INSURANCE

Monthly premiums per Rs 10,000 sum Assured for **Yugal Surksha.**

Terms of Joint Life Assurance Endowment															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	59	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	60	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	64	60	55	51	48	45	42
191	159	136	118	104	93	84	77	70	65	60	55	52	48	45	42
191	159	136	118	105	93	84	77	70	65	60	55	52	48	45	42
191	159	136	118	105	94	84	77	70	65	60	56	52	48	45	43
191	159	136	118	105	94	85	77	70	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	118	105	94	85	77	71	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	118	105	94	85	77	71	65	60	56	52	49	46	43
191	159	136	119	105	94	85	77	71	65	61	56	53	49	46	44
191	159	136	119	105	94	85	78	71	66	61	57	53	50	47	44
191	159	136	119	105	94	85	78	71	66	61	57	53	50	47	44
191	159	136	119	105	94	86	78	71	66	61	57	54	50	47	45
191	159	136	119	106	95	86	78	72	66	62	58	54	51	48	45
191	160	137	119	106	95	86	79	72	67	62	58	54	51	48	46
191	160	137	120	106	95	86	79	73	67	63	58	55	52	49	47
192	160	137	120	106	96	87	79	73	68	63	59	56	52	50	47
192	160	137	120	107	96	87	80	74	68	64	60	56	53	51	
193	161	138	121	107	97	88	80	74	69	64	60	57	54		
193	161	138	121	108	97	88	81	75	70	65	61	58			
193	161	139	122	108	98	89	82	76	70	66	62				
194	162	139	122	109	98	90	83	76	71	67					

The minimum sum proposed for assurance is Rs.20,000/-

The sums proposed for assurance shall be in multiples of Rs.10,000/-

The monthly premiums for sums assured over Rs.20,000/- shall be calculated on the pro-rata basis on the basis of month premiums foir Rs.10,000/- as given in the table. A rebate of re.1/. on policies of sum assured of Rs.40,000/- and Re.1/- Rs.10,000/- sum assured in excess of Rs.40,000/-will be given.

TABLE-VI

POSTAL LIFE INSURANCE & RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

CHILDREN ADD ON WITH PROFIT POLICY OF SUM ASSURED OF Rs.1000/-

AT ENTRY..... AGE AT MATURITY.....

	18	19	20	21	22	23	24	25
5	8.18	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36	6.13	5.92
6	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36	6.13
7	9.33	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63	6.36
8	10.11	9.33	8.68	8.13	7.67	7.27	6.93	6.63
9	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.67	7.28	6.93
10	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.68	7.28
11	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13	7.68
12	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68	8.13
13	18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33	8.68
14		18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11	9.33
15			18.88	15.94	13.85	12.28	11.07	10.11
16				18.88	15.94	13.85	12.28	11.07
17					18.88	15.94	13.85	12.28
18						18.88	15.94	13.85
19							18.88	15.94
20								18.88

TABLE-VII -

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

MONTHLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF			AGE AT ENTRY
	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P	
19	1.5	1.45	1.4	19
20	1.55	1.5	1.45	20
21	1.6	1.55	1.5	21
22	1.65	1.6	1.55	22
23	1.7	1.65	1.6	23
24	1.75	1.7	1.65	24
25	1.8	1.75	1.7	25
26	1.85	1.8	1.75	26
27	1.95	1.85	1.8	27
28	2.05	1.9	1.85	28
29	2.15	2	1.95	29
30	2.25	2.1	2.05	30
31	2.35	2.2	2.1	31
32	2.45	2.3	2.2	32
33	2.55	2.4	2.3	33
34	2.7	2.5	2.4	34
35	2.85	2.65	2.5	35
36	3	2.8	2.65	36
37	3.2	2.95	2.8	37
38	3.4	3.1	2.95	38
39	3.6	3.25	3.1	39
40	3.85	3.45	3.25	40
41	4.15	3.65	3.45	41
42	4.5	3.9	3.65	42
43	4.9	4.2	3.85	43
44	5.35	4.5	4.1	44
45	5.9	4.85	4.4	45
46	6.55	5.3	4.75	46
47	7.35	5.8	5.15	47
48	8.4	6.35	5.55	48
49	9.8	7.05	6.05	49
50	11.75	7.9	6.65	50
51		9.8	8.27	51
52		11.3	9.21	52
53		13.34	10.37	53
54			11.89	54
55			13.98	55

TABLE-VII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

QUARTERLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF			AGE AT ENTRY
	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P	
19	4.35	4.2	4.05	19
20	4.5	4.35	4.2	20
21	4.65	4.5	4.35	21
22	4.8	4.65	4.5	22
23	4.95	4.8	4.65	23
24	5.1	4.95	4.8	24
25	5.25	5.1	4.95	25
26	5.4	5.25	5.1	26
27	5.7	5.4	5.25	27
28	6	5.55	5.4	28
29	6.3	5.85	5.7	29
30	6.6	6.15	6	30
31	6.9	6.45	6.15	31
32	7.2	6.75	6.45	32
33	7.5	7.05	6.75	33
34	7.95	7.35	7.05	34
35	8.4	7.8	7.35	35
36	8.85	8.25	7.8	36
37	9.45	8.7	8.25	37
38	10.05	9.15	8.7	38
39	10.65	9.6	9.15	39
40	11.4	10.2	9.6	40
41	12.3	10.8	10.2	41
42	13.35	11.55	10.8	42
43	14.55	12.45	11.4	43
44	15.9	13.35	12.15	44
45	17.55	14.4	13.05	45
46	19.5	15.69	14.06	46
47	21.76	17.17	15.24	47
48	24.86	18.8	16.43	48
49	29	20.87	17.91	49
50	34.78	23.38	19.68	50
51		29.01	24.48	51
52		33.45	27.26	52
53		39.49	30.7	53
54			35.19	54
55			41.38	55

TABLE-VII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

HALF YEARLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF			AGE AT ENTRY
	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P	
19	8.45	8.15	7.85	19
20	8.75	8.45	8.15	20
21	9.05	8.75	8.45	21
22	9.35	9.05	8.75	22
23	9.65	9.35	9.05	23
24	9.95	9.65	9.35	24
25	10.25	9.95	9.65	25
26	10.55	10.25	9.95	26
27	11.15	10.55	10.25	27
28	11.75	10.85	10.55	28
29	12.35	11.45	11.15	29
30	12.95	12.05	11.75	30
31	13.55	12.65	12.05	31
32	14.15	13.25	12.65	32
33	14.75	13.85	13.25	33
34	15.65	14.45	13.85	34
35	16.55	15.35	14.45	35
36	17.45	16.25	15.35	36
37	18.65	17.15	16.25	37
38	19.85	18.05	17.15	38
39	21.05	18.95	18.05	39
40	22.55	20.15	18.95	40
41	24.35	21.35	20.15	41
42	26.45	22.85	21.35	42
43	28.85	24.65	22.55	43
44	31.55	26.45	24.05	44
45	34.85	28.55	25.85	45
46	38.75	31.06	27.84	46
47	43.07	33.99	30.18	47
48	49.22	37.21	32.52	48
49	57.43	41.31	35.45	49
50	68.86	46.29	38.97	50
51		57.43	48.46	51
52		66.22	53.97	52
53		78.17	60.77	53
54			69.68	54
55			81.92	55

TABLE-VII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

ANNUAL PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF			AGE AT ENTRY
	55 Rs .P	58 RS. P	60 RS. P	
19	15.95	15.35	14.75	19
20	16.55	15.95	15.35	20
21	17.15	16.55	15.95	21
22	17.75	17.15	16.55	22
23	18.35	17.75	17.15	23
24	18.95	18.35	17.75	24
25	19.55	18.95	18.35	25
26	20.15	19.55	18.95	26
27	21.35	20.15	19.55	27
28	22.55	20.75	20.15	28
29	23.75	21.95	21.35	29
30	24.95	23.15	22.55	30
31	26.15	24.35	23.15	31
32	27.35	25.55	24.35	32
33	28.55	26.75	25.55	33
34	30.35	27.95	26.75	34
35	32.15	29.75	27.95	35
36	33.95	32.26	29.75	36
37	36.35	33.35	31.55	37
38	38.75	35.15	33.35	38
39	41.15	36.95	35.15	39
40	44.15	39.35	36.95	40
41	47.75	41.75	39.35	41
42	51.95	44.75	41.75	42
43	56.75	48.35	44.15	43
44	62.15	51.95	47.15	44
45	68.75	56.15	50.75	45
46	75.46	61.06	54.72	46
47	84.67	66.82	59.33	47
48	96.77	73.15	63.94	48
49	112.9	81.22	69.7	49
50	135.36	91.01	76.61	50
51		112.9	95.27	51
52		130.18	106.1	52
53		153.68	119.46	53
54			136.97	54
55			161.05	55

TABLE-VIII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

CONVERTIBLE WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

MONTHLY PREMIUM PER RS. 1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	Monthly Premiums Payable for the First 5 Years and thereafter if option is not exercised but6 ceasing at age 60 years	Monthly Premiums Payable after the first5 Years if option is exercised to convert the policy into endowment assurance maturing at age				AGE AT ENTRY
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	1.4	2.8	2.3	2.05	1.95	19
20	1.45	2.95	2.4	2.15	2	20
21	1.5	3.1	2.5	2.25	2.1	21
22	1.55	3.25	2.6	2.35	2.2	22
23	1.6	3.4	2.7	2.45	2.3	23
24	1.65	3.6	2.85	2.55	2.4	24
25	1.7	3.8	3	2.65	2.5	25
26	1.75	4	3.15	2.75	2.6	26
27	1.8	4.25	3.3	2.9	2.7	27
28	1.85	4.5	3.45	3.05	2.8	28
29	1.95	4.8	3.65	3.2	2.9	29
30	2.05	5.15	3.85	3.35	3.05	30
31	2.1	5.5	4.05	3.5	3.2	31
32	2.2	5.95	4.3	3.7	3.35	32
33	2.3	6.45	4.6	3.9	3.55	33
34	2.4	7	4.9	4.15	3.75	34
35	2.5	7.7	5.2	4.4	3.95	35
36	2.65	8.5	5.6	4.65	4.2	36
37	2.8	9.5	6.05	4.95	4.45	37
38	2.95	10.75	6.55	5.3	4.7	38
39	3.1	12.35	7.15	5.7	5	39
40	3.25	14.45	7.8	6.15	5.35	40
41	3.45		8.85	6.65	5.75	41
42	3.65		9.65	7.25	6.2	42
43	3.85		10.9	7.95	6.75	43
44	4.1		12.5	8.75	7.3	44
45	4.4		14.6	9.75	8	45

1497 GI/11-12

TABLE-VIII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

CONVERTIBLE WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

QUARTERLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	Monthly Premiums Payable for the First 5 Years and thereafter if option is not exercised but ceasing at Age 60 Years	Monthly Premiums Payable after the first5 Years if option is exercised to convert the police into endowment assurance maturing at age				AGE AT ENTRY
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	4.05	8.25	6.75	6	5.7	19
20	4.2	8.7	7.05	6.3	5.85	20
21	4.35	9.15	7.35	6.6	6.15	21
22	4.5	9.6	7.65	6.9	6.45	22
23	4.65	10.05	7.95	7.2	6.75	23
24	4.8	10.65	8.4	7.5	7.05	24
25	4.95	11.25	8.85	7.8	7.35	25
26	5.1	11.85	9.3	8.1	7.65	26
27	5.25	12.6	9.75	8.55	7.95	27
28	5.4	13.35	10.2	9	8.25	28
29	5.7	14.25	10.8	9.45	8.55	29
30	6	15.3	11.4	9.9	9	30
31	6.15	16.35	12	10.35	9.45	31
32	6.45	17.7	12.75	10.95	9.9	32
33	6.75	19.2	13.65	11.55	10.5	33
34	7.05	20.85	14.55	12.3	11.1	34
35	7.35	22.95	15.45	13.05	11.7	35
36	7.8	25.35	16.65	13.8	12.45	36
37	8.25	28.35	18	14.7	13.2	37
38	8.7	32.1	19.5	15.75	13.95	38
39	9.15	36.9	21.3	16.95	14.85	39
40	9.6	43.2	23.25	18.3	14.9	40
41	10.2		25.8	19.8	17.1	41
42	10.8		28.8	21.6	18.45	42
43	11.4		32.55	23.7	20.1	43
44	12.15		37.35	26.1	21.75	44
45	13.05		43.65	29.1	23.85	45

TABLE-VIII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

CONVERTIBLE WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

HALF YEARLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	Monthly Premiums Payable for the First 5 Years and thereafter if option is not exercised but ceasing at Age 60 Years	Monthly Premiums Payable after the first5 Years if option is exercised to convert the police into endowment assurance maturing at age				AGE AT ENTRY
		50	55	58	60	
1	2	3	4	5	6	
19	7.85	16.25	13.25	11.75	11.15	19
20	8.15	17.15	13.85	12.35	11.45	20
21	8.45	18.05	14.45	12.95	12.05	21
22	8.75	18.95	15.05	13.55	12.65	22
23	9.05	19.85	15.65	14.15	13.25	23
24	9.35	21.05	16.55	14.75	13.85	24
25	9.65	22.25	17.45	15.35	14.45	25
26	9.95	23.45	18.35	15.95	15.05	26
27	10.25	24.95	19.25	16.85	15.65	27
28	10.55	26.45	20.15	17.75	16.25	28
29	11.15	28.25	21.35	18.65	16.85	29
30	11.75	30.25	22.55	19.55	17.75	30
31	12.05	32.45	23.75	20.45	18.65	31
32	12.65	35.15	25.25	21.65	19.55	32
33	13.25	38.15	27.05	22.85	20.75	33
34	13.85	41.45	28.85	24.35	21.95	34
35	14.45	45.65	30.65	25.85	23.15	35
36	15.35	50.45	33.05	27.35	24.65	36
37	16.25	56.45	35.75	29.15	26.15	37
38	17.15	63.95	38.75	31.25	27.65	38
39	18.05	73.55	42.35	33.95	29.45	39
40	18.95	86.15	46.25	36.35	31.55	40
41	20.15		51.35	39.35	33.95	41
42	21.35		57.35	42.95	36.65	42
43	22.55		64.85	47.15	39.95	43
44	24.05		74.45	51.95	43.25	44
45	25.85		87.05	57.95	47.45	45

TABLE-VIII

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

CONVERTIBLE WHOLE LIFE ASSURANCE PLAN

ANNUAL PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	Monthly premiums payable for the first 5 years and thereafter it option is not exercised but ceasing at Age 60 Years	Monthly premiums payable after the First 5 years if option is exercised to convert the policy into endowment assurance maturing at age				AGE AT ENTRY
		50	**55**	**58**	**60**	
1	2	3	4	5	6	
19	14.75	31.55	25.55	22.55	21.35	19
20	15.35	33.35	26.75	23.75	21.95	20
21	15.95	35.15	27.95	24.95	23.15	21
22	16.55	36.95	29.15	26.15	24.35	22
23	17.15	38.75	30.35	27.35	25.55	23
24	17.75	41.15	32.15	28.55	26.75	24
25	18.35	43.55	33.95	29.75	27.95	25
26	18.95	45.95	35.75	30.95	29.15	26
27	19.55	48.95	37.55	32.75	30.35	27
28	20.15	51.95	39.35	34.55	31.55	28
29	21.35	55.55	41.75	36.55	32.75	29
30	22.55	59.75	44.15	38.15	34.55	30
31	23.15	63.95	46.55	39.95	36.35	31
32	24.35	69.35	49.55	42.35	38.15	32
33	25.55	75.35	53.15	44.75	40.55	33
34	26.75	81.95	56.75	47.75	42.95	34
35	27.95	90.35	60.35	50.75	45.35	35
36	29.75	99.95	65.15	53.75	48.35	36
37	31.55	111.95	70.55	57.35	51.35	37
38	33.35	126.95	76.55	61.55	54.35	38
39	35.15	146.00	83.75	66.35	57.95	39
40	36.95	171.35	91.55	71.75	62.15	40
41	39.35		101.75	77.75	66.95	41
42	41.75		113.75	84.95	72.35	42
43	44.15		128.75	93.35	78.95	43
44	47.15		147.95	102.95	85.55	44
45	50.75		173.15	114.95	93.55	45

TABLE-IX

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ENDOWMENT LIFE ASSURANCE PLAN

MONTHLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF							AGE AT ENTRY
	35 RS. P	40 Rs. P	45 RS. P	50 RS. P	55 RS. P	58 RS P	60 RS. P	
19	5.1	3.75	2.95	2.4	2	1.85	1.75	19
20	5.45	3.95	3.1	2.5	2.05	1.9	1.8	20
21	5.85	4.2	3.25	2.6	2.1	1.95	1.85	21
22	6.35	4.45	3.4	2.7	2.2	2	1.9	22
23	6.95	4.75	3.55	2.8	2.3	2.05	1.95	23
24	7.6	5.1	3.75	2.95	2.4	2.15	2	24
25	8.4	5.45	3.95	3.1	2.5	2.25	2.1	25
26	9.4	5.85	4.2	3.25	2.6	2.35	2.2	26
27	10.65	6.35	4.45	3.4	2.7	2.45	2.3	27
28	12.2	6.95	4.75	3.6	2.85	2.55	2.4	28
29	14.3	7.6	5.1	3.8	3	2.65	2.5	29
30	17.25	8.4	5.5	4	3.15	2.75	2.6	30
31		9.4	5.9	4.25	3.3	2.9	2.7	31
32		10.65	6.4	4.5	3.45	3.05	2.8	32
33		12.2	6.95	4.8	3.65	3.2	2.9	33
34		14.3	7.65	5.15	3.85	3.35	3.05	34
35		17.25	8.45	5.5	4.05	3.5	3.2	35
36			9.45	5.95	4.3	3.7	3.35	36
37			10.65	6.45	4.6	3.9	3.55	37
38			12.25	7	4.9	4.15	3.75	38
39			14.35	7.7	5.2	4.4	3.95	39
40			17.3	8.5	5.6	4.65	4.2	40
41				9.5	6.05	4.95	4.45	41
42				10.75	6.55	5.3	4.7	42
43				12.35	7.15	5.7	5	43
44				14.45	7.8	6.15	5.35	44
45				17.4	8.65	6.65	5.75	45
46					9.65	7.25	6.2	46
47					10.9	7.95	6.75	47
48					12.5	8.75	7.3	48
49					14.6	9.75	8	49
50					17.55	11	8.85	50
51						13.06	10.49	51
52						15.07	11.71	52
53						17.84	13.24	53
54							15.25	54
55							18.01	55

TABLE-IX

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ENDOWMENT LIFE ASSURANCE PLAN

QUARTERLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

PREMIUM CEASING AT AGE OF

AGE AT ENTRY	35 RS. P	40 RS. P	45 RS. P	50 RS. P	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P	AGE AT ENTRY
19	15.15	11.1	8.7	7.05	5.85	5.4	5.1	19
20	16.2	11.7	9.15	7.35	6.00	5.55	5.25	20
21	17.4	12.45	9.6	7.65	6.15	5.7	5.4	21
22	18.9	13.2	10.05	7.95	6.45	5.85	5.55	22
23	20.7	14.1	10.5	8.25	6.75	6.00	5.7	23
24	22.65	15.15	11.1	8.7	7.05	6.3	5.85	24
25	25.05	16.2	11.7	9.15	7.35	6.6	6.15	25
26	28.05	17.4	12.45	9.6	7.65	6.9	6.45	26
27	31.8	18.9	13.2	10.05	7.95	7.2	6.75	27
28	36.45	20.7	14.1	10.65	8.4	7.5	7.05	28
29	42.75	22.65	15.15	11.25	8.85	7.8	7.35	29
30	51.6	25.05	16.2	11.85	9.3	8.1	7.65	30
31		28.05	17.55	12.6	9.75	8.55	7.95	31
32		31.8	19.05	13.35	10.2	9.00	8.25	32
33		36.45	20.7	14.25	10.8	9.45	8.55	33
34		42.75	22.8	15.3	11.4	9.9	9.00	34
35		51.6	25.2	16.35	12.00	10.35	9.45	35
36			28.2	17.7	12.75	10.95	9.9	36
37			31.8	19.2	13.65	11.55	10.5	37
38			36.6	20.85	14.55	12.3	11.1	38
39			42.9	22.95	15.45	13.05	11.7	39
40			51.75	25.35	16.65	13.8	12.45	40
41				28.35	18.00	14.7	13.2	41
42				32.1	19.5	15.75	13.95	42
43				36.9	21.3	16.95	14.85	43
44				43.2	23.25	18.3	15.9	44
45				52.05	25.8	19.8	17.1	45
46					28.56	21.46	18.35	46
47					32.26	23.53	19.98	47
48					37.00	25.9	21.61	48
49					43.22	28.86	23.68	49
50					51.95	32.56	26.2	50
51						38.66	31.05	51
52						44.61	34.66	52
53						52.81	39.19	53
54							45.14	54
55							53.31	55

TABLE-IX

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ENDOWMENT LIFE ASSURANCE PLAN

HALF YEARLY PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF						
	35 RS. P	40 RS. P	45 RS. P	50 RS. P	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P
19	30.05	21.95	17.15	13.85	11.45	10.55	9.95
20	32.15	23.15	18.05	14.45	11.75	10.85	10.25
21	34.55	24.65	18.95	15.05	12.05	11.15	10.55
22	37.55	26.15	19.85	15.65	12.65	11.45	10.85
23	41.15	27.95	20.75	16.25	13.25	11.75	11.15
24	45.05	30.05	21.95	17.15	13.85	12.35	11.45
25	49.85	32.15	23.15	18.05	14.45	12.95	12.05
26	55.85	34.55	24.65	18.95	15.05	13.55	12.65
27	63.35	37.55	26.15	19.85	15.65	14.15	13.25
28	72.65	41.15	27.95	21.05	16.55	14.75	13.85
29	85.25	45.05	30.05	22.25	17.45	15.35	14.45
30	102.95	49.85	32.23	23.45	18.35	15.95	15.05
31		55.85	34.85	24.95	19.25	16.85	15.65
32		63.35	37.85	26.45	20.15	17.75	16.25
33		72.65	41.15	28.25	21.35	18.65	16.85
34		85.25	45.35	30.35	22.55	19.55	17.75
35		102.95	50.15	32.45	23.75	20.45	18.65
36			56.15	35.15	25.25	21.65	19.55
37			63.35	38.15	27.05	22.85	20.75
38			72.95	41.45	28.85	24.35	21.95
39			85.55	45.65	30.65	25.85	23.15
40			103.25	50.45	33.05	27.35	24.65
41				56.45	35.75	29.15	26.15
42				63.95	38.75	31.25	27.65
43				73.55	42.35	33.65	29.45
44				86.15	46.25	36.35	31.55
45				103.85	51.35	39.35	33.95
46					56.55	42.49	36.33
47					63.87	46.59	39.56
48					73.25	51.28	42.78
49					85.56	57.14	46.88
50					102.84	64.46	51.86
51						76.53	61.47
52						88.31	68.62
53						104.54	77.59
54							89.37
55							105.54

TABLE-IX

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ENDOWMENT ASSURANCE PLAN

ANNUAL PREMIUM PER RS.1000/- SUM ASSURED

AGE AT ENTRY	PREMIUM CEASING AT AGE OF							AGE AT ENTRY
	35 RS. P	40 RS. P	45 RS. P	50 RS. P	55 RS. P	58 RS. P	60 RS. P	
19	59.15	42.95	33.35	26.75	21.95	20.15	18.95	19
20	63.35	45.35	35.15	27.95	22.55	20.75	19.55	20
21	68.15	48.35	36.95	29.15	23.15	21.35	20.15	21
22	74.15	51.35	38.75	30.35	24.35	21.95	20.75	22
23	81.35	54.95	40.55	31.55	25.55	22.55	21.35	23
24	89.15	59.15	42.95	33.35	26.75	23.75	21.95	24
25	98.75	63.35	45.35	35.15	27.95	24.95	23.15	25
26	110.75	68.15	48.35	36.95	29.15	26.15	24.35	26
27	125.75	74.15	51.35	38.75	30.35	27.35	25.55	27
28	144.35	81.35	54.95	41.15	32.15	28.55	26.75	28
29	169.55	89.15	59.15	43.55	33.95	29.75	27.95	29
30	204.95	98.75	63.35	45.95	35.75	30.95	29.15	30
31		110.75	68.75	48.95	37.55	32.75	30.35	31
32		125.75	74.75	51.95	39.35	34.55	31.55	32
33		144.35	81.35	55.55	41.75	36.35	32.75	33
34		169.55	89.75	59.75	44.15	38.15	34.55	34
35		204.95	99.35	63.95	46.55	39.95	36.55	35
36			111.35	69.35	49.55	42.35	38.15	36
37			125.75	75.35	53.15	44.75	40.55	37
38			144.95	81.95	56.75	47.75	42.95	38
39			170.15	90.35	60.35	50.75	45.35	39
40			205.55	99.95	65.15	53.75	48.35	40
41				111.95	70.55	57.35	51.35	41
42				126.95	76.55	61.55	54.35	42
43				146.15	83.75	66.35	57.95	43
44				171.35	91.55	71.75	62.15	44
45				206.75	101.75	77.75	66.95	45
46					111.17	83.52	71.42	46
47					125.57	91.58	77.76	47
48					144	100.8	84.1	48
49					168.19	112.32	92.16	49
50					202.18	126.72	101.95	50
51						150.45	120.84	51
52						173.61	134.9	52
53						205.52	152.52	53
54							175.68	54
55							207.48	55

TABLE-X

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE PLAN

MONTHLY PRREMIUM PER Rs. 1000/- SUM ASSURED

Age at Entry	PREMIUM CEASING AT AGE OF		Age at Entry
	15 YEARS RS. P	20 YEARS RS. P	
19	6.55	4.95	19
20	6.55	4.95	20
21	6.55	4.95	21
22	6.55	4.95	22
23	6.55	4.95	23
24	6.55	4.95	24
25	6.55	4.95	25
26	6.55	5.00	26
27	6.55	5.00	27
28	6.55	5.00	28
29	6.55	5.00	29
30	6.60	5.00	30
31	6.60	5.05	31
32	6.60	5.05	32
33	6.60	5.05	33
34	6.60	5.10	34
35	6.65	5.10	35
36	6.65	5.15	36
37	6.70	5.15	37
38	6.70	5.20	38
39	6.75	5.25	39
40	6.75	5.30	40

TABLE-X

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ANTICIPATED ENDDWMENT ASSURANCE PLAN

QUARTERLY PRREMIUM PER Rs. 1000/- SUM ASSURED

Age at Entry	PREMIUM CEASING AT AGE OF		Age at Entry
	15 YEARS RS. P	20 YEARS RS. P	
19	19.50	14.70	19
20	19.50	14.70	20
21	19.50	14.70	21
22	19.50	14.70	22
23	19.50	14.70	23
24	19.50	14.70	24
25	19.50	14.70	25
26	19.50	14.85	26
27	19.50	14.85	27
28	19.50	14.85	28
29	19.50	14.85	29
30	19.65	14.85	30
31	19.65	15.00	31
32	19.65	15.00	32
33	19.65	15.00	33
34	19.65	15.15	34
35	19.80	15.15	35
36	19.80	15.30	36
37	19.95	15.30	37
38	19.95	15.45	38
39	20.10	15.60	39
40	20.10	15.75	40

TABLE-X

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE PLAN

HALF YEARLY PRREMIUM PER Rs. 1000/- SUM ASSURED

Age at Entry	PREMIUM FOR THE TERM OF		Age at Entry
	15 YEARS RS. P	**20 YEARS RS. P**	
19	38.75	29.15	19
20	38.75	29.15	20
21	38.75	29.15	21
22	38.75	29.15	22
23	38.75	29.15	23
24	38.75	29.15	24
25	38.75	29.15	25
26	38.75	29.45	26
27	38.75	29.45	27
28	38.75	29.45	28
29	38.75	29.45	29
30	39.05	29.45	30
31	39.05	29.75	31
32	39.05	29.75	32
33	39.05	29.75	33
34	39.05	30.05	34
35	39.35	30.05	35
36	39.35	30.05	36
37	39.65	30.35	37
38	39.65	30.65	38
39	39.95	30.95	39
40	39.95	31.25	40

TABLE-X

RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE PLAN

ANNUAL PRREMIUM PER Rs. 1000/- SUM ASSURED

Age at Entry	PREMIUM FOR THE TERM OF		Age at Entry
	15 YEARS RS. P	20 YEARS RS. P	
19	76.55	57.35	19
20	76.55	57.35	20
21	76.55	57.35	21
22	76.55	57.35	22
23	76.55	57.35	23
24	76.55	57.35	24
25	76.55	57.35	25
26	76.55	57.95	26
27	76.55	57.95	27
28	76.55	57.95	28
29	76.55	57.95	29
30	77.15	57.95	30
31	77.15	58.55	31
32	77.15	58.55	32
33	77.15	58.55	33
34	77.15	59.15	34
35	77.75	59.15	35
36	77.75	59.75	36
37	78.35	59.75	37
38	78.35	60.35	38
39	78.95	60.95	39
40	78.95	61.55	40

TABLE-XI

GRAM YOJANA(GRAM PRIYA) 10 YEARS
RURAL POSTAL LIFE INSURANCE

Age at Entry Yrs	ANNUAL Rs	HALFYEARLY Rs	QUARTERLY Rs	MONTHLY	Age at Entry Yrs
20	114.45	57.70	29.00	9.70	20
21	114.55	57.75	29.00	9.70	21
22	114.60	57.80	29.05	9.70	22
23	114.65	57.80	29.05	9.70	23
24	114.70	57.85	29.05	9.70	24
25	114.80	57.90	29.10	9.70	25
26	114.85	57.90	29.10	9.70	26
27	114.95	57.95	29.10	9.75	27
28	115.05	58.00	29.15	9.75	28
29	115.20	58.10	29.20	9.75	29
30	115.30	58.15	29.20	9.75	30
31	115.45	58.20	29.25	9.75	31
32	115.60	58.30	29.30	9.80	32
33	115.75	58.35	29.30	9.80	33
34	115.90	58.45	29.35	9.80	34
35	116.00	58.50	29.40	9.80	35
36	116.15	58.55	29.40	9.85	36
37	116.30	58.65	29.45	9.85	37
38	116.40	58.70	29.50	9.85	38
39	116.50	58.75	29.50	9.85	39
40	116.55	58.75	29.50	9.85	40
41	117.10	59.05	29.65	9.95	41
42	117.75	59.35	29.80	9.95	42
43	118.40	59.70	30.00	10.00	43
44	119.10	60.05	30.15	10.05	44
45	119.80	60.40	30.35	10.15	45

Note ;(1) For the purpose of all tables "age at entry"
Means the age next birthday following the date of payment of the First premium

(2) For a policy of Rs.20,000/- and above a rebate of Rs.1/-
Shall be allowed except for (Joint Life Assurance) Yugal Suraksha for which rates of rebates are mentioned separately below the relevant table.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Cantroller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940
No. 78] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

फा. सं. 22-02/85-एल1 (खंड III).—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग I, खंड 1 असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित तथा भारत के राजपत्र संख्या 240 दिनांक 18 अक्तूबर, 2012 में अधिसूचना के माध्यम से पुन: संशोधित "डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011" के नियम 24 और नियम 25 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :

नियम 24

क्र. सं.	बीमित रकम की सीमा	चिकित्सा अधिकारी का स्तर के स्थान पर	चिकित्सा अधिकारी का स्तर पढ़ें
(क)	5 लाख रुपए तक के बीमा के लिए	(i) सहायक सिविल सर्जन या इससे वरिष्ठ / पीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (ii) प्रस्तावकों के कार्यस्थल के स्थान के निकट केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड अथवा यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सहायक सिविल सर्जन के समक्ष या इससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और राज्य एवं केंद्र, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की	(i) सहायक सिविल सर्जन या इससे वरिष्ठ / पीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (ii) प्रस्तावक की अस्थाई / स्थाई कार्यस्थल या प्रवास के स्थान के निकट केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सहायक सिविल सर्जन के समकक्ष या इससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य एवं

		इकाईयों के चिकित्सा अधिकारी। **(iii)** सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (**ग्रेड** II)	केंद्रीय दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की इकाईयों के चिकित्सा अधिकारी। (iii) सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (**ग्रेड** II)
(ख)	5 लाख रुपए से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक के बीमा के लिए	(i) उप सिविल सर्जन या इससे वरिष्ठ अधिकारी (ii) प्रस्तावक के कार्यस्थल के निकटतम स्थान के केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त उप सिविल सर्जन के या इससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य एवं केंद्रीय दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी भी जिनके पास कम से कम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो। **(iii)** सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (**ग्रेड** I)	(i) उप सिविल सर्जन या इससे वरिष्ठ (ii) प्रस्तावक की अस्थाई / स्थाई कार्यस्थल या प्रवास के स्थान के निकट केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त उप सिविल सर्जन के समतुल्य या इससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य एवं केंद्रीय दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी भी जिनके पास कम से कम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो। **(iii)** सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (**ग्रेड** I)
(ग)	10 लाख रुपए से अधिक के बीमा के लिए	(i) प्रस्तावक की ड्यूटी के स्थान के निकट सरकार के नियोजन में सिविल सर्जन, चिकित्सा अधिकारी जिनका स्तर सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कम न हो। सीएमओ **ग्रेड-**I / विशेषज्ञ **ग्रेड-**II को भी सिविल सर्जन की रैंक के समतुल्य माना जाएगा। (ii) प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सिविल सर्जन के समकक्ष चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) तथा राज्य एवं केंद्रीय दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी भी जिनके पास कम से कम 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव हो। (iii) सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सीएमओ **ग्रेड-**I एवं विशेषज्ञ **ग्रेड-**II	(i) प्रस्तावक की अस्थाई /स्थाई कार्यस्थल या प्रवास के स्थान के निकट सरकार के नियोजन में सिविल सर्जन, चिकित्सा अधिकारी जिनका स्तर सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कम न हो। सीएमओ **ग्रेड-**I / विशेषज्ञ **ग्रेड-**II को भी सिविल सर्जन की रैंक के समतुल्य माना जाएगा। (ii) प्रस्तावक की अस्थाई / स्थाई कार्यस्थल या प्रवास के स्थान के निकट केंद्र एवं राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पतालों या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सिविल सर्जन के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) तथा राज्य एवं केंद्रीय दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी भी जिनके पास कम से कम 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव हो। (iii) सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सीएमओ **ग्रेड-**I एवं विशेषज्ञ **ग्रेड-**II

<u>नियम 24 के नीचे टिप्पणी (3)</u>

के स्थान पर : "संबंधित **पोस्टमास्टर जनरल** इन नियमों में निर्धारित सीमा तक पीएलआई / आरपीएलआई प्रस्तावकों की जांच के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-**II**, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सीएमओ **ग्रेड-**I, विशेषज्ञ **ग्रेड-**II तथा मेडिसीन में स्नातकोत्तर डॉक्टर, जिन्होंने सरकारी सेवा से स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है तथा अभ्यासी कंसल्टैंट फिजिसियन के रूप में काम कर रहे हैं, की नियुक्ति करेंगे।"

पढ़ें : "संबंधित **मंडल प्रमुख** इन नियमों में निर्धारित सीमा तक पीएलआई / आरपीएलआई प्रस्तावकों की जांच के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी **ग्रेड-**II, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सीएमओ **ग्रेड-**I, विशेषज्ञ **ग्रेड-**II तथा मेडिसीन में स्नातकोत्तर डॉक्टर, जिन्होंने सरकारी सेवा से स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है तथा अभ्यासी कंसल्टैंट फिजिसियन के रूप में काम कर रहे हैं, की नियुक्ति करेंगे।"

नियम 25

के स्थान पर : "**पोस्टमास्टर जनरल** निम्नलिखित शर्तों के अधीन पांच लाख रुपए (5 लाख रुपए) तक के बीमित रकम वाले पीएलआई / आरपीएलआई प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स (एलोपैथिक) को भी नियुक्त कर सकते हैं:"

पढ़ें : "**मंडल प्रमुख** निम्नलिखित शर्तों के अधीन पांच लाख रुपए (5 लाख रुपए) तक के बीमित रकम वाले पीएलआई / आरपीएलआई प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करने के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर्स (एलोपैथिक) को भी नियुक्त कर सकते हैं:"

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)
अपर सचिव के समतुल्य

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

F.No. 22-02/85-LI (Vol. III).—The President is pleased to make the following amendment to Rule 24 and Rule 25 of "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary) and further amended vide Notification in Gazette of India No. 240 dated 18th October 2012 as under:

Rule 24

S.No.	Limit of Sum Assured	Status of Medical Officer	Status of Medical Officer
		For	**Read**
(a)	For Insurance up to 5 lac.	(i) Assistant Civil Surgeon or above/Medical officer in PHC. (ii) Medical officer equivalent to Assistant Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings, both State and Central, nearest to the place of duty of the proponent.	(i) Assistant Civil Surgeon or above/Medical officer in PHC. (ii) Medical officer equivalent to Assistant Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings, both State and Central nearest to the place of

		(iii) Retired Medical Officers (Gr.II).	temporary/permanent duty or residence or stay of the proponent". (iii) Retired Medical Officers (Gr. II).
(b)	For insurance above ₹ 5 lac and up to ₹ 10 lac	(i) Dy. Civil Surgeon or above (ii) Medical Officer equivalent to Dy. Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings both State and Centre with at least 10 (ten) years experience, nearest to the place of duty of the proponent. (iii) Retired Medical Officers (Gr.I)	(i) Dy. Civil Surgeon or above (ii) Medical Officer equivalent to Dy. Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings both State and Centre with at least 10 (ten) years experience nearest to the place of temporary/permanent duty or residence or stay of the proponent". (iii) Retired Medical Officers (Gr.I).
(c)	For insurance in excess of ₹ 10 Lac	(i) Civil Surgeon, Medical Officers in the employment of Government enjoying the status not lower than that of a Civil Surgeon or Chief Medical Officer, nearest to the place of duty of the proponent. CMO Grade-I/Specialist Grade-II shall also be considered as equivalent to the rank of Civil Surgeon. (ii) Medical Officer (Allopathic) equivalent to Civil Surgeon employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board, or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertaking both State and Centre with at least 15 (years) experience, nearest to the place of the duty of proponent. (iii) Retired Civil Surgeon, CMO Gr.-I and Specialist Grade-II.	(i) Civil Surgeon, Medical Officers in the employment of Government enjoying the status not lower than that of a Civil Surgeon or Chief Medical Officer nearest to the place of temporary/permanent duty or residence or stay of the proponent". CMO Grade-I/Specialist Grade-II shall also be considered as equivalent to the rank of Civil Surgeon. (ii) Medical Officer (Allopathic) equivalent to Civil Surgeon employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board, or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertaking both State and Central with at least 15 (years) experience nearest to the place of temporary/permanent duty or residence or stay of the proponent". (iii) Retired Civil Surgeon, CMO Gr.-I and Specialist Grade-II.

Note (3) below Rule 24

For: "The Postmaster General concerned will appoint retired medical officer Gr-II, retired Civil Surgeon, CMO Grade-I, Specialist Class-II and Postgraduate Doctor in Medicine, who voluntarily resigned from the Government Service and working as a practicing Consultant Physician, for examining PLI/RPLI proponents up to the limits as given in these rules."

Read: "**The Divisional Head** concerned will appoint retired medical officer Gr-II, retired Civil Surgeon, CMO Grade-I, Specialist Class-II and Postgraduate Doctor in Medicine, who voluntarily resigned from the Government Service and working as a practicing Consultant Physician, for examining PLI/RPLI proponents up to the limits as given in these rules".

Rule 25

For: "**The Postmaster General** may also appoint the Registered Medical Practitioners (Allopathic) to conduct medical examination of PLI and RPLI proponent up to the sum assured of Rs five lacs (Rs 5 lacs) subject to the following conditions:"

Read: "**The Head of Division** may also appoint the Registered Medical Practitioners (Allopathic) to conduct medical examination of PLI and RPLI proponent up to the sum assured of Rs five lacs (Rs 5 lacs) subject to the following conditions:"

L.N.SHARMA, Chief General Manager(PLI)
Equivalent to Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.13 11:52:49 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2012/आश्विन 26, 1934
No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2012/ASVINA 26, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 25-1/2011-एल.आई.—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग I, खण्ड 1, असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित तथा भारत के राजपत्र, सं. 110 में दिनांक 27-5-2011 की अधिसूचना के तहत आगे संशोधित "डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(क) डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011 के नियम 5 के अंतर्गत ग्रामीण डाक जीवन बीमा से संबंधित परिभाषा सं. 35 में, दूसरी पंक्ति में "संयुक्त जीवन बीमा" शब्दों को हटाया जाता है।

(ख) नियम 6 में दूसरी पंक्ति में "प्रत्याशित" शब्द के पहले "परिवर्तनीय आजीवन बीमा" शब्दों को अंतर्वेशित किया जाता है।

(ग) नियम 6 के उप नियम (5) के नीचे निम्नलिखित उप नियम तथा नियम 6 के नीचे टिप्पणी 2 अंतर्वेशित की जाती है :-

(6) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा संविदा आधार पर नियोजित/नियुक्त कर्मचारी, जहां संविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(7) ऐसे संयुक्त उद्यमों के कर्मचारी जिनमें केन्द्र/ राज्य सरकारों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों की न्यूनतम शेयर पूंजी 10 प्रतिशत है।

(8) ऐसी ऋण सहकारी समितियों और सहकारी समितियों के सदस्य/ कर्मचारी जो सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकृत हैं तथा केन्द्र/ राज्य सरकारों/ आरबीआई/ एसबीआई/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/ नाबार्ड और सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य संस्थाओं से आंशिक रूप से अथवा पूर्णत: वित्त पोषित हैं।

(9) उन सम विश्व विद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारी जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,भारतीय चिकित्सा परिषद, आदि जैसे मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रत्यायित हैं और/ अथवा विश्व विद्यालयों/ बोर्डों आदि से सम्बद्ध हैं।

(10) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारी।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त उपनियम (7), (8) और (9) के तहत उल्लिखित पात्र संयुक्त उद्यमों/सहकारी समितियों और सम विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को महानिदेशक डाक द्वारा इन नियमों की अनुसूची 'क' में समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) नियम-6 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी अंतर्वेशित की जाती है:

टिप्पणी 3: पीएलआई के अंतर्गत आजीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा के मामले में 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले प्रस्तावकों के लिए पॉलिसी की न्यूनतम अवधि, जहां बीमित राशि 5 लाख रु. से अधिक है, 7 वर्ष होगी तथा इसके अलावा 54 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए न्यूनतम अवधि 6 वर्ष होगी।

(ड.) नियम 8 के प्रथम वाक्य के बाद तीसरी पंक्ति में निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:-

बन्दोबस्ती बीमा के मामले में, पालिसी को बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव के समय चुने गए तरीके के अनुसार, क्रमश: तालिका ।।-क/ ।।-ख/ ।।-ग में विनिर्दिष्ट किए अनुसार त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक प्रीमियम भुगतान करके भी प्रभावी किया जा सकता है।

(च) नियम 12 में मौजूदा पैरा के पश्चात निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है:

इस स्कीम के अंतर्गत बीमा के लिए न्यूनतम सीमा 20,000/- रु. केवल (बीस हजार रुपए) होगी। पीएलआई के मामले में इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम बीमित राशि 3,00,000/-रु. (केवल तीन लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी अथवा प्रत्येक व्यक्तिगत पालिसी के संबंध में पिता अथवा माता की बीमित राशि, जो भी कम हो तथा आरपीएलआई के मामले में अधिकतम बीमित राशि 1 लाख रु. (केवल एक लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी अथवा प्रत्येक व्यक्तिगत पालिसी के संबंध में पिता अथवा माता की बीमित राशि, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। बीमित व्यक्ति की अन्य पालिसियों सहित इस पालिसी की कुल बीमित राशि बीमित राशि की उस अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी जिसकी पीएलआई/आरपीएलआई के अंतर्गत समय-समय पर अनुमति दी जाती है।

(छ) नियम 13 (क) में

i. दूसरी और तीसरी-चौथी पंक्ति में "संयुक्त जीवन बीमा" शब्दों को हटाया जाता है।

ii. "और संयुक्त जीवन बीमा के मामले में बीमित राशि का ध्यान किए बिना," शब्दों को दूसरी पंक्ति में "का" शब्द के बाद और "तथा" शब्द से पहले अंतर्वेशित किया जाता है।

(ज) नियम-18 में अंतिम वाक्य "अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो बदले में इस आशय के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि संबंधित प्रश्नों के तहत दी गई सूचना प्रमाणित की गई है और यह सही पाई गई है तथा प्रस्तावक ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं अथवा अंगूठे का निशान लगाया है।" को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

प्रस्ताव प्रपत्र पर प्रस्तावक द्वारा विपणन स्टाफ अर्थात विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, डायरेक्ट एजेंट आदि के समक्ष हस्ताक्षर करना होगा अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो इस संबंध में प्रमाणपत्र देगा। प्रस्तावक का आसन्न पर्यवेक्षक इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है तथा वे सही पाई गई हैं।

(झ) पीएलआई/ आरपीएलआई प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की हैसियत के संबंध में नियम 24 में विद्यमान तालिका को निम्न तालिका द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

क्र.सं.	बीमित राशि की सीमा	चिकित्सा अधिकारी की हैसियत
(क)	5 लाख रु. तक के बीमा के लिए	(i) सहायक सिविल सर्जन अथवा इससे ऊपर/पीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (ii) प्रस्तावकों के कार्य स्थल के निकटतम स्थान के केन्द्रीय और राज्य सरकार, नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड अथवा यूनियन बोर्ड के अस्पताल या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सहायक सिविल सर्जन के समक्ष चिकित्सा अधिकारी अथवा ऊपर के अधिकारी और राज्य एवं केन्द्र, दोनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी

		(iii)	सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-।।)
(ख)	5 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक के बीमा के लिए	(i)	उप सिविल सर्जन अथवा इससे ऊपर का अधिकारी
		(ii)	प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम स्थान के केन्द्रीय और राज्य सरकार, नगर पालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड अथवा यूनियन बोर्ड के अस्पताल या डिस्पेंसरियों में नियुक्त उप सिविल सर्जन के समकक्ष चिकित्सा अधिकारी अथवा ऊपर के अधिकारी और राज्य एवं केन्द्र दोनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी जिनके पास कम से कम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो।
		(iii)	सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड-।)
(ग)	10 लाख रु. से अधिक के बीमा के लिए	(i)	प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम स्थान के ऐसे सरकारी सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी जिनकी हैसियत सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कम न हो। सीएमओ ग्रेड-।/विशेषज्ञ श्रेणी-।। को भी सिविल सर्जन के रैंक के समतुल्य माना जाएगा।
		(ii)	प्रस्तावक के कार्यस्थल से निकटतम स्थान के केन्द्रीय और राज्य सरकार, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, छावनी बोर्ड या यूनियन बोर्ड के अस्पताल या डिस्पेंसरियों में नियुक्त सिविल सर्जन के समकक्ष चिकित्सा अधिकारी(एलोपैथिक) और राज्य एवं केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी जिन्हें कम से कम 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव हो।
		(iii)	सेवानिवृत्त सिविल सर्जन, सीएमओ ग्रेड-। और विशेषज्ञ श्रेणी-।।

(त्र) नियम 27 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी अंतर्वेशित की जाती है:-

टिप्पणी: डिवीजन प्रमुख/ स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी महानिदेशक डाक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित बीमित राशि की सीमा तक प्रस्तावों को स्वीकार कर सकते हैं।

(ट) नियम सं. 44 की नौवीं पंक्ति में वाक्यांश "...अपने द्वारा चुने गए डाकघर में..." को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"...प्रीमियम का भुगतान किसी भी डाकघर अथवा डाक विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आनलाइन..."

(ठ) नियम 45 में:

(i) प्रथम पंक्ति में 'अपने द्वारा चुने गए' शब्दों को हटाया जाता है।

(ड) नियम 46 की तीसरी पंक्ति के वाक्यांश "मासिक प्रीमियम को नकद में उस पोस्टमास्टर को अदा करेगा जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुना गया है" को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"मासिक प्रीमियम को नकद में किसी भी डाकघर में अदा करेगा। "

(ढ) नियम 49 की दूसरी पंक्ति के वाक्यांश '...अपने द्वारा चुने गए डाकघर में...' को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"...किसी भी डाकघर में अथवा डाक विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आन लाइन..."

(ण) नियम 52 (2) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी अंतर्वेशित की जाती है:

टिप्पणी 2: डिवीजन के प्रमुख महानिदेशक डाक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर परिपक्वता दावों को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं।

(त) नियम 54 में :

(i) प्रथम पंक्ति में

"दावों को" शब्दों के पहले "मृत्यु" शब्द अंतर्वेशित किया जाता है।

(ii) प्रथम पंक्ति में "महानिदेशक डाक" शब्दों को "सर्किल के अध्यक्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(थ) नियम 56 (3) के नीचे दी गई मौजूदा टिप्पणी-। और नियम 57 (4) के नीचे दी गई टिप्पणी-। को हटाया जाता है।

(द) डाक जीवन बीमा के लिए निम्नलिखित तालिकाएं और इनके नीचे टिप्पणी अंतर्वेशित की जाती है:

तालिका-II-क

डाकघर बीमा निधि

बन्दोबस्ती बीमा

(5000/-रु. के बीमा के लिए त्रैमासिक प्रीमियम)

प्रवेश के समय	परिपक्वता की आयु							प्रवेश के समय
आयु	35	40	45	50	55	58	60	आयु
19	77.90	56.90	44.90	36.00	30.00	27.00	27.00	19
20	80.80	59.90	47.90	39.00	30.00	30.00	27.00	20
21	86.80	62.90	47.90	39.00	33.00	30.00	27.00	21
22	95.80	65.90	50.90	41.90	33.00	30.00	30.00	22
23	104.80	71.90	53.90	41.90	36.00	30.00	30.00	23
24	113.80	77.90	56.90	44.90	36.00	33.00	30.00	24
25	125.70	80.80	59.90	47.90	39.00	33.00	33.00	25
26	140.70	86.80	62.90	47.90	39.00	36.00	33.00	26
27	158.70	95.80	65.90	50.90	41.90	36.00	36.00	27
28	182.60	104.80	71.90	53.90	41.90	39.00	36.00	28
29	215.50	113.80	77.90	56.90	44.90	39.00	39.00	29
30	257.40	125.70	83.80	59.90	47.90	41.90	39.00	30
31		140.70	89.80	62.90	50.90	44.90	41.90	31
32		158.70	95.80	68.90	50.90	44.90	41.90	32
33		182.60	104.80	71.90	53.90	47.90	44.90	33
34		215.50	113.80	77.90	56.90	50.90	44.90	34
35		257.40	125.70	83.80	59.90	53.90	47.90	35
36			140.70	89.80	65.90	56.90	50.90	36
37			158.70	95.80	68.90	59.90	53.90	37
38			182.60	104.80	74.90	62.90	56.90	38
39			215.50	116.80	77.90	65.90	59.90	39
40			260.40	128.70	83.80	68.90	62.90	40
41				143.70	89.80	74.90	65.90	41
42				161.60	98.80	80.80	71.90	42
43				185.60	107.80	86.80	74.90	43
44				215.50	116.80	92.80	80.80	44
45				260.40	128.70	98.80	86.80	45
46					143.70	107.80	92.80	46
47					164.60	119.80	101.80	47
48					188.60	131.70	110.80	48
49					218.50	146.70	119.80	49
50					263.40	164.60	131.70	50
51						194.60	155.70	51
52						224.50	176.60	52
53						266.40	197.60	53
54							227.50	54
55							269.40	55

टिप्पणी: प्रस्तावक द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार परिकलित निवल प्रीमियम की राशि को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाए।

तालिका-II-ख

डाकघर बीमा निधि

बन्दोबस्ती बीमा

(5000/-रु. के बीमा के लिए अर्ध-वार्षिक प्रीमियम)

प्रवेश के समय आयु	परिपक्वता की आयु							प्रवेश के समय आयु
	35	40	45	50	55	58	60	
19	153.70	112.30	88.70	71.00	59.20	53.20	53.20	19
20	159.60	118.30	94.60	76.90	59.20	59.20	53.20	20
21	171.40	124.20	94.60	76.90	65.10	59.20	53.20	21
22	189.20	130.10	100.50	82.80	65.10	59.20	59.20	22
23	206.90	141.90	106.40	82.80	71.00	59.20	59.20	23
24	224.60	153.70	112.30	88.70	71.00	65.10	59.20	24
25	248.30	159.60	118.30	94.60	76.90	65.10	65.10	25
26	277.80	171.40	124.20	94.60	76.90	71.00	65.10	26
27	313.30	189.20	130.10	100.50	82.80	71.00	71.00	27
28	360.60	206.90	141.90	106.40	82.80	76.90	71.00	28
29	425.60	224.60	153.70	112.30	88.70	76.90	76.90	29
30	508.30	248.30	165.50	118.30	94.60	82.80	76.90	30
31		277.80	177.40	124.20	100.50	88.70	82.80	31
32		313.30	189.20	136.00	100.50	88.70	82.80	32
33		360.60	206.90	141.90	106.40	94.60	88.70	33
34		425.60	224.60	153.70	112.30	100.50	88.70	34
35		508.30	248.30	165.50	118.30	106.40	94.60	35
36			277.80	177.40	130.10	112.30	100.50	36
37			313.30	189.20	136.00	118.30	106.40	37
38			360.60	206.90	147.80	124.20	112.30	38
39			425.60	230.50	153.70	130.10	118.30	39
40			514.20	254.20	165.50	136.00	124.20	40
41				283.70	177.40	147.80	130.10	41
42				319.20	195.10	159.60	141.90	42
43				366.50	212.80	171.40	147.80	43
44				425.60	230.50	183.30	159.60	44
45				514.20	254.20	195.10	171.40	45
46					283.70	212.80	183.30	46
47					325.10	236.50	201.00	47
48					372.40	260.10	218.70	48
49					431.50	289.60	236.50	49
50					520.10	325.10	260.10	50
51						384.20	307.40	51
52						443.30	348.70	52
53						526.00	390.10	53
54							449.20	54
55							532.00	55

टिप्पणी: प्रस्तावक द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार परिकलित निवल प्रीमियम की राशि को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाए।

तालिका-II-ग

डाकघर बीमा निधि

बन्दोबस्ती बीमा

(5000/-रु. के बीमा के लिए वार्षिक प्रीमियम)

प्रवेश के समय आयु	परिपक्वता की आयु							प्रवेश के समय आयु
	35	40	45	50	55	58	60	
19	302.70	221.20	174.70	139.70	116.50	104.80	104.80	19
20	314.30	232.90	186.30	151.40	116.50	116.50	104.80	20
21	337.60	244.50	186.30	151.40	128.10	116.50	104.80	21
22	372.50	256.10	197.90	163.00	128.10	116.50	116.50	22
23	407.50	279.40	209.60	163.00	139.70	116.50	116.50	23
24	442.40	302.70	221.20	174.70	139.70	128.10	116.50	24
25	488.90	314.30	232.90	186.30	151.40	128.10	128.10	25
26	547.10	337.60	244.50	186.30	151.40	139.70	128.10	26
27	617.00	372.50	256.10	197.90	163.00	139.70	139.70	27
28	710.10	407.50	279.40	209.60	163.00	151.40	139.70	28
29	838.10	442.40	302.70	221.20	174.70	151.40	151.40	29
30	1,001.10	488.90	326.00	232.90	186.30	163.00	151.40	30
31		547.10	349.30	244.50	197.90	174.70	163.00	31
32		617.00	372.50	267.80	197.90	174.70	163.00	32
33		710.10	407.50	279.40	209.60	186.30	174.70	33
34		838.10	442.40	302.70	221.20	197.90	174.70	34
35		1,001.10	488.90	326.00	232.90	209.60	186.30	35
36			547.10	349.30	256.10	221.20	197.90	36
37			617.00	372.50	267.80	232.90	209.60	37
38			710.10	407.50	291.10	244.50	221.20	38
39			838.10	454.00	302.70	256.10	232.90	39
40			1,012.70	500.60	326.00	267.80	244.50	40
41				558.80	349.30	291.10	256.10	41
42				628.60	384.20	314.30	279.40	42
43				721.70	419.10	337.60	291.10	43
44				838.10	454.00	360.90	314.30	44
45				1,012.70	500.60	384.20	337.60	45
46					558.80	419.10	360.90	46
47					640.30	465.70	395.80	47
48					733.40	512.20	430.70	48
49					849.80	570.40	465.70	49
50					1,024.40	640.30	512.20	50
51						756.70	605.30	51
52						873.10	686.80	52
53						1,036.00	768.30	53
54							884.70	54
55							1,047.70	55

टिप्पणी: प्रस्तावक द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार परिकलित निवल प्रीमियम की राशि को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाए।

(ध) तालिका -III के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी अंतर्वेशित की जाती है:

"टिप्पणी: इस तालिका के प्रयोजनार्थ प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 19 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।"

(न) 'तालिका-V' के नीचे निम्नलिखित अनुसूची अंतर्वेशित की जाती है:

तालिका – V

अनुसूची

कॉलम (1) बीमित दो व्यक्तियों की आयु के बीच अंतर

कॉलम (2) बीमित दो व्यक्तियों की समान आयु का परिकलन करने के लिए निम्नतर आयु में वृद्धि।

कॉलम1	कॉलम2
0	0
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	5
9	5
10	6
11	7
12	8
13	8
14	9
15	10
16	11
17	11
18	12
19	13

20	14
21	15
22	16
23	17
24	18
25	19
26	20
27	21
28	22
29	23
30	24

(प) 27.05.2011 को जारी किए गए "भारत का राजपत्र" सं. 110 के अंग्रेजी संस्करण में "संयुक्त जीवन बीमा" के लिए प्रीमियम :

i. 'अवधि 17 वर्ष एवं समान आयु 36 वर्ष' के लिए '53' के स्थान पर '54' पढ़ा जाए।
ii. 'अवधि 16 वर्ष एवं समान आयु 43 वर्ष' के लिए '65' के स्थान पर '61' पढ़ा जाए।

(फ) प्रीमियम तालिकाओं के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतर्वेशित की जाती है:

अनुसूची 'क'

संयुक्त उद्यम/सहकारी समितियां एवं सम विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं जिनके कर्मचारी पीएलआई के लिए पात्र हैं

1. संयुक्त उद्यम
2. सहकारी समितियां
3. सम विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं

संशोधन/ आशोधन जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

फैज-उर-रहमान, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)
अपर सचिव, भारत सरकार के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2012

F. No. 25-1/2011-LI.—The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules, 2011" published on 28th April, 2011 in Gazette of India, No. 85 (Part-I, Section-1 Extraordinary) and further amended *vide* Notification in Gazette of India, No. 110 dated 27-5-2011.

(a) In the definition No. 35 relating to RPLI under Rule 5 of the POLI Rules-2011, words "Joint Life Insurance" in second line are deleted.

(b) In Rule 6 the words 'Convertible Whole Life Assurance' are inserted in second line after the words 'except in case of' and before the word 'Anticipated'.

(c) Following sub rules are added below sub rule (5) of Rule 6 and Note 2 below Rule 6:

(6) Employees engaged/ appointed on contract basis by Central/ State Governments, where the contract is extendable.

(7) Employees of Joint Ventures in which Central/ State Governments/ Public Sector Undertakings/ Nationalized Banks have minimum holding of 10 percent.

(8) Members/ employees of Credit Cooperative Societies and other cooperative societies registered with Government under the Cooperative Societies Act and partly or fully funded from the Central/ State Governments/ RBI/ SBI/ Nationalized Banks/ NABARD, and other such institutions notified by Government.

(9) Employees of Deemed Universities and Educational Institutes accredited by recognized bodies such as National Assessment and Accreditation Council, All India Council of Technical Education, Medical Council of India, etc. and/ or affiliated to Universities/ Boards, etc.

(10) Employees of all Scheduled Commercial Banks.

Note 2: Eligible Joint Ventures/ Cooperative Societies and Deemed Universities/ Educational Institutions mentioned at Sub Rule (7), (8) and (9) above will be notified in Schedule 'A' of these rules by Director General of Posts from time to time.

(d) Following note is inserted below Rule 6:

Note 3:- In case of WLA and EA plans under PLI, the minimum term of the policy for proponents above the age of 50 years where sum assured

exceeds ₹5 lakh, will be 7 years and further for a person aged 54 years the minimum term will be 6 years.

(e) Following sentence is added in third line after the first sentence of Rule 8:-

In case of Endowment Assurance, Policy can also be made effective by making Quarterly/ Half Yearly/ Yearly payment of premium, as per the mode opted by the insurant at the time of proposal, specified in Tables II-A/ II-B/ II-C, respectively.

(f) The following para is added in Rule 12 after the existing para:

The minimum limit for Insurance under this scheme shall be ₹20,000/- (₹Twenty thousands only). In case of PLI, the maximum Sum Assured under this scheme shall not be more than ₹3,00,000/- (₹Three lakhs only) or the Sum Assured of the father or mother, whichever is less in respect of each individual policy and in case of RPLI, the maximum Sum Assured shall not be more than ₹1 lakh (₹One lakh only) or the Sum Assured of the father or mother, whichever is less in respect of each individual policy. Total Sum Assured of this Policy with the other Policy(ies) of the Insured shall not exceed the upper limit of the Sum Assured that is allowed under PLI/ RPLI from time to time.

(g) In Rule 13 (a)

i. words "Joint Life Assurance" in second line and in fourth line are deleted.

ii. words "and in case of Joint Life Assurance irrespective of the amount of sum assured" are inserted after the words "Rs.1 lakh" in third line.

(h) In Rule-18 the last sentence "The proposal form shall be signed or impressed with thumb in the presence of his/her immediate superior, who will in turn sign the certificate to the effect that the information furnished under relevant questions has been verified and found to be correct and the proposer affixed his/her signatures or thumb impression in his presence." shall be substituted as:

The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., who will have to give certificate in this regard. The immediate supervisor of the proponent will give certificate that the information furnished in the proposal form has been verified and found to be correct.

(i) Existing table in Rule-24 about the status of medical officers for conducting medical examination of PLI/ RPLI proponents is substituted with the following table:

Sl. No.	Limit of Sum Assured	Status of Medical Officer
(a)	For Insurance up to ₹5 lakh.	(i) Assistant Civil Surgeon or above/ Medical officer in PHC. (ii) Medical officer equivalent to Assistant Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board

		or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings, both State and Central, nearest to the place of duty/ residence of the proponents. (iii) Retired Medical Officers (Gr. II).
(b)	For Insurance above ₹5 lakh and upto ₹10 lakh	(i) Dy. Civil Surgeon or above (ii) Medical officer equivalent to Dy. Civil Surgeon or above employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertakings both State and Centre with at least 10 (ten) years experience, nearest to the place of duty of the proponents. (iii) Retired Medical Officers (Gr. I).
(c)	For insurance in excess of ₹10 lakh	(i) Civil Surgeon, Medical Officers in the employment of Government enjoying the status not lower than that of a Civil Surgeon or Chief Medical officer, nearest to the place of duty of the proponent. CMO Grade-I/Specialist Grade-II shall also be considered as equivalent to the rank of Civil Surgeon. (ii) Medical Officer (Allopathic) equivalent to Civil Surgeon employed in Central and State Government, Municipal District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board Hospital or dispensaries and also Medical officers of units of Public Sector undertaking both State and Centre with at least 15 (fifteen) years experience, nearest to the place of the duty of the proponent. (iii) Retired Civil Surgeon, CMO Gr. –I and Specialist Grade-II.

(j) Following note is inserted below Rule 27:

Note:- Head of Division/ Accepting Authority may accept proposals upto the limit of sum assured as prescribed by Director General of Posts from time to time.

(k) In eleventh line of Rule No. 44 the part of sentence "...pay the premium at the post office selected by him..." may be read as:

"...pay the premium at any post office or make online payment of premium on the authorised website of Department of Posts..."

(l) In Rule No. 45:

(i) words 'so selected' in the second line are deleted.
(ii) words 'he/she may select so' in fifth line are deleted.

(m) In third line of Rule No. 46 the part of sentence "...pay in cash the monthly premium to the Postmaster selected by him for the purpose" may be read as:

"...pay in cash the monthly premium at any post office."

3955 GI/12-4

(n) In third line of Rule 49 the part of sentence '...within the period of grace at the Post office selected by him' may be read as:

"...within the period of grace at any Post office or make online payment of premium on the authorised website of Department of Posts".

(o) Following note is inserted below Rule 52 (2):

Note 2:- Head of Division may sanction maturity claims within the limits prescribed by Director General of Posts from time to time.

(p) In Rule 54:

i. word "In" is inserted before the word "Death" in first line.

ii. words "Director General of Posts" in second line are substituted with words "Head of Circle".

(q) Existing Note 1 below Rule 56 (3) and Note 1 below Rule 57 (4) are deleted.

(r) Following premium tables for PLI and note below thereof are inserted:

TABLE-II-A
POST OFFICE INSURANCE FUND
ENDOWMENT ASSURANCES
(QUARTERLY PREMIUMS FOR AN ASSURANCE OF ₹5000/-)

Age at Entry	Maturity Age							Age at Entry
	35	40	45	50	55	58	60	
19	77.90	56.90	44.90	36.00	30.00	27.00	27.00	19
20	80.80	59.90	47.90	39.00	30.00	30.00	27.00	20
21	86.80	62.90	47.90	39.00	33.00	30.00	27.00	21
22	95.80	65.90	50.90	41.90	33.00	30.00	30.00	22
23	104.80	71.90	53.90	41.90	36.00	30.00	30.00	23
24	113.80	77.90	56.90	44.90	36.00	33.00	30.00	24
25	125.70	80.80	59.90	47.90	39.00	33.00	33.00	25
26	140.70	86.80	62.90	47.90	39.00	36.00	33.00	26
27	158.70	95.80	65.90	50.90	41.90	36.00	36.00	27
28	182.60	104.80	71.90	53.90	41.90	39.00	36.00	28
29	215.50	113.80	77.90	56.90	44.90	39.00	39.00	29
30	257.40	125.70	83.80	59.90	47.90	41.90	39.00	30
31		140.70	89.80	62.90	50.90	44.90	41.90	31
32		158.70	95.80	68.90	50.90	44.90	41.90	32
33		182.60	104.80	71.90	53.90	47.90	44.90	33
34		215.50	113.80	77.90	56.90	50.90	44.90	34
35		257.40	125.70	83.80	59.90	53.90	47.90	35
36			140.70	89.80	65.90	56.90	50.90	36
37			158.70	95.80	68.90	59.90	53.90	37
38			182.60	104.80	74.90	62.90	56.90	38
39			215.50	116.80	77.90	65.90	59.90	39
40			260.40	128.70	83.80	68.90	62.90	40
41				143.70	89.80	74.90	65.90	41
42				161.60	98.80	80.80	71.90	42
43				185.60	107.80	86.80	74.90	43

44				215.50	116.80	92.80	80.80	44
45				260.40	128.70	98.80	86.80	45
46					143.70	107.80	92.80	46
47					164.60	119.80	101.80	47
48					188.60	131.70	110.80	48
49					218.50	146.70	119.80	49
50					263.40	164.60	131.70	50
51						194.60	155.70	51
52						224.50	176.60	52
53						266.40	197.60	53
54							227.50	54
55							269.40	55

Note: The amount of net premium worked out according to term opted by a proponent should be rounded off to next rupee.

TABLE-II-B
POST OFFICE INSURANCE FUND
ENDOWMENT ASSURANCES
(HALF-YEARLY PREMIUMS FOR AN ASSURANCE OF ₹5000/-)

Age at Entry	Maturity Age							Age at Entry
	35	40	45	50	55	58	60	
19	153.70	112.30	88.70	71.00	59.20	53.20	53.20	19
20	159.60	118.30	94.60	76.90	59.20	59.20	53.20	20
21	171.40	124.20	94.60	76.90	65.10	59.20	53.20	21
22	189.20	130.10	100.50	82.80	65.10	59.20	59.20	22
23	206.90	141.90	106.40	82.80	71.00	59.20	59.20	23
24	224.60	153.70	112.30	88.70	71.00	65.10	59.20	24
25	248.30	159.60	118.30	94.60	76.90	65.10	65.10	25
26	277.80	171.40	124.20	94.60	76.90	71.00	65.10	26
27	313.30	189.20	130.10	100.50	82.80	71.00	71.00	27
28	360.60	206.90	141.90	106.40	82.80	76.90	71.00	28
29	425.60	224.60	153.70	112.30	88.70	76.90	76.90	29
30	508.30	248.30	165.50	118.30	94.60	82.80	76.90	30
31		277.80	177.40	124.20	100.50	88.70	82.80	31
32		313.30	189.20	136.00	100.50	88.70	82.80	32
33		360.60	206.90	141.90	106.40	94.60	88.70	33
34		425.60	224.60	153.70	112.30	100.50	88.70	34
35		508.30	248.30	165.50	118.30	106.40	94.60	35
36			277.80	177.40	130.10	112.30	100.50	36
37			313.30	189.20	136.00	118.30	106.40	37
38			360.60	206.90	147.80	124.20	112.30	38
39			425.60	230.50	153.70	130.10	118.30	39
40			514.20	254.20	165.50	136.00	124.20	40
41				283.70	177.40	147.80	130.10	41
42				319.20	195.10	159.60	141.90	42
43				366.50	212.80	171.40	147.80	43
44				425.60	230.50	183.30	159.60	44
45				514.20	254.20	195.10	171.40	45
46					283.70	212.80	183.30	46
47					325.10	236.50	201.00	47
48					372.40	260.10	218.70	48
49					431.50	289.60	236.50	49
50					520.10	325.10	260.10	50
51						384.20	307.40	51
52						443.30	348.70	52

3965 GI/12-5

53						526.00	390.10	53
54							449.20	54
55							532.00	55

Note: The amount of net premium worked out according to term opted by a proponent should be rounded off to next rupee.

TABLE-II-C
POST OFFICE INSURANCE FUND
ENDOWMENT ASSURANCES
(YEARLY PREMIUMS FOR AN ASSURANCE OF ₹5000/-)

Age at Entry	Maturity Age							Age at Entry
	35	40	45	50	55	58	60	
19	302.70	221.20	174.70	139.70	116.50	104.80	104.80	19
20	314.30	232.90	186.30	151.40	116.50	116.50	104.80	20
21	337.60	244.50	186.30	151.40	128.10	116.50	104.80	21
22	372.50	256.10	197.90	163.00	128.10	116.50	116.50	22
23	407.50	279.40	209.60	163.00	139.70	116.50	116.50	23
24	442.40	302.70	221.20	174.70	139.70	128.10	116.50	24
25	488.90	314.30	232.90	186.30	151.40	128.10	128.10	25
26	547.10	337.60	244.50	186.30	151.40	139.70	128.10	26
27	617.00	372.50	256.10	197.90	163.00	139.70	139.70	27
28	710.10	407.50	279.40	209.60	163.00	151.40	139.70	28
29	838.10	442.40	302.70	221.20	174.70	151.40	151.40	29
30	1,001.10	488.90	326.00	232.90	186.30	163.00	151.40	30
31		547.10	349.30	244.50	197.90	174.70	163.00	31
32		617.00	372.50	267.80	197.90	174.70	163.00	32
33		710.10	407.50	279.40	209.60	186.30	174.70	33
34		838.10	442.40	302.70	221.20	197.90	174.70	34
35		1,001.10	488.90	326.00	232.90	209.60	186.30	35
36			547.10	349.30	256.10	221.20	197.90	36
37			617.00	372.50	267.80	232.90	209.60	37
38			710.10	407.50	291.10	244.50	221.20	38
39			838.10	454.00	302.70	256.10	232.90	39
40			1,012.70	500.60	326.00	267.80	244.50	40
41				558.80	349.30	291.10	256.10	41
42				628.60	384.20	314.30	279.40	42
43				721.70	419.10	337.60	291.10	43
44				838.10	454.00	360.90	314.30	44
45				1,012.70	500.60	384.20	337.60	45
46					558.80	419.10	360.90	46
47					640.30	465.70	395.80	47
48					733.40	512.20	430.70	48
49					849.80	570.40	465.70	49
50					1,024.40	640.30	512.20	50
51						756.70	605.30	51
52						873.10	686.80	52
53						1,036.00	768.30	53
54							884.70	54
55							1,047.70	55

Note: The amount of net premium worked out according to term opted by a proponent should be rounded off to next rupee.

(s) The following Note is inserted below Table-III:

"Note: For the purpose of this Table minimum age at entry will be 19 years of age and maximum 50 years."

(t) Following Schedule is inserted below 'Table-V':

TABLE – V

SCHEDULE

Column (1) Difference between ages of two lives assured.
Column (2) Additions to the lower age to arrive at the equivalent age of the two lives assured.

Col. 1	Col. 2
0	0
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	5
9	5
10	6
11	7
12	8
13	8
14	9
15	10
16	11
17	11
18	12
19	13
20	14
21	15
22	16
23	17

24	18
25	19
26	20
27	21
28	22
29	23
30	24

(u) In the English version of the 'The Gazette of India' No. 110 issued on 27.05.2011 premium for 'Joint Life Assurance':

i. for 'term 17 years & equivalent age 36 years' may be read as '54' in place of '53'.

ii. for 'term 16 years & equivalent age 43 years' may be read as '61' in place of '65'.

(v) Following Schedule is inserted after the premium tables:

Schedule 'A'

Joint Ventures/ Cooperative Societies and Deemed Universities/ Educational Institutions employees of which are eligible for PLI

1. Joint Ventures

2. Cooperative Societies

3. Deemed Universities/ Educational Institutions

The amendments/ modifications shall be effective from the date of issue.

FAIZ-UR-REHMAN, Chief General Manager (PLI)

Equivalent to Addl. Secy. to Govt. of India

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2016/माघ 5, 1937
No. 31] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2016/ MAGHA 5 , 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. 5-1/2015-एल आई.—राष्ट्रपति सहर्ष भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग-1— खण्ड-1 असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011 में निम्न संशोधन करते हैं-

1. नियम 5(38) के तहत वर्तमान उपबंध- "आजीवन बीमा" से आशय व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि अथवा समनुदेशिती को राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा से है, बशर्ते कि पालिसी मृत्यु की तारीख को प्रवर्तित हो।

इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :-

-"आजीवन बीमा" से आशय 80 वर्ष की आयु हो जाने पर बीमित को एक्रूड बोनस के साथ बीमा राशि, या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिती को, जो भी पहले हो, भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा से है, बशर्ते कि पालिसी मृत्यु की तारीख को प्रवर्तित हो।

2. नियम 5(9) के तहत वर्तमान उपबंध-"परिवर्तनीय आजीवन बीमा" से आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती को एक निश्चित धन राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा है जिसमें पालिसी धारक के पास जोखिम आरम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष (6 वर्ष की समाप्ति पर अनुग्रह अवधि के साथ) समाप्त होने पर पालिसी को बन्दोबस्ती बीमा करने का विकल्प होगा जो कि एक विनिर्दिष्ट आयु में परिपक्व होगा।

इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:-

"परिवर्तनीय आजीवन बीमा" से आशय 80 वर्ष की आयु हो जाने पर बीमित को एक्रूड बोनस के साथ बीमा राशि या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि/समनुदेशिती को, जो भी पहले हो, एक निश्चित धन राशि अदा करने के लिए सरकार द्वारा की गई जीवन बीमा संविदा है जिसमें पालिसी धारक के पास जोखिम आरम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष (6 वर्ष की समाप्ति पर अनुग्रह अवधि के साथ) समाप्त होने पर पालिसी को बन्दोबस्ती बीमा करने का विकल्प होगा जो कि एक विनिर्दिष्ट आयु में परिपक्व होगा।

यह संशोधन इस राजपत्र के जारी होने की तिथि से लागू होगा।

विश्वपवन पति, मुख्य महाप्रबन्धक(डाजीबी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLGY

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2016

No. 5-1/2015-LI.—The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules -2011" published on 28th April, 2011 in Gazette of India No. 85(Part-I—Section-I Extraordinary).

1. The existing provision of Rule 5(38) of Postal Life insurance Rule-2011 is as follows:- "Whole Life Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money, on the death of an individual, to his legal representatives or assigns provided the policy is in force on the date of death".

This may be read as :-

"Whole Life Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money with accrued bonus to the insured on attaining the age of 80 years, or to his/her legal representatives or assignees on death of the insured, whichever occurs earlier, provided the policy is in force on the date of claim.

2. The existing provision of Rule 5(9) of Postal Life insurance Rule-2011 is as follows:- "Convertible Whole Life Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money, on the death of an individual to his legal representatives or assigns with option to the policy holder to convert the policy, at the end of 5 years (with grace period at end of 6 years) from the date of commencement of risk into an Endowment Assurance maturing at the specified age.

This may be read as :-

"Convertible Whole Life Assurance" means a life insurance contract entered into by Government to pay a given sum of money with accrued bonus to the insured either on attaining the age of 80 years, or on death of the insured to his/her legal representatives or assignees whichever occurs earlier, with option to the policy holder to convert the policy, at the end of 5 years (with a grace period at end of 6 years) from the date of commencement of risk into an Endowment Assurance maturing at a specified age.

These amendments shall be effective from the date of issue. Hindi version will follow.

VISHVAPAVAN PATI, Chief General Manager (PLI)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939
No. 247] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

फा. सं. 25-02/2017-एल आई.—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग I), खण्ड I, असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित तथा भारत के राजपत्र सं. 240 दिनांक 18-10-2012 की अधिसूचना के तहत आगे संशोधित "डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

(**क**) नियम 6 के उप नियम (10) के नीचे निम्नलिखित उप नियम अंतर्वेशित की जाती है:—

(11) उन सभी निजी शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों (शिक्षण/गैर-शिक्षण) जो मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्डों(केन्द्र/राज्य सरकारों) जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, मुक्त विद्यालय आदि से सम्बद्ध हैं।

(12) पेशेवरों जैसे डॉक्टर (जो कि सरकारी/ निजी चिकित्सालयों से परास्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हों, रेजिडेंट डॉक्टर जो कि संविदा/ स्थाई आधार पर किसी भी सरकारी/निजी चिकित्सालय में कार्यरत हों आदि सहित) अभियंता(जो कि गेट प्रवेश परीक्षा पास करने के उपरान्त मास्टर/परास्नातक डिग्री कर रहे हों, सहित) प्रबंधन सलाहकार, सनदी लेखाकार जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृत हों, वास्तुकार, विधिवेत्ता जो कि बार काउन्सिल ऑफ ऑफ इंडिया/राज्य में पंजीकृत हों, बैंकर जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एवं उसके सहायक बैंक,विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अधिसूचित व्यापारिक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों सहित, आदि।

(13) एनएसई(राष्ट्रीय शेयर बाजार) तथा बीएसई (मुम्बई शेयर बाजार) के सूचिबद्ध कंपनियों के कर्मचारी जो सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक एवं वित्त, स्वास्थ्य/औषधि, उर्जा/बिजली, दूरसंचार, आधारभूत क्षेत्र आदि में कार्यरत हों तथा जो भविष्य निधि/ग्रेच्युटी के अन्तर्गत हों और/अथवा जिनके अवकाश संबंधी रिकार्ड उनके स्थापना में रखा जाता हो।

संशोधन/आशोधन जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

विश्वपावन पति, मुख्य महा प्रबंधक (पीएलआई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2017

F. No. 25-02/2017-LI.—The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules, 2011" published on 28th April, 2011 in Gazette of India, No. 85 (Part-I, Section-1 Extraordinary) and further amended *vide* Notification in Gazette of India No. 240 dated 18-10-2012.

(a) Following sub rules are added below sub rule (10) of Rule 6:

(11) Employees (teaching/non-teaching staff) of all private educational institutions/schools/colleges etc. **affiliated to recognized Boards** (recognized by Centre /State Governments**) of Secondary/ Senior Secondary education** i.e. CBSE, ICSE, State Boards, Open Schools, etc.

(12) Professionals such as **Doctors** (including Doctors pursuing Post Graduate degree courses through any Govt /Private Hospitals, Residents Doctors employed on contract/permanent basis in any Govt/Private Hospitals etc), **Engineers** (including Engineers pursuing Master's/Post Graduate degree after having passed GATE entrance test), **Management Consultants**, **Charted Accountants** registered with Institute of Charted Accountants of India, **Architects, Lawyers** registered with Bar Council of India/States, **Bankers** working in Nationalised Banks and its Associate Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, Scheduled Commercial Banks including Private Sector Banks etc.

(13) Employees of listed companies of **NSE (National Stock Exchange)** and **Bombay Stock Exchange (BSE)** in IT, Banking & Finance, Healthcare/Pharma, Energy/Power, Telecom, Infrastructure Sector etc, where employees are covered for Provident Fund /Gratuity and/or their leave records are maintained by the establishment.

The amendments/modifications shall be effective from the date of issue.

VISHVAPAVAN PATI, Chief General Manager (PLI)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.21 22:43:11 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

TO BE PUBLISHED IN PART-I, SECTION 1 EXTRAORDINARY OF THE GAZETTE OF INDIA

No. 25-1/2011-LI (Part)
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Directorate of PLI
Chanakyapuri
New Delhi – 110021
Dated: 11.03.2014

NOTIFICATION

The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April, 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary) and further amended vide Notifications in the Gazette of India No. 110 dated 27.05.2011, No. 14 dated 18.01.2012, No. 194 dated 30.08.2012 and No. 240 dated 18.10.2012.

1. Following definitions are inserted in Rule 5:

(5)A. "Central Processing Centre (CPC)" means a Branch of Head Post Office, where all work relating to PLI/ RPLI is carried.

(15)A. "Free Look Period" means a period of 15 days from the date of delivery of the policy at the address of the insurant during which the insurant may make a request to the Department of Posts for cancellation of his policy.

(15)B. "General Post Office (GPO)" means the first class Head Office situated at the Headquarters of the Head of a Circle or, where there are more than one such Head Office, the one attached to the Headquarters.

(16)A. "Head Office (HO)" means a main Post Office of a group Post Offices consisting of itself and a number of small offices called Sub and Branch Offices which have been placed under its Accounts jurisdiction.

(21)A. "Manager" or "Postmaster" means Chief Postmaster of General Post Office/ Sr. Postmaster/ Head Postmaster of Head Office or Director of New Delhi HO/ Mumbai GPO/ Kolkata GPO, as the case may be, who will be head of Central Processing Centre of PLI/ RPLI (GPO/ Head Office).

2. Following Note is inserted below Rule 6:

Note 4: If the death of the insured arise either directly or indirectly as a result of aviation otherwise than as a fare paying passenger in an aircraft

authorized to undertake public transport or as a servant of Government of India in the Indian Navy or Air Force, only the surrender value acquired by the policy will be payable under the policy provided that the surrender value will be paid only if 3 years premia have been paid on the policy and the policy is of not less than 3 years duration.

3. Following Note is inserted below Rule 9(b):

Note 1: If the death of the insured arise either directly or indirectly as a result of aviation otherwise than as a fare paying passenger in an aircraft authorized to undertake public transport or as a servant of Government of India in the Indian Navy or Air Force, only the surrender value acquired by the policy will be payable under the policy provided that the surrender value will be paid only if 3 years premia have been paid on the policy and the policy is of not less than 3 years duration.

4. Rule 13(a) is substituted with the following:

In every case where a proposal for Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority [except where the proposal is for Endowment Assurance upto sum assured of ₹1,00,000/- (in PLI) or ₹25,000/- (in RPLI) together with any other Non-Medical policy/ policies which the proposer may hold or proposes to hold under the Non-Medical Scheme and age of proposer is not exceeding 35 years on next birthday], and must be declared fit for such insurance by the said authority.

5. Following sentence is inserted in Rule 14 after last sentence:

Only Endowment Assurance policies will be issued under this scheme.

6. Following sentence is inserted in Rule 15 after last sentence:

Only Endowment Assurance policies will be issued under this scheme.

7. Following sentence is inserted in Rule 9(a) after the sentence *"The minimum limit for insurance under this scheme shall be ₹10,000/- (₹Ten thousand only) and maximum limit under medical scheme, taking total sum assured together under all plans shall not exceed ₹5,00,000/- (₹Five lakh only), while the maximum limit in respect of non-medical scheme, taking total sum assured together under all plans shall not exceed ₹25,000/- (₹Twenty five thousands only)."*

The value of policy shall be taken in multiples of ₹5,000/-, after minimum limit of ₹10,000/- i.e. ₹15,000/-, ₹20,000/-, ₹25,000/-, ₹30,000/-, ₹35,000/- and so on.

8. Sentence in Rule 18 *"The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., who will have to give certificate in this regard"* is substituted with:

The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc. or in the presence of Counter Assistant of Post Office, as the case may be, who will have to give certificate in this regard. The proposal form may be handed over to the concerned Marketing Staff or Counter Assistant by the proponent along with advance premium in cash or cheque for which a receipt will be given to the proponent by concerned Marketing Staff or Counter Assistant.

9. Following para is inserted in Rule 20:

The proposal form may also be signed or impressed with thumb in the presence of Counter Assistant, if presented at Post Office counter by the proponent, who will in turn sign the certificate to the effect that the proposer has affixed his/ her signatures or thumb impression in his presence. The proponent should give advance premium in cash or cheque along with the proposal form, for which a receipt will be given to the proponent by concerned Marketing Staff or Counter Assistant.

10. Following is inserted after "Head of Division" at both places in Rule 22:

Postmaster/ Manager of CPC

11. Rule 27 is substituted with:

The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of CPC/ Accepting Authority as authorized by the department will decide whether the proposal is to be accepted or not after satisfying himself on the basis of parameters fixed viz. eligibility, limit of sum assured, Medical Examination report, completion of columns of proposal forms, documents in respect of date of birth, service documents (in respect of PLI), particulars of immediate superior or marketing staff, declaration of proponent and also that the proposer's signature/ thumb impression made before the Medical Officer agrees with that made before the immediate superior/ Counter Assistant/ Marketing Staff (in respect of RPLI). If he decides that the proposal should be accepted, he will accept the same. The Postmaster/ Manager of the concerned Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will intimate to the proposer the acceptance of his proposal and furnish him acceptance letter with the instructions as to the amount of subsequent premia to be deposited by him in cash at any Post Office or online on the website authorized by the Department of Posts by the due dates in case of cash policy. A copy of the

above intimation (acceptance letter) shall also be sent to the Drawing and Disbursing Officer (DDO)/ Pay Account Officer (PAO) of the proposer for deduction of monthly premium from the pay of the proposer, in case of pay policy. Postmaster General/ Head of Division/ Manager of CPC/ Accepting Authority shall accept the proposals up to the Sum Assured as may be decided for them by the Department from time to time.

12. Note below Rule 27 is deleted.

13. Following is inserted before "Accepting Authority" in Rule 29:

Postmaster/ Manager of CPC/

14. Part of Rule 30 *"After acceptance of the proposal, the Postmaster General/ Head of Division/ Accepting Authority shall simultaneously issue acceptance letter, policy document, and premium receipt book (for cash policy only). Policy document shall be signed by the Postmaster General/ Head of Division / Accepting Authority on behalf of the President of India"* is substituted with:

After acceptance of the proposal, the Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall simultaneously issue acceptance letter, policy document, and premium receipt book (for cash policy only). Policy document shall be signed by the Postmaster on behalf of the President of India.

15. Following is inserted as Rule 30 (1) after second para of Rule 30:

The insurant is allowed to place a request to the Postmaster/ Manager of the CPC within 15 days of delivery of the policy document at his address, for cancellation of his policy stating reasons therefore, if after review of the terms and conditions of the policy he/ she wish to do so. Postmaster/ Manager of the CPC shall cancel the policy after receipt of such a request and shall refund the premium paid by him/ her after deduction of the proportionate risk premium for the period of cover and the expenses incurred towards medical examination and on account of stamp duty, if any. The insurant may also get his policy cancelled online through the authorized website of the Department during the aforesaid free look period.

16. In Rule 31 *"Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster of Head Post Office including G.P.O"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Post Office)

17. In Rule 32 *"Postmaster General/ Head of Division"* mentioned at all three places are substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

18. In Exception below Rule 33 *"Postmaster General/ Head of Division/ Accepting Authority"* mentioned in the last sentence is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

19. In both paras of Rule 36(4) *"Postmaster General/ Head of Division"* are substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

20. In Rule 36(5) *"Postmaster General/ Head of Division"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

21. In Rule 36(6)(c) *"Postmaster General/ Head of Division"* at both places are substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

22. In Note 1 below Rule 36 *"Postmaster General/ Head of Division"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

23. In Note 4 below Rule 36 *"Postmaster General/ Head of Division"* at both places are substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

24. Part of sentence in Rule 44 *"during the period of grace, which shall extend up to the last day of the calendar month for which the premium is due, or the day before the last day if the last day of the month falls on Sunday or postal holiday"* substituted with:

during the period of grace, which shall extend up to the last day of the calendar month for which the premium is due if the payment is made online on the authorized website of the Department, or the day before the last day if the last day of the month falls on Sunday or postal holiday in case payment is made at Post Office counter in cash.

25. Note 1 below Rule 6 is substituted with:

If a member of the Defence Service is transferred to Reserve then his policy shall be converted into cash policy for payment of premium in cash at any

post office or online on the authorized website of the Department on or before last day of the month to which the premium relates. If the last day happens to be a Sunday or a Postal holiday and insurants wants to make payment in cash at Post Office counter, the amount should be paid on the previous business day.

26. In Rule 46 *"Postmaster General/ Head of Division"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

27. In Rule 48 *"Postmaster General/ Head of Division"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

28. In Rule 49 *"Postmaster General/ Head of Division"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

29. In Rule 49 following line is deleted:

"A copy of this application should also be endorsed to the Postmaster of the place at which future payments of premiums are desired to be made in cash."

30. In Rule 49 word *"selected"* is substituted with word "any".

31. In Rule 50 following amendment are made:

i. Words *"Postmaster General/Head of Division"* at both places are substituted with words:

Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

ii. Words *"which he may select"* in the first sentence are deleted.

32. In Rule 51 (3) words "Joint Life Assurance, Children Policy" are inserted after the words *"other than"* and before the word *"Anticipated"*.

33. Rule 52(1)(a) is substituted with:

An insured person claiming maturity value of the policy shall be required to fill up and sign an application in the prescribed form available at any Post Office or website of the Department, and forward it to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) direct or through any Post Office with the documents prescribed by the Department.

34. Rule 52(1)(b) is substituted with:

In case of claim arising due to death of the insured, the claimant shall fill and sign the application in the prescribed form available at any Post Office or the website of the Department, and forward it to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) direct or through any Post Office with the death certificate and other documents as prescribed by the Department from time to time.

35. Rule 52(1)(c) is substituted with:

For claiming the amount of survival benefit i.e. periodical payments in AEA and 10 Year RPLI policy, the insured person is required to fill up and sign an application in the prescribed form available at any Post Office or website of the Department and forward it to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) direct or through any Post Office with the documents as prescribed by the Department from time to time.

36. Part of Rule 52 (2) *"On receipt of the application and the documents, Postmaster General/ Head of Division shall examine the title of the claimant and if the claim is found admissible"* is substituted with:

On receipt of the application and the documents, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall examine the title of the claimant and if the claim is found admissible and if it is within his power, shall issue an order for payment of the sum assured or the periodical survival benefit, as the case may be, or forward the case to Postmaster General or Head of Division, as the case may be, depending upon the claim amount and powers of such authorities, for approval of claim, and after receipt of approval from such authority

37. Last sentence of first para of Rule 52(2) *"If the payment is made through cheque then the dispatch particulars along with the details of cheque shall be Noted on the Postmaster's copy of sanction"* is substituted with:

If the payment is made through cheque or direct credit in Post Office Savings Bank Account or any other mode, as prescribed by the Department from time to time, then the dispatch particulars along with the details of cheque or details of SB Account or other mode shall be Noted on the Postmaster's copy of sanction.

38. First and second sentence of Note 1 below Rule 52 are substituted with:

If the claimant is the legal assigns of the policy, he will further be required to forward to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) any deed of assignment that he may hold. The Postmaster of Central

Processing Centre (GPO/ Head Office)/ Head of Division/ Postmaster General shall in such a case after making such further inquiries as he may deem fit, approve the payment of the amount admissible to the assigns.

39. Note 2 below Rule 52 is substituted with:

Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)/ Head of Division/ Postmaster General may sanction maturity/ death claims within the limits prescribed by Director General of Posts from time to time.

40. Following Note is inserted as Note 3 below Rule 52:

The Department will not be liable for payment of interest for delay on amount of any type of claim/ benefit if insurant has not preferred claim on due date.

41. Last sentence of Rule 54 is substituted with:

After waiver, the case shall be settled by Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)/ Head of Division/ Postmaster General, as per the limits of claim sanctions prescribed by Director General of Posts from time to time, observing usual formalities.

42. In Rule 55 sentence *"Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions from the Postmaster General"* is substituted with:

The concerned Post Office will send all those documents to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) from where the same will be sent to Postmaster General for approval. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instruction of Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) issued after approval of Postmaster General.

43. In first sentence of Rule 55.1 *"Postmaster General shall examine"* is substituted with:

Postmaster/ Manager of CPC (GPO/ HO) shall examine

44. Third sentence of Rule 55.1 *"The orders for payment of the admissible amount of surrender value shall only be issued on receipt of the consent of claimant for taking payment of admissible amount of surrender value, to the concerned Postmaster, under intimation to the claimant"* is substituted with:

On receipt of consent of insurant for taking payment of admissible amount of surrender value communicated to him, Postmaster/ Manager of CPC will send

the case to Postmaster General for approval. After approval of Postmaster General, Postmaster/ Manager of CPC will issue sanction for payment of admissible amount of surrender value to the concerned Postmaster, under intimation to the claimant.

45. First para of Rule 56(2)(a) is substituted with:

In the case of a policy which has not completed thirty six months from the date of acceptance of the policy and where any premium/premia have become due, not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 44, the policy shall become void and if death of insurant takes place at any time after becoming the policy void, all claims to any benefit in virtue thereof shall cease and all money that have been paid in consequence thereof shall be forfeited except in cases mentioned hereafter;

46. Following is deleted from second sentence of Rule 56(3):

and medical certificate to this effect from Authorized /Registered Medical Practitioner

47. Following is deleted from last sentence of Rule 57(3):

and medical certificate to this effect from Authorized /Registered Medical Practitioner

48. In Rule 58(1) following is inserted after *"Head of Division"* at both places:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

49. In Rule 58(4) following is inserted after *"Head of Division"* at both places:

Postmaster/ Manager of the Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

50. Second & third sentences of Rule 59(1)(a) are substituted with:

Such loans may be granted on the security of a Whole Life policy, if it has been in force for at least four years, and is otherwise unencumbered. The maximum admissible amount of loan will be 90% of surrender value of the policy which will be subject to the condition that amount of loan should not become less than ₹1000/-.

51. Rule 59(1)(b) is substituted with:

Loan may also be granted on the security of an Endowment Assurance policy including Joint Life Assurance, if it has been in force for at least three years.

The maximum admissible amount of loan will be 90% of surrender value of the policy which will be subject to the condition that amount of loan should not become less than ₹1000/-.

52. First para of Rule 59(2) is substituted with:

Application for loan in the prescribed form available at any Post Office shall be made to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) along with the policy document, premium receipt book (in case of cash policy) and loan repayment receipt book (in case of second or subsequent loan) and disbursing officer's certificate for last six months for deduction of premia (in case of pay recovery policy). The loan application form duly filled in and signed by the insurant, along with the policy document and other documents as mentioned above shall be handed over, against a receipt, to the Postmaster of any Post Office. The Postmaster concerned shall immediately forward all the papers to the Postmaster/ Manager of its Central Processing Centre (GPO/ Head Office). The Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall, on receipt of the application and documents, shall verify connected records relating to that policy for eligibility of loan and whether the policy is free from encumbrances. He shall also calculate the amount of loan as admissible on the date of application and sanction the loan, if admissible, on the conditions stated above. A copy of the sanction along with a loan bond with the relevant entries filled in shall be forwarded to the Postmaster concerned with instructions to pay the amount to the applicant after his executing the loan bond, which shall be returned by the Postmaster and kept with the policy and the application for loan in safe custody with the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office). The policy shall be released to the insured person or the party legally entitled thereto after ensuring that the amount of loan and interest have been completely repaid. The amount of loan sanctioned should be in complete multiples of ₹100/-. Insured person will be supplied by the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), through the Post Office concerned, with a loan repayment receipt book, in which the Postmaster will enter under his initials with date each installment of amount paid in repayment of the loan. In the event of loss of the loan repayment receipt book, the procedure laid down in Rule 32 shall be followed. The policy against which loan is taken should always be assigned to the President.

53. In second sentence of para one of Rule 59 (3) which is *"Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly"* following is inserted after words "*half yearly"*

from the date of disbursement of loan

54. *"Postmaster General/ Head of Division"* mentioned in eighth sentence of para one of Rule 59(3) are substituted with:

Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

55. Rule 59(4) is substituted with the following:

The insurant is advised in his own interest to send an intimation of final repayment of his loan to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office). On receipt of the above intimation, interest chargeable up to the end of the month of final repayment (provided that interest on the loan has already been charged for at least one half year) shall be calculated by the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) and communicated to the insurant under registered post. The insurant shall be required to pay the amount of interest at any Head or Sub Post office within 21 days from the date of issue of intimation by the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office).

56. *"Postmaster General/ Head of Division"* at both places in Rule 59(5) are substituted with:

Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

57. In Rule 60 after "Head of Division" following is inserted at both places:

/Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office)

58. In fourth sentence of Rule 9(a) the following the inserted after words *"except for"* and before word *"Ten"*:

Convertible Whole Life Assurance

59. Following Note is inserted below all four Premium Tables VIII (Monthly, Quarterly, Half Yearly & Yearly):

Note: For the purpose of this Table minimum age at entry will be 19 years and maximum 45 years.

60. Word "Table X" is inserted in third sentence after the word *"Table IV"* in Rule 9.

61. Following 'Table' is inserted below 'Table IV' and 'Table X':

<u>Payment of benefits under 'AEA', if insurant survives</u>

<u>AEA 15 Years</u>	<u>AEA 20 Years</u>
20% at the end of 6 years	20% at the end of 8 years
20% at the end of 9 years	20% at the end of 12 years
20% at the end of 12 years	20% at the end of 16 years
40% at the end of 15 years with accrued bonus	40% at the end of 20 years with accrued bonus

1149

62. Following 'Table' is inserted below 'Table XI':

Payment of benefits under 'Ten Years RPLI', if insurant survives

Ten Year RPLI
20% at the end of 4 years
20% at the end of 7 years
60% at the end of 10 years with accrued bonus

63. Part of first sentence of Rule 56 (3) *"specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy"* is substituted with:

or online on the authorized website of the Department of Posts.

64. Part of first sentence of Rule 57 (3) *"specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy"* is substituted with:

or online on the authorized website of the Department of Posts.

65. In English version of Premium 'Table IV' relating to Anticipated Endowment Assurance policy of PLI, age at entry for 20 years term which is mentioned as '37 to 39 yrs.' may be read as '34 to 39 yrs.'

66. "Extended Premium Tables" as annexed with this notification are inserted as Annexure – 'A' to Annexure – 'F' to Post Office Life Insurance Rules – 2011 for the purpose of calculation of premium on conversion as provided in Rule 51.

These amendments shall be effective in respective Circles/ Regions/ Divisions/ HOs (CPCs) from the date of start of functioning of Central Processing Centre of PLI/ RPLI at HO concerned.

(Faiz-ur-Rehman) 11/3/14
Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Additional Secretary to Govt. of India

Annexure – 'A'

Extended Premium Tables of PLI WLA Plan for an Assurance of ₹5000/-

Extended Premium Table of PLI WLA		
Age on conversion	Premium Ceasing Age	Premium
51	55	73
52	55	97
53	55	145
54	55	289
54	58	78
55	58	104
56	58	154
57	58	305
56	60	82
57	60	108
58	60	160
59	60	316

Annexure – 'B'

Extended Premium Tables of PLI EA Plan for an Assurance of ₹5000/-

Monthly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	108
32	35	145
33	35	218
34	35	437
36	40	108
37	40	145
38	40	218
39	40	437
41	45	109
42	45	145
43	45	218
44	45	437
46	50	109
47	50	146
48	50	219
49	50	438
51	55	110
52	55	147
53	55	220
54	55	439
54	58	111
55	58	147
56	58	221
57	58	440
56	60	111
57	60	148
58	60	221
59	60	441

Quarterly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	321.8
32	35	429.1
33	35	643.7
34	35	1287.4
36	40	321.8
37	40	429.1
38	40	643.7
39	40	1287.4
41	45	325.5
42	45	434
43	45	651
44	45	1302
46	50	325.5
47	50	434
48	50	651
49	50	1302
51	55	329.3
52	55	439.1
53	55	658.7
54	55	1317.4
54	58	333
55	58	444
56	58	666
57	58	1332
56	60	336.8
57	60	449.1
58	60	673.7
59	60	1347.4

Half Yearly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	635.4
32	35	847.2
33	35	1270.8
34	35	2541.6
36	40	635.4
37	40	847.2
38	40	1270.8
39	40	2541.6
41	45	642.8
42	45	857.1
43	45	1285.7
44	45	2571.4
46	50	642.8
47	50	857.1
48	50	1285.7
49	50	2571.4
51	55	650.2
52	55	867
53	55	1300.5
54	55	2601
54	58	657.5
55	58	876.7
56	58	1315.1
57	58	2630.2
56	60	665
57	60	886.7
58	60	1330.1
59	60	2660.2

Yearly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	1251.4
32	35	1668.6
33	35	2502.9
34	35	5005.8
36	40	1251.4
37	40	1668.6
38	40	2502.9
39	40	5005.8
41	45	1265.9
42	45	1687.9
43	45	2531.9
44	45	5063.8
46	50	1265.9
47	50	1687.9
48	50	2531.9
49	50	5063.8
51	55	1280.5
52	55	1707.4
53	55	2561.1
54	55	5122.2
54	58	1295
55	58	1726.7
56	58	2590.1
57	58	5180.2
56	60	1309.7
57	60	1746.3
58	60	2619.5
59	60	5239

106/C 117/C

Annexure – 'C'

Extended Premium Tables of RPLI EA Plan for an Assurance of ₹1000/-

Monthly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	21.6
32	35	28.8
33	35	43.2
34	35	86.4
36	40	21.6
37	40	28.8
38	40	43.2
39	40	86.4
41	45	21.7
42	45	29
43	45	43.5
44	45	87
46	50	21.8
47	50	29.1
48	50	43.7
49	50	87.4
51	55	22
52	55	29.4
53	55	44.1
54	55	88.2
54	58	22.3
55	58	29.8
56	58	44.7
57	58	89.4
56	60	22.6
57	60	30.2
58	60	45.3
59	60	90.6

Quarterly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	64.5
32	35	86
33	35	129
34	35	258
36	40	64.5
37	40	86
38	40	129
39	40	258
41	45	64.7
42	45	86.3
43	45	129.5
44	45	259
46	50	65.1
47	50	86.8
48	50	130.2
49	50	260.4
51	55	65
52	55	86.7
53	55	130.1
54	55	260.2
54	58	66.1
55	58	88.2
56	58	132.3
57	58	264.6
56	60	66.7
57	60	89
58	60	133.5
59	60	267

Half Yearly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	128.7
32	35	171.6
33	35	257.4
34	35	514.8
36	40	128.7
37	40	171.6
38	40	257.4
39	40	514.8
41	45	129.1
42	45	172.2
43	45	258.3
44	45	516.6
46	50	129.9
47	50	173.2
48	50	259.8
49	50	519.6
51	55	128.6
52	55	171.5
53	55	257.3
54	55	514.6
54	58	130.7
55	58	174.3
56	58	261.5
57	58	523
56	60	132
57	60	176
58	60	264
59	60	528

Yearly		
Age on conversion	Age on Maturity of policy	Premium
31	35	256.2
32	35	341.6
33	35	512.4
34	35	1024.8
36	40	256.2
37	40	341.6
38	40	512.4
39	40	1024.8
41	45	257
42	45	342.7
43	45	514.1
44	45	1028.2
46	50	258.5
47	50	344.7
48	50	517.1
49	50	1034.2
51	55	252.8
52	55	337.1
53	55	505.7
54	55	1011.4
54	58	256.9
55	58	342.6
56	58	513.9
57	58	1027.8
56	60	259.4
57	60	345.9
58	60	518.9
59	60	1037.8

Annexure – 'D'

Extended Premium Tables of RPLI WLA Plan for an Assurance of ₹1000/-

Monthly		
Age on conversion	Premium Ceasing Age	Premium
51	55	14.7
52	55	19.6
53	55	29.4
54	55	58.8
54	58	16.7
55	58	22.3
56	58	33.5
57	58	67
56	60	17.5
57	60	23.4
58	60	35.1
59	60	70.2

Quarterly		
Age on conversion	Premium Ceasing Age	Premium
51	55	43.5
52	55	58
53	55	87
54	55	174
54	58	49.4
55	58	65.9
56	58	98.9
57	58	197.8
56	60	51.8
57	60	69.1
58	60	103.7
59	60	207.4

Half Yearly		
Age on conversion	Premium Ceasing Age	Premium
51	55	86.1
52	55	114.8
53	55	172.2
54	55	344.4
54	58	97.8
55	58	130.4
56	58	195.6
57	58	391.2
56	60	102.4
57	60	136.6
58	60	204.9
59	60	409.8

Yearly		
Age on conversion	Premium Ceasing Age	Premium
51	55	169.2
52	55	225.6
53	55	338.4
54	55	676.8
54	58	192.1
55	58	256.2
56	58	384.3
57	58	768.6
56	60	201.4
57	60	268.6
58	60	402.9
59	60	805.8

Annexure – 'E'

Extended Premium Tables of Children Policy for an Assurance of ₹1000/-

Age on conversion	Age at Maturity	Premium
14	18	23.6
15	18	31.5
16	18	47.3
17	18	94.6
15	19	23.6
16	19	31.5
17	19	47.3
18	19	94.6
16	20	23.6
17	20	31.5
18	20	47.3
19	20	94.6
17	21	23.6
18	21	31.5
19	21	47.3
20	21	94.6

Age on conversion	Age at Maturity	Premium
18	22	23.6
19	22	31.5
20	22	47.3
21	22	94.6
19	23	23.6
20	23	31.5
21	23	47.3
22	23	94.6
20	24	23.6
21	24	31.5
22	24	47.3
23	24	94.6
21	25	23.6
22	25	31.5
23	25	47.3
24	25	94.6

Annexure – 'F'

Extended Premium Tables of PLI Yugal Suraksha Plan for an Assurance of ₹10000/-

Age on conversion	Age at Maturity	Premium	Age on conversion	Age at Maturity	Premium	Age on conversion	Age at Maturity	Premium	Age on conversion	Age at Maturity	Premium	Age on conversion	Age at Maturity	Premium
22	26	239	34	35	958	43	45	480	52	53	982	46	58	83
23	26	319	32	36	239	44	45	960	46	54	123	47	58	91
24	26	479	33	36	319	42	46	240	47	54	141	48	58	100
25	26	958	34	36	479	43	46	320	48	54	164	49	58	111
23	27	239	35	36	958	44	46	480	49	54	197	50	58	125
24	27	319	33	37	239	45	46	960	50	54	246	51	58	143
25	27	479	34	37	319	43	47	242	51	54	328	52	58	167
26	27	958	35	37	479	44	47	323	52	54	492	53	58	200
24	28	239	36	37	958	45	47	485	53	54	984	54	58	250
25	28	319	34	38	239	46	47	970	46	55	109	55	58	334
26	28	479	35	38	319	44	48	242	47	55	123	56	58	501
27	28	958	36	38	479	45	48	323	48	55	141	57	58	1002
25	29	239	37	38	958	46	48	485	49	55	164	46	59	77
26	29	319	35	39	239	47	48	970	50	55	197	47	59	83
27	29	479	36	39	319	45	49	242	51	55	246	48	59	91
28	29	958	37	39	479	46	49	323	52	55	328	49	59	100
26	30	239	38	39	958	47	49	485	53	55	492	50	59	112
27	30	319	36	40	239	48	49	970	54	55	984	51	59	126
28	30	479	37	40	319	46	50	242	46	56	99	52	59	144
29	30	958	38	40	479	47	50	323	47	56	110	53	59	168
27	31	239	39	40	958	48	50	485	48	56	124	54	59	202
28	31	319	37	41	239	49	50	970	49	56	142	55	59	253
29	31	479	38	41	319	46	51	195	50	56	166	56	59	337
30	31	958	39	41	479	47	51	244	51	56	199	57	59	506
28	32	239	40	41	958	48	51	326	52	56	249	58	59	1012
29	32	319	38	42	239	49	51	489	53	56	332	46	60	72
30	32	479	39	42	319	50	51	978	54	56	498	47	60	78
31	32	958	40	42	479	46	52	163	55	56	996	48	60	84
29	33	239	41	42	958	47	52	195	46	57	91	49	60	92
30	33	319	39	43	239	48	52	244	47	57	100	50	60	101
31	33	479	40	43	319	49	52	326	48	57	111	51	60	112
32	33	958	41	43	479	50	52	489	49	57	125	52	60	126
30	34	239	42	43	958	51	52	978	50	57	143	53	60	144
31	34	319	40	44	239	46	53	140	51	57	167	54	60	168
32	34	479	41	44	319	47	53	163	52	57	200	55	60	202
33	34	958	42	44	479	48	53	196	53	57	250	56	60	253
31	35	239	43	44	958	49	53	245	54	57	334	57	60	337
32	35	319	41	45	240	50	53	327	55	57	501	58	60	506
33	35	479	42	45	320	51	53	491	56	57	1002	59	60	1012

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 292] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2014

सं. 25-3/2003-एलआई(वाल्यूम II).—राष्ट्रपति सहर्ष भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग-I खण्ड-1 असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011" में **निम्न** संशोधन करते हैं :-

डाकघर जीवन बीमा के संबंध में **नियम** 7, 14 और 17(ड़) में बीस लाख रुपए (20,00,000/- रुपए) के तौर पर उल्लिखित अधिकतम अथवा कुल बीमित राशि को अब पचास लाख रुपए (50,00,000/- रुपए) पढ़ा जाए।

विशवपावन पति, मुख्य महाप्रबन्धक(डाक जीवन बीमा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

(Directorate of PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2014

No. 25-3/2003-LI(Vol. II).—The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April, 2011 in Gazette of India No. 85 (Part-I Section-1 Extraordinary).

The amount of maximum or aggregate sum assured mentioned as Rs. Twenty Lacs (20,00,000/-) in Rule No. 7, 14 and 17(e) may now be read as Rs. Fifty Lacs (50,00,000/-) in respect of Postal Life Insurance(PLI).

The amendments shall be effective from the date of issue. Hindi version will follow.

VISHVAPAVAN PATI, Chief General Manager (PLI)

5013 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937
No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASHADHA 4, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

सं. 25-3/2003-एलआई.(वौल्यूम-II).—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग-1 खण्ड-1 असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित "डाकघर जीवन बीमा नियमावली-2011" में सहर्ष निम्न संशोधन करते हैं :-

ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संबंध में नियम 9(क), 10(क), 15 और 17 (ङ) में पांच लाख रुपए (5,00,000/- रुपए) के तौर पर उल्लिखित अधिकतम अथवा कुल बीमित राशि को अब दस लाख रुपए (10,00,000/- रुपए) पढ़ा जाए।

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के तारीख से प्रभावी होंगे।

ब्रिगेडियर बी. चन्द्रशेखर, महाप्रबन्धक (ओ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2015

No. 25-3/2003-LI(Vol. II).—The President is pleased to make the following amendments to "Post Office Life Insurance Rules -2011" published on 28th April, 2011 in Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary).

The amount of maximum or aggregate sum assured mentioned as Rs. Five Lacs (5,00,000/-) in Rule No. 9(a), 10(a), 15 and 17(e) may now be read as Rs. Ten Lacs (10,00,000/-) in respect of Rural Postal Life Insurance(RPLI).

The amendments shall be effective from the date of issue of this notification.

Brig. B. CHADRASEKHAR, General Manager (O)

2838 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(पीएलआई निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सं. 25-1/2011-एलआई (खंड-II).—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग-1, खंड-1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. नियम 13 (क) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

चिकित्सा स्कीम

के स्थान पर : प्रत्येक मामले में, जहां 1 लाख रु. से अधिक की बीमित राशि के साथ डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा का और संयुक्त जीवन बीमा के मामले में बीमित राशि का ध्यान किए बिना तथा 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रु. केवल) से अधिक बीमित राशि के साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा एवं दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तावक की विनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करानी होगी और ऐसे बीमा के लिए उसे उक्त अधिकारी से फिटनेस प्राप्त करनी होगी।"

पढ़ें : "प्रत्येक मामले में जहां डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तावक को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच करानी चाहिए [ऐसे मामले को छोड़कर, जहां प्रस्ताव किसी अन्य गैर मेडिकल पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक है या गैर मेडिकल स्कीम के अंतर्गत धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ 5,00,000/- रुपए (पीएलआई में) या 1,00,000/- रुपए (आरपीएलआई में) की बीमित राशि तक है और प्रस्तावक की आयु अगली जन्मतिथि को 40 वर्ष (पीएलआई में) और 35 वर्ष (आरपीएलआई में) से अधिक नहीं है] तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसी बीमा के लिए उपयुक्त घोषित किया जाना

चाहिए।" इसके अलावा, बीमित रकम के 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) तक की पीएलआई पॉलिसी गैर मेडिकल पॉलिसी होगी, आयु सीमा जो भी हो।"

नियम 14 : गैर-चिकित्सा स्कीम (डाक जीवन बीमा)

के स्थान पर : कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगले जन्मदिन को 35 वर्ष से अधिक न हुई हो और जो डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के अधीन डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए पात्र हो, सिवाय अतिरिक्त विभागीय एजेंट, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के पूर्व-कर्मचारी और कोई भी जिसने गैर-चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी के लिए आवेदन किया हो तथा भारत में कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो, के मामलों को छोड़कर डाक जीवन बीमा में एक गैर-चिकित्सा पालिसी के लिए आवेदन कर सकता है और अन्य किसी गैर-चिकित्सा पालिसी/पालिसियों के साथ ऐसी बीमित राशि 10,000/-रु. (दस हजार रु.) के गुणकों में होगी तथा 1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी जिन्हें प्रस्तावक उक्त गैर-चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत रख सकता है, या रखने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, किसी भी गैर-चिकित्सा या चिकित्सा पालिसी/पालिसियों जिन्हें प्रस्तावक रख सकता है या रखने का प्रस्ताव करता है, के साथ कुल बीमित राशि 50,00,000/- रुपए (पचास लाख रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक का चिकित्सा इतिवृत्त कोई प्रतिकूल टिप्पणी न दर्शाए और यदि वह प्रस्ताव के समय चिकित्सा रूप से फिट हो तथा प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष पहले उसे कोई गंभीर बीमारी न हुई हो और उसे अस्पताल में भर्ती न कराया गया हो।"

पढ़ें : गैर चिकित्सा स्कीम (पीएलआई) – कोई व्यक्ति, जिसकी आयु अगली जन्मतिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं है, और जो डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के अंतर्गत डाक घर जीवन बीमा के लिए पात्र है तथा कोई व्यक्ति जिसने गैर चिकित्सा या चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत जीवन आश्वासन पॉलिसी के लिए आवेदन किया था और भारत में प्रचालन करने वाली किसी बीमा कंपनी द्वारा नामंजूर कर दिया गया था, किसी अन्य गैर चिकित्सा पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक हो सकता है या उक्त चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ ऐसी बीमित रकम के लिए 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) के गुणज में पीएलआई में गैर चिकित्सा पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी राशि 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, कुल बीमित रकम किसी गैर मेडिकल या/और मेडिकल पॉलिसी / पॉलिसियों जिसका प्रस्तावक धारक हो सकता है या धारक बनने का प्रस्ताव करता है, के साथ 50,00,000/- रुपए (पचास लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावक के चिकित्सा इतिहास से किसी प्रतिकूल विशेषता का खुलासा नहीं होना चाहिए और प्रस्ताव के समय प्रस्तावक चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ है और प्रस्ताव की तिथि से पूर्व दो वर्षों के दौरान वह किसी स्थायी बीमारी से पीड़ित और अस्पताल में भर्ती नहीं था।

इसके अलावा, नियम 15 में उल्लिखित 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए)* के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है।

***टिप्पणी : 'आयु के गैर मानक प्रमाण के साथ गैर चिकित्सा आरपीएलआई पॉलिसी / पॉलिसियों की अधिकतम सकल बीमित रकम की सीमा 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) बनी रहेगी।'**

3. नियम 18 तथा 19 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

नियम 18 के स्थान पर : डाक जीवन बीमा पालिसियों के लिए : जब कोई व्यक्ति डाक जीवन बीमा के अंतर्गत आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा सहित बंदोबस्ती बीमा, संयुक्त जीवन बीमा तथा बाल पालिसी खरीदने की इच्छा रखता है तो, उसे प्रस्ताव के विनिर्दिष्ट प्रपत्र, जिसे निकटतम डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है, में प्रश्न का उत्तर देना और निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने तथा प्रपत्र में सही एवं वस्तुपरक सूचना दिए जाने के टोकन के रूप में प्रपत्र पर हस्ताक्षर अथवा, अगर निरक्षर हो तो अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा। प्रस्ताव प्रपत्र पर प्रस्तावक द्वारा विपणन स्टाफ अर्थात विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, डायरेक्ट एजेंट आदि के समक्ष हस्ताक्षर करना होगा अथवा अंगूठे का निशान लगाना होगा, जो इस संबंध में प्रमाणपत्र देगा। प्रस्तावक का आसन्न पर्यवेक्षक इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है तथा वे सही पाई गई हैं।

नियम 19 के स्थान पर : प्रस्तावक का आसन्न वरिष्ठ अधिकारी प्रस्ताव के प्रपत्र में उत्तरों को उसकी सेवा-पुस्तिका, सेवावृत्त, नियुक्ति प्रमाण पत्र के सेवावृत्त से मिलान करेगा तथा स्वयं इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रस्तावक के सेवा संबंधी ब्यौरे उचित रूप से दर्ज किए गए हैं और उनका सत्यापन किया गया है। वह निम्नलिखित की एक सत्यापित

प्रति तैयार करेगा (1) सेवा-पुस्तिका का पहला पृष्ठ अथवा (2) सेवा-वृत्त के विवरणात्मक शीर्षक, अथवा (3) नियुक्ति प्रमाणपत्र की एक सत्यापित प्रति तैयार करेगा और यदि प्रस्तावक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। जो प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर कर सके उसके हस्ताक्षर ही लिए जाएं। इसके बाद, आसन्न वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रपत्र को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने वाले डाक जीवन बीमा के मार्केटिंग स्टाफ के सुपुर्द करेगा।

टिप्पणी 1 : यदि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, सेवावृत्त या नियुक्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रस्ताव के साथ नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों पर, विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र भरकर साथ में भेजा जाए । प्रस्तावक के आसन्न वरिष्ठ अधिकारी स्वयं को प्रस्तावक के कार्यालय के रिकार्ड से मिलान करके संतुष्ट करेगा कि प्रस्तावक के ब्यौरे उचित रूप से दर्ज और सत्यापित है । वह ऊपर उल्लिखित प्रमाण पत्र पर अपनी उपस्थिति में प्रस्तावक के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान, जैसी भी स्थिति हो, हासिल करेगा। प्रस्तावक के स्कूल प्रमाण पत्र, नगर निगम के जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा यदि प्रस्तावक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करे तो दो सम्मानित व्यक्तियों (जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रस्तावक की आयु के बारे में बता सकें) द्वारा जारी किए गए उसकी आयु के बारे में प्रमाण पत्र को प्रस्ताव के साथ लगाया जाना चाहिए ।

नियम 18 पढ़ें : "पीएलआई पॉलिसी के लिए : जब कोई व्यक्ति पीएलआई के अंतर्गत आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा सहित एंडाउमेंट बीमा, संयुक्त जीवन बीमा और चिल्ड्रिन पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र जो नजदीकी डाक घर से प्राप्त किया जा सकता है, में प्रश्न का उत्तर देना होगा और इसकी शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति तथा प्रस्ताव के प्रपत्र में सही एवं तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत करने के प्रमाण में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे या अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा, यदि निरक्षर हैं। प्रस्ताव के प्रपत्र पर यथास्थिति विपणन स्टाफ अर्थात विकास अधिकारी, फील्ड अधिकारी, डायरेक्ट एजेंट आदि की उपस्थिति में या डाक घर के खिड़की सहायक, जिसे इस संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा, की उपस्थिति में प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे का निशान लगाया जाएगा। प्रस्ताव का प्रपत्र नकदी में या चेक के रूप में अग्रिम प्रीमियम के साथ प्रस्तावक द्वारा संबंधित विपणन स्टाफ या खिड़की सहायक को सौंपा जा सकता है, जिसके बदले में संबंधित विपणन स्टाफ या खिड़की सहायक द्वारा प्रस्तावक को रसीद दी जाएगी।

नियम 19 : (हटाया जाता है)

टिप्पणी 1 : अस्थायी कर्मचारी के मामले में, प्रस्ताव के साथ नियुक्ति की शर्तों एवं नियमों पर विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। **प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक के स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के किसी अन्य प्रमाण की स्वयं प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।"**

4. नियम 58 (1), 58 (5) और नियम 58 के नीचे टिप्पणी को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

58 (1) के स्थान पर : (1) पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर अपने विवेकाधिकार से ऐसी पालिसी को पुन: प्रवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं जो नियम 56(1) के निबंधनों के अनुसार शून्य हो गई हो अथवा नियम 57(1) के निबंधनों के अनुसार सक्रिय नहीं रह गई है और नियम 56(3) या 57(3) के उपबंधों के अंतर्गत पुनर्स्थापित नहीं की गई है बशर्ते कि उक्त तिथि प्राप्त न कर ली हो और बीमित व्यक्ति पुन:प्रवर्तन के समय बीमायोग्य हो। ऐसा पुन:प्रवर्तन प्रीमियम की सभी बकाया राशि और डाक महानिदेशक द्वारा विहित दरों पर उससे संबंधित ब्याज, पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम की तिथि जो पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख द्वारा निर्धारित हो, से परिकलित होगा और प्राप्य के भुगतान की शर्त के अधीन होगा और आगे नियोक्ता (नियोक्ताओं) का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन होगा कि पालिसीधारक ने गत एक वर्ष के दौरान या वैसी पालिसी के संदर्भ में प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम के प्राप्य होने की तिथि से चिकित्सा आधारों पर कोई छुट्टी नहीं ली है और एक प्राधिकृत मेडिकल अटेंडैंट से विहित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र कि बीमादार की सेहत और आदतों के संबंध में बीमित व्यक्ति बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए इस बात के साक्ष्य हैं कि उसके निजी या पारिवारिक इतिवृत्त या उसके पेशे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

58 (5) : आरपीएलआई पॉलिसी की बहाली के लिए, ये नियम आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे, केवल यह छोड़कर कि नियोक्ता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

टिप्पणी : नियम 58 के अंतर्गत पालिसी की पूरी अवधि के दौरान पालिसी का पुन:प्रवर्तन दो से अधिक बार अनुमेय नहीं किया जाएगा तथापि जिसमें पुन:स्थापन हेतु नियम 56(3) तथा 57(3) दी में गई रियायत सम्मिलित नहीं होगी।

पढें. 58 : (1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56 (1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57 (1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56 (3) या 57 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशा में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

58 (5) : ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों के पुन:प्रवर्तन के लिए ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

टिप्पणी : नियम 58 के अंतर्गत पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान पॉलिसी की बहाली कितनी भी बार अनुमत होगी, जिसमें बहाली के लिए नियम 56 (3) और 57 (3) के अंतर्गत प्रदान की गई छूट शामिल होगी। तथापि, ऐसी कालातीत पॉलिसी के विरूद्ध प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरनी चाहिए।

5. नियम 59 (3) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर : 59 (3) : ऋण किसी भी समय वापस किया जा सकता है। इनका भुगतान कम से कम 100 रुपए की किश्तों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 10% की दर पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा तथा ऋण बंधपत्र और ऋण पुनर्भुगतान रसीद बुक में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उससे पहले उसका भुगतान किया जाएगा। छमाही ब्याज उस राशि पर प्रभारित किया जाएगा जो छमाही के पहले दिन बकाया होगी तथा उस छमाही के दौरान लौटाई गई किसी भी राशि को केवल अगली छमाही के ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। चुकाई गई अंतिम वापसी अदायगी के मामले में, ब्याज उस महीने की अंतिम तारीख के बाद नहीं प्रभारित किया जाएगा, जिस महीने अंतिम भुगतान किया गया है बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छ: महीने के लिए ब्याज पहले ही प्रभारित किया जा चुका है। ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्णतया बीमादार की है। छमाही ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में बीमादार को नोटिस केवल उसी समय दिया जाएगा जबकि मूलधन के किसी अंश के भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में कोई परिवर्तन हुआ हो। लेकिन ब्याज के भुगतान न करने के संबंध में उक्त नोटिस प्राप्त न होने का तर्क किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि नियत तारीख को ब्याज को नहीं चुकाया जाता है तो वह ऋण की बकाया राशि और उस पर प्रभारित सामान्य ब्याज में जोड़ दिया जाएगा। छमाही ब्याज के भुगतान में तीन बार चूक होने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह उस पालिसी को अभ्यर्पित कर ले तथा उसके अभ्यर्पण मूल्य का उपयोग उक्त ऋण और ब्याज के भुगतान में कर ले। ऐसे अभ्यर्पण मूल्य की, यदि कोई शेष राशि 10,000/-रुपए की पालिसी के प्रदत्त मूल्य के लिए पर्याप्त हो तो, उसका उपयोग ऐसे प्रदत्त पालिसी जारी करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, वह राशि उस पक्षकार को नकद अदा की जाएगी, जो उसका हकदार हो।

दावे के निस्तारण के समय में ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पालिसी के मूल्य से वसूली जाएगी। ऋण पर ब्याज उस माह की अंतिम तारीख तक उपार्जित होगा जिसमें कोई पालिसी परिपक्वता अथवा अभ्यर्पण के कारण दावा बनती है, बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छ: माह ब्याज प्रभारित हुआ हो।"

पढ़ें : 59 (3) : ऋण का पुनर्भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है। इसका भुगतान कम से कम 100 रुपए की किश्तों में भी किया जा सकता है। ऋण के संवितरण की तिथि से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की छमाही चक्रवृद्धि दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा तथा ऋण बाण्ड एवं ऋण पुनर्भुगतान रसीद बही में निर्दिष्ट तिथियों को या उनसे पहले भुगतान किया जाना चाहिए। छमाही के लिए ब्याज छमाही की पहली तारीख को बकाया राशि पर प्रभारित किया जाएगा तथा उस छमाही के दौरान किए गए किसी पुनर्भुगतान को केवल अगली छमाही के लिए ब्याज की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम पुनर्भुगतान के मामले में, माह जिसमें अंतिम पुनर्भुगतान किया जाता है, की अंतिम तारीख के बाद ब्याज प्रभारित किया जाएगा, यदि कम से कम छह माह के लिए ऋण पर ब्याज पहले प्रभारित किया जा चुका है। ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी केवल बीमित व्यक्ति पर है। छमाही ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में नोटिस बीमित व्यक्ति को तभी जारी किया जाएगा जब मूलधन के किसी भाग के भुगतान के फलस्वरूप ब्याज के रूप में देय राशि में कोई परिवर्तन होगा।

परंतु ब्याज का भुगतान न किए जाने के लिए किसी भी परिस्थिति में ऐसा नोटिस प्राप्त न होने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है। यदि देय तिथि को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो उसे ऋण की बकाया राशि में जोड़ा जाएगा और उस पर स्वाभाविक ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

छमाही ब्याज के भुगतान में चूक या ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक बीमित व्यक्ति को उस समय पहला अनुस्मारक / सूचना भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण (देय ब्याज सहित) अभ्यर्पित मूल्य के 90 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा तथा दूसरा अनुस्मारक / सूचना उस समय भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण (देय ब्याज सहित) अभ्यर्पित मूल्य के 95 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा और बकाया ऋण राशि तथा देय ब्याज के भुगतान के लिए अंतिम नोटिस उस समय भेजेगा जब ऋण पूंजीकरण अभ्यर्पित मूल्य के 100 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

यदि तीसरे अनुस्मारक / सूचना के निर्गम की तिथि से 30 दिन के अंदर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी जबरन अभ्यर्पित की जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्पित मूल्य के अधिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान उसके पॉलिसी धारक को किया जाएगा।

तथापि, निम्नलिखित मामलों में जबरन / स्वत: अभ्यर्पण लागू नहीं होगा :

(i) जहां पॉलिसी दावा बन जाती है

(ii) पॉलिसी की परिपक्वता तिथि अगले एक वर्ष के अंदर है

दावे के निस्तारण के समय में ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि पालिसी के मूल्य से वसूली जाएगी। ऋण पर ब्याज उस माह की अंतिम तारीख तक उपार्जित होगा जिसमें कोई पालिसी परिपक्वता अथवा अभ्यर्पण के कारण दावा बनती है, बशर्ते कि ऋण पर कम से कम छ: माह ब्याज प्रभारित हुआ हो।"

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई) भारत सरकार में अपर सचिव के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

No. 25-1/2011-LI (Part-II).—The President is pleased to make the further following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary):

2. Rule 13 (a) is amended as under: -

Medical Scheme

FOR: In every case where a proposal for Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority (except where the proposal is for Endowment Assurance up to sum assured of **Rs. 1,00,000/- (In PLI) or Rs. 25,000/- (in RPLI)** together with any other Non-Medical Policy/Policies which the proposer may hold or proposes to hold under the Non-Medical Scheme and age of proposer is **not exceeding 35 years** on next birthday), and must be declared fit for such insurance by the said authority."

READ: "In every case where a proposal for Postal Life Insurance or Rural Postal Life Insurance is submitted, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority (except where the proposal is up to sum assured of **Rs. 5,00,000/- (Rs Five lakh) in PLI or Rs. 1,00,000 /- (Rs. One lakh)*** in RPLI together with any other Non-Medical Policy/Policies which the proposer may hold or proposes to hold under the Non-Medical Scheme and age of proposer is **not exceeding 40 years** (in PLI) and **35 Years (in RPLI)** on next birthday), and must be declared fit for such insurance by the said authority. **Further, a PLI policy upto Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakh) of sum assured will be a non -medical policy irrespective of age limit**"

Rule 14: Non -Medical Scheme (PLI)

FOR: Non-Medical Scheme (PLI) -_Any person, whose age on next birthday **does not exceed 35 years**, and who is eligible for a Postal Life Insurance under Post Office Life Insurance Rules, 2011 and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in PLI in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), for such sum assured which **shall not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh)** together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the total sum assured shall not exceed Rs. 50, 00,000/- (Rupees fifty Lakh) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and the proponent is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal."

READ: *Non-Medical Scheme (PLI) -_Any person, whose age on next birthday* ***does not exceed 40 years****, and who is eligible for a Postal Life Insurance under Post Office Life Insurance Rules, 2011 and anyone who had applied for a Life Assurance Policy either under Non-Medical or Medical Scheme and had not been turned down by any insurance company operating in India, may apply for a Non-Medical Policy in PLI in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), for such sum assured which* ***shall not exceed Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh)*** *together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme. Further the total sum assured shall not exceed Rs. 50,00,000/- (Rupees fifty Lakhs) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold. The medical history of the proponent should not reveal any adverse features, and the proponent is medically fit at the time of proposal and had not suffered with any chronic disease and hospitalized during the two years prior to the date of proposal.*

Further, 'Rs. 25,000/- (Rs. Twenty-five thousand)' appearing in Rule 15 is amended to read as 'Rs.100,000/- (Rs. One lakh)'*.

***Note: 'Maximum aggregated sum assured limit of non-medical RPLI policy/ies with non -standard age proof will remain Rs. 25,000/- (Rupees twenty-five thousand only).'**

3. Rule 18 & 19 are amended as under:

FOR (Rule 18): For PLI policies: when a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance and Children policy under PLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted

the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., or in the presence of counter assistant of Post Office, as the case may be, who will have to give certificate in this regard. The proposal form may be handed over to the concerned Marketing Staff or Counter Assistant by the proponent along with the advance premium in Cash or in Cheque for which a receipt will be given to the proponent by the concerned Marketing Staff or Counter Assistant.

The immediate supervisor of the proponent will give certificate that the information furnished in the proposal form has been verified and found correct.

FOR (Rule 19). The immediate superior of the proposer will compare the answers in the form of proposal with the proposer's service book, service roll, appointment certificate and satisfy himself that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will prepare a certified copy of (1) the first page of the service book, or (2) the descriptive headings of the service roll, or (3) the appointment certificate and if the proposer is unable to sign his name obtain on it the impression of the left thumb of the proposer in his presence. In the case of a proposer who is able to sign his name, the signature only should be obtained. The immediate superior will then handover the proposal form accompanied with the certified documents referred to above to the Marketing Staff of the Postal Life Insurance who processed the proposal."

NOTE 1: - In the case of a temporary official who has no service book, service roll or appointment certificate, the proposal should be accompanied by the certificate granted by a competent officer of the Department on the terms and conditions of appointment. The immediate superior of the proposer should satisfy himself by a comparison with the records of his office that the details of the proposer's service have been properly recorded and attested. He will obtain, on the certificate referred to above the signature or the impression of the left-thumb as the case may be of the proposer in his presence. An attested copy of the proposer's school certificate, a municipal certificate of birth or when a proposer is unable to produce any such document a certificate regarding his age granted by two respectable persons (who should be able to speak from their personal knowledge as to the proposer's age) should also be attached to the proposal."

READ (Rule 18): "For PLI policies: when a person wishes to purchase a Whole Life Assurance, Convertible Whole Life Assurance, Endowment assurance including Anticipated Endowment Assurance, Joint Life Assurance and Children policy under PLI, he will be required to answer, the question in the prescribed form of proposal which can be obtained at the nearest post office and to sign the form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the proposal form. The proposal form shall be signed or impressed with thumb by the proponent in the presence of Marketing Staff i.e. Development Officer, Field Officer, Direct Agent etc., or in the presence of counter assistant of Post Office, as the case may be, who will have to give certificate in this regard. The proposal form may be handed over to the concerned Marketing Staff or Counter Assistant by the proponent along with the advance premium in Cash or in Cheque for which a receipt will be given to the proponent by the concerned Marketing Staff or Counter assistant.

(Rule 19): (Deleted)

NOTE 1: -***In the case of a temporary official the proposal should be accompanied by the certificate granted by a competent officer of the Department on the terms and conditions of appointment. A self-attested copy of the proposer's school certificate or certificate of birth or any other proof of date of birth should also be attached to the proposal."***

4. Rule 58 (1), 58(5) and Note Below Rule 58 are amended as under: -

FOR 58. (1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified

by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due **and further subject to production of a certificate from the employer (s) that the policy holder had not taken any leave on medical grounds during the last one year, or during the period from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy,** and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

58 (5). For revival of RPLI policies, these rules shall apply mutatis mutandis **except that the employer's certificate shall not be required.**

NOTE: -The revival of a policy under Rule 58 shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of the policy which will, however, not include the relaxation given under Rules 56(3) and 57(3) for re-instatement.

READ 58. (1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and ***a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium*** and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

58 (5). **For revival of RPLI policies, these rules shall apply mutatis mutandis.**

NOTE: - The revival of a policy under Rule 58 shall be allowed on any number of occasions during the entire term of the policy including the relaxation given under Rules 56(3) and 57(3) for re-instatement. ***However, a period of consecutive 5(five) years should not have passed from the date of first unpaid premium against such lapsed policy.***

5. Rule 59 (3) is amended as under:

FOR: "59. (3). The loan may be repaid at any time. It may also be paid in installments of amount not less than Rs. 100/-. Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly from the date of disbursement of loan and should be paid on or before the dates specified in the loan bond and loan repayment receipt book. Interest for the half year will be charged on the amount outstanding on the first day of the half year, and any repayment made during that half year will be taken into account for calculation of interest only for the next half year. In the case of final repayment, interest will not be charged beyond the last date of the month in which the final repayment is made provided that interest had already been charged on the loan for at least six months. The responsibility for payment of interest rests solely on the insurant. A notice regarding the amount to be paid as half yearly interest will be issued to the insurant only when there is a change in the amount payable as interest as a result of payment of a part of the principal.

But the plea of non-receipt of such a notice cannot in any circumstances be accepted for non-payment of interest. If the interest is not paid on the due date, it will be added to the outstanding amount of loan and usual interest charged thereon. **In the event of any three defaults in the payment of half yearly interest, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), will be entitled to surrender the policy and to apply the surrender value thereof in payment of the said loan and interest. The balance, if any, of such surrender value if adequate for a paid up value of**

Rs. 10,000/- shall be utilized for the issue of such a paid-up policy; otherwise the amount will be paid in cash to policy holder entitled thereto.

The outstanding balance of the loan with interest will be recovered from the value of the policy at the time of settlement of the claim. Interest on a loan will accrue up to the last date of the month in which the policy becomes a claim either by maturity or by surrender, provided that interest for at least six months had been charged on the loan."

READ:59. (3). The loan may be repaid at any time. It may also be paid in installments of amount not less than Rs. 100/-. Interest will be charged @ 10% per annum compounding half yearly from the date of disbursement of loan and should be paid on or before the dates specified in the loan bond and loan repayment receipt book. Interest for the half year will be charged on the amount outstanding on the first day of the half year, and any repayment made during that half year will be taken into account for calculation of interest only for the next half year. In the case of final repayment, interest will not be charged beyond the last date of the month in which the final repayment is made provided that interest had already been charged on the loan for at least six months. The responsibility for payment of interest rests solely on the insurant. A notice regarding the amount to be paid as half yearly interest will be issued to the insurant only when there is a change in the amount payable as interest as a result of payment of a part of the principal.

But the plea of non-receipt of such a notice cannot in any circumstances be accepted for non-payment of interest. If the interest is not paid on the due date, it will be added to the outstanding amount of loan and usual interest charged thereon.

In the event of defaults in the payment of half yearly interest or defaults in repayment of loan, the Postmaster/Manager of Central Processing Centre(GPO/Head Office), will send 1st reminder/intimation to insurant when loan capitalization(including due interest) reaches 90% of the surrender value and 2nd intimation/reminder when loan capitalization (including due interest) reaches 95% of the surrender value and final notice to pay off outstanding loan amount and due interest when loan capitalization reaches 100% of the surrender value.

If the due amount is unpaid within 30 days from the date of issue of 3rd intimation/reminder, the policy shall be forcibly surrendered and the balance, if any of such surrender value will be paid to policy holder thereto.

However, the forced/auto surrender shall not be applied in following cases:

(i) Where policy becomes a claim

(ii) Maturity date of the policy is within the next one year

The outstanding balance of the loan with interest will be recovered from the value of the policy at the time of settlement of the claim. Interest on a loan will accrue up to the last date of the month in which the policy becomes a claim either by maturity or by surrender, provided that interest for at least six months had been charged on the loan."

L. N. SHARMA, Chief General Manager (PLI)

Equivalent to Addl. Secretary Govt. of India

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.24 15:07:45 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221793
CG-DL-E-17092020-221793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942
No. 246] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(पी.एल.आई. निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

सं. 25-5/2020-एल.आई.—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग-I, खंड-1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011" के नियम 39 में पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

39. (के स्थान पर) डाकघर बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर बीमा निधि के लाभ में शामिल व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दिए जाने अथवा तथ्यपरक सूचना छिपाने पर पोस्टमास्टर जनरल/डिवीजन प्रमुख के विवेक पर उस व्यक्ति के साथ की गई संविदा का शून्यकरण कर दिया जाएगा और उसके द्वारा दिये गये सभी भुगतानों को जब्त कर लिया जाएगा ।

39. (पढ़ें) डाकघर जीवन बीमा निधि/ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि के लाभ में शामिल व्यक्ति द्वारा गलत सूचना दिए जाने अथवा तथ्यपरक सूचना छिपाने पर अनुमोदन प्राधिकारी के विवेक के आधार पर उस व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को अमान्य कर दिया जाएगा और सम्बंधित बीमा पॉलिसी में दिये गये सभी भुगतानों को जब्त कर लिया जाएगा, यदि बीमा पॉलिसी, स्वीकृति की तिथि अथवा रिवाइवल की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 (तीन) वर्ष के भीतर दावा बन जाती है |

मंजू कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (डाक जीवन बीमा)

(अतिरिक्त सचिव के समकक्ष)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

No. 25-5/2020-LI.—The President is pleased to make the further following amendments to Rule 39 of "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-1 Extraordinary):

39 (For) : "Wrong information furnished by a person or suppression of factual information by a person admitted to the benefits of the Post Office Life Insurance Fund/Rural Post Office Life Insurance Fund will, at the discretion of the Postmaster General, render voidable the contract concluded with that person and lead to forfeiture of all payment made by him."

39 (READ) : "Wrong information furnished by a person or suppression of factual information by a person admitted to the benefits of the Post Office Life Insurance Fund/Rural Post Office Life Insurance Fund will, at the discretion of the Approving Authority, render voidable the contract concluded with that person and lead to forfeiture of all payment made in the respective insurance policy, if the insurance policy becomes claim before completion of 3 (three) years from the date of acceptance of policy or revival of policy whichever is later"

MANJU KUMAR, Chief General Manager (PLI)

(Equivalent to Addl. Secy.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.17 20:50:08 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2019/माघ 3, 1940
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2019/MAGHA 3, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

फा. सं. 25-1/2011-एल 1 (भाग).—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग I, खंड 1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011 के नियम 54 में निम्नानुसार पुन: संशोधन करते हैं :

के स्थान पर : "1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए मात्र) तक की राशि के मृत्यु दावे में, जहां कोई नामांकन नहीं है, सर्किल प्रमुख द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि पोस्टमास्टर जनरल द्वारा वैध कारणों के आधार पर मामले की सिफारिश की गई हो। छूट के बाद, समय-समय पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित दावा संस्वीकृति की लिमिट के अनुसार केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान डाकघर) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक सीपीसी / डिवीजन प्रमुख / पोस्टमास्टर जनरल द्वारा स्वाभाविक औपचारिकताओं का पालन करते हुए मामले का निस्तारण किया जाएगा।"

पढ़ें : "3,00,000 रुपए (तीन लाख रुपए मात्र) तक की राशि के मृत्यु दावे में, जहां कोई नामांकन नहीं है या नामिती की मृत्यु बीमित व्यक्ति से पहले हो जाती है, सर्किल प्रमुख द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि पोस्टमास्टर जनरल द्वारा वैध कारणों के आधार पर मामले की सिफारिश की गई हो। छूट के बाद, समय-समय पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित दावा संस्वीकृति की लिमिट के अनुसार केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान डाकघर) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक सीपीसी / डिवीजन प्रमुख / पोस्टमास्टर जनरल द्वारा स्वाभाविक औपचारिकताओं का पालन करते हुए मामले का निस्तारण किया जाएगा।"

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (डाक जीवन बीमा)
अतिरिक्त सचिव के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 2019

F. No. 25-1/2011-LI (Part).—The President is pleased to make the further amendment to Rule 54 of "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary) as under:—

For : "*In death claim for an amount up to Rs 1,00,000/- (Rs one lakh only), where no nomination exists, the production of succession certificate may be waived by the Head of Circle, provided the case is recommended by the Postmaster General concerned on valid grounds. After waiver, the case shall be settled by Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office)/Head of Division/Postmaster General, as per the limits of the claim sanction prescribed by Director General of Posts from time to time, observing usual formalities.*"

Read : "*In death claim for an amount up to Rs 3,00,000/- (Rs three lakh only), where no nomination exists or nominee pre-deceases insurant, the production of succession certificate may be waived by the Head of Circle, provided the case is recommended by the Postmaster General concerned on valid grounds. After waiver, the case shall be settled by Postmaster/Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office)/ Head of Division/Postmaster General, as per the limits of the claim sanction prescribed by Director General of Posts from time to time, observing usual formalities.*"

L. N. SHARMA, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.23 21:31:43 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221339
CG-DL-E-25082020-221339

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 211] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(पीएलआई निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

सं. 25-1/2020-एलआई.—राष्ट्रपति भारत के राजपत्र संख्या (भाग I, खंड 1, असाधारण) में 28 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित "डाक घर जीवन बीमा नियमावली, 2011" में पुन: निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. नियम 55, 55.1 और 55.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

55. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी को छोड़कर किसी भी पालिसी को नकदी के तत्काल भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि पालिसी तीन वर्ष से कम अवधि की न हो। ऐसे किसी मामले में, बीमाकृत व्यक्ति या पालिसी का समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, संबंधित पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पण का लिखित नोटिस देगा तथा यदि प्रीमियम नकद रूप में अदा किए गए हों तो प्रीमियम रसीद पुस्तिका और ऋण का मूलधन / ब्याज बकाया हो तो ऋण पुनर्भुगतान रसीद पुस्तिका के साथ किसी भी डाकघर में पालिसी या उसकी दूसरी प्रति अथवा इंडेम्निटी बांड (यदि पालिसी खो गई हो) भेजेगा। संबंधित डाकघर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान डाकघर) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को ये सभी दस्तावेज भेजेगा जहां से यह अनुमोदन के लिए पोस्टमास्टर जनरल को भेजा जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से प्रीमियम के लिए आगे की जाने वाली कटौतियां पोस्टमास्टर जनरल के अनुमोदन के बाद केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के

पोस्टमास्टर / प्रबंधक से अनुदेश प्राप्त होने पर बंद कर दी जाएंगी। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई पालिसी उस महीने के अंत तक प्रवृत्त बनी रहेगी जिसमें पोस्टमास्टर जनरल को अभ्यर्पित करने के संबंध में आवदेन प्राप्त हुआ हो तथा तद्नुसार उस अवधि के लिए भी प्रीमियम देय होगा जिसके लिए पालिसी इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही हो। ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके वार्षिक प्रीमियम पहले से ही नकद में अदा किए गए हो, अभ्यर्पण की तारीख पर विचार किए बिना वर्ष के अंत में अभ्यर्पण मूल्य की गणना की जाए लेकिन जिस समय पालिसी धारक अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी चाहे उस समय उसकी अदायगी की जा सकती है। प्रीमियम बंद किए जाने की तिथि से पालिसी पर किसी बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। पाँच वर्ष पूरे होने के बाद अर्थात यदि पालिसी न्यूनतम पाँच वर्ष तक सक्रिय रहती है, तो प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

पढ़ें :

55. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बाल पालिसी को छोड़कर किसी भी पालिसी को नकदी के तत्काल भुगतान के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कि पालिसी तीन वर्ष से कम अवधि की न हो। ऐसे किसी मामले में, बीमाकृत व्यक्ति या पालिसी का समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, संबंधित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को अभ्यर्पण का लिखित नोटिस देगा तथा यदि प्रीमियम नकद रूप में अदा किए गए हों तो प्रीमियम रसीद पुस्तिका और ऋण का मूलधन / ब्याज बकाया हो तो ऋण पुनर्भुगतान रसीद पुस्तिका के साथ किसी भी डाकघर में पालिसी या उसकी दूसरी प्रति अथवा इंडेम्निटी बांड (यदि पालिसी खो गई हो) भेजेगा। संबंधित डाकघर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक को ये सभी दस्तावेज भेजेगा जहां से यह अनुमोदन के लिए संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को भेजा जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से प्रीमियम के लिए आगे की जाने वाली कटौतियां अनुमोदन प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के पोस्टमास्टर / प्रबंधक से अनुदेश प्राप्त होने पर बंद कर दी जाएंगी। इस नियम के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई पालिसी उस महीने के अंत तक प्रवृत्त बनी रहेगी जिसमें संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को अभ्यर्पित करने के संबंध में आवदेन प्राप्त हुआ हो तथा तद्नुसार उस अवधि के लिए भी प्रीमियम देय होगा जिसके लिए पालिसी इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही हो। ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके वार्षिक प्रीमियम पहले से ही नकद में अदा किए गए हों, अभ्यर्पण की तारीख पर विचार किए बिना वर्ष के अंत में अभ्यर्पण मूल्य की गणना की जाए लेकिन जिस समय पालिसी धारक अभ्यर्पण मूल्य की अदायगी चाहे उस समय उसकी अदायगी की जा सकती है। प्रीमियम बंद किए जाने की तिथि से पालिसी पर किसी बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा । पाँच वर्ष पूरे होने के बाद अर्थात यदि पालिसी न्यूनतम पाँच वर्ष तक सक्रिय रहती है, तो प्रदत्त मूल्य पर उसी अनुपात में बोनस प्रदान किया जाएगा।

के स्थान पर :

55.1 इस नियम में उल्लिखित नोटिस तथा दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरांत, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ/ प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक दावेदार के हक की जांच करेगा तथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना करेगा। पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में दावेदर को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अभ्यर्पित की जाने वाली पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य को प्राप्त करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति / असहमति लिखित रूप में प्रेषित कर सके। बीमित व्यक्ति को सूचित अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि का भुगतान लेने के लिए उससे सहमति प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक अनुमोदन के लिए मामला पोस्टमास्टर जनरल को भेजेगा। पोस्टमास्टर जनरल के अनुमोदन के बाद, दावेदार को सूचित करते हुए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक संबंधित पोस्टामास्टर को अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि के भुगतान के लिए संस्वीकृति जारी करेगा। मंजूर की गई राशि का भुगतान दावेदार को उसके द्वारा डाकघर में आदेश की आदाता वाली प्रति लौटाने पर तथा आदेश के पिछले हिस्से पर, जहां आवश्यक हो, विधिवत स्टाम्पित रसीद पर उसके द्वारा

हस्ताक्षर करने पर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में नियम 52(2) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पढ़ें :

55.1 इस नियम में उल्लिखित नोटिस तथा दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरांत, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ/ प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक दावेदार के हक की जांच करेगा तथा निर्धारित फार्मूले के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना करेगा। पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में दावेदर को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अभ्यर्पित की जाने वाली पालिसी के स्वीकार्य अभ्यर्पण मूल्य को प्राप्त करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति / असहमति लिखित रूप में प्रेषित कर सके। बीमित व्यक्ति को सूचित अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि का भुगतान लेने के लिए उससे सहमति प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक, यदि उसकी शक्तियों के अंदर होगा तो, अपने ही स्तर पर मामले को अनुमोदित करेगा, अथवा अनुमोदन के लिए मामला संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी को भेजेगा। संबंधित अनुमोदक द्वारा मामले के अनुमोदन के बाद, दावेदार को सूचित करते हुए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का पोस्टमास्टर / प्रबंधक संबंधित पोस्टामास्टर को अभ्यर्पण मूल्य की स्वीकार्य राशि के भुगतान के लिए संस्वीकृति जारी करेगा। मंजूर की गई राशि का भुगतान दावेदार को उसके द्वारा डाकघर में आदेश की आदाता वाली प्रति लौटाने पर तथा आदेश के पिछले हिस्से पर, जहां आवश्यक हो, विधिवत स्टाम्पित रसीद पर उसके द्वारा हस्ताक्षर करने पर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान के मामले में नियम 52(2) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

के स्थान पर :

55.2 आवेदक को अभ्यर्पण मूल्य का वास्तव में भुगतान किए जाने से पूर्व किसी भी समय पोस्टमास्टर जनरल अभ्यर्पण के किसी आवेदन को अपने विवेकानुसार वापस लेने की अनुमति दे सकता है, यदि आवेदन वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उससे निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

पढ़ें :

55.2 आवेदक को अभ्यर्पण मूल्य का वास्तव में भुगतान किए जाने से पूर्व किसी भी समय अनुमोदन प्राधिकारी (सीजीएम (पीएलआई) के कार्यपालक आदेश द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित) अभ्यर्पण के किसी आवेदन को अपने विवेकानुसार वापस लेने की अनुमति दे सकता है, यदि आवेदन वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उससे निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

3. नियम 58 (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

58.(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) का प्रबंधक अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56(1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57(1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56(3) या 57(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली पोस्टमास्टर जनरल / प्रभाग प्रमुख / पोस्टमास्टर / केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (जीपीओ / प्रधान कार्यालय) के प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के

लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशे में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

पढ़ें :

58.(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के आधार पर ऐसी पॉलिसी को अनुमत कर सकता है जो नियम 56(1) की शर्तों के अंतर्गत शून्य हो गई है या नियम 57(1) की शर्तों के अंतर्गत सक्रिय नहीं रह गई है और बहाल किए जाने के लिए नियम 56(3) या 57(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बहाल नहीं की गई है, परंतु यह कि उक्त पॉलिसी ने परिपक्वता की तिथि प्राप्त नहीं की है और प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि नहीं गुजरी है और बीमित जीवन बहाली के समय बीमा योग्य है। ऐसी बहाली सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि के अंदर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित तथा ऐसी पॉलिसी के संबंध में प्रथम अदत्त प्रीमियम के देय होने की तिथि से परिकलित दरों पर उस पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी एरियर के भुगतान के अधीन और निर्धारित प्रारूप में अधिकृत चिकित्सा परिचर से प्रमाण पत्र जिसमें बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं आदतों को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित किया गया है कि बीमित जीवन बीमा योग्य है और यह दर्शाने के लिए साक्ष्य कि उसके निजी या पारिवारिक इतिहास या उसके पेशे में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है, के अधीन होगी।

4. नियम 59 (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

के स्थान पर :

59(2) "….. जिस पालिसी पर पहले ऋण दिया जा चुका है उसकी जमानत पर इस नियम के उप नियम (1) में निर्धारित राशि से अनधिक दूसरा या अगला ऋण दिया जा सकता है। तथापि, दूसरा या परवर्ती ऋण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की अदायगी के पश्चात् एक वर्ष न बीत चुका हो।*

*पोस्टमास्टर जनरल अपवादात्मक परिस्थितियों में द्वितीय या परवर्ती ऋण दे सकता है।

पढ़ें :

59(2) "….. जिस पालिसी पर पहले ऋण दिया जा चुका है उसकी जमानत पर सीपीसी के पोस्टमास्टर / प्रबंधक द्वारा इस नियम के उप नियम (1) में निर्धारित राशि से अनधिक दूसरा या अगला ऋण दिया जा सकता है। तथापि, दूसरा या परवर्ती ऋण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पहले ऋण की पूर्ण अदायगी नहीं हो जाएगी।

पीएलआई और आरपीएलआई पालिसी में पहले और परवर्ती ऋण की संशोधित सीमा :

क्र.सं .	**पदनाम**	**मौजूदा सीमा**	**प्रस्तावित संशोधित सीमा**
1.	**प्रधान कार्यालय / जीपीओ के सीपीसी का पोस्टमास्टर**	**कोई सीमा नहीं**	**कोई सीमा नहीं**

हटाएं

***पोस्टमास्टर जनरल अपवादात्मक परिस्थितियों में द्वितीय या परवर्ती ऋण दे सकता है।**

5. यह अधिसूचना 25 अगस्त 2020 से लागू मानी जावेगी ।

एल. एन. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

अपर सचिव के समकक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF PLI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

No. 25-1/2020-LI.—The President is pleased to make the further following amendments to "Post Office Life Insurance Rules-2011" published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part I, Section 1 Extraordinary):

2. Rule 55, 55.1 and 55.2 are amended as under: -

FOR

55. A policy other than an Anticipated Endowment Assurance, 10 Year Rural PLI and Children policy may be surrendered for an immediate payment in cash, provided the policy is of not less than three years duration. In such a case, the insured person or the assigns of the policy, as the case may be, shall give notice of surrender, in writing, to the Postmaster General concerned and forward the policy or a duplicate copy thereof or Indemnity bond (if policy is lost) at any Post office along with the premium receipt book, if premia had been paid in cash and loan repayment receipt book, if loan principal/interest is outstanding. The concerned Post Office will send all those documents to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) from where the same will be sent to the Postmaster General for approval. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions of Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) issued after approval of Postmaster General. A policy surrendered under this rule shall continue to be in force till the end of the month in which the application for surrender is received by the Postmaster General and accordingly the premium shall also be payable for the period for which the policy continues to be in force. For policies in respect of which premium is paid annually in advance, surrender value is to be calculated at the end of the year irrespective of the date of surrender but payment of surrender value may be made when the policy holder asks for it. No bonus will be paid in respect of a policy with effect from the date of discontinuance of premia. Proportionate bonus shall be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

READ

55. A policy other than an Anticipated Endowment Assurance, 10 Year Rural PLI and Children policy may be surrendered for an immediate payment in cash, provided the policy is of not less than three years duration. In such a case, the insured person or the assigns of the policy, as the case may be, shall give notice of surrender, in writing, to the **Postmaster/Manager of Central Processing Centre (GPO/Head Office) concerned** and forward the policy or a duplicate copy thereof or Indemnity bond (if policy is lost) at any Post office along with the premium receipt book, if premia had been paid in cash and loan repayment receipt book, if loan principal/interest is outstanding. The concerned Post Office will send all those documents to the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) from where the same will be sent **to the concerned approving authority** for approval. Further deductions on account of premium from the pay of the insured person shall cease on receipt of instructions of Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) issued after approval of the **concerned approving authority**. A policy surrendered under this rule shall continue to be in force till the end of the month in which the application for surrender is received by the **approving authority concerne**d and accordingly the premium shall also be payable for the period for which the policy continues to be in force. For policies in respect of which premium is paid annually in advance, surrender value is to be calculated at the end of the year irrespective of the date of surrender but payment of surrender value may be made when the policy holder asks for it. No bonus will be paid in respect of a policy with effect from the date of discontinuance of premia. Proportionate bonus shall be paid on paid up value after completion of 5 years i.e. if a policy remains in force at least for 5 years.

FOR

55.1 On receipt of the notice and the documents referred to in this rule, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall examine the title of the claimant and calculate the surrender value of the policy in accordance with the prescribed formula. The admissible surrender value of the policy should also be communicated to the claimant for sending his consent/dissent in writing regarding taking payment or not taking payment of the admissible surrender value of the policy intended to be surrendered. On receipt of consent of insurant from taking payment of admissible amount of surrender value communicated to him, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will send the case to Postmaster General for approval. After approval of Postmaster General, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will issue sanction for payment of admissible amount of surrender value to the concerned Postmaster under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be

paid to the claimant on his surrendering the payee's copy of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. In case of payment through cheque Rule as prescribed in 52(2) may be followed.

READ

55.1 On receipt of the notice and the documents referred to in this rule, the Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) shall examine the title of the claimant and calculate the surrender value of the policy in accordance with the prescribed formula. The admissible surrender value of the policy should also be communicated to the claimant for sending his consent/dissent in writing regarding taking payment or not taking payment of the admissible surrender value of the policy intended to be surrendered. On receipt of consent of insurant for taking payment of admissible amount of surrender value communicated to him, Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) **will approve the case at his own level , if within his powers , or send the case to concerned approving authority for approval. After approval of the case by concerned approver,** Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office) will issue sanction for payment of admissible amount of surrender value to the concerned Postmaster under intimation to the claimant. The amount sanctioned shall be paid to the claimant on his surrendering the payee's copy of the order at the Post Office and signing a receipt for it, duly stamped, where necessary, on the back of the order. In case of payment through cheque Rule as prescribed in 52(2) may be followed.

FOR

55.2 The Postmaster General may, in his discretion, allow withdrawal of an application for surrender at any time before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a withdrawal, and if the withdrawal would not adversely affect the interest of the Fund."

READ

55.2 **Approving authority (as modified from time to time by executive order of CGM(PLI)) ,** in his discretion, may allow withdrawal of an application for surrender at any time before the surrender value is actually paid to the applicant if sufficient reasons are adduced for such a withdrawal, and if the withdrawal would not adversely affect the interest of the Fund."

3. Rule 58(1) is amended as under:

FOR

58.(1) The Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the Postmaster General/ Head of Division/ Postmaster/ Manager of Central Processing Centre (GPO/ Head Office), of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

READ

58.(1) **Authority competent to accept proposal**, may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of Rule 56(1), or has ceased to be active in terms of Rule 57(1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 56 (3) or 57(3), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and a period of consecutive 5(five) years has not passed from the date of first unpaid premium and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by **the competent authority**, of all arrears of premia with interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and certificate from an authorized medical attendant in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurants health and habits and of evidence to show that there has been no adverse change in his/her personal or family history or his/her occupation.

4. Rule 59(2) is amended as under:

FOR

59(2) "…..A second or subsequent loan not exceeding the amount prescribed in sub-rule (1) of this rule may be granted on the security of a policy on which one loan has already been granted. The second or subsequent loan shall not, however, be granted until one year after the repayment of the previous loan*.

The Postmaster General may grant second or subsequent loan in exceptional circumstances.

READ

59(2) "…..A second or subsequent loan not exceeding the amount prescribed in sub-rule (1) of this rule may be granted by **Postmaster/Manager of CPC** on the security of a policy on which one loan has already been granted. The second or subsequent loan shall not, however, be granted until **full** repayment of the previous loan"

Revised Limits of first & subsequent loan against PLI & RPLI policies:

Sl.No.	Designation	Existing Limit	Proposed revised Limits
1.	Postmaster of CPC of HOs/ GPOs	No limit	No limit.

DELETE

***The Postmaster General may grant second or subsequent loan in exceptional circumstances.**

5. This Notification shall come into force with effect from 25th day of August, 2020.

L. N. SHARMA, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.25 21:48:57 +05'30'